DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No	DUE DTATE	SIGNATURE

भारतीय आयकर के सरल सिद्धान्त

[ELEMENTS OF INDIAN INCOME-TAX]

द्वितीय संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण

[आयकर अधिनियम, १९६१ तथा वित्त (नं० २) अधिनियम,
१९६२ पर आधारित]

बी. कॉम. परीक्षा के लिए इलाहाबाद, विक्रम तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों
तथा कालेजों द्वारा स्वीकृत

लेखक

रामनिवास लखोटिया

एम. कॉम., एलएल. बी., एफ. आर. ई. एस. [लंदन]

[भूत पूर्व प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, दयानन्द कॉलेज तथा गवर्नमेन्ट कॉलेज,
अजमेर ; लेखक : ऐलीमेन्ट्स ऑफ इंडियन इनकम टैक्स, प्रैक्टीकल
प्रॉब्लम्स ऑन इनकम टैक्स, टैगोर एज ए ह्यूमॉरिस्ट ;
सम्पादक : ह्यूमर एवरी व्हेयर, ह्यूमर इन
मैरिड लाइफ इत्यादि]



आशा पब्लिशिंग हाउस

प्रकाशक :
आशारानी,
प्रोप्राइटर,
आशा पब्लिशिंग हाउस,
~~१६-ए, एमहर्स्ट स्ट्रीट,~~
कलकत्ता ९ ।

रु० ४—८० न० पैसे] [१९६२

सर्वाधिकार सुरक्षित है ।

मुद्रक :
सुराना प्रिन्टिंग वर्क्स,
४०२, अपर चितपुर रोड,
कलकत्ता-७

द्वितीय संस्करण की भूमिका

पाठकों के समक्ष यह द्वितीय संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। पिछले संस्करण तथा वर्तमान संस्करण में एक विशेष महत्वपूर्ण अन्तर है। पिछला संस्करण भारतीय आयकर अधिनियम १९२२ पर आधारित था जब कि यह संस्करण नवीन आयकर अधिनियम, १९६१, जो कि भारत में १-४-१९६२ से लागू कर दिया गया है, पर आधारित है। यद्यपि सन् १९२२ वाले अधिनियम को रद्द कर दिया गया है तथापि उसके मूल ढाँचे में परिवर्तन नहीं किया गया है। नये अधिनियम में प्रत्येक विषय से सम्बन्धित धाराओं को एक ही जगह रखा गया है। बड़ी धाराओं के टुकड़े कर कर उन्हें छोटी-छोटी धाराओं में विभाजित कर दिया गया है। भाषा को सरल बनाने का भी प्रयत्न किया गया है। नये अधिनियम में जो परिवर्तन किए गये हैं वे मुख्यतया दो भागों में बाँटे जा सकते हैं :—

(अ) मूल सिद्धान्तों में परिवर्तन ; तथा

(ब) केवल आकार में परिवर्तन।

२. इस पुस्तक के अध्याय १ से २२ तक आयकर अधिनियम १९६१ के उपबन्धों का विस्तृत विवरण किया गया है। उन मुख्य विषयों का जिनमें कि नवीन अधिनियम द्वारा परिवर्तन किये गये हैं तथा इस पुस्तक के उस अध्याय की संख्या जहाँ इसके बारे में विवेचन किया गया है, नीचे दिये जाते हैं :—

(१) कर-निर्धारण वर्ष, करदाता, लाभांश, आय, व्यक्ति, गत वर्ष इत्यादि (अध्याय १ तथा ६) ;

(२) निवास—स्थान के हिसाब से करदाताओं का वर्गीकरण तथा कर भार इत्यादि (अध्याय ३) ;

(३) निजी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्यूटी की कर मुक्ति तथा धार्मिक एवं पुण्यार्थ संस्थाओं और ट्रस्टों की आय की कर से मुक्ति इत्यादि (अध्याय ४) ;

(४) 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली आय की देय तथा प्राप्ति सिद्धान्त से गणना (अध्याय ५) ;

(५) 'प्रतिभूतियों के ब्याज' के दायित्व में 'प्राप्ति' सिद्धान्त की जगह 'देय' सिद्धान्त का लागू होना (अध्याय ६) ;

(६) विकास छूट, डूबत खाते, इत्यादि (अध्याय ८) ;

(७) 'पूँजी लाभ' में विभिन्न तिथियों की जगह एक तिथि अर्थात् १-१-५४ का रखना तथा लघुकालीन एव दीर्घकालीन परिसम्पत के पूँजीगत लाभों में अन्तर करना (अध्याय ६);

(८) एक व्यक्ति की आय में भर्ता या भार्या की आय का जोड़ा जाना (अध्याय ११);

(६) नकद उधार तथा अस्पष्ट निवेप (अध्याय १२);

(१०) वेतन इत्यादि की अग्रिम प्राप्ति पर सहायता (अध्याय ४);

(११) पुरानी धारा २३ए कम्पनियाँ (अध्याय १५);

(१२) कच्चे निवासी पर अनिवासी जैसे कर लगना (अध्याय १६);

(१३) नक्शे भरने के लिए सार्वजनिक सूचना के उपबन्ध को हटाना तथा निर्धारित तिथियों तक आय के नक्शे को भरना और देरी से भरे गये नक्शे या पत्रक पर ब्याज का लगाना इत्यादि (अध्याय १८);

(१४) १६ वर्ष की उस सीमा का निर्धारित होना जिसके पहले के किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती (अध्याय १८);

(१५) पंजीयन को पुनः कराने के लिए प्रतिवर्ष आवेदन करने की आवश्यकता को हटाना (अध्याय १४);

(१६) हिन्दू अविभक्त परिवारों के आंशिक विभाजन की मान्यता (अध्याय १३);

(१७) कर के अग्रिम भुगतान की तिथियों में १५ दिन की कमी करना तथा अनुमान में भूल के लिए २५% की छूट देना (अध्याय २०);

(१८) देरी से कर वापसी पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज का दिया जाना (अध्याय २१);

(१६) दण्ड के लिए न्यूनतम तथा उच्चतम सीमाओं का निर्धारित करना तथा इंसपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर की पूर्वानुमति से दण्ड के लगाने की विधि की समाप्ति (अध्याय १६); तथा

(२०) अधिकृत प्रतिनिधि की योग्यताओं तथा अयोग्यताओं का विवरण (अध्याय १)।

३. प्रथम सम्करण में साधित प्रश्नों की संख्या २१ की जगह इस संस्करण में ७५ कर दी गई है। इसके अलावा आगरा तथा राजपूताना विश्वविद्यालयों के प्रश्नपत्रों के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों के प्रश्नपत्र (उत्तर सहित) भी दे दिए गए हैं। आयकर नियम १६६२ के आवश्यक नियमों तथा वित्त

अधिनियम १९६२ के उपबन्धों का समावेश भी इस पुस्तक में यथास्थान पर कर दिया गया है। पुस्तक के अन्त में एक तालिका दी गई है जिसमें सन् १९२२ के पुराने अधिनियम तथा सन् १९६१ के नवीन अधिनियम की मुख्य धाराओं को तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मुझे विश्वास है इन सबके कारण पुस्तक की उपयोगिता में पहले से बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिससे यह विद्यार्थी समाज के अलावा वकीलों, करदाताओं तथा सामान्य अध्येताओं के लिए भी पूर्णरूप से लाभप्रद सिद्ध होगी।

४. मैं उन सब व्यक्तियों तथा पत्रिकाओं का आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक की प्रशंसात्मक आलोचना की है। जिन विश्वविद्यालयों के प्रश्न पत्र इस पुस्तक में दिये गए हैं उनके प्रति मैं अपना आभार प्रदर्शन करता हूँ। विक्रम, इलाहाबाद तथा अन्य विश्वविद्यालयों जिन्होंने इस पुस्तक को बी० कॉम० परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकृत किया है उनका मै हृदय से आभारी है। अन्त में मैं उन सब व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस संस्करण को निकालने में मदद की है।

कलकत्ता,
सितम्बर १५, १९६२

रामनिवास लखोटिया

प्रथम संस्करण से उद्धरण

दो शब्द

गत कुछ वर्षों में आयकर कानून बहुत कठिन हो गया है। नये नये संशोधनों से यह कानून पेचीदेपन तथा आकार में और भी अधिक बढ़ गया है। यह सच है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी गण तथा आयकर-दाता इसे समझने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में मैंने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है कि कानून की इस कठिन शाखा का सरल भाषा में, साधित प्रश्नों की सहायता से, विश्लेषण किया जाय। वित्त अधिनियम १९५६ के सभी मुख्य प्रबन्धों का समावेश भी इस पुस्तक में कर लिया गया है। इसके अलावा आगरा तथा राजपूताना विश्वविद्यालयों के पाँच वर्ष के पर्चों के प्रश्न तथा उत्तर तथा अनुक्रमणिका इस पुस्तक के अन्त में दिए गये हैं जिनसे इस पुस्तक की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है।

मुख्यतः यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालय के बी. कॉम. तथा एलएल.बी छात्रों के लिए पाठ्य-पुस्तक के रूप में लिखी गई है। परन्तु यह पुस्तक साधारण कर-दाता एवं आयकर की अन्य परीक्षाओं के विद्यार्थी समाज के लिये भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है... ·

आर. एन. लखोटिया

विषय सूची (CONTENTS)

प्रथम भाग (Part I)

प्रारम्भिक (PRELIMINARY)

दूसरा भाग (Part II)

कुल आय की संगणना (COMPUTATION OF TOTAL INCOME)

तीसरा भाग (Part III)

विभिन्न करदाताओं का करनिर्धारण
(ASSESSMENT OF DIFFERENT ASSESSEES)

चौथा भाग (Part IV)

करनिर्धारण एवं अपील पद्धति
(ASSESSMENT & APPELLATE PROCEDURE)

प्रथम भाग

प्रारम्भिक

अध्याय १

विषयप्रवेश तथा आयकर अधिनियम की प्रमुख परिभाषाएँ

१. आयकरका इतिहास :

आयकर भारतवर्ष की केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए आमदनी का एक प्रमुख साधन है। योजना के इस आधुनिक युग में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में स्थित आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए भी यह एक सर्वश्रेष्ठ साधन माना जाने लगा है। ऐसी आशा की जाती है कि भावी भारत के आर्थिक विकास के लिए विशाल आय प्राप्त करने में यह और भी सहयोगी सिद्ध होगा। इसलिए कर-दाताओं तथा विद्यार्थी-समाज के लिए ही नहीं वरन् समस्त जनता के लिए यह जानना नितान्त आवश्यक हो जाता है कि आयकर अधिनियम क्या है। प्रस्तुत पुस्तक इस उद्देश्य को लेकर लिखी गई है कि प्रत्येक भारतीय को आयकर के मूल सिद्धान्तों का सरल भाषा में परिचय कराया जाय।

भारतीय आयकर विधान का इतिहास बड़ा रोचक है। भारत में आयकर का सूत्रपात सर्वप्रथम सन् १८६० में हुआ। उस समय यह एक साधारण कानून था। कुछ अन्य छोटे-छोटे कानूनों के पश्चात् सन् १८८६ में एक नया कानून बना जो सन् १९०३ तक चलता रहा। इस वर्ष आयकर लगनेवाली न्यूनतम सीमा को ५०० रु० से बढ़ाकर १,००० रु० कर दिया गया। सन् १९१८ में एक नया आयकर अधिनियम बनाया गया जिसके द्वारा न्यूनतम आयकर सीमा बढ़ाकर २,००० रु० कर दी गई। तत्पश्चात् सन् १९२२ में पास हुआ भारतीय आयकर—अधिनियम। परन्तु इसमें भी समय-समय पर अनेक परिवर्तन होते रहे। विशेषकर यह कानून सन् १९३९, १९४४, १९४६, १९५१, १९५३, १९५४, १९५५, १९५६, १९५७, १९५८, १९५९, १९६० तथा १९६१ में आयकर संशोधन अधिनियमों तथा वित्त अधिनियमों द्वारा परिवर्तित किया गया। मूल अधिनियम में इतने संशोधनोंके कारण आयकर

कानून पेचीदा हो गया। इसलिए लॉ कमीशन तथा त्यागी कमेटी के सुझाव पर आधारित नया **आयकर अधिनियम, १९६१** भारतीय संसद ने पास किया। यह अधिनियम १-४-१९६२ से लागू हो गया है। इस पुस्तक में जहाँ कहीं आयकर धाराओं का उल्लेख किया गया है, उनका सम्बन्ध **आयकर अधिनियम, १९६१** से ही है।

भारत में आयकर सम्बन्धी दो मुख्य अधिनियम हैं :—

(१) **आयकर अधिनियम, १९६१**—यह मुख्य कानून है। इसने १९२२ के कानून को रद्द कर दिया है।

(२) **वित्त अधिनियम**—जो कि प्रतिवर्ष भारतीय संसद द्वारा पास किया जाता है। इस अधिनियम द्वारा आयकर की विभिन्न दरें निर्धारित होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसके द्वारा मूल अधिनियम में परिवर्तन तथा संशोधन करने का कार्य भी किया गया है।

२ भारतीय अधिनियम १९२२ का भविष्य में लागू होना :

१९६१ के अधिनियम द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ रद्द कर दिया गया है।

किन्तु जैसा कि धारा २९७ में वर्णित है किन्हीं किन्हीं दशाओं में १ ४-१९६२ के पश्चात् भी पुराना कानून अर्थात् भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ भी लागू होगा। ऐसी दशाओं का वर्णन नीचे किया जाता है :—

(१) कर-निर्धारण वर्ष १९६१-६२ या इससे पूर्व किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए दिया गया आय का नक्शा यदि वह १-४-६२ के पहले दिया गया हो तो।

(२) १-४-१९६२ के पश्चात् दिया गया आय का नक्शा यदि कर-निर्धारण वर्ष 1९६१-६२ या इससे पूर्व किसी अन्य वर्ष के लिए हो तो भी मूल प्रबन्ध पुराने अधिनियम के ही लागू होंगे। हालाँकि जो पद्धति ऐसे नक्शों (Returns) के बारे में अपनाई जायगी वह १९६१ अधिनियम के अनुसार ही होगी।

(३) १-४-१९६२ के दिन अपील, पुनःरीक्षण अथवा निर्देश (Appeal, Revision or Reference) सम्बन्धित कोई भी बाकी कार्यवाही।

(४) १-४-१९६२ से पूर्व जारी किए नोटिस से सम्बन्धित पुनः कर-निर्धारणवाली कार्यवाही।

(५) १९६१-६२ या इससे पूर्व किसी आयकर-निर्धारण वर्ष के लिए पुरानी धारा २३ए की कार्यवाही।
(६) १-४-६२ से पूर्व समाप्त हुए किसी भी कर-निर्धारण से सम्बन्धित कोई भी दण्ड (Penalty) की कार्यवाही।

३. आयकर के अन्तर्गत विभिन्न कर :

भारतीय आयकर के अन्तर्गत निम्नलिखित चार प्रकार के कर शामिल हैं:–

(१) आयकर [Income-tax proper];
(२) अतिरिक्त कर [Super-tax];
(३) निगम कर [Corporation tax]—तथा प्रमंडलोंपर लगाया गया अतिरिक्त कर ; तथा
(४) वृद्धि कर [Surcharges on items (1) and (2)] [(१) तथा (२) पर]।

४. कर-दाता कौन हैं ?—[धारा २ (३१) तथा ४] :

केवल निम्नलिखित ही कर-दाता हैं :—

(१) व्यक्ति (Individual);
(२) अविभक्त हिन्दू परिवार (Hindu Undivided Family);
(३) प्रमंडल अथवा कंपनी (Company);
(४) साझेदारी फर्म (Partnership firm);
(५) अन्य जन-मंडल (Any other association of persons);
(६) स्थानीय सत्ता (Local authority);
(७) कोई भी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति जैसे देवी-देवता इत्यादि।

५. आयके शीर्षक—[धारा १४] :

केवल निम्नलिखित आय के शीर्षकों के अन्तर्गत आनेवाली आय पर ही आयकर लगता है :—

(१) वेतन—धाराएँ १५ से १७ ;
(२) प्रति भूतियों से ब्याज—धाराएँ १८से २१ ;
(३) मकानात की आय—धाराएँ २२ से २७ ;
(४) व्यापार या पेशा का लाभ—धाराएँ २८ से ४४ ;
(५) पूंजी गत लाभ—धाराएँ ४५ से ५५ तथा
(६) अन्य साधनों से आय—धाराएँ ५६ से ५९।

६. आयकर दायित्व (Income-tax Liability) :

एक व्यक्ति, अनरजिस्टर्ड फर्म, रजिस्टर्ड फर्म के साझीदार या अन्य जन-मंडल के आयकर दायित्व का प्रश्न तब उठता है जबकि उसकी गतवर्ष की आय ३,००० रु० से अधिक हो, अन्यथा नहीं। एक अविभक्त हिन्दू परिवार (जिसके दो सदस्य बँटवारे के हकदार हो) का आयकर दायित्व कुछ भी नहीं है यदि गतवर्ष में उसकी कुल आय ६,००० रु० या उससे कम है। एक कंपनी अथवा स्थानीय संस्था को अपनी कुल आय पर एक ही दर से आयकर देना पड़ता है, चाहे वह कितनी ही कम व अधिक क्यों न हो। एक रजिस्टर्ड फर्म का कर-दायित्व कुछ भी नहीं है यदि उसकी गत-वर्ष की आय २५,००० रु० या उससे कम है। अतिरिक्त कर तथा वृद्धि करों के बारे में विस्तृत विवरण के लिए देखिए परिशिष्ट—"क"।

७. साधारणतया कर कैसे दिया जाता है ?

कोई भी कर दाता जिसकी गतवर्ष की आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो उसे एक आयका विवरण पत्र जो कि आयकर विभाग से मुफ्त में ही प्राप्त किया जा सकता है, भरकर अपने आयकर अफसर के दफ्तर में भेजना चाहिये। आयकर अफसर उसपर कर-निर्धारित करेगा। आयकर विभाग से माँग की सूचना आने पर उसे कर की सारी रकम जमा करानी पड़ेगी। इस विषय मे विस्तृत विवरण के लिए भाग चतुर्थ में पढ़िए।

८. आयकरकी प्रमुख परिभाषाएँ :

गतवर्ष (Previous year)—धारा ३ :

आयकर अधिनियम में कई पारिभाषिक पदों एवं शब्दोंका प्रयोग किया गया है। आयकर अधिनियम को पूर्णतया समझने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इन पदों व शब्दों की ठीक-ठीक व्याख्या की जाय। इन पदों में से सबसे महत्वपूर्ण पद है "गतवर्ष"।

आयकर अधिनियमके अन्तर्गत कर प्रत्येक आर्थिक वर्ष—जो कि एक वर्ष की पहली अप्रैल से लेकर दूसरे वर्षकी ३१ मार्च तक होता है—में लगाया जाता है। जैसे वर्त्तमान आर्थिक वर्ष (Financial year) सन् १९६२-६३ (१४६२ से ३१-३-६३) हुआ। इसे इनकम टैक्स वर्ष, राजकोषीय वर्ष अथवा कर निर्धारण वर्ष (Assessment year) भी कहते हैं। इस वर्षमें जो भी कर लगाया जाता है वह व्यक्तियों की गतवर्षकी आयपर होता

है। इसका तात्पर्य हुआ कि आमदनी पहले वर्ष होती है और उस पर कर अगले वर्ष देना पड़ता है। गतवर्ष के सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है :—

(१) साधारणतः गतवर्ष या पिछले वर्ष की आय पर ही उसके अगले आर्थिक वर्षमें कर देना पड़ता है।

(२) गत वर्ष से तात्पर्य है, उन १२ महीनों का जो कि किसी भी वर्ष की ३१ मार्च को समाप्त होते हैं। यह १२ मास की अवधि किसी भी आर्थिक वर्ष के बिलकुल पहले वाला समय है। जैसे १९६२-६३ आर्थिक वर्ष के लिए १९६१-६२ गत वर्ष हुआ।

(३) एक गत वर्ष ऊपर बताए गये १२ महिने वाले समय में किसी भी समय समाप्त हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का व्यापारिक हिसाबी साल १ जनवरी १९६१ से ३१ दिसम्बर १९६१ है तो यह साल भी १९६२-६३ के लिए गत वर्ष हुआ क्योंकि यह समय १९६१-६२ वर्ष में समाप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि **गत वर्षकी समाप्ति पूर्व वित्तीय वर्षके अन्दर ही अथवा इसके साथ ही अवश्य हो जानी चाहिए।**

(४) आय के विभिन्न साधनों के लिए भिन्न भिन्न गत वर्ष रखे जा सकते हैं।

(५) साझेदारी फर्म की आय के लिये गत वर्ष वही होगा जो कि फर्म का गत वर्ष है।

(६) नया व्यापार स्थापित करने वालों के लिए गत वर्ष व्यापार आरम्भ करनेकी तिथि से आनेवाली ३१ मार्च तक या उसके व्यापार की हिसाबी तिथि (Accounting date) तक (यदि उसने १२ महिनों तक के हिसाब बन्द किये हों) माना जा सकता है।

(७) एक बार अपना गत वर्ष निश्चय कर लेने के पश्चात् उसे अगले वर्षों के लिए बदला नहीं जा सकता, जब तक कि ऐसा करनेके लिए इनकमटैक्स अफसर की मंजूरी न मिल जावे।

(८) साधारणतया गत वर्ष १३ मास से अधिक और ११ मास से कम नहीं हो सकता।

उदाहरणार्थ १९६२-६३ आर्थिक वर्ष में कर देने के लिए नीचे दिये हुए

वर्षों में से कोई भी गत-वर्ष (अर्थात् वह वर्ष जिसकी आमदनी पर कर दिया जाता है) हो सकता है :—

(अ) १-४-१९६१ से ३१-३-६२ : या
(ब) १ १-१९६१ से ३१-१२-१९६१ : या
(स) १-७-१९६० से ३०-६-१९६१ : या
(द) कोई भी सवत्, दिवाली या दशहरा वर्ष जो कि १९६१-६२ वित्तीय वर्षमें समाप्त होता हो।

इस नियमके अपवाद (Exceptions to the Rule) :—

निम्न दशाओं में कर गतवर्ष की आमदनी पर न लगाया जाकर उसी वर्ष की आमदनी पर उसी वर्ष लगाया जाता है :—

(I) आकस्मिक जलयातायात व्यवसाय द्वारा किसी अनिवासी की आय— धारा १७२।
(II) जब कि कोई व्यक्ति सर्वदा के लिए भारत छोडकर जाने वाला हो—धारा १७४।
(III) आयकर को बचाने के अभिप्राय से अपनी संपत्ति को हस्तांतरित करने वाले व्यक्तियों की आय—धारा १७५।
(IV) जब कि कोई व्यापार, व्यवसाय या धधा बद कर दिया गया हो— धारा १७६।
(V) लेखन-कला सबधित प्राप्त रॉयल्टी आदि की आय—धारा १८०।

प्रश्न संख्या १

श्री अ ने १-८-१९६१ से एक कपडे का नया व्यापार प्रारम्भ किया। १९६२-६३ कर-निर्धारण वर्ष तक उसने अपने बही खाते बन्द नहीं किए।

(अ) यदि उसका कर-निर्धारण जून १९६२ में किया जाये और वह यह अनुरोध करे कि अपने व्यापार के बही खाते वह ३१ जुलाई १९६२ को बन्द करेगा, तो क्या आप उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे, और अगर हाँ तो क्यों ?
(ब) यदि उसका कर-निर्धारण सितम्बर १९६२ मे किया जाये और वह कहे कि वह अपने बही-खाते ३१ अगस्त ६२ की तारीख तक बंद करेगा, तो क्या आप उसकी प्रार्थना मान लेंगे, और यदि हाँ तो क्यों ?

उत्तर :

(अ) अपने कपड़े के नये व्यापार के लिए वह व्यापार के प्रारम्भकी तारीख से लेकर १२ महीने का कोई भी समय अपने गत-वर्ष के लिए रख सकता है, यदि उसने हिसाब-किताब १२ महीने की अवधि तक के किसी भी समय के लिए बन्द कर लिया हो तो।

यहाँ पर कर-दाता अपने नये व्यापार के हिसाब-किताब १२ मासके समयके अन्दर के लिए रखना चाहता है इसलिए उसकी बात माननी होगी। इस हालत में सन् १६६२-६३ के लिए कोई गत-वर्ष नहीं होगा और १-८-६१ से ३१-७-६२ तक की आमदनी सन् १६६३-६४ में करदेय होगी।

(ब) चूंकि कर दाता ने अपने नये व्यापार के बही खाते १२ महिने के समय तक नही बन्द किए हैं इसलिए कर दाता की प्रार्थना नही मानी जायगी। कपड़े के नये व्यापार की १-८-६१ से ३१-३-६२ तक की आमदनी कर-निर्धारण वर्ष १६६२-६३ में करदेय होगी।

प्रश्न संख्या २

श्री मदनके कई तरह के व्यापार हैं जिनके हिसाबी साल निम्नलिखित हैं—

(१) सूती कपड़ा व्यापार—दिवाली वर्ष (नवम्बर से अक्टूबर/नवम्बर)
(२) लेन-देन व्यवसाय—वित्तीय वर्ष (अप्रेल से मार्च)
(३) तेल की फेक्ट्री—साधारण वर्ष (जनवरी से दिसम्बर)
(४) पुस्तक व्यवसाय—जुलाई से जून।

कर-निर्धारण वर्ष १६६२-६३ के लिए कौन से बही-खातों को सेट ठीक रहेगा?

उत्तर :—

कर-निर्धारण वर्ष १६६२-६३ के लिए निम्न व्यापारो के लिए निम्न बही-खातो का सेट ठीक होगा :—

(१) सूती कपड़ा व्यापार—नवम्बर १६६० से नवम्बर १६६१।
(२) लेन-देन व्यवसाय—१ अप्रेल १६६१ से ३१ मार्च १६६२।
(३) तेल की फेक्ट्री—१ जनवरी १६६१ से ३१ दिसम्बर १६६१।
(४) पुस्तक व्यवसाय—१ जुलाई १६६० से ३० जून १६६१।

९. आयकर-दाता (Assessee)--धारा २ (७) :

आयकर दाता वह व्यक्ति है जिसके द्वारा आयकर अधिनियम के अनुसार सरकार को आयकर या अतिरिक्त कर की कोई रकम देनी होती है या दी जाती है। इसके अलावा निम्नप्रकार के व्यक्ति भी आयकर-दाता माने जाते हैं :—

(क) कोई भी व्यक्ति जिस पर उसकी स्वयं की आमदनी या अन्य किसी दूसरे व्यक्ति की आमदनी (जिस पर कि कानूनी तौर से उसे कर देना पड़ता हो) या हानि के कर-निर्धारण की या कर-वापसी की कार्यवाही जारी की गई हो।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर-दाता मनोनीत किया हो (deemed to be an assessee)। जैसे, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक प्रतिनिधि भी आयकर दाता समझे जाते हैं या धारा १६० के अन्तर्गत प्रतिनिधि आयकर-दाता (Representative Assessee) भी आयकर दाता माने जाते हैं।

(ग) कोई भी व्यक्ति जो कि इस अधिनियम की किसी धारा के अन्तर्गत कसूरवार कर-दाता (Assessee in default) समझे जाते हैं, जैसे धारा २१८ के अन्तर्गत ठीक समय पर अग्रिम कर की अदायगी नहीं करनेवाला कसूरवार या अपराधी व्यक्ति भी आयकर-दाता माना जाता है।

१०. आय (Income)—धारा २ (२४) :

आयकर से तात्पर्य है उस कर से जो आय पर लगता हो। आयकर अधिनियम का मुख्य तात्पर्य आय पर कर-निर्धारण करना तथा वसूल करना है। किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि 'आय' शब्द की पूर्ण व्याख्या इस अधिनियम में नहीं की गई है। 'आय' से तात्पर्य है उस राशि से जो निश्चित् साधनों द्वारा निश्चित् रूप से समय समय पर द्रव्य या द्रव्य के मूल्य के रूप में प्राप्त की जाती है। साधारणतया हम कह सकते हैं कि 'पूंजीगत आय' आय के अन्तर्गत नहीं आती। धारा २ (२४) के द्वारा निम्नप्रकार की वस्तुएँ भी आय के अन्तर्गत ही समझी जाती है :—

(i) व्यापारिक नफा या लाभ।

(ii) लाभांश (Dividends)।

(iii) प्रतिफल (Perquisites) या वेतन के स्थान पर लाभ (Profits in lieu of Salary) जिस पर कि धारा १७ (२) तथा (३) के अन्तर्गत कर लगता है।

(iv) किसी भी डायरेक्टर या ऐसे व्यक्ति जिसका कपनी में प्रचुर हित (Substantial interest) हो या उनके किसी भी रिश्तेदार द्वारा एक कपनी से प्राप्त किसी लाभ, प्रतिफल इत्यादि का मूल्य।

(v) धारा २८ (ii) तथा (iii), ४१ अथवा ५९ के अन्तर्गत कोई भी रकम जिस पर कि उन धाराओं के अन्तर्गत कर लगता हो। इनका विस्तृत विवरण अगले अध्यायों में किया गया है।

(vi) पूंजीगत लाभ जिन पर धारा ४५ के अन्तर्गत कर लगता है।

(vii) पारस्परिक बीमा कपनी अथवा सहकारी बीमा समिति द्वारा बीमा की वह आय जो कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित कीगई है।

११. कृषि-आय (Agricultural Income)—धारा २ (१) :

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रकार की आय पर कर नही लगता। कुछ ऐसी भी आय हैं जो सर्वथा कर-मुक्त हैं। कृषि-आय भी ऐसी ही एक आय है। इसलिए इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि आय से तात्पर्य उन तमाम आय से है जो निम्न शर्तों को पूरा करती है :—

(१) कि वह आय भारत में स्थित किसी भूमि से है ;

(२) कि वह भूमि किसी कृषि-कार्यमें प्रयोग की गई है ; तथा

(३) कि वह भूमि ऐसी है जिस पर सरकार को लगान अथवा किसी स्थानीय सत्ता को स्थानीय कर (Local rate) दिया गया है।

कोई भी आय जो इन तमाम शर्तों को पूरा नही करती वह कृषि आय नही हो सकती। जैसे, निम्न प्रकार की आय कृषि आय नहीं है :—

(१) हाट-बाजारों, घाट अथवा मछली क्षेत्रों से होनेवाली आय।

(२) सिंचाई के लिए पानी देने से आय।

(३) पत्थरों की खानों से होनेवाली आय।

(४) खानों से प्राप्त होनेवाली रॉयल्टी से आय, इत्यादि।

निम्न रूपों में होनेवाली आय कुछ अंशों में कृषि आय है तथा कुछ अंशों में अकृषि-आय है :—

(अ) भारत में चाय पैदा करके बेचनेवालों की आय (६०% आय कृषि आय है।) तथा

(ब) किसी शकर कारखाना कम्पनी की आय जिसके अपने निजी कृषि फार्म हैं तथा जो कारखाने के लिए अपनी ही ईख पैदा करती है।

कृषि-आय निम्न प्रकार की हो सकती है :—

(१) जमीनदार द्वारा वसूल किया हुआ लगान या किराया।

(२) पैदावार से कृषक की आय या लगान लेने वाले व्यक्ति की कृषि पैदावार से आय।

(३) कृषक या लगान लेने वाले की पैदावार को बिक्री योग्य बना देने की विधि से आय।

(४) कृषि पैदावार को बेचने से होने वाली आय।

(५) उस जायदाद की आय जो कृषि के काम में आती है।

१२. आकस्मिक आय (Casual Income)—धारा १० (३) :

आकस्मिक आय वह आय है जिसका स्वरूप आकस्मिक है तथा जो किसी व्यापार से या किसी व्यवसाय, पेशे अथवा अन्य काम करने से उदय न हो तथा जो पूंजीगत लाभ अथवा कर्मचारी की आय में अतिरिक्त वृद्धि के रुप मे न हो। ऐसी आय कर-मुक्त है। लॉटरी में मिलने वाला ईनाम, घुड़दौड़ [redacted] हार-जीत पर लाभ इत्यादि आय आकस्मिक हैं।

१३. कुल आय तथा कुल विश्वआय (Total Income & Total World Income)—धारा २ (४५) तथा (४६) :

कर-दाताकी कुल आय से आशय उसकी आय की उस कुल रकम से है, जिस पर उसको नियम स्थानानुसार कर लगता है तथा जो आय-कर अधिनियम द्वारा निर्धारित तरीके से मालूम की गई है जैसा कि अध्याय ३ में वर्णन किया गया है। धारा ५ में वर्णित आय कर-दाता की कुल आय होती है।

कर दाता की कुल विश्व आय से अभिप्राय उसकी समस्त आयसे है, भले ही वह विश्व में कहीं भी उत्पन्न हुई हो। कुल विश्व आय में सम्पूर्णतया कर-मुक्त आय शामिल नही होती।

कुल विश्व आयका निकालना केवल अनिवासीके लिए ही जरूरी होता है।

१४. कर-मुक्तिवाली आय (Exempted Income) :

एक व्यक्ति का कर दायित्व मालूम करने के लिए उसकी कर-मुक्त आयको भी ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ आय पूर्णतया कर-मुक्त हैं तो कुछ आंशिक रूप में। आंशिक कर-मुक्त आयपर एक प्रकार की कटौती दी जाती है। कर योग्य आय पर लगने वाले कर में से इस प्रकार की करमुक्त आय की कटौती (Rebate) की रकम कम की जाती है।

१५. आयानुसार बनाम विभागानुसार कर-पद्धतियाँ (Step system versus slab system of Taxation) :

कर लगने वाली आय पर आयकर की सगणना दो पद्धतियो से की जा सकती है :—आयानुसार और विभागानुसार। आयानुसार पद्धति (step system) में कुछ आयकी पूरी रकम पर एक ही दर के अनुसार जो कुल आय पर लागू होती हो, आयकर चुकाना पड़ता है। यदि आय की विभिन्न रकमों के लिए आय ऊँची है, तो उसके लिए दर भी ऊँची है। यह पद्धति १ अप्रेल १६३६ से बन्द कर दी गई ; क्योंकि यह अन्यायपूर्ण थी। इस पद्धति के अनुसार जो कठोरता अन्याय, और असमान फल होते थे, उन्हें दूर करने के लिए १-४-१६३६ से एक नई और अधिक न्यायोचित करारोपण की पद्धति जिसे विभागानुसार करारोपण (Slab system) कहते हैं, प्रचलित हुई। इसके अनुसार आय को विभिन्न विभागों में बाँटा जाता है। प्रत्येक अगले विभाग के लिए बढ़ती हुई आयकर की दर लगाई जाती है। जैसे १६६२ के वित्त अधिनियम के अनुसार निर्धारित दरें इसी पद्धति के अनुसार हैं। उदाहरण के लिये देखिये परिशिष्ट (क)।

१६. करदाताका प्रतिनिधित्व (Representation of an Assessee)—धारा २८८ :

सिवाय उस समय के जबकि कर-दाता को आयकर विभाग में स्वयं उपस्थित होना पड़ता है, वह सर्वदा निम्न प्रकार के व्यक्तियों द्वारा जिन्हें लिखित अनुमति द्वारा यह अधिकार प्रदान कर दिया गया हो, अपना प्रतिनिधित्व करा सकता है—

(१) किसी रिश्तेदार ; अथवा
(२) किसी कर्मचारी ; अथवा

(३) किसी अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) के अफसर द्वारा जहाँ कि कर दाता चालू खाता रखता हो या जिस बैंक के साथ वह साधारणतया लेन-देन रखता हो ; अथवा

(४) किसी वकील ; अथवा

(५) किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ; अथवा

(६) सेंट्रल बोर्ड ऑव रेवन्यू द्वारा मान्य हिसाबी (एकाउन्टेन्सी) परीक्षा प्राप्त कोई व्यक्ति ; अथवा

(७) कोई व्यक्ति जिसने की बोर्ड द्वारा उल्लेखित शिक्षा योग्यता प्राप्त की हो ; अथवा

(८) १-४ ६२ से पूर्व आय कर प्रतिनिधि (Income-tax practitioner) के रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति।

अयोग्यता (Disqualifications) :—निम्न दशाओं में नीचे लिखे व्यक्ति कर दाता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते :—

(i) कोई भी व्यक्ति जिसने कि कम से कम ३ वर्ष तक आय कर अधिकारी (आय कर अफसर के पद से नीचे नहीं) के रूप में कार्य किया है, अपने इस्तीफा या रिटायरमेंट की अवधि से दो वर्ष तक किसी भी कर-दाता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।

(ii) १ ४-१६३८ के पश्चात् कोई व्यक्ति जो सरकारी नौकरी से निकाला गया हो हमेशा के लिए कर दाता का प्रतिनिधित्व करने से वंचित हो जाता है।

(iii) आय कर से सम्बन्धित किसी कार्यवाही के बारे में यदि किसी व्यक्ति को सजा हुई हो या उस पर आय-कर की चोरी इत्यादि के सिलसिले में कोई दंड लगाया गया हो, तो वह व्यक्ति उस समय तक किसी कर-दाता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता जो कि कमिश्नर ऑव इनकम टैक्स निर्धारित करे।

(iv) दिवालिया रहने के अवधि में कोई व्यक्ति किसी कर-दाता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।

(v) कोई भी वकील, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट आदि किसी कर-दाता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता यदि वह अपनी व्यवसायी संस्था द्वारा अयोग्य करार कर दिया गया हो।

(vi) उपरोक्त व्यक्तियों के अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी निर्दिष्ट अधिकारी (Prescribed authority) द्वारा किसी दुश्चरित के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो।

प्रश्न

प्रश्न १. "कृषि आय" पर एक छोटा सा निबंध लिखिए।

उत्तर : देखो अनुच्छेद (Paragraph) ११।

प्रश्न २. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :—

(१) गत वर्ष ; (२) कुल आय तथा कुल विश्व आय ; (३) आकस्मिक आय ; (४) आयानुसार बनाम विभागानुसार कर पद्धतियाँ ; (५) कर दाता का प्रतिनिधित्व ; (६) कर-निर्धारण वर्ष ; (७) कर-दाता।

उत्तर : देखो—(१) अनुच्छेद ८ ; (२) अनु० १३ ; (३) अनु० १२ ; (४) अनु० १५ ; (५) अनु० १६ ; (६) अनु० ८ ; (७) अनु० ६।

प्रश्न ३. किन किन परिस्थितियों में भारतीय आयकर अधिनियम १९२२, १-४-१९६२ के पश्चात् भी लागू रहेगा ?

उत्तर : देखो अनुच्छेद २।

अध्याय २

आयकर अधिकारी तथा अपिलेट ट्रिब्यूनल
(INCOME-TAX AUTHORITIES & THE APPELLATE TRIBUNAL)

(I) आयकर अधिकारी धाराएँ ११६ से १३८ :

१. आयकर अधिनियम के शासन-सम्बन्धी तथा न्याय सम्बन्धी कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित आयकर अधिकारी नियुक्त किये गये हैं :—

(i) दी सेंट्रल बोर्ड ऑव रेवेन्यू (The Central Board of Revenue)।

(ii) डायरेक्टर्स ऑव इन्सपेक्शन (Directors of Inspection)।

(iii) कमिश्नर्स ऑव इनकम टैक्स (Commissioners of Income-Tax)।

(iv) असिस्टेन्ट कमिश्नर्स ऑव इनकम टैक्स (Assistant Commissioners of Income-Tax) :

(i) अपिलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर्स ऑव इनकम टैक्स (Appellate Assistant Commissioners of Income-tax); तथा

(ii) इन्सपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर्स ऑव इनकम टैक्स (Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax)।

(v) इनकम टैक्स ऑफिसर्स (Income-tax Officers)।

(vi) इन्स्पेक्टर्स ऑव इनकम टैक्स (Inspectors of Income-tax)।

इनका विस्तृत विवरण नीचे दिया जाता है—

२. दी सेन्ट्रल बोर्ड ऑव रेवेन्यू :

यह सर्वोच्च प्रबन्धक सत्ता है जिसका निर्माण सेन्ट्रल बोर्ड ऑव रेवेन्यू अधिनियम १९२४ के अन्तर्गत हुआ है। इस बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इसके सदस्यों में से एक सदस्य सम्पूर्ण भारत के आयकर विभाग का नियन्त्रण करता है। इसका संक्षिप्त नाम 'बोर्ड' है। यह आयकर अधिनियम के लिए उपनियम भी बनाती है।

३. डायरेक्टर्स ऑव इंसपेक्शन :

केन्द्रीय सरकार जितने चाहे डायरेक्टर नियुक्त कर सकती है। किसी भी अन्य आयकर अधिकारी के कोई भी कार्य जो 'बोर्ड' इनको प्रदान करे, ये कर सकते हैं। साधारणतया ये आयकर सम्बन्धित खोज-बीन, परीक्षा संचालन, आयकर शासन के कार्य निरीक्षण इत्यादि का काम करते हैं।

४. कमिश्नर्स ऑव इनकम-टैक्स :

इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है। ये किसी राज्य, निश्चित क्षेत्र, व्यक्तियों इत्यादि के आयकर सम्बन्धित मामलों के, जैसा कि 'बोर्ड' निर्धारित करे, अध्यक्ष होते हैं। साधारणतया एक आयकर कमिश्नर एक क्षेत्र का अधिकारी होता है जैसे कि कमिश्नर ऑव इनकम-टैक्स पश्चिम बङ्गाल इत्यादि। ये डायरेक्टरों के अधीन नहीं होते। शासन-सम्बन्धी कार्यों के अलावा ये कुछ न्याय-सम्बन्धी कार्य भी करते हैं जैसे धाराएँ २६३ तथा २६४ के अन्तर्गत पुनः निरीक्षण (Revision) सम्बन्धी कार्य।

५. अपिलेट असिटेन्ट कमिश्नर्स ऑव इनकम-टैक्स :

केन्द्रीय सरकार चाहे उतने अ० अ० कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। ये 'बोर्ड' के सीधे नियन्त्रण में कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य आयकर अफसरों की आज्ञाओं के विरुद्ध अपील सुनना है। इनके कार्यों के बारे में विस्तृत विवरण के लिए कृपया देखिए अध्याय २२।

६. इंसपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर्स ऑव इनकम टैक्स :

इनकी नियुक्ति भी केन्द्रीय सरकार करती है। ये कमिश्नर के अधीन होते हैं तथा उनकी देख-रेख में कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के समस्त इनकम-टैक्स अफसरों के कार्य का निरीक्षण करना है। आयकर की चोरी के लिए जहाँ न्यूनतम दण्ड १०००) लगता हो वहाँ दण्ड की आज्ञा जारी करने का अधिकार इन्हीं को ही है।

७. इनकम-टैक्स अफसर :

इनकम-टैक्स अफसर दो प्रकार के होते हैं—प्रथम वर्ग (Class I) तथा द्वितीय वर्ग (Class II)। प्रथम वर्ग के इनकम-टैक्स अफसरों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है जब कि द्वितीय वर्ग के अफसरों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के नियमानुसार इनकम-टैक्स कमिश्नर द्वारा की जाती है। करदाताओं

के साथ सीधा सम्बन्ध होने के हेतु इनकम-टैक्स अफसर ही उनके लिए सबसे महत्त्वपूर्ण अफसर है। आयकर लगाकर उसे वसूल करनेवाला यही अफसर है। यही सूचनाएँ जारी करता है, साक्षी लेता है, कर-निर्धारण करता है तथा उसे वसूल करता है। वास्तव में आयकर शासन की आधार-शिला आयकर अफसर ही है।

(८) इन्सपेक्टर्स आव इनकम-टैक्स—

इनकी नियुक्ति कमिश्नर करता है। ये ऐसे सब काम करते हैं जो इनको इनकम-टैक्स अफसर या कोई अन्य उच्च अधिकारी करने के लिए कहें।

(II). अपिलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)—धारा २५२।

६. यह "बोर्ड" के अधीन नहीं है।

यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। इसके सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छा पर निर्भर रहती है। इसकी स्थापना २५ जनवरी १९४१ को की गई थी। इसके सदस्य दो प्रकार के होते हैं :—

(अ) न्यायिक सदस्य (Judicial Member)।

(ब) लेखापाल सदस्य (Accountant Member)।

सभापति साधारणतः न्यायिक सदस्य ही होता है। न्यायिक सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो कमसे कम १० वर्ष तक किसी नागरिक न्यायिक ओहदे पर रहा हो या एडवोकेट तरीके कार्य करता रहा हो अथवा कम से कम ३ वर्ष तक सेन्ट्रल लीगल सरविस का सदस्य रहा हो। लेखापाल सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो कम से कम १० वर्ष तक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के रूप में व्यवसाय करता रहा हो अथवा जो कम से कम तीन वर्ष तक असिस्टेन्ट कमिश्नर ऑव इनकम-टैक्स के रूप मे कार्य करता रहा हो। ट्रिब्यूनल कई बेंचों मे विभक्त होता है। प्रत्येक बेंच देश के पृथक-पृथक भागों की अपीलें सुनती है। प्रत्येक बेंच के दो सदस्य होते है—एक न्यायिक तथा दूसरा लेखापाल। दोनो सदस्यों में मतभेद होनेकी अवस्था मे सभापति वोट दे सकता है। ऐसी दशा में बहुमत का निर्णय मान्य होता है। ट्रिब्यूनल का मुख्य काम अपिलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर की आज्ञाओं तथा निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना है। तथ्य सम्बन्धी प्रश्नों (Questions of Fact) में इसका निर्णय अन्तिम होता है। कानूनी प्रश्नों के सम्बन्ध में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक आगे अपील हो सकती है।

(III) ज्ञापन प्रकाश (Disclosure of Information)
—धाराएँ १३७ तथा १३८ :

१०. आयकर कर-निर्धारण तथा कर वसूली कार्यवाही गोपनीय (Confidential) रखी जाती है। किसी भी रूप में आयकर विभाग के किसी भी कर्मचारी को आयकर से सम्बन्धित किसी भी विवरण को प्रकाश करने की इजाजत नहीं है। सिवाय किन्हीं विशेष परिस्थितियों के जिनका विवरण धारा १३७ में विस्तृत रूप से किया गया है, कोई भी अदालत किसी भी सरकारी कर्मचारी (Public Servant) को आयकर सम्बन्धित गोपनीय ज्ञापन को प्रकाश करने के लिए वाध्य नहीं कर सकता। यदि कोई सरकारी कर्मचारी गोपनीय सूचनाओं का प्रकाश करे तो केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेकर उसे ६ महिने तक की सजा हो सकती है तथा उस पर जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन किसी कर दाता ने कितना रुपया कर के रूप में दिया है यह समाचार कोई भी व्यक्ति कमिश्नर द्वारा, कुछ निर्दिष्ट फीस जमा करा कर, प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न

प्रश्न १. "आयकर अधिकारी" पर एक छोटा सा निबंध लिखो।

उत्तर : देखो अनुच्छेद १ से ८।

प्रश्न २. अपिलेट ट्रिब्यूनल पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखो।

उत्तर : देखो अनुच्छेद ६।

अध्याय ३

कर-दाताओं का निवास-स्थान

(अ) कर-दाताओं का निवास-स्थान के अनुसार वर्गीकरण (Classification of Assessees on the basis of their residence)—धारा ६ :

१. कर-दाता का दायित्व मुख्यतः उसके निवास-स्थान पर निर्भर रहता है। निवास-स्थान के हिसाब से कर-दाता निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं :—

(क) कच्चा निवासी (Resident but not ordinarily resident) ;

(ख) पक्का निवासी (Resident and ordinarily resident) ; तथा

(ग) अनिवासी (Non resident)।

यही नहीं भिन्न-भिन्न कर दाता भिन्न-भिन्न दशाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार के निवासी होते हैं। इसका विस्तृत विवरण नीचे किया जाता है।

२. (i) व्यक्ति (Individual) :—

(क) कच्चा निवासी :—आयकर अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति गतवर्ष में भारत का कच्चा निवासी तभी समझा जाता है जब कि वह निम्न तीन शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करता हो :—

(१) उस गत वर्ष में वह भारत मे १८२ दिन या इससे अधिक दिनों तक रहा हो, या

(२) उसने उस गत वर्ष में भारत में १८२ या इससे अधिक दिनो तक कोई रहने का मकान रखा हो **और** उस वर्ष मे वह भारत में कम-से कम ३० दिन तक रहा हो ; या

(३) वह गत चार वर्षों में कुल मिलाकर भारत मे ३६५ दिन या इससे अधिक दिन रहा हो और उस वर्ष में कम से कम ६० दिन तक भारत में रहा हो।

(ख) पक्का निवासी :—यदि कोई व्यक्ति किसी गत वर्ष के लिए **निम्नलिखित तीनों शर्तें** पूरी करे तो वह उस गत वर्ष के लिए पक्का निवासी समझा जावेगा :—

(१) वह ऊपर बताए हुए नियमों के अनुसार कच्चा निवासी हो ; तथा

(२) वह गत १० वर्षों में कम-से-कम ६ वर्ष तक भारत का कच्चा निवासी रहा हो ; तथा

(३) वह गत ७ वर्षों में कम से कम ७३० दिन या अधिक समय तक भारत में रहा हो।

(ग) अनिवासी :—कच्चे निवासी होने के लिए ऊपर लिखी ३ शर्तों में से यदि कोई व्यक्ति एक भी शर्त पूरी नहीं करता हो तो वह अनिवासी माना जायगा।

३. (ii) अन्य करदाता (Other Assessees) :

(१) हिन्दू अविभक्त परिवार :—इसका निवास-स्थान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं :—

(क) यदि किसी ऐसे परिवार का प्रबन्ध और नियन्त्रण पूर्णतया भारत से बाहर हो तो ऐसा परिवार **अनिवासी** माना जाएगा।

(ख) यदि किसी परिवार के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का कोई भी अंश भारत में हो तो ऐसा परिवार कच्चा-निवासी माना जाएगा।

(ग) परिवार के पक्का निवासी माना जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका कर्त्ता भारत का पक्का निवासी हो।

(२) फर्म या अन्य जन-मण्डल (Firm or other Association of persons) :—

यदि गत वर्ष में उसका समस्त प्रबन्ध या नियन्त्रण भारत के बाहर न हो तो उसे उस वर्ष के लिए 'कच्चा निवासी' माना जाता है। ऐसे 'कच्चे निवासी' स्वतः ही '**पक्के निवासी**' मान लिये जाते हैं।

(३) प्रमण्डल (Company) :—

एक कम्पनी भारत में गत वर्ष के लिए तब निवासी समझी जाएगी जबकि निम्न २ शर्तों में से वह कोई भी एक शर्त पूरी करे :—

(क) उसका प्रबन्ध या सञ्चालन पूर्ण रूप से भारत में रहा हो ; या

(ख) वह भारतीय प्रमंडल हो।

कोई कंपनी यदि 'निवासी' है तो वह '**पक्का निवासी**' भी समझी जाएगी।

(४) प्रत्येक अन्य व्यक्ति भारत का निवासी समझा जाता है यदि उसके कार्य का नियंत्रण संपूर्णतया भारत के बाहर नहीं है।

प्रश्न संख्या ३ :

कर-निर्धारण वर्ष १६६२-६३ के लिए निम्न दशाओं में निम्नलिखित व्यक्ति किस प्रकार के निवासी समझे जायेंगे, उसका विस्तृत विवरण लिखो :—

(i) श्री सुरेश अमेरिका से प्रथम वार भारत में ३० जून १६५५ को आये। भारत में ३ वर्ष ठहरने के पश्चात् वे १-७-५८ को जापान के लिए रवाना हो गये। १-४-५६ को वे वापस भारत लौट आये तथा ३१-७-६० तक भारत में रहे। इसके पश्चात् वे फिर अमेरिका चले गये। ३१ जनवरी १६६२ को वे फिर एक अमेरिकन कम्पनी में मैनेजर होकर भारतवर्ष में आये। उनका गत वर्ष ३१ मार्च १६६२ को समाप्त होता है।

(ii) श्री सुभाष जो कलकत्ता के निवासी हैं १-८-५८ को भारत से विद्याध्ययन के लिए इङ्गलैंड के लिए रवाना हुए। जब तक वे विदेश में रहे उन्होंने अपना मकान कलकत्ते ही में रखा। शीतकालीन छुट्टियों में वे दो वार भारत आए: पहली वार २०-१२-५६ में तथा दूसरी वार २०-१२-१६६० में तथा कलकत्ते में ही रहे। गत वर्ष १६६१-६२ में एक वार भी भारत नहीं आए।

(iii) श्री शरद एण्ड कम्पनी लिमिटेड जो एक भारतीय कम्पनी है, अजमेर तथा न्यूयार्क में व्यापार करती है। उसके कार्य का नियंत्रण भारत तथा न्यूयार्क दोनों जगह से होता है।

खंड (ii) में यदि श्री सुभाष गत वर्ष में ३० दिन के लिए भारत आये होते तो बताइये कि उनकी स्थिति (Status) में क्या अन्तर हो जाता ?

उत्तर—(i) प्रश्न में दिए गये विवरण से ज्ञात होता है कि श्री सुरेश गत वर्ष से पूर्व ४ वर्षों में ६४४ दिन तक (३६५ दिन से बहुत अधिक दिन तक) रहे, जैसा कि नीचे दी गई तुलिका से विदित हो जाता है तथा वे ३१-१-६२ से ३१-३-६२ तक (६० दिन) भारत में रहे—

१-४-५७ से	३१-३-५८	गतवर्ष में	३६५ दिन
१-४-५८ "	३१-३-५६	"	६१ "
१-४-५६ "	३१-३-६०	"	३६६ "
१-४-६० "	३१-३-६१	"	१२२ "
		कुल	६४४ "

इस प्रकार वे कच्चे निवासी (Resident) हो गये। चूँकि श्री सुरेश भारत में प्रथम बार १९५५ में आये थे इसलिये यह स्पष्ट है कि वे गत १० वर्षों में ६ वर्ष तक कच्चे निवासी नहीं रहे। इसलिये १९६२-६३ कर-निर्धारण वर्ष के लिए श्री सुरेश कच्चे निवासी गिने जाएँगे।

(ii) श्री सुभाष अनिवासी (Non resident) समझे जाएँगे क्योंकि गतवर्ष में एक दिन के लिए भी भारत में नहीं आए।

यदि गतवर्ष में श्री सुभाष ३० दिन के लिए भी भारत में रहे होते तो उनके निवास-स्थिति में अन्तर हो जाता। ऐसी दशा में वे पक्के निवासी हो जाते क्योंकि—

(अ) गतवर्ष में उन्होंने १८२ दिन से अधिक मकान रखा होता तथा भारत में ३० दिन तक रहे होते ;
(ब) गत १० वर्षों में ६ वर्ष तक वे कच्चे निवासी रहे थे ; तथा
(स) गत ७ वर्षों में ७३० दिन से अधिक भारत में रहे थे।

(iii) यद्यपि इस कम्पनी का नियन्त्रण संपूर्णतया भारत में स्थित नहीं है तो भी यह कंपनी भारत में निवासी समझी जायेगी क्योंकि यह भारतीय कंपनी है। चूँकि वह निवासी है इसलिये पक्का निवासी भी समझी जायेगी।

(द) निवास-स्थान के अनुसार कर-भार (Incidence of Taxation on the basis of residence) :—

(४) भिन्न भिन्न कर-दाताओं को उनके निवास-स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न आय पर भिन्न भिन्न कर देना पड़ता है। प्रत्येक कर-दाता का उसके निवास-स्थान के अनुसार जो आय-कर दायित्व है वह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है :—

कर का भार (Incidence fo Tax)

(क) पक्का निवासी (Ordinary Resident) (१)	(ख) कच्चा निवासी (Resident) (२)	(ग) अनिवासी (Non-resident) (३)
I भारतीय आय : -		
(१) वह समस्त आय जो भारत मे प्राप्त हुई है, अथवा जिसका प्राप्त होना या उत्पन्न होना भारत में समझा गया है।	(१) वही जो खाने (१) में है।	(१) वही जो खाने (१) में है।
(२) वह समस्त आय जो भारत मे उपार्जित (accrued) या पैदा की गई है अथवा जिसका उपार्जन या पैदा होना भारत मे माना गया है।	(२) वही जो खाने (१) में है।	(२) वही जो खाने (१) में है।
II विदेशी आय :—		
(३) वह समस्त आय जो कर दाता भारत के बाहर विदेशों मे गत वर्ष मे उपार्जित हुई है।	(३) वह समस्त आय जो कर - दाता ने भारत के बाहर विदेशोमें गतवर्ष में भारत से संचालित व्यापार या पेशे से उत्पन्न की है।	
नोट — विदेशी प्रेषक(Foreign Remittances) पर अब किसी भी रूप मे कर नहीं लगाया जाता।		

५. प्राप्त समझी गई आय (Income deemed to be received)—
धारा ७ :

निम्नलिखित आय गत वर्ष में प्राप्त हुई समझी जाती है :—

(i) किसी कर्मचारी के स्वीकृत प्रोविडेन्ट फंड में निम्न प्रकार की वार्षिक वृद्धि :—

(अ) मालिक द्वारा कर्मचारी के वेतन के १०% से अधिक दिया गया चन्दा ; तथा।

(ब) कर्मचारी की प्रोविडेंट फंड की जमा राशि पर वेतन के $\frac{1}{3}$ भाग से अधिक या ६% से अधिक दर से दिया गया ब्याज।

(ii) आयकर नियमानुसार स्वीकृत प्रोविडेंट फंड में हस्तान्तरित कोई रकम।

६. भारत में उपार्जित अथवा पैदा हुई समझी जानेवाली आय Income deemed to accrue or arise in India)—
धारा ६ :

निम्नलिखित आय भारत में उपार्जित अथवा पैदा हुई समझी जाती है :—

(i) भारत में हुए व्यापारिक सम्बन्ध या भारत में स्थित कोई जायदाद या भारत में स्थित किसी सम्पत्ति या आमदनी के साधन इत्यादि के द्वारा होनेवाली आय।

(ii) 'वेतन' शीर्षक के अन्तगत आनेवाली आय यदि वह भारत में उपार्जित (Earned) की गई है।

(iii) 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आनेवाली आय जो कि सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को विदेश में नौकरी करने के लिए दी गई हो।

(iv) भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर दिया हुआ लाभांश।

प्रश्न संख्या ४ :

एक करदाता जिसका कि गत वर्ष ३१ मई १९६१ को समाप्त होता है, की आय निम्न प्रकार है :—

भारतीय आय :

(१) वेतन ११,५०० रु०।

(२) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज ५०० रु० तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज १,००० रु० (सकल)।

(३) मकान से १,००० रु० का नुकसान।

(४) एक अनरजिस्टर्ड फर्म से लाभ का हिस्सा १५,००० रु०।

(५) लाभांश (सकल) ६०० रु० तथा बैंक से प्राप्त ब्याज ४०० रु०।

(६) अविभक्त हिन्दू परिवार से अपने हिस्से की आय ३,००० रु०।

विदेशी आय :

(१) इस वर्ष की अफ्रीका से भारत भेजी गई आमदनी ५,००० रु० ।

(२) ईरान में किये गये व्यापार द्वारा आय (व्यापार भारत से संचालित है) १०,००० रु० तथा मकान से आय २,००० रु० ।

गत वर्ष में वह अफ्रीका से १९५२ में बिना-कर लगी हुई आमदनी में से १०,००० रु० भारत में लाया ।

कर-निर्धारण वर्ष १९६२ ६३ के लिए उसकी कुल आय तथा कुल विश्व-आय की गणना करो अगर — (अ) वह पक्का निवासी है, (ब) कच्चा निवासी है, या (स) अनिवासी है ।

उत्तर :

	अ.	ब.	स.
भारतीय आय :	रु०	रु०	रु०
१. वेतन	११,५००	११,५००	११,५००
२. प्रतिभूतियों का ब्याज : कर देय	१,०००	१,०००	१,०००
कर-मुक्त	५००	५००	५००
३. मकान से हानि (-)	१,०००	१,०००	१,०००
४. अनरजिस्टर्ड फर्म का हिस्सा	१५,०००	१५,०००	१५,०००
५. अन्य साधनों से आय : लाभांश (सकल)	६००	६००	४००
बैंक से प्राप्त ब्याज	४००	४००	६००
	२८,०००	२८,०००	२८,०००
विदेशी आय :			
१. पिछली कर नहीं दी हुई आय जो अफ्रीकासे भारत में इस वर्ष लाई गई है पूर्णतया करमुक्त है।			
२ इस वर्षकी अफ्रीका की आमदनी जो भारत में लाई गई है	५,०००	५,०००	
३. ईरान में होनेवाली आय जो भारत में नही लाई गई है	१२,०००	१०,०००*	
कुल आय	४५,०००	४३,०००	२८,०००
* (केवल भारत से सचालित व्यापार की आय ही)			
विदेशी आय			१७,०००
कुल विश्व आय		रु०	४५,०००

प्रश्न

प्र. १. आयकर कानून १९६१ ने कर-दाताओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है :—(१) पक्का निवासी, (२) कच्चा निवासी, तथा (३) अनिवासी या विदेशी।

व्यक्ति, फर्म (साझेदारी संस्था), अविभक्त हिन्दू परिवार तथा कम्पनी के बारे में उपरोक्त श्रेणियों को निश्चय करने की विधि बताइये।

उ : अनुच्छेद १ से ३ तक देखिये।

प्र. २. निम्नलिखित विवरण से एक व्यक्ति की कर निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए कुल आय तथा विश्व आय निकालिए जब कि वह (१) पक्का निवासी है, (२) कच्चा निवासी है, अथवा (३) अनिवासी है।

वेतन ८,००० रु०, प्रतिभूतियों का ब्याज २,००० रु०, व्यापार से लाभ ५,०००, लाभांश (सकल) १,००० रु०, मकान से हानि १,००० रु०।

भारत में लाई गई इस वर्ष की विदेशी आय १२,००० रु०, भारत में नहीं लाई गई विदेशी आय—भारत से संचालित व्यापार से ८,००० तथा मकान से २,०००।

उ : कुल आय : (१) ३७,००० रु० (२) ३५,००० रु०, (३) १५,००० रु०। कुल विश्व आय : ३७,००० रु०।

प्र. ३. संक्षिप्त टिप्पणी लिखो :—

(i) प्राप्त समझी गई आय ;
(ii) भारत में उपार्जित या पैदा समझी गई आय।

उ : देखो अनुच्छेद ५ तथा ६।

अध्याय ४

कर-मुक्ति, छूट तथा सहायताएँ

(EXEMPTIONS, REBATES AND RELIEFS)

१. बहुधा यह सुनने में आता है कि आयकर अधिनियम एक बड़ा ही कठोर कानून है तथा इसका उद्देश्य कर दाताओं से अधिकतम कर वसूली है। परन्तु यह कथन निराधार है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कई ऐसी भी आय हैं जो सर्वथा कर-मुक्त हैं तथा कुछ ऐसी भी आय हैं जो आंशिक रूप में कर-मुक्त हैं। यह कथन निम्न शब्दों में व्यक्त किया जाता है :—

'आयकर अधिनियम के अनुसार कुछ आय पूर्णतया कर-मुक्त हैं तथा कुछकेवल आयकर की दर निकालने के लिए जोड़ी जाती हैं।'

इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की कर मुक्ति, छूट तथा सहायताओं का वर्णन निम्न दो भागों में विभक्त किया गया है :—

(i) कर मुक्त आय (Exempted Income) ; तथा

(ii) कर-छूट तथा सहायताएँ (Rebates & Reliefs)।

इनका विस्तृत रूप से वर्णन नीचे दिया जाता है।

(i) कर-मुक्त आय (Exempted Income) :

२. इस खण्ड में निम्न प्रकार की कर-मुक्त आय का वर्णन है :—

(अ) पूर्णतया कर-मुक्त आय (Fully Exempted Income) अर्थात् वह आय जो कि आयकर तथा अतिरिक्त कर से पूर्णतया मुक्त हैं तथा जो कुल आय में दर निकालने के लिए भी नहीं जोड़ी जाती।

(ब) आंशिक कर-मुक्त आय (Partially Exempted Income) अर्थात् वह आय जो कि कुल आय में कर की दर निकालने के लिए जोड़ी जाती है परन्तु स्वयं आयकर तथा/अथवा अतिरिक्त कर से मुक्त है।

(अ) पूर्णतया कर-मुक्त आय—धाराएँ १० से १३ :

(i) धार्मिक तथा पुण्यार्थ ट्रस्ट तथा संस्थाओं की आय—धाराएं ११ से १३ :

३. धार्मिक तथा पुण्यार्थ संस्थाओं की निम्न प्रकार की आय पूर्णतया कर-मुक्त है :—

(१) उस जायदाद की आय जो किसी ट्रस्ट के अन्तर्गत भारत में किये जानेवाले पूर्णतया धर्मार्थ या पुण्यार्थ कार्यों के लिए रखी जाती है। यदि किसी वर्ष की आय उस वर्ष खर्च नहीं की जाकर अगले वर्षों के लिए सञ्चित की जाती है तो भी ऐसी आय कर-मुक्त समझी जायगी यदि सञ्चित आय उस वर्ष की आमदनी से २५% या १०,०००) जो भी अधिक राशि हो, अधिक नहीं है। कोई भी ट्रस्ट आयकर अफसर को अग्रिम सूचना देकर तथा उसकी आज्ञा लेकर उपरोक्त राशि से भी अधिक राशि उस वर्ष खर्च न करके अगले १० वर्षों तक के लिए सञ्चित कर सकता है।

(२) १-४-१९६२ के पूर्व बने हुए ट्रस्टों की जिनकी कुछ आय आंशिक रूप में पुण्यार्थ अथवा धार्मिक कार्यों के लिए है तथा कुछ आय आंशिक रूप में अन्य कार्यों के लिए है तो ऐसे ट्रस्टों की वह आंशिक आय जो धर्मार्थ अथवा पुण्यार्थ कार्यों के लिए भारत ही में लगाई जाये कर-मुक्त है।

(३) १-४-५२ या इसके पश्चात् पुण्यार्थ कार्यों के लिए बने हुए उन ट्रस्टों की जिनका उद्देश्य अन्तर्देशीय भलाई जिसमें भारत का हित हो, ऐसी आय जो भारत के बाहर खर्च की गई हो भी कर-मुक्त है।

(४) १-४-५२ के पूर्व बने हुए धर्मार्थ तथा पुण्यार्थ कार्यों के लिए बने हुए ट्रस्टों की आय यदि ऐसी आय जो भारत के बाहर भी खर्च हो तो भी कर-मुक्त है।

(५) किसी धार्मिक अथवा पुण्यार्थ ट्रस्ट या संस्था में स्वेच्छा से दिया हुआ चन्दा यदि वह चन्दा पूर्णतया उन्हीं धार्मिक या पुण्यार्थ कार्यों में खर्च किया जाय।

नोट :—(अ) उपरोक्त उप-अनुच्छेद (१) तथा (२) के लिए आय के २५% की गणना के लिए गत वर्ष के एक वर्ष पूर्व की आय भी ली जा सकती है यदि ऐसी आय गत वर्ष की आय से अधिक हो।

(व) उपरोक्त उप-अनुच्छेद (१) तथा (२) के लिए उप-अनुच्छेद (५) में वर्णित चन्दे की आय भी जायदाद से प्राप्त आय मानी जाती है।

(स) जायदाद की आय के अन्तर्गत व्यापार की आय भी सम्मिलित है यदि वह व्यापार ट्रस्ट के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाय।

(द) पुण्यार्थ अथवा धार्मिक ट्रस्ट या संस्था की आय कर-मुक्त नहीं होगी यदि ऐसी आय साधारण जनता की भलाई के लिए नहीं है अथवा ऐसी आय किसी विशेष सम्प्रदाय या जाति के हित के लिए है अथवा ट्रस्ट के बनानेवाले या संस्था के संस्थापक को या उनके किसी रिश्तेदार को किसी भी रूप में उस आय से कोई लाभ पहुँचता हो।

प्रश्न संख्या ५ :

"मोहन पुण्यार्थ संस्थान" एक धार्मिक संस्था है जो आयकर अधिनियम की धारा ११ के अन्तर्गत कर-मुक्त है। गत वर्ष १-७-६१ से ३०-६-६२ के लिए उसकी जायदाद से आय ३०,००० है। उसी वर्ष उसे एक दूसरी कर-मुक्त पुण्यार्थ संस्था से ५०,०००) चन्दा मिला। बताइये 'मोहन पुण्यार्थ संस्थान' अपनी आय का कितना रुपया संचित कर सकता है।

उत्तर :

'मोहन पुण्यार्थ संस्थान अपनी आय की २५% रकम संचित कर सकता है जो कि २०,०००) [२५% × (३००००+५०,०००)] के बराबर हुई।

(ii) अन्य पूर्णतया कर-मुक्त आय—धारा १० :

४. निम्न प्रकार की वह अन्य आय है जो पूर्णतया कर-मुक्त है तथा कुल आय में दर निश्चित करने के लिए भी नहीं जोड़ी जाती :—

१. कृषि आय—विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय १, अनुच्छेद ११।

२. अविभक्त हिन्दू परिवार से प्राप्त रकम—किसी अविभक्त हिन्दू परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की आय में से अथवा अविभाजित सम्पत्ति में से आमदनी का प्राप्त हिस्सा।

३. आकस्मिक आय—विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय १, अनुच्छेद १२।

४. **अनिवासी की कुछ आय**—किसी ऐसे ऋण-पत्र का व्याज या उसके भुगतान पर दिया गया प्रीमियम जो केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अथवा अमेरिका के डवलपमेंट लोन फण्ड के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत जारी किए हों अथवा उन्हीं समझौतों के अन्तर्गत किसी औद्योगिक संस्था अथवा भारतीय वित्तीय निगम द्वारा दिया गया व्याज जिसकी गारंटी केन्द्रीय सरकार ने दी हो।

५. **यात्रा-सुविधा का मूल्य**—किसी भारतीय नागरिक को अपने मालिक द्वारा स्वयं, अपनी पत्नी तथा बच्चों के लिये अपने स्व-जिले (Home district) में जाने के लिए दी गई यात्रा सुविधा का मूल्य।

६. **अनागरिक की कुछ आय**—अनागरिक व्यक्ति की निम्न प्रकार की आय—

(i) उसके मालिक द्वारा भारत से वाहर अपने घर जाने के लिए स्वयं, अपनी पत्नि तथा बच्चों के लिए प्राप्त हुई रकम तथा मुफ्त आने जाने का मूल्य।

(ii) विदेशी राष्ट्रों के दूत, उच्च आयुक्त, मिनिस्टर, कमिश्नर या दूतावास के किसी सलाहकार की उस ओहदे से प्राप्त आय।

(iii) विदेशी राज्य के कौंसल की आय।

(iv) विदेशी राज्य के ट्रेड कमिश्नर या कोई अन्य सरकारी प्रतिनिधि की आय यदि उस देश में ऐसे भारतीय अफसरों की आय भी कर-मुक्त है।

(v) उप-अनुच्छेद (ii) से (iv) में वर्णित किन्हीं अफसरों के कर्मचारियों की आय यदि वह कर्मचारी (अ) उस देश का नागरिक है जिसका कि प्रतिनिधित्व वह करता है तथा (ब) भारत में किसी प्रकार का निजी व्यापार तथा व्यवसाय नहीं करता है। उप-अनुच्छेद (iv) में वर्णित व्यक्तियों के लिए एक और शर्त है कि वैसी सुविधाएँ उस देश में उसी स्तर पर कार्य करनेवाले भारतीय कर्मचारियों को भी प्राप्त हों।

(vi) एक विदेशी उद्यम (Foreign Enterprise) के किसी कर्मचारी की भारत में रहते हुए की गई सेवाओं के उपलक्ष में प्राप्त की गई आय यदि (१) वह विदेशी उद्यम भारत में किसी भी

प्रकार का व्यापार या पेशा न करता हो, (२) वह कर्मचारी भारत में ६० दिन से अधिक न रहा हो तथा (३) ऐसा वेतन विदेशी उद्यम की भारत में करदेय आय से घटाया जानेवाला नही हो।

(vii) विदेशी प्रविधिज्ञों (Foreign Technicians) की कुछ सीमित समय (जिसका वर्णन नीचे दिया गया है) की 'वेतन' की आय जो कि सरकार, स्थानीय सत्ता या किसी विशेष प्रकार के विधान के अन्तर्गत स्थापित निगम से प्राप्त हो यदि वह प्रविधिज्ञ भारत में आनेवाले वित्तीय वर्ष के पूर्व ४ वर्षों में कभी भारत का निवासी नहीं रहा हो। (अ) नौकरी शुरू होने के पूर्व यदि उसकी नौकरी का समझौता या प्रसविदा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हो तो—(i) औद्योगिक तथा व्यापार संचालन सम्बन्धी प्रविधिज्ञों की भारत में आने से ६ मास तक की अवधि तक का 'वेतन' तथा (ii) अन्य प्रविधिज्ञों का भारत में आने के ३६ महिने पश्चात तक का वेतन और यदि कर्मचारी के वेतन पर लगने वाला कर मालिक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दे दिया जाय तो और २४ महिने का 'वेतन' भी कर-मुक्त रहेगा। (ब) अन्य किसी प्रकार के प्रविधिज्ञों का उनके आने की तारीख से ३६५ दिन तक की अवधि तक का वेतन कर मुक्त रहता है।

(viii) विदेशी जहाज पर नौकरी करने के सम्बन्ध में किसी अनिवासी की 'वेतन' शीर्षक की कोई भी आय यदि वह भारत में ९० दिन से अधिक नही रहा है।

७. **विदेशी नौकरी के भत्ते**—सरकार द्वारा विदेशी नौकरी के लिए किसी भारतीय नागरिक को दिया गया कोई भत्ता या प्रतिफल।

८. **सहकारी प्रावैधिक सहायता कार्यक्रम के संबन्ध में (Re : Co-operative technical assistance programmes):**

किसी व्यक्ति की विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन की आय तथा अन्य विदेशी आय जिस पर उसे विदेश में कर देना पड़ता हो। यदि उसकी सेवाएं किसी सहकारी प्रावैधिक सहायता कार्यक्रम अथवा परियोजना के अन्तर्गत भारत को दी गई हैं।

९. उपरोक्त व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य—जो उसके साथ भारत में आया हो, की विदेशी आय जिस पर उसे विदेश में कर देना पड़ता हो।

१०. मृत्यु-सहित अवसर ग्रहण आनुतोषिक (Death-cum-retirement gratuity):

केन्द्रीय सरकार के संशोधित पेंशन नियम अथवा इसी प्रकार की राजकीय सरकार अथवा स्थानीय सत्ता या केन्द्रीय या राजकीय विधान के अन्तर्गत स्थापित किसी निगम द्वारा दी गई ऐसी कोई ग्रेच्यूटी की रकम अथवा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों द्वारा नये पेंशन कोड के अन्तर्गत १-६-१९५३ के पश्चात् प्राप्त ग्रेच्यूटी पूर्णतया कर-मुक्त है। इसके अलावा अन्य प्रकार की ग्रेच्यूटी भी कर-मुक्त कर दी गई है परन्तु उनकी रकम प्रत्येक वर्ष की नौकरी के लिए ½ महिने के वेतन (पिछले तीन साल के औसत वेतन के अनुसार) के बराबर है किन्तु कुल मिलाकर उसके १५ महिने के वेतन अथवा २४,०००) जो भी कम हो, से ज्यादा की ग्रेच्यूटी माफ नहीं है।

प्रश्न संख्या ६ :

३५ वर्ष तक नौकरी करने के पश्चात् मिस्टर मोहन ने आशा पब्लिशिंग हाउस प्रा० लि० के मैनेजर पद से ता० १५.५.६२ को अवसर ग्रहण किया। पिछले तीन वर्षों में उनकी औसत मासिक आय १,०००) थी। बतलाइये कितनी ग्रेच्यूटी पूर्णतया कर-मुक्त होगी यदि ग्रेच्यूटी की रकम क्रमशः (i) १०,०००), (ii) १५,०००) तथा (iii) २५,०००) है?

उत्तर :

आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १० के अन्तर्गत निम्न दशाओं में निम्नलिखित राशि कर-मुक्त होगी :—

(i) १०,०००) क्योंकि यह रकम २४,०००) तथा १५ महिने के औसत वेतन अर्थात् दोनों से कम है।

(ii) १५,०००) क्योंकि यह १५ महिने के औसत वेतन के बराबर है।

(iii) १५,०००) क्योंकि यह १५ महिने के औसत वेतन के बराबर है और यही अधिकतम सीमा भी है तथा यह दूसरी अधिकतम राशि २४,०००) से कम भी है।

११. वैधानिक प्रोविडेन्ट फण्ड द्वारा प्राप्त कोई राशि।

१२. स्वीकृत प्रोविडेन्ट फण्ड में आयकर अधिनियम के चतुर्थ परिशिष्ट के भाग (क) के नियमानुसार संचित राशि जो कि किसी कर्मचारी को दी जानेवाली है।

१३. किसी उपकार-भोगी (Beneficiary) की मृत्यु पर सुपरअन्यूएशन फण्ड से किसी रूप में दी जानेवाली रकम।

१४. विशेष भत्ता—यदि किसी कर्मचारी को कोई भत्ता (मनोरंजन भत्ता अथवा कोई अन्य प्रतिफल के अलावा) किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया है और वह रकम कर्मचारी ने केवल अपने दफ्तर के कार्य के ही लिए खर्च की हो तो इस भत्ते की केवल वह रकम जितनी उसने वास्तव में उन कार्यों के लिए खर्च की है।

१५. कुछ ब्याज के भुगतान—

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के आधिपत्य में जारी किए गये १५ वर्षीय अेन्यूटी सार्टीफिकेट्स पर दी गई मासिक रकम।

(ii) ट्रेजरी सेविंग्ज डिपोजिट सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ऑफिस केश सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंगज सर्टिफिकेट्स, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स, १२ वर्षीय नेशनल सेविंगज सर्टिफिकेट्स तथा इसी प्रकार के कोई सर्टिफिकेट्स जिनके जारी करने की घोषणा केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में दे तथा पोस्ट ऑफिस सेविंगज बैंक में जमा राशि पर दिया ब्याज।

(iii) उन सब प्रतिभूतियों का ब्याज जो कि लंका के केन्द्रिय बैंक के निर्गम विभाग (Issue Department) के पास हैं।

(iv) निम्न प्रकार का दिया जानेवाला ब्याज :—

(अ) जो सरकार अथवा किसी स्थानीय सत्ता द्वारा भारत के बाहर किन्हीं साधनों से प्राप्त ऋण पर ;

(ख) किसी भारतीय औद्योगिक उद्यम द्वारा किसी ऐसे ऋण समझौते के अन्तर्गत जो कि विदेश में किसी ऐसी वित्तीय संस्था जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हो, के साथ किया गया हो, प्राप्त ऋण की रकम पर ; तथा

(ग) किसी भारतीय औद्योगिक उद्यम द्वारा भारत के बाहर पूँजी तथा मशीनरी यन्त्र अथवा कच्चा माल खरीदने के सम्बन्ध में

ली या की गई ऋण या उधार की रकम पर (यदि साधारण रूप से उस ऋण या उधार की शर्तों को तथा विशेष कर उसकी वापसी की शर्तों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार ने उसे स्वीकार किया हो)।

१६. शिक्षा के लिए दी गई **छात्र वृत्तियाँ** (Scholarships)।

१७. वे सब **दैनिक भत्ते** जो किसी व्यक्ति को उसे लोक सभा, राज्य-सभा या किसी राजकीय विधान सभा या उनकी किसी कमेटी की सदस्यता के कारण मिलते हों।

१८. **वीरता पुरस्कार** के विजेताओं को केन्द्रीय सरकार या किसी राजकीय सरकार द्वारा नकद रूप में अथवा वस्तु रूप में किए गए भुगतान का मूल्य।

१९. भारतीय रियासतों के राजाओं को **प्रिविपर्स** के रूप में मिलनेवाली आय।

२०. **स्थानीय सत्ता की आय**—स्थानीय सत्ता की वह आय जो कि 'प्रति-भूतियों का ब्याज', 'गृह-सम्पत्ति से आय', 'पूंजीगत लाभ' अथवा 'अन्य साधनों से आय' शीर्षकों से प्राप्त हो अथवा अपनी सीमा में किए गए व्यापार से प्राप्त हो।

२१. **स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान संघ** की वह आय जो पूर्ण रूप से उसके उद्देश्यों के लिए लगाई जाती है।

२२. किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षा संस्था (जो कि लाभ के लिए कार्य नहीं करती है) की आय।

२३. भारत में स्थापित किसी **स्वीकृत जन-मंडल अथवा संस्था**—जिसका उद्देश्य क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टैनिस अथवा इसी प्रकार के अन्य खेल-कूद जिनके नाम केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट द्वारा घोषित करे, का नियन्त्रण करना अथवा प्रोत्साहन देना है।

२४. **रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की आय**—'प्रतिभूतियों का ब्याज', 'मकानात की आय' तथा 'अन्य साधनों से आय' शीर्षकों के अन्तर्गत होनीवाली किसी ऐसे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की आय जो कि मुख्यतः श्रमिकों एवं मालिकों तथा श्रमिकों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियन्त्रण करने के लिए बनाई गई हो।

२५. (i) **वैधानिक प्रोविडेन्ट फण्ड की आय**—ऐसी प्रतिभूतियों का ब्याज तथा पूँजीगत लाभ जो कि वैधानिक प्रोविडेन्ट फण्ड को होता है।

(ii) **स्वीकृत प्रोविडेन्ट फण्ड या सुपरएनुएशन फंड की आय**—इस प्रकार के फण्ड के ट्रस्टियों द्वारा प्राप्त आय।

२६. **आदिवासियों की आय**—आदिवासी जाति के किसी ऐसे सदस्य की जो कि सरकारी कर्मचारी नही है, कोई आय।

(ख) आंशिक कर-मुक्त आय (Partly Exempted Income):

(1) वह आय जो आयकर तथा अतिरिक्त कर से मुक्त है परन्तु कुल आयमें केवल आयकर की दर निकालने के लिए जोड़ी जाती है (Income exempt from income tax and super tax but included in the total income for rate purposes) :

५. ऐसी आय निम्न प्रकार की हैं :—

१. **सहकारी समितियों की आय**—धाराएँ ८१ तथा ६६ : किसी सहकारी समिति (Co operative Society) की निम्न प्रकार की आय पर आयकर तथा अतिरिक्त कर नहीं लगता है—

(1) उसके व्यापार के लाभ पर यदि वह ऐसी समिति है जो कि—

(अ) अपने सदस्यों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करती है, अथवा

(ब) कुटीर उद्योग मे लगी हुई है ; अथवा

(स) अपने सदस्यों की वस्तुओं का विपणन (marketing) करती है, अथवा

(द) अपने सदस्यों की कृषि करने के लिए औजार, यन्त्र, जानवर अथवा बीज इत्यादि देने का कार्य करती है ; अथवा

(इ) अपने सदस्यों के माल की बिना शक्ति की (Power) सहायता के प्रस्तुत प्रक्रिया (Processing) करती है; अथवा

(क) जो अपने सदस्यों के दूध को किसी संघीय दुग्ध सहकारी समिति तक पहुँचाने का कार्य करती है।

(ii) यदि कोई समिति उपरोक्त कार्यों के अलावा कोई अन्य कार्य करती हो तो उसके लाभ १५,०००) तक ही कर मुक्त हैं।

(iii) ऐसे सूद तथा लाभांश जो एक समिति को दूसरी सहकारी समिति में रुपया लगाने से प्राप्त हुए हों।

(iv) माल के एकत्रित, प्रक्रिया अथवा विपणन के हेतु दिये गए गोदाम का किराया।

(v) प्रतिभूतियों के ब्याज (धारा १८) तथा जायदाद के किराये से आय (धारा २२) यदि समिति की कुल आय २०,०००) से अधिक नहीं है तथा वह समिति कोई मकान-समिति अथवा नगर-उपभोक्ता समिति अथवा यातायात व्यापार करनेवाली समिति नहीं है।

२. **सहकारी समिति के लाभांश**—धाराएँ ८२ तथा ९९ : एक सदस्य द्वारा किसी सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश पर कोई कर नहीं लगता है।

३. **विपणन समिति की आय**—धाराएँ ८३ तथा ९९ : कानून द्वारा स्थापित वस्तुओं के विपणन हेतु (for marketing of commodities) किसी भी संस्था द्वारा माल के ऐकत्रित, प्रक्रिया अथवा विपणन के लिए दिए गए गोदामों का किराया करमुक्त है।

४. **नए औद्योगिक उद्यम अथवा होटल (New Industrial undertakings or hotels)**—धाराएँ ८४ तथा १०१ :

(अ) किसी भी नए औद्योगिक उद्यम अथवा होटल [जो कि निम्न-लिखित शर्तें पूरी करता हो] को अपनी पूँजी के ६% प्रति वर्ष भाग तक के लाभ पर जो कि आयकर नियम के अनुसार निकाला जाता है कर नहीं देना पड़ता है।

(ब) कर-मुक्ति की अवधि (Period of exemption) विभिन्न दशाओं में विभिन्न हैं जिसका उल्लेख नीचे किया जाता है :—

(i) जिस गत वर्ष में औद्योगिक उद्यम वस्तुओं का उत्पादन शुरु करे, उससे सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष तथा अगले चार कर-निर्धारण वर्ष इस प्रकार कुल पाँच वर्ष तक की आय कर-मुक्त है। सहकारी समिति के लिए कुल मिलाकर ७ वर्ष है।

(ii) जिस गत वर्ष में होटल कार्य शुरू करे उनके सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष तथा अगले चार वर्ष ; इस प्रकार कुल मिलाकर पाँच वर्ष तक की आय कर-मुक्त है।

(स) कर-मुक्ति का लाभ प्राप्त करने से पूर्व एक औद्योगिक उद्यम को निम्न सभी शर्तें पूरी करनी पड़ती है :—

(i) वह किसी पूर्व स्थित व्यापार के विभाजन अथवा पुनःगठन द्वारा नही बना हो।

(ii) वह किसी नए व्यापार में पुरानी मशीनरी, संयंत्र अथवा मकानात जो कि पहले किसी भी काम में आते हो के हस्तांतरण करने से नही बना हो।

(iii) वह १-४ १६४८ से लेकर १८ वर्ष तक की अवधि में कभी भी वस्तु उत्पादन का कार्य शुरु करे।

(iv) उस उद्योग में १० कर्मचारी या उससे अधिक कार्य करते हों। यदि शक्ति (Power) की सहायता के बिना ही उत्पादन कार्य चलता हो तो कर्मचारियो की न्यूनतम संख्या २० होनी चाहिए।

(द) कर-मुक्ति की प्राप्ति के लिए एक होटल को निम्न सभी शर्तें पूरी करनी पड़ती है :—

(i) वह १ ४ ६१ या इसके पश्चात् कार्य प्रारम्भ करे तथा पूर्व स्थित व्यापार के पुनःगठन अथवा पूर्व कार्य में आई हुई मशीनरी, मकानात इत्यादि के हस्तांतरण से नहीं बना हो।

(ii) उसका स्वामित्व तथा सचालन किसी ऐसी कंपनी द्वारा हो जो कि भारत मे पञीयन (Registered in India) हो तथा जिसकी भर पाई पूँजी ५ लाख रुपये से कम नहीं हो।

(iii) वह उस भवन में चलता हो जिसका मालिकाना उस कंपनी का हो।

(iv) स्थान के महत्त्व इत्यादि को देखते हुए उसमे उतने कमरे तथा सुविधाएँ हो जो कि आयकर नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट की जाएँ।

(v) वह केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हो।

प्रश्न संख्या ७ :

एक औद्योगिक उद्यम ने १-४ ५६ से उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया। गत वर्ष १६६१-६२ में उसका कुल लाभ १,००,००० हुआ। आयकर नियमानुसार उसकी पूँजी १०,००,०००) निकलती है। १६६२-६३ कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसको आयकर तथा अतिरिक्त कर से कितनी छूट मिलेगी?

उत्तर :—

मान लिया जाय कि वह औद्योगिक उद्यम धारा ८४ में वर्णित सभी शर्तों को पूरी करता है तो उसे १० लाख रुपये के ६% भाग पर अर्थात् ६०,०००) पर आयकर तथा अतिरिक्त कर से मुक्ति मिलेगी। बाकी रकम अर्थात् ४०,०००) पर उसे १,००,०००) पर लगनेवाले आयकर तथा अतिरिक्त कर की औसत दर से कर देना होगा।

५. नए औद्योगिक उद्यम अथवा होटल से प्राप्त लाभांश—धाराएँ ८५ तथा १०१ :

एक शेयर होल्डर को नये औद्योगिक उद्यम अथवा होटल (जिनकी आय धारा ८४ के अन्तर्गत कर-मुक्त है) के कर-मुक्त लाभ से दिये गए लाभांश पर कोई कर नहीं देना पड़ता।

(ii) वह आय जो कुल आय में जोड़ी जाती है किन्तु आयकर से (अतिरिक्त कर से नहीं) मुक्त है (Incomes forming part of the total income but exempt from Income-tax & not super tax)—धारा ८६ :

६. ऐसी आय निम्नप्रकार की है :—

१. केन्द्रीय सरकार की कर-मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज।

२. राजकीय सरकार की उन कर मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज जिनका आयकर राजकीय सरकार को देना पड़ता हो।

३. अन रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार के लाभ का हिस्सा यदि फर्म ने उस पर आयकर दे दिया हो।

४. रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार के लाभ के हिस्से पर फर्म द्वारा दिया गया आयकर।

५. किसी अन्य जन-मण्डल के सदस्य की उस मण्डल से प्राप्त होनेवाली आय यदि उस आय के हिस्से पर मण्डल द्वारा आयकर दे दिया गया है।

(iii) वह आय जो कुल आय में जोड़ी जाती है किन्तु अतिरिक्त कर से (आयकर से नहीं) मुक्त है (Incomes forming part of the total income but exempt from Super-tax & not from Income-tax)—धाराएँ ९९ तथा १०२ :

७. ऐसी आय निम्न प्रकार की है :—

१. अन रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार के लाभ का हिस्सा यदि फर्म ने उस पर अतिरिक्त कर दे दिया है।

२. किसी अन्य जन-मण्डल के सदस्य की उस मण्डल से प्राप्त होनेवाली आय यदि उस आय के हिस्से पर मण्डल द्वारा अतिरिक्त कर दे दिया गया हो।

३. किसी कम्पनी द्वारा १-४-५२ से ३१-३-६७ के समय में बनी हुई किसी ऐसी भारतीय कम्पनी जो कि आयकर अधिनियम के पंचम परिशिष्ट में वर्णित वस्तुओं का उत्पादन करती हो, से प्राप्त लाभांश।

४ रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार के व्यापारिक लाभ के अलावा अन्य आय के हिस्से पर फर्म द्वारा दिया गया आयकर।

(ii) छूट तथा सहायताएँ (Rebates and Reliefs) :

८. यहाँ उन सब प्रकार की आयकर तथा। अथवा अतिरिक्त कर की छूट तथा सहायताओं का वर्णन किया है जिनकी गणना आयकर अथवा अतिरिक्त कर की औसत दर से की जाती है। आयकर अधिनियम में सर्वत्र बिखरे हुए ऐसे प्रबन्धों का वर्णन नीचे किया जाता है।

(क) आयकर से (अतिरिक्त कर से नहीं) छूट—धारा ८७ :

९. निम्नलिखित प्रकार के भुगतानों तथा चन्दों पर करदाता को कुल आय पर लगनेवाले आयकर की औसत दर के हिसाब से छूट मिलती है :—

(i) एक व्यक्ति द्वारा अपनी कर देय आय में से किसी गत वर्ष में दी गई निम्न प्रकार की रकम—

(अ) अपनी अथवा अपने पति या पत्नी के जीवनबीमा का प्रीमियम ; अथवा

(ब) अपने जीवन या अपनी पत्नी या पति के जीवन से सम्बन्धित डेफर्ड ऐन्यूटी के समझौते के लिए दी गई कोई रकम ; अथवा

(स) वैधानिक प्रोविडेन्ट फण्ड में कर्मचारी द्वारा दिया चन्दा।

(ii) एक अविभक्त हिन्दू परिवार द्वारा अपनी कर-देय आय में से किसी गत वर्ष में अपने किसी नर सदस्य (male member) अथवा किसी ऐसे सदस्य की पत्नी के जीवन-बीमा का प्रीमियम।

नोट :—उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में जीवन-बीमा प्रीमियम की रकम बीमा की वास्तविक पूँजी की रकम के १०% भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन में से उसको या उसके पत्नी या बच्चों को वार्षिक वृत्ति देने के लिए सरकार द्वारा काटी गई रकम (वेतन के $\frac{1}{6}$ हिस्से तक)।

(iv) स्वीकृत प्रोविडेन्ट फण्ड में कर्मचारी द्वारा दिया गया चन्दा यदि वह उसके वेतन के $\frac{1}{6}$ भाग अथवा ८,०००) से अधिक नहीं हो।

(v) स्वीकृत सुपरएनुएशन फण्ड में कर्मचारी द्वारा दिया गया चन्दा।

उपरोक्त रकमों को आयकर से छूट देने के लिए निम्न प्रकार की अधिकतम (maximum) सीमाएँ निश्चित कर दी गई हैं :—

(अ) लेखक, संगीतज्ञ, कलाकार, नाटककार इत्यादि के लिए उनके पेशे की आय के $\frac{1}{3}$ भाग + अन्य आय के ८$\frac{1}{3}$% अथवा १२,०००) जो भी कम हो ;

(ब) अन्य प्रकार के व्यक्तियों के लिये उनकी कुल आय का $\frac{1}{4}$ हिस्सा या १०,०००) की रकम, जो भी कम हो, तथा

(स) हिन्दू अविभक्त परिवार के लिए कुल आय का $\frac{1}{4}$ हिस्सा अथवा २०,०००) जो भी कम हो।

प्रश्न संख्या ८ :

निम्नलिखित दशाओं में बतलाइये कि आयकर की छूट कितनी मिलेगी—

(१) श्री 'क' जिनकी कुल आय १०,००० है, अपने जीवन बीमा पर २,०००) प्रीमियम तथा अपनी पत्नी के जीवन-बीमा पर १,०००) प्रीमियम का देते हैं।

(२) श्री 'ख' जिनकी कुल आय ५०,०००) है, वैधानिक प्रौविडेन्ट फण्ड में ५,०००) तथा जीवन-बीमा प्रीमियम के लिए ६,०००) देते हैं।

(३) श्री 'ग' जिनकी कुल आय ८,०००) है, अपनी कृषि की आय में से ५००) जीवन-बीमा प्रीमियम देते हैं।

(४) श्री 'घ' एक कलाकार है तथा उनकी अपने पेशे से होनेवाली कुल आय १२,०००) है। वे अपने जीवन बीमा पर ५,०००) तथा अपने छोटे बच्चे के जीवन बीमा पर ३,०००) प्रीमियम देते हैं।

(५) एक हिन्दू अविभक्त परिवार की कुल आय १ लाख रुपये हैं। वह २२,०००) जीवन बीमा प्रीमियम का देते हैं।

उत्तर :

(१) श्री 'क' को अपनी कुल आय के $\frac{1}{4}$ भाग तक अर्थात् २,५००) तक ही छूट मिलेगी।

(२) श्री "ख" को अधिकतम छूट १०,०००) मिलेगी।

(३) श्री "ग" को कोई भी छूट नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने आयकर लगनेवाली आय में से जीवन बीमा प्रीमियम नहीं दिया है।

(४) कलाकार श्री "घ" को अपने बच्चे के जीवन पर दिए गये बीमा प्रीमियम पर कोई छूट नहीं मिलेगी। अपने जीवन पर दिए गये बीमा प्रीमियम पर उन्हे कुल आय के ⅕ भाग अर्थात ४,०००) तक छूट मिलेगी।

(५) हिन्दू अविभक्त परिवार को अधिकतम छूट २०,०००) पर मिलेगी।

(ख) पुण्यार्थ दिए गये दान (Donations for charitable purposes)—धाराएँ ८८ तथा १००ः

१०. (i) एक करदाता द्वारा केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत किसी भारत में स्थित पुण्यार्थ सस्था या फंड में दिया गया चन्दा अथवा पुण्यार्थ कार्यों के लिए सरकार अथवा स्थानीय सत्ता को १-४-६० के पश्चात् दिया गया चन्दा अथवा किसी मन्दिर, मसजिद, गिरजा, गुरुद्वारा अथवा कोई अन्य स्थान जिसे केन्द्रीय सरकार ने सरकारी गजट में ऐतिहासिक, कलात्मक अथवा शिल्पकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण घोषित किया है, की मरम्मत इत्यादि के लिये दिये गये दान की कोई रकम पर आयकर तथा अतिरिक्त कर की छूट कुल आय पर लगनेवाले कर की औसत दर से दे जाती है। **कंपनी के लिए यह छूट केवल आयकर के ही लिए है।**

(ii) ऐसी छूट केवल उस दशा में ही मिलती है जब कि दान की कुल रकम (अ) २५०) से कम न हो; तथा (ब) १,५०,००० या कुल आय (अन्य प्रकार की कर-मुक्त आय घटा कर) के ७½% भाग से जो भी कम हो, अधिक नहीं हो। कर-निर्धारण वर्ष १९६३-६४ से उपरोक्त राशियाँ २,०००,०० तथा १०% कर दी गई है। आयकर तथा अतिरिक्त कर से मिलनेवाली छूट की रकम कर-मुक्त दान की रकम के ½ भाग से अधिक नहीं मिल सकती।

(iii) पुण्यार्थ कार्यों के लिए भारत में स्थापित संस्था या फंड को निम्न शर्तें पूरी करनी पड़ती है :—

(क) उसकी आय धाराएँ १० (२२) ११ तथा १२ के अन्तर्गत कर-मुक्त है

(ख) उसके नियमों अथवा विधान में कहीं भी ऐसी बात का समावेश नहीं है जिससे उसकी आय अपुण्यार्थ कार्यों में लगाई जा सके।

(ग) वह किसी विशेष धर्म, जाति या सम्प्रदाय के हित के लिए नहीं है।

(घ) वह अपनी आय तथा खर्चे के नियमित हिसाब रखती है।

(ङ) वह कोई सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्रस्ट है या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम १८६० या इसी प्रकार के किसी अन्य कानून के अथवा कंपनी अधिनियम १९५६ की धारा २५ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है या कोई ऐसी शिक्षा सस्था है जो सरकार या किसी यूनिवर्सिटी द्वारा स्वीकृत है अथवा किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है अथवा कोई ऐसी संस्था है जिसकी पूर्णतया अथवा कुछ अंश में सरकार या किसी स्थानीय सत्ता द्वारा आर्थिक व्यवस्था है।

प्रश्न संख्या ६ :

निम्नलिखित दशाओं में कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिये आयकर तथा अतिरिक्त कर से कितनी छूट मिलेगी :—

(१) श्री "क" की कुल आय १२,०००) है। वे २,०००) जीवन बीमा प्रीमीयम तथा ८००) एक पुण्यार्थ सस्था को दान में देते हैं।

(२) बी एण्ड कम्पनी लिमिटेड की कुल आय ५०,०००) है। वह केन्द्रीय सरकार की बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों की सहायतार्थ १,०००) दान देती है।

(३) श्री सुरेश की कुल आय तीन लाख रुपये हैं। उन्होंने १०,००० एक पुण्यार्थ संस्था को दान में दिया है।

(४) सुभाष एण्ड कम्पनी लिमिटेड जिसकी कि कुल आय १०,००,०००) है, ने २,००,०००) एक पुण्यार्थ सस्था को दान किया है।

(५) श्री राजेन्द्र ने १८०) का दान एक पुण्यार्थ संस्था को दिया है।

उत्तर :—

(१) श्री "क" को अपने कुल आय (कर-मुक्त आय घायकर) के ७½% तक पुण्यार्थ दान के लिए आयकर तथा अतिरिक्त कर से छूट मिलेगी अर्थात् ७½%×१०,०००) {१२,०००)—२,०००)}=७५०) पर।

(२) बी एंड कम्पनी लि० को १,०००) पर केवल आयकर से छूट मिलेगी।

(३) श्री सुरेश को १०,०००) पर आयकर तथा अतिरिक्त कर से छूट मिलेगी किन्तु ऐसी छूट की कुल रकम १०,०००) के ½ हिस्से अर्थात् ५,०००) से अधिक नहीं हो सकती।

(४) सुभाष ऐण्ड कं० लि० को अधिकतम रकम १,५०,०००) पर केवल आयकर से छूट मिलेगी।

(५) श्री राजेन्द्र को कुछ भी छूट नहीं मिलेगी क्योंकि दान की रकम २५०) से कम है।

(ग) बाकी या अग्रिम वेतन इत्यादि के लिए सहायता (Relief when salary etc. is paid in arrears or in advance) —धारा ८६ :

११. पिछला बाकी वेतन मिलने पर या अग्रिम वेतन मिलने पर या किसी वित्तीय वर्ष में १२ महिने से अधिक का वेतन मिलने पर या किसी प्रकार के अन्य लाभादि मिलने पर एक कर्मचारी को अपने वेतन पर साधारणतया लगनेवाले कर से ज्यादा कर देना पड़े तो कमिश्नर आँव इनकम टैक्स के पास लिखित अर्जी दे सकता है। ऐसी अवस्था में कमिश्नर उसे उचित कर सहायता प्रदान करेगा। अब प्रतिभूतियों के बाकी ब्याज पर भी इसी प्रकार की सहायता दी जाती है।

(घ) द्विगुण कर सहायता (Double taxation relief)—धाराएँ ६० तथा ६१ :

१२. (१) आय को द्विगुण कर लगने से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार किसी भी विदेशी सरकार से समझौता कर सकती है तथा उस समझौते के लिए नियम बना सकती है।

(२) जिस देश के साथ ऐसा समझौता नहीं हो तो एक व्यक्ति को जो भारत का निवासी है तथा जो किसी आय पर उस देश में कर देता हो तो उसे ऐसी आय पर भारतीय कर की दर या उस देश में लगनेवाले कर की दर से, जो भी कम हो, छूट मिलेगी। यदि दोनों दर समान हों तो भारतीय कर की दर से छूट मिलेगी।

(३) निवासियों (Residents) को पाकिस्तान में दिए गये कृषिकर पर पाकिस्तान या भारतीय कर की दर, जो भी कम हो, से छूट मिलती है।

(४) एक अनिवासी (non-resident) को एक निवासी रजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त अपने उस हिस्से पर जिसमें भारत तथा विदेश की आय भी सम्मिलित है, उप-अनुच्छेद (२) में वर्णित तरीके से भारतीय कर में से कटौती मिलेगी।

(ङ) लाभांशों पर लगनेवाले कर पर सहायता (Relief respecting tax on dividends)—धाराएँ २३५ तथा २३६ :

१३. ऐसी सहायता दो प्रकार की होती है :—

(i) लाभांशों पर लगनेवाले कृषि आयकर पर अंशधारियों को सहायता (Relief to shareholders in respect of agricultural income—tax attributable to dividends) —धारा २३५ :

यदि कोई कंपनी अपने ऐसे लाभ, जिस पर किसी राजकीय सरकार द्वारा कृषि आयकर लगाया गया है, में से लाभांश वितरण करे तो अंशधारी को अपनी आय पर लगनेवाले कर में से निम्न रकम बाद दी जायेगी :—

(अ) कंपनी द्वारा दिया गया कृषि आयकर (तथा कृषि अतिरिक्त कर) का वह हिस्सा जो कि कृषि आयकर लगनेवाले कंपनी के वितरित लाभ तथा उसके कुल लाभ के अनुपात में है। **अथवा**

(ब) यदि अंशधारी :—

(१) कंपनी नहीं है तो उसके द्वारा दिये जानेवाले आयकर की राशि ; और

(२) कंपनी है तो कृषि आयकर लगनेवाले किसी कंपनी के लाभ में से दिये हुए लाभांश का २०% ; जो भी कम हो।

(ii) पहले से कर लगे हुए नफे में से दिये गए लाभांश पर कंपनी को सहायता—(Relief of a Company in respect of dividend paid out of past taxed profits)—धारा २३६ :

कर-निर्धारण वर्ष १९६०-६१ या इसके पश्चात् किसी अन्य वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष में यदि कोई ऐसे लाभांश वितरित हुए हैं जो कि कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० या इससे पूर्व किसी वर्ष में पहले से कर लगे हुए नफे में से दिये गए हों तो ऐसे लाभांशों के १०% के बराबर की रकम कंपनी के कर की रकम में से बाद कर दी जायगी। यदि ऐसी बाद दी जानेवाली रकम अधिक हुई तो वह कंपनी को वापस लौटा दी जायगी।

प्रश्न

प्र. १. उन सब आय का विवरण कीजिये जो आयकर तथा अतिरिक्त कर से पूर्णतया मुक्त हैं तथा जो कुल आय में आय की दर निश्चित करने के लिये भी नहीं जोड़ी जाती है।

उ : देखिये अनुच्छेद ३ तथा ४।

प्र. २. "पुण्यार्थ दिये गए दान पर कर की छूट" पर छोटी सी टिप्पणी लिखो।

उ : देखिए अनुच्छेद १०।

प्र. ३. धार्मिक तथा पुण्यार्थ संस्थाओं की आय किन दशाओं में कर-मुक्त होती है, लिखिए।

उ : देखिए अनुच्छेद ३।

प्र. ४. जीवन बीमा प्रीमियम तथा प्रॉविडेन्ट फंड में दिए गए चन्दों पर कितनी तथा किस प्रकार कर से छूट मिलती है।

उ : देखिए अनुच्छेद ६।

प्र. ५. उन सब आय का विवरण कीजिए जो कुल आय में जोड़ी जाती हैं परन्तु स्वयं आयकर तथा अतिरिक्त कर से मुक्त हैं।

उ : देखिये अनुच्छेद ५।

प्र. ६. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :—

(अ) बाकी अथवा अग्रिम वेतन पर सहायता। (ब) लाभांशों से सम्बन्धित कृषि आयकर के बारे में अंशधारी को सहायता या उपशय। (स) द्विगुणी कर सहायता। (द) पहले से कर-लगे हुए नफे में से दिये गए लाभांश पर कंपनी को सहायता।

उ : देखिए—(अ) अनुच्छेद ११ (ब) अनुच्छेद १३ (i) (स) अनुच्छेद १२ (द) अनुच्छेद १३ (ii)।

दूसरा भाग

कुल आय की संगणना

(COMPUTATION OF TOTAL INCOME)

अध्याय ६

वेतन : धाराएँ १५ से १७

SALARIES—SS. 15 to 17

पिछले एक अध्याय में हम देख चुके हैं कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आय के कुछ शीर्षक निर्धारित हैं जिनके अन्तर्गत होनेवाली आय पर ही आय कर लगाया जाता है ; अन्य पर नहीं। ऐसे शीर्षकों से सर्वप्रथम शीर्षक वेतन का है।

२. वेतन सम्बन्धी ज्ञातव्य बातें :—वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आय को मालूम करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को पूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिये :—

(१) वेतन विशेष (salary proper), मजदूरी (wages), बोनस, एन्यूटी, ग्रेच्युटी, पेंशन, फीस, कमीशन, अन्य प्रतिफल (perquisite) तथा वेतन के स्थान पर या साथ में लाभ का हिस्सा, अन्य भत्ता, पेशगी वेतन या ऊपरी आमदनी भी वेतन में शामिल है।

(२) वेतन लेनेवाले तथा देनेवाले के बीच कर्मचारी तथा मालिक का सम्बन्ध होना आवश्यक है।

(३) पेशगी तनख्वाह भी वेतन में जोड़ी जाती है। वेतन की विशेषता यह है कि उस वेतन पर जो कि देय या बाकी है चाहे वह प्राप्त किया गया या नहीं तथा उस वेतन पर जो कि प्राप्त किया गया है चाहे वह देय (due) हो या नहीं, कर लगाया जाता है।

(४) कर्मचारी को पेंशन के स्थान पर मिला हुआ एकत्रित धन कर-मुक्त है।

(५) कर्मचारी को १६-४-१९५० के पश्चात् केन्द्रीय या राजकीय सरकार के सशोधित पेंशन नियम के अनुसार मिली हुई ग्रेचुटी (death-cum retirement gratuity) तथा वैधानिक प्रोविडेंट फंड, स्वीकृत-प्रोविडेंट फण्ड या सुपर एनुएशन फण्ड से प्राप्त संचित रकम कर-मुक्त है। [देखिये अध्याय ४, अनुच्छेद ४]

(६) प्रोविडेंड फण्ड या जीवन बीमा के प्रीमियम सम्बन्धी सभी मुख्य नियमों का ज्ञान वेतन की कर-योग्य निकालने के लिए आवश्यक है। इनका वर्णन नीचे दिया जाता है।

(७) कर योग्य वेतन से मासिक कटौती की जाती है। यह गत वर्ष की आयकर तथा अतिरिक्त कर की दरों के हिसाब से होती है। देखिए अध्याय २०।

३. प्रतिफल (Perquisites)—धारा १७ (२) :

प्रतिफल का अर्थ होता है वेतन के अतिरिक्त कुछ अन्य भत्ता या किसी प्रकार का फायदा। इस धारा के अन्तर्गत निम्न प्रकार के प्रतिफल वेतन की आय में सम्मिलित किए जाते हैं :—

(१) (अ) **किराया मुक्त मकान** (Rent—Free house) का मूल्य जो कि वेतन का १०% (यदि मकान असुसज्जित (unfurnished) है) अथवा १२½% (यदि मकान सुसज्जित (furnished) है) भाग के बराबर माना जाता है। यदि ऐसे मकान का उचित किराया वेतन [सभी प्रकार के नियमित मुद्रा भुगतानों को मिलाकर] के २०% या २५% से अधिक हो तो ऐसी अधिक रकम भी प्रतिफल के रूप में वेतन की आय में जोड़ी जाती है।

(ब) मकान **किराया-भत्ता** (House Rent Allowance) की पूरी रकम चाहे वह कितनी भी क्यों न हो।

(२) किसी कंपनी द्वारा किसी संचालक अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका कंपनी में वास्तविक हित हो, **मुफ्त या कम कीमत पर दी गई सुविधा।**

(३) किसी भी कर-दाता को, जिसकी वेतन से आय १८,००० रु० प्रति वर्ष से अधिक है, मालिक द्वारा **कोई मुफ्त या कम कीमत में दी गई सुविधा।**

(४) मालिक द्वारा ऐसे दायित्व का भुगतान जो कर-दाता को स्वयं करना पड़ता है।

(५) मालिक द्वारा दिया गया कर-दाता के जीवन बीमे का प्रीमियम अथवा मालिक द्वारा कर्मचारी के वेतन पर लगाए गये आयकर की रकम।

४. वेतन के स्थान पर लाभ (Profits in lieu of Salary) धारा १७ (३) :

(अ) कर्मचारी को नौकरी छोड़ने पर हर्जानेकी नकद या किसी अन्य रूप में मिली हुई रकम वेतन में सम्मिलित की जाती है।

(ब) अस्वीकृत प्रोविडेन्ट फंड से नौकरी के अन्त में प्राप्त रकम का केवल मालिक द्वारा दिया हुआ चंदेका हिस्सा तथा इस पर ब्याज वेतन में जोड़ा जाता है।

५. वेतन में से कटौतियाँ (Deductions from Salaries)—धारा १६ : वेतन की कुल आय निकालने के लिये निम्न कटौतियाँ दी जाती हैं :—

(अ) अपने वेतन में से ५०० रु० तक की रकम जो पुस्तक या अन्य प्रकाशनों पर (जो कि उसके कर्त्तव्य पालन के लिए सहायक हों) कर-दाता द्वारा खर्च की गई हो।

(ब) मनोरंजन भत्ता (Entertainment Allowance) कर-दाताके वेतन (विशेष भत्ते प्रतिफल इत्यादि रकम के अलावा) के $\frac{1}{5}$ भाग या ५,०००) रु० सरकारी कर्मचारी के लिए तथा ७,५००) अन्य कर्मचारियों के लिए (जो भी कम हो) यदि उस कर-दाता को ऐसा भत्ता सन् १९५५-५६ से पहले भी मिलता रहा हो।

(स) राजकीय सरकार द्वारा नौकरी, प्रोफेशन इत्यादि पर लगाया गया कर।

(द) यदि कोई कर्मचारी अपना निजी वाहन (own conveyance) रखता हो तथा उसे अपने सेवायोजन (employment) के लिए इस्तेमाल करता हो तो उसे उस वाहन पर किए हुए खर्च की उस राशि पर छूट मिलेगी जो कि आयकर अफसर माकूलित (estimate) करे।

(ई) कर्मचारी द्वारा वेतन के अतिरिक्त प्राप्त कोई भत्ता या अन्य ऐसी रकम जो उसे अपने मालिक के लिये और विशेषतया अपने कर्तव्य पालन करने में खर्च करनी पड़ती है। (केवल उतनी ही रकम जो वास्तव में खर्च हुई हो)।

प्रश्न संख्या १० :—एक व्यक्ति एक व्यापारी गृह में निम्न शर्तों पर नौकरी करता है :—

(१) २,००० रु० मासिक वेतन।

(२) ५% कमीशन पक्के लाभ पर; (पक्का लाभ—१,००,००० रु०)।

(३) मोटरकार भत्ता १०० रु० मासिक। [यह भत्ता उसको खर्च नहीं करना पड़ता।]

(४) मालिक की ओर से एक असुसज्जित किराया-मुक्त मकान।

इसके अलावा उसे पुरानी बीकानेर स्टेट से २५० रु० प्रतिमास पेंशन मिलती है।

उस कर्मचारी की वेतन से कुल आय क्या होगी?

उत्तर :— कर्मचारीका वेतन		रुपया
१२ मास का वेतन—२,००० रु० प्रति मास की दर से		२४,०००
कमीशन ५% की दर से १,००,००० रु० पर		५,०००
मोटरकार भत्ता १०० मासिक		१,२००
किराया मुक्त मकान की कीमत (वेतन का दसवाँ भाग=$\frac{१}{१०}$× २४,०००+५,०००+१,२००=$\frac{१}{१०}$×३०,२००)=		३,०२०
पेंशन २५० रु० प्रति मास की दरसे		३,०००
वेतन की कुल आय	रु०	३६,२२०

प्रश्न संख्या ११ :

गत वर्ष १९६१-६२ के लिए श्री "क" की आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

मूल वेतन—१,०००) प्रति मास (तीन मास का वेतन उसने प्राप्त नहीं किया)।

दो महिने के वेतन के बराबर बोनस।

जनवरी १९६१ में प्राप्त अग्रिम वेतन उसने अक्टूबर १९६१ में लौटा दिया। यह रकम कर-निर्धारण वर्ष १९६१ ६२ में शामिल कर ली गई थी। वर्ष में ५०) उसने राजकीय पेशा कर के रूप में दिया। "वेतन" शीर्षक के अन्तर्गत होनेवाली आय की संगणना कीजिये।

उत्तर :—

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिये वेतन की आय

६ महिने का वेतन जो उसने प्राप्त किया—१,०००) प्रति मास की दर से		६,०००
३ महिने का वेतन जो उसने प्राप्त नहो किया—१,०००) प्रति मास की दर से ["देय" (Due) सिद्धान्त पर]		३,०००
२ महिने का बोनस		२,०००
		१४,०००
कटौती—(१) जनवरी '६१ मास में लिया गया अग्रिम वेतन जो अक्टूबर '६१ में वापस लौटा दिया गया ··· ··· ··· १,०००		
(२) राजकीय पेशा कर की रकम	५०	१,०५०
	कुल ······	१२,९५०

प्रश्न संख्या १२ :

गत वर्ष १९६१-६२ के लिये एक विख्यात इञ्जीनियर श्री मजूमदार की आय के विवरण इस प्रकार हैं :—

(१) सुभाष इञ्जीनियरिंग कं० लि० से उन्हें ४२,०००) वार्षिक वेतन तथा ७,२००) मनोरंजन भत्ता मिला। उसने ६,०००) मनोरंजन पर खर्च किया।

(२) उपरोक्त कम्पनी में नौकरी करने से पहले वह देशमुख इंजीनियर्स लि० पूना में नौकरी करता था। वहाँ उसकी नौकरी का समझौता १-४-५६ से ६ वर्ष के लिए था। किन्तु कंपनी के संचालकों के साथ मतभेद होने से ३१ मार्च १९६१ को उसे नौकरी से अलग कर दिया गया तथा ४-४-६१ को उसे ८,००० हर्जाने के रूप में दिया गया।

(३) अपने जीवन बीमा पर ८,०००) का प्रीमियम तथा अपनी पत्नि के बीमा पर ३,०००) का प्रीमियम उसने साल भर में दिया।

श्री मजूमदार की कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए "वेतन" शीर्षक से आय की गणना कीजिये।

उत्तर : श्री मजूमदार की कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिये वेतन से आय।

वेतन की आय—धारा १५ :

(१) सुभाष इंजीनियरिंग कं० लि० से प्राप्त वार्षिक आय	४२,०००)
(२) " " " —मनोरंजन भत्ता [क्योंकि वह इस कम्पनी से १-४-५५ से पहले से ऐसा भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा था इसलिए उसे कोई भी कटौती नही दी जायगी।]	७,२००)
(३) देश सुख इंजीनियर्स लि० पूना से प्राप्त हरजाने की रकम [धारा ८९ के अन्तर्गत वह कमिश्नर से कुछ सहायता प्राप्त कर सकता है।]	१८,०००)
कुल वेतन	६७,२००)

जीवन बीमा प्रीमियम की अधिकतम राशि १०,०००) तक उसे आयकर से छूट मिलेगी।

प्रश्न संख्या १३ :

श्री रमेश फैनी प्रोडक्ट्स लि० का मेनेजर है। उसका मासिक वेतन ३,०००) तथा मासिक मनोरंजन भत्ता ५००) है। १-४-५५ से पहले उसे ४००) मासिक मनोरंजन भत्ता मिला करता था। उसके पास कंपनी की तरफ से दिया गया एक पूर्ण सुसज्जित किराया—मुक्त मकान है जिसका किराया १,२००) प्रति मास कंपनी मकान मालिक को देती है। कंपनी ने उसे अपने इस्तेमाल के लिए एक "फियेट" मोटरकार दे रक्खी है जिसका समस्त खर्चा कंपनी देती है। १९६२-६३ कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी कुल वेतन की आय की गणना कीजिये।

उत्तर :—

श्री रमेश की क० नि० वर्ष ६२-६३ के लिये वेतन की आय

(i) वर्ष भर का मूल वेतन—३,००० प्रति मास की दर से		३६,०००)
(ii) मनोरंजन भत्ता—५००) प्रति मास की दर से	६,०००)	
धारा १६ (ii) के हिसाब से कटौती ४००) ,,	४,८००)	१,२००)
(iii) पूर्ण सुसज्जित किराया—मुक्त मकान की कीमतः वेतनादि के १२½% भाग के बराबर=१२½%×३७,२००)		
=	४,६५०)	
उचित किराया तथा वेतन का २५% भाग का उत्तर : १४,४००)—९,३००) =	५,१००)	९,७५०)

(iv) "फियेट" मोटरकार के निजी इस्तेमाल की प्राक्कलित रकम—आयकर अधिनियम १९६२ के अनुसार ६०) प्रति मास की दर से — ७२०)

कुल वेतन — ४७,६७०)

प्रश्न संख्या १४:

बैनर्जी कं० लि० के मुख्य लेखापाल श्री शाह का मासिक वेतन २,०००) है। उसे कंपनी की तरफ से किराया-मुक्त मकान प्राप्त है। दफ्तर के मध्यान्तर में उसे मुफ्त मध्याह्नकालीन आहार (Lunch) मिलता है। उसके जीवन बीमा प्रीमियम की रकम ५,०००) है जिसमें से २,०००) कंपनी देती है तथा ३,०००) वह स्वयं। उसने एक साहूकार से २०,०००) का ऋण निजी कार्य के लिये लिया। वह उसे चुका न सका। साहूकार ने कंपनी को शिकायत कर दी। तब से कंपनी प्रति मास ५००) उसके वेतन में से काट कर साहूकार के पास भेज देती है। कंपनी ने उसके मकान के बगीचे की ठीक देख भाल के लिए दो बागवान रखे हैं जिनका वेतन कंपनी देती है। श्री शाह की आय की संगणना कीजिये।

उत्तर :—

	रु०
(i) मूल वेतन २,०००) प्रति मास की दर से [५०० की मासिक कटौती पर उसे कोई छूट नहीं मिलेगी]	२४,०००)
(ii) किराया-मुक्त मकान की कीमत—वेतन के १०% भाग के बराबर।	२,४००)
(iii) मध्याह्नकालीन आहार की कीमत ५०) प्रति मास की दर से प्राक्कलित (estimated)	६००)
(iv) कंपनी के द्वारा दिया गया जीवन बीमा प्रीमियम।	२,०००)
कुल आय	२९,०००)

नोट—(१) दो बागवानों की तनख्वाह कर-मुक्त है।

(२) उसे ५,०००) जीवन बीमा प्रीमियम की रकम पर आयकर से (अतिरिक्त कर से नहीं) छूट मिलेगी।

६. प्रॉविडेन्ट फंड (Provident Funds) :

वेतन शीर्षक की कुल आय निकालने के लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि प्रोविडेंट फंड कितने प्रकार के होते हैं तथा उनसे सम्बन्धित कर्मचारियों की आय में प्रोविडेंट फंड की कौन सी रकम जोड़ी जाती है और कौन सी नहीं। प्रोविडेंट फंड मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं :—

(१) वैधानिक प्रॉविडेन्ट फंड।

(२) स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फंड।

(३) अस्वीकृत प्रॉविडेन्ट फंड।

इनके बारे में विस्तृत वर्णन नीचे दिया जाता है :—

७. वैधानिक प्रॉविडेन्ट फंड (Statutory Provident Fund) :

(अ) परिभाषा : वैधानिक प्रॉविडेन्ट फंड वह है जिसपर प्रॉविडेन्ट फंड अधिनियम १६२५ लागू होता है। यह फंड स्थानीय प्राधिकारियों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों तथा नगर पालिकाओं द्वारा रक्खा जाता है।

(ब) **वेतन में जोड़ी जानेवाली रकमें :** केवल कर्मचारी का निजी चन्दा (employee's own contribution) वेतन में जोड़ा जाता है। ऐसे प्रॉविडेन्ट फंड में मालिक द्वारा दिया हुआ चन्दा तथा ब्याज वेतन में नहीं जोड़े जाते ; वे सर्वथा कर-मुक्त हैं। नौकरी छोड़ने पर सम्पूर्ण संचित रकम जो कर्मचारी को प्राप्त होती है वह भी पूर्णतया कर-मुक्त है।

(स) **कर-मुक्त आय :** कर्मचारी का निजी चंदा व जीवन बीमें का प्रीमियम दोनों मिला कर कुल आय के ⅕ भाग या १०,०००) रु० तक (जो भी कम हो) आयकर से (अतिरिक्त करसे नहीं) मुक्त हैं।

८. स्वीकृत प्रॉविडेंट फंड (Recognised Provident Fund) :

(अ) परिभाषा : कुछ नियमों का पालन होने पर जब कोई प्रॉविडेंट फंड आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो उसे स्वीकृत प्रोविडेन्ट फंड कहते हैं—चतुर्थ परिशिष्ट का "अ" भाग।

(ब) वेतन में जोड़ी जानेवाली रकमें : (i) कर्मचारी द्वारा इस फंड में जमा कराया हुआ चंदा; (ii) मालिक द्वारा दिया गया चंदा यदि वह कर्मचारी के वेतन के १०% भाग से अधिक है; तथा (iii) फंड की संचित राशि पर वेतन के ⅓ भाग से अधिक अथवा ६% दर से अधिक दिया गया ब्याज। (iv) किन्हीं दशाओं में फंड की संचित राशि जिसका वर्णन आयकर अधिनियम के चतुर्थ परिशिष्ट में दिया गया है।

(स) कर-मुक्त आय : (१) कर्मचारी का चंदा मूल वेतन के ⅙ भाग या ८,०००) जो भी कम हो, मुक्त है। (२) कर्मचारी का चंदा तथा जीवन बीमें का प्रीमियम दोनों मिलाकर कुल आय के ⅕ भाग या १०,००० रु० तक (जो भी कम हो) आयकर से (अतिरिक्त से नहीं) मुक्त है।

९. अस्वीकृत प्रॉविडेंट फंड (Unrecognised Provident Fund) :

(अ) परिभाषा : जो प्रॉविडेंट फंड आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत नहीं है वह अस्वीकृत प्राविडेंट फंड कहलाता है।

(ब) वेतन में जोड़ी जानेवाली रकमें : (i) केवल कर्मचारी का स्वयं का चंदा; मालिक द्वारा दिया गया चंदा अथवा ब्याज प्रति वर्ष नहीं जोड़े जाते। (ii) कर्मचारी के नौकरी छोड़ते समय सम्पूर्ण रकम में से मालिक द्वारा दिये गये चन्दे तथा उस पर दी गयी ब्याज की रकम वेतन में जोड़ी जाती है।

(स) छूट : केवल जीवन बीमें का प्रीमियम कुल आय के ⅕ भाग या १०,०००) रु० (जो भी कम हो) आयकर से (अतिरिक्त कर से नहीं) मुक्त है। अन्य किसी भी प्रकार की छूट चंदे या ब्याज के बाबत नहीं दी जाती है।

१०. जीवन बीमें के प्रीमियम पर छूट (Exemption on account of Life Insurance Premia) :—धारा ८७।

(अ) जीवन-बीमा का प्रीमियम, यदि करदाता व्यक्ति है तो उसके स्वयं के या उसकी पत्नी या पति के जीवन बीमा के लिये कुल आय के ⅕

हिस्से या १०,०००) रू० तक (जो भी दोनों में से कम है) आयकर से (अतिकर से नहीं) मुक्त है। यदि कर दाता संयुक्त हिन्दू परिवार है तो उस परिवार के किसी भी पुरुष व स्त्री के जीवन बीमा का प्रीमियम उस परिवार की कुल आय के ⅙ हिस्से या २०,०००) रु० तक केवल आयकर से ही मुक्त है। विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय ४।

(ब) प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी की पूरी रकम के १०% भाग से अधिक कभी नहीं होना चाहिए।

(स) यदि प्रीमियम की रकम का भुगतान ऐसी रकम से किया गया है जो कि भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य नहीं है तो ऐसी रकम पर कोई भी छूट नहीं दी जाती।

नोट :—सुपर एनुएशन फंड के चंदे पर बीमा प्रीमियम की ही तरह छूट दी जाती है।

प्रश्न संख्या १५ :—कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिये श्री 'अ' की आय इस प्रकार है :—

(१) १,००० प्रति मास वेतन।
(२) १,५०० रु० वार्षिक बोनस।
(३) १,००० रु० वार्षिक मूल्य तक का किराया-मुक्त मकान।
(४) १०% वेतन प्रॉविडेन्ट फंड के चन्दे के रूप में।
(५) १५% चंदा मालिक द्वारा (प्रॉविडेंट फंड में)।
(६) ८% वार्षिक दर से फंड की संचित राशि पर ८०० रु० ब्याज।
(७) अपनी ३६,००० रु० की जीवन बीमा की रकम पर ४,००० रु० वार्षिक प्रीमियम की रकम।
(८) अन्य साधनों से आय १,५०० रु०।

ऊपर के विवरणानुसार श्री 'अ' का आयकर दायित्व क्या होगा यदि वह (अ) वैधानिक प्रॉविडेंट फंड, या (ब) स्वीकृत प्रॉविडेंट फंड, या (स) अस्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड का सदस्य है।

उत्तर :—

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए श्री 'अ' का कर—दायित्व

आयक विवरण	कुल रकम रुपयों में		
	वैधानिक प्रॉविडेंट फंड (अ)	स्वीकृत प्रॉविडेंट फंड (ब)	अस्वीकृत प्रॉविडेंट फंड (स)
१२ मास का वेतन १,०००) प्रति मास	१२,०००)	१२,०००)	१२,०००)
,, ,, ,, बोनस	१,५००)	१,५००)	१,५००)
किराया मुक्त मकान की कीमत	१,०००)	१,०००)	१,०००)
प्रोविडेंट फण्ड में १०% वेतन ज्यादा मालिक द्वारा दिया गया चंदा	—	६००)	—
प्रोविडेंट फंड का ६% से अधिक ब्याज	—	२००)	—
वेतनकी आय	१४,५००)	१५,३००)	१४,५००)
अन्य साधनों से आय	१,५००)	१,५००)	१,५००)
कुल आय :	१६,०००)	१६,८००)	१६,०००)
कर मुक्त आय :			
१. कर्मचारी का चन्दा	१,२००)	१,२००)	—
२. जीवन बीमा प्रीमियम (वार्षिक प्रीमियम पॉलिसी के १०% भाग तक कर-मुक्त है)	२,८००)	३,०००)	३,६००)
	४,०००)	४,२००)	३,६००)

नोट :—प्रॉविडेंट फंड का चन्दा तथा जीवन बीमा का प्रीमियम मिलाकर कुल आयके ¼ तक कर-मुक्त है।

प्रश्न

प्र० १. प्रोविडेंट फंड के चन्दे एवं ब्याज तथा जीवन बीमे के प्रीमियम पर आयकर से क्या और कितनी छूट मिलती है।

उ० : देखो अनुच्छेद ६ से १० तथा प्रश्न नं० १४ तथा १५।

प्र० २. वेतन में से कौन कौन सी कटौतियाँ दी जाती हैं।

उ० : देखो अनुच्छेद ५।

प्र० ३. संक्षिप्त टिप्पणी लिखो :—

(अ) प्रति फल।

(ब) वेतन के स्थान पर लाभ।

(स) स्वीकृत प्रॉविडेंट फंड।

उ० : (अ) देखो अनुच्छेद ३। (ब) देखो अनुच्छेद ४। (स) देखो अनुच्छेद८।

प्र० ४. श्री मोहनलाल आशा पब्लिशिंग हाऊस कलकत्ता में मैनेजर हैं। उनकी गतवर्ष १९६१-६२ के लिए आय के विवरण निम्न प्रकार है :—

(१) वेतन ५००) मासिक।

(२) स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड में चन्दा—वेतन का ६$\frac{1}{4}$%।

(३) मालिक का चन्दा वेतन के ६% के बराबर है।

(४) फण्ड की संचित राशि पर ब्याज २००)।

(५) दो मास के वेतन के बराबर बोनस।

(६) मकान-किराया भत्ता १००) मासिक।

(७) जीवन बीमेका प्रीमियम ५००)।

आप उनकी (१) वेतन से कुल आय, तथा (२) कर मुक्त आय, कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए निकालिए।

उ० : (१) ८, २००) (२) ८७५)

प्र० ५. गत वर्ष समाप्ति ३१-३-६२ के लिए श्री सुरेश चन्द, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

(अ) वेतन १,०००) मासिक; यात्रा-भत्ता बिल २,०००) यात्रा में वास्तविक खर्च १,५००)।

(ब) उनका तथा यूनिवर्सिटी का प्रॉविडेंट फण्ड में चन्दा—६$\frac{1}{4}$% फण्ड की संचित राशि पर ब्याज ७८०); जीवन बीमे का प्रीमियम ३,०००)।

(स) वर्ष भर मकान किराया भत्ता—वेतन का १५%

उनकी कुल आय तथा कर-मुक्त आय निकालिए।

उ : कुल आय : १४,३००)।

कर-मुक्त आय : ३,५७५)=(प्रोविडेन्ट फण्ड में स्वयं का चन्दा ७५०)+जीवन बीमे का चंदा २,८२५) अर्थात् कुल आय के $\frac{1}{4}$ भाग तक।

अध्याय ६

प्रतिभूतियों का ब्याज : धाराएँ १८ से २१

[INTEREST ON SECURITIES—Ss. 18 to 21.]

१. मुख्य बातें :

(१) इस आयके शीर्षक के अन्तर्गत केवल केन्द्रीय और राजकीय सरकारों की प्रतिभूतियों पर तथा स्थानीय अधिकारियों (Local authorities) तथा कंपनियों के ऋण-पत्रों (Debentures) पर प्राप्त ब्याज की आय आती है। अन्य किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों का ब्याज इस शीर्षक के अन्तर्गत नहीं लिया जाता।

(२) इस शीर्षक के अन्तर्गत ब्याज पर "देय" (Due) सिद्धान्त के हिसाब से कर लगाया जाता है चाहे उस ब्याज का हकदार उसे प्राप्त करे या ना करे।

(३) प्रतिभूतियों से ब्याज किन्हीं निश्चित तिथियों पर ही प्राप्त किया जाता है। इसलिये आयकर के लिए उस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है जो कि उन तिथियों पर उन प्रतिभूतियों का मालिक है।

(४) इस सम्बन्ध में ब्याज सहित तथा ब्याज रहित सौदों (Cum-int. or cum-div and ex-int or ex-div transactions) को बिलकुल ध्यान में नहीं रखा जाता।

(५) कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज (Interest from tax-free Govt. securities) कुल आय में दर बढ़ाने के लिए ही जोड़ा जाता है अन्यथा वह आय कर से (अतिरिक्त कर से नहीं) मुक्त है। इन प्रतिभूतियोंके ब्याज में से उधार ली गई रकम का ब्याज तथा प्रतिभूतियों के ब्याज को वसूल करने के उपलक्ष में दिया गया कमीशन घटा कर ही शेष ब्याज को कुल आय में जोड़ा जाता है तथा उसी रकम पर ही छूट मिलती है। अन्य किसी भी प्रकार की कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर कोई भी छूट नहीं दी जाती—धारा ८६।

(६) प्रतिभूतियों के बेचने से हुआ लाभ या नुकसान पूँजीगत लाभ या नुकसान है परन्तु यदि कर-दाता का व्यवसाय ही प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना है तो ऐसे लाभ तथा नुकसान को धारा २८ के अन्तर्गत उसकी कुल आय में शामिल किया जायगा।

(७) प्रतिभूतियों के ब्याज पर निर्गम के स्थानपर ही कर काट लिया जाता है। इसलिए ब्याज की रकम को सकल (Gross-up) करके ही कुल आय में जोड़ा जाता है।

२. प्रतिभूतियों के ब्याज में से कटौतियाँ : (Deductions from Interest on Securities)—धारा १६ :

प्रतिभूतियों से कर-योग्य ब्याज का लेखा करते समय निम्नलिखित कटौतियां दी जाती हैं :—

(अ) प्रतिभूतियों के ब्याज वसूल करने के उपलक्ष में बेंक या किसी भी अन्य व्यक्ति को दिया गया कमीशन।

(ब) प्रतिभूतियों के खरीदने के लिए यदि कोई रकम उधार ली जावे तो **उस उधार की रकम पर भारत में दिया गया ब्याज।**

प्रश्न संख्या १६ :

निम्नलिखित विवरण से श्री मुखर्जी की कर-निर्धारण वर्ष १६६२-६३ के लिए 'प्रतिभूतियों से ब्याज' शीर्षक की आय की सगणना कीजिए :—

(अ) १-४-१६६१ को उसके पास निम्न विनियोग (Investments) थे :-

३% सरकारी ऋण-पत्र	१०,०००)
४% यू० पी० सरकार का ऋण-पत्र	२०,०००)
५% म्यूनिसिपल ऋण-पत्र	३०,०००)

(ब) प्रत्येक दशा में ब्याज १ फरवरी तथा १ अगस्त को प्राप्त होता है।

(स) वित्तीय वर्ष १६६१-६२ में श्री मुखर्जी को निम्न ब्याज प्राप्त हुआ :—(i) ३% सरकारी ऋण पत्र से तीन वर्षों का ब्याज तथा (ii) म्यूनिसिपल ऋण-पत्र से ७५०) का ब्याज।

उत्तर : कर-निर्धारण वर्ष १६६२-६३ के लिए श्री मुखर्जी की "प्रतिभूतियों से ब्याज" शीर्षक से आय।

	रु०
(i) ३% १०,०००) सरकारी ऋण-पत्र पर तीन वर्ष का प्राप्त ब्याज	६००
(ii) ४½% २०,०००) यू० पी० सरकार के ऋण-पत्र पर "देय" सिद्धान्त (Due basis) से साल भर का ब्याज	६००
(iii) ५% ३०,०००) म्यूनिसिपल ऋण-पत्र पर ६ महीने का प्राप्त ब्याज	७५०
५% ३०,०००) म्यूनिसिपल ऋण पत्र पर ६ महीने का 'देय' ब्याज	७५०
कुल :	३,३००

प्रश्न संख्या १७ :

'ज' के विनियोग (Investments) गतवर्ष सन् १९६१-६२ में निम्न लिखित थे :—

(क) १०,०००) ३% कर-मुक्त सरकारी ऋण।
(ख) २०,०००) ४% म्यूनिसिपल ऋण-पत्र।
(ग) ३०,०००) ५% जूट मिल कपनी के ऋण-पत्र।
(घ) ४०,०००) ६% एक कपनी के प्रीफ़ेंस शेयर।

"ज" के बैंक ने ब्याज संग्रह करने के लिए २००) कमीशन के लिए। 'ज' को १,०००) उस ऋण के ब्याज के देने पड़े जो उसने जूट कंपनी के ऋण-पत्रों को खरीदने के लिए लिया था। ब्याज १ जनवरी तथा १ जुलाई को मिलता है। 'ज' की प्रतिभूतियों से ब्याज की आय निकालिये।

उत्तर : कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए प्रतिभूतियों से ब्याज की आय

	रु०	रु०
(क) कर-मुक्त सरकारी ऋण का ब्याज	३००	
(ख) म्यूनिसिपल ऋण-पत्र	८००	
(ग) जूट मिल कपनी के ऋण पत्र	१,५००	

कटौतियाँ (Deductions) :—		२,६००
(१) बैंक कमीशन	२००	
(२) ऋण पर ब्याज	१,०००	१,२००
प्रतिभूतियों के ब्याज से कर-योग्य आय		१,४००
कर-मुक्त आय :—		
सरकारी ऋण का ब्याज		३००

प्रश्न

प्र० १. भारतीय आयकर अधिनियम द्वारा प्रतिभूतियों की आय में से कौन कौन सी कटौतियां मिलती हैं ?

उ० : देखो अनुच्छेद २।

अध्याय ७

मकान जायदाद की आय : धाराएँ २२ से २७

[INCOME FROM HOUSE PROPERTY— Ss 22 to 27.]

१. मकान जायदाद की आय शीर्षक के अधीन कर-दाताओं को जायदाद के वार्षिक मूल्य पर कर देना पड़ता है। जायदाद के अन्तर्गत मकान, इमारत तथा वह खुली जमीन जो इमारत का ही अंग हो आते हैं। उस मकान या इमारत की आय पर कर नहीं लगता जिसमें मकान-मालिक अपना निजी व्यापार (जिसका लाभ कर योग्य हो) करता है। इस शीर्षक के अन्तर्गत आयकर देने का दायित्व केवल मकान-मालिक का ही है। किसी मकान या इमारत को ठेके पर किराया देने से जो आमदनी प्राप्त होती है वह इस शीर्षक के नहीं बल्कि "अन्य साधनों से आय" के शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य है।

२. वार्षिक मूल्य (Annual Value) :—

(१) इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य किराया वह नहीं गिना जाता जो कि वास्तविक रूप में प्राप्त हुआ है परन्तु वह किराया जिसे 'वार्षिक मूल्य' कहते है। वार्षिक मूल्य का तात्पर्य उस एक कल्पित किराए (Notional Rent) की रकम से है जिस पर मकान या इमारत प्रति वर्ष उचित किराए पर दी जा सके। जहाँ जायदाद पर स्थानीय कर लिया जाता है वहाँ पर यह रकम सुगमता पूर्वक निश्चित की जा सकती है। अन्य स्थानों में मकान की स्थिति, बनावट, लागत तथा उसी क्षेत्र के अन्य मकानों के किराये के आधार पर ही वार्षिक मूल्य निश्चित किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि किराए की रकम वार्षिक मूल्य के बराबर हो। यदि वास्तविक किराया स्थानीय सगणना (Municipal valuation) से अधिक हो तो किराये की रकम पर कर लगाया जाएगा और वही रकम "वार्षिक मूल्य" समझी जायगी।

(२) जायदाद की आय निकालने में हमें दो प्रकार की जायदादों में भेद करना होगा :—

(अ) वह जायदाद जो किराए पर दी गई है; तथा

(ब) वह जायदाद जिसे मकान मालिक स्वयं अपने निजी निवास के लिए पूर्ण तया अथवा आंशिक रूप में काम में ला रहा हो। दोनों प्रकार की जायदाद की आय निकालने की विधि भिन्न है।

(३) **जब मकान किराये पर दिया हुआ है** तथा उस पर स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) द्वारा स्थानीय कर (जिसमें सरविस कर भी शामिल हैं) लिया जाता है तो किराए की रकम में से ऐसे कर का ½ भाग घटाया जाता है; यदि जायदाद १-४-५० के पहले बना हुआ हो तो स्थानीय कर की पूरी रकम घटाई जाती है। शेष रकम उस जायदाद का वार्षिक मूल्य कहलाता है। यदि किरायेदार मकान की बाबत कोई कर स्थानीय सत्ता को देता हो तो वह रकम प्राप्त किराये की रकम में जोड़ कर, बाद में स्थानीय कर की रकम का ½ या पूरा भाग जो भी हो, बाद दे दिया जाता है।

(४) **यदि कर दाता जायदाद को अपने स्वयं के रहने के लिए काम में लाता हो** तो उसका वार्षिक मूल्य ठीक उसी प्रकार निर्धारित किया जाता है जैसे कि किराए पर दिए हुए मकान का। इसके पश्चात् इस निर्धारित रकम में से इसका आधा या १,८००) (जो भी कम हो) घटा दिया जाता है। इस प्रकार जो रकम शेष रहती है वह उस मकान का वार्षिक मूल्य होता है। परन्तु यदि ऐसी रकम कर-दाता की **कुल आय के १०% भागसे अधिक हो** तो उस मकान का वार्षिक मूल्य कर-दाता की कुल आय के १०% के बराबर ही माना जायगा। इसे निकालने के लिए निम्न सूत्र [Formula] है :—१०%×$\frac{१०}{९}$× (कुल आय जो मालुम हो)।

(५) यदि दूर स्थान में नौकरी करने या व्यापार अथवा व्यवसाय करने के कारण वह अपने मकान (केवल एक तक) में नहीं रह सकता हो तथा वह किसी अन्य काम में न लाया गया हो तो उस मकान की **आय शून्य** मानी जायगी। यदि वह गत वर्ष में किसी समय के लिए अपने ऐसे मकान में रहा हो तो उनका वार्षिक मूल्य भी उसी अनुपात में उसकी आय समझा जायगा।

(६) १-४-६१ के पश्चात् शुरु तथा पूरा होनेवाले मकानों के वार्षिक मूल्य में से मकान पूरा होने के तीन वर्ष तक वार्षिक मूल्य में से प्रत्येक मकान जो किराये के लिए है, ६००) की रकम वाद दी जायगी। ऐसी व्यवस्था में किसी ऐसे मकान की आय 'नुकसान' में नहीं हो सकेगी।

३. वार्षिक मूल्य में से कटौतियाँ (Deductions from Annual Value)—धारा २४ :—किसी जायदाद की कर योग्य आय निकालने के लिए निम्नलिखित कटौतिया उसके उचित वार्षिक-मूल्य में से वाद दी जाती हैं :—

(१) मरम्मत खर्च :—वार्षिक मूल्य का ⅙ भाग मरम्मत के लिये चाहे वह मरम्मत के लिए कोई रकम खर्च करे या न करे।

(२) बीमा चन्दा :—जायदाद के नष्ट होने के जोखम सम्बन्धी बीमे का दिया हुआ चन्दा (Insurance premium)।

(३) रहन की रकम पर व्याज :—यदि जायदाद रहन (Mortgage) की गई हो या उस पर अन्य पूंजीगत भार (Capital Charge) हो तो उनके व्याज की रकम।

(४) वार्षिक भार (Annual Charge) :—यदि जायदाद पर कोई वार्षिक भार [जो पूँजीगत नहीं है (not of a capital nature)] हो तो इस वार्षिक भार की रकम।

(५) अन्य प्रकार के ऋण का व्याज :—जायदाद को बनवाने, खरीदने, मरम्मत करवाने तथा पुन:निर्माण करने के लिए यदि ऋण लिया गया हो तो उस ऋण का व्याज।

(६) जायदाद का भूमि किराया (Ground rent)।

(७) जायदाद की मालगुजारी (Land revenue) जो दी गई हो।

(८) संग्रह व्यय (Collection charges) :—जायदाद के किराए को वसूल करने में जो संग्रह व्यय हुआ हो उसकी रकम (वार्षिक मूल्य के ६% भाग तक)।

(९) रिक्त-स्थान छूट (Vacancy Allowance) :—यदि जायदाद पूर्ण या आंशिक रूप से किसी समय के लिए खाली रहे तो उस समय के लिए जायदाद के वार्षिक मूल्य का उचित अनुपात रिक्त-स्थान छूट के रूप में दे दिया जाता है।

(१०) डूबी हुई किराये की रकम (Unrealised Rents) यदि किराये की रकम किसी भी प्रकार वसूल नहीं की जा सके तो कुछ अवस्थाओं में वह वार्षिक मूल्य में से बाद दे दी जाती है।

प्रश्न संख्या १८ :

एक मकान का वार्षिक किराया ६,०००) प्रतिवर्ष है। स्थानीय कर की कुल रकम २,०००) है जिसमें से ६००) किरायेदार स्वयं स्थानीय सत्ता को जमा करा देते हैं। यदि वह मकान १-४-५० के पहले बना हुआ है तो उसका वार्षिक मूल्य कितना होगा ?

उत्तर :

मकान का वार्षिक किराया	६,०००)
जोड़ो :—स्थानीय कर की वह रकम जो किरायेदारों ने स्थानीय सत्ता में सीधी जमा करा दी है।	६००)
	६,६००)
घटाओ :—स्थानीय कर की पूरी रकम	२,०००)
	वार्षिय मूल्य—४,६००)

प्रश्न संख्या १९ :

श्री हीरालाल एक मकान का मालिक है। वह उस मकान में स्वयं रहता है। उस मकान का स्थानीय मूल्यांकन ३,०००) प्रतिवर्ष है। उस प्रकार पर उसका निम्न खर्च हुआ :—

मरम्मत खर्च—७००) ; अग्नि बीमा प्रीमियम—२००) ; लड़के के विवाह के लिए मकान रहन (Mortgage) रखने का व्याज—८००)। यदि कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उसकी अन्य साधनों से आय १२,०००) थी, तो उसकी जायदाद की आय निकालिए।

उत्तर :—

मकान का वार्षिक मूल्य [कुल आय के १०% के बराबर=१०%×$\frac{१}{१}$× ११,००० [१२,०००–२००–८००] =१,२००

घटाओ :

(i) $\frac{१}{६}$ मरम्मत खर्च	२००	
(ii) अग्नि बीमा प्रीमियम	२००	
(iii) रहन रखने का व्याज	८००	१,२००
मकान से आय		कुछ नहीं

प्रश्न संख्या २० :—

श्री प्रेम दो मकानोंका मालिक है। ये मकान १९४८ में बनकर तैयार हुये थे। पहले मकान में जिसका स्थानीय मूल्य १,०००) प्रतिवर्ष है, वह स्वयं रहता है। दूसरा मकान जिसका वार्षिक स्थानीय मूल्य १,६००) है, २००) प्रतिमास के हिसाब से किराये पर दिया गया है। दोनों मकानों के खर्चे निम्न प्रकार है :—

स्थानीय कर दोनों मकानों का	२६०)
किराये दिए गए मकान पर जमीन कर	१००)
" " " के मरम्मत कराने के लिए लिये गये ऋण का ब्याज	३००)

अग्नि बीमा प्रीमियम दोनों मकानों का २००)। उसकी अन्य साधनों से आय १५,०००) है। उसकी जायदाद की आय निकालिए।

उत्तर :

			रु०
दूसरे मकान का वार्षिक किराया			२,४००
घटाओ :— स्थानीय कर की पूरी रकम [२६०×१,६०० / २,६००]			१६०
वार्षिक मूल्य			२,२४०
स्वय के रहने के लिए मकान का वार्षिक मूल्य [किराये के मकान के आधार पर] :— (१,०००×२,४०० / १,६०० = १,५००)		१,५००)	
घटाओ :— स्थानीय कर की पूरी रकम (२६०×१,००० / २,६००)		१००)	
		१,४००)	
घटाओ :— वैधानिक छूट—½		७००)	
घटा हुआ वार्षिक मूल्य			७००
दोनों मकानों का वार्षिक मूल्य			२,९४०
बाद :—(i) ⅙ मरम्मत खर्चे		४९०)	
(ii) जमीन कर		१००)	
(iii) ऋण पर ब्याज		३००)	
(iv) अग्नि बीमा प्रीमियम		२००)	१,०९०
जायदाद की आय			१,८५०

प्रश्न संख्या २१ :

श्री पासीमल दो मकानों का मालिक है। पहला मकान जिसका वार्षिक (स्थानीय) मूल्य २,५००) है, उसके परिवार के रहने के काम में आता है तथा दूसरा जिसका वार्षिक (स्थानीय) मूल्य ३,०००) है, किराये पर दिया गया है। यह मकान तीन महिने खाली रहा। दोनों मकानों के खर्चे निम्न प्रकार हैं :—

	पहला मकान	दूसरा मकान
	[रुपयों में]	
स्थानीय कर	२५०)	३००)
मालगुजारी	१००)	१२५)
मकान मरम्मत के लिए ऋण का ब्याज	२००)	१००)
अग्नि बीमा प्रीमियम	१५०)	२००)
रहन का ब्याज	—	१७५)
किराया संग्रह व्यय	—	४५)

गत वर्ष में उसकी आय ६,०००) थी। श्री पासीमल की जायदाद की आय निकालिए।

उत्तर :—

श्री पासीमल की जायदाद की आय की संगणना

	रु०	रु०	रु०
(अ) किराये पर दिए हुए मकान का वार्षिक किराया			३,०००
घटाओ :— $\frac{1}{2}$ स्थानीय कर			१५०
वार्षिक मूल्य			२,८५०
घटाओ :—(i) $\frac{1}{6}$ मरम्मत खर्च	४७५)		
(ii) मालगुजारी	१२५)		
(iii) ऋण का ब्याज	१००)		
(iv) अग्नि बीमा प्रीमियम	२००)		
(v) रहन का ब्याज	१७५)		
(vi) संग्रह व्यय [वार्षिक मूल्य के ६% तक]	४५)		
(vii) रिक्त-स्थान छूट ($\frac{3}{12}$× वार्षिक मूल्य)	७१२)	१,८३२	१,०१८

(ब) स्वयं के रहनेवाले मकान का वार्षिक मूल्य : ७१६
[१०%×१३/११×(१०१८+६००−१००−२००−१५०)]*

घटाओ :—

(i) $\frac{१}{६}$ मरम्मत खर्च	११६)		
(ii) मालगुजारी	१००)		
(iii) ऋण का ब्याज	२००)		
(iv) अग्नि बीमा प्रीमियम	१५०)	५६६	१४७
जायदाद की आय			१,१६५

प्रश्न संख्या २२ :—श्री सुभाष दो मकानों का मालिक है। एक मकान में जिसका स्थानीय मूल्यांकन १,०००) है वह स्वयं रहता है। दूसरा जिसका स्थानीय मूल्यांकन रु. १,६००) है वह २००) महिने से किराये पर दिया हुआ है। दोनों मकानों पर खर्चे निम्न प्रकार हैं :—स्थानीय कर २६०); किराये पर दिए हुए मकान की मालगुजारी १००); उसे मरम्मत करवाने के लिए ऋण का ब्याज ३००); दोनों मकानों पर दिया हुआ अग्नि बीमे का चन्दा २००)। सुभाष की जायदाद से क्या आय होगी यदि सन् १९६१-६२ गतवर्ष के लिए उसकी अन्य साधनों से आय १५,०००) थी।

उत्तर :— श्री सुभाष की जायदाद से आय :—

कर निर्धारण वर्ष—सन् १९६२—६३ :—

आय का विवरण	रकम रु०	रकम रु०
किरायेदार से प्राप्त किराया २००) मासिक दर से	२,४००	
बाद दिया $\frac{१}{२}$ स्थानीय कर (१६०)	८०	
किराये पर दिए गए मकान का वार्षिक मूल्य		२,३२०
* स्वयं के रहनेवाले भाग का किराया मूल्य (Rental Value) (किराये पर दिये मकान के आधार पर)−१०००×$\frac{२४००}{१६००}$=	१,५००	
बाद दिया −$\frac{१}{२}$ स्थानीय कर (रु० १००)	५०	
	१,४५०	
बाद दिया −$\frac{१}{२}$ वैधानिक छूट	७२५	
स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य		७२५
दोनों मकानों का वार्षिक मूल्य :		३,०४५

बाद :—½ हिस्सा मरम्मत खर्च	५०७	
मालगुजारी	१००	
ऋण पर ब्याज	३००	
अग्नि बीमा प्रीमियम	२००	१,१०७
जायदाद से कर-योग्य आय		१६३८

* मकान-मालिक के स्वयं के रहनेवाले भाग का वार्षिक मूल्य यदि कुल आय के १०% भाग से अधिक हो तो यह निम्नलिखित प्रकार से निकाला जाता है :—

१०%×$\frac{३}{४}$×(कुल आय—जायदाद सम्बन्धी सब खर्चे जो मालूम है घटा कर)

नोट :—प्रश्न संख्या २० तथा २२ के सूक्ष्म अन्तर को पाठकगण नोट करें।

प्रश्न

प्र. १. मकान से आमदनी निकालने के बारे में भारतीय आयकर अधिनियम की धाराएँ २२ से २७ के अन्तर्गत नियमों का पूर्ण विवरण कीजिए।

उ. : देखो कडिका १ से ३।

प्र. २. उचित वार्षिक मूल्य (Annual Value) पर एक टिप्पणी लिखो।

उ० : देखो कडिका २।

प्र० ३. जायदाद की आय निकालने के लिए कौन कौन सी कटौतियाँ दी जाती हैं ?

उ० : देखो कडिका ३।

प्र० ४. निम्न विवरण से श्री 'अ' की जायदाद से आय निकालिये :—

(अ) वह दो मकानों का मालिक है जिनकी म्यूनिसिपल गणना क्रमशः ४,०००) तथा ९,०००) है। दोनों मकानों का म्युनिसिपल टैक्स ६००) है।

(ब) पहले मकान में वह स्वयं रहता है तथा दूसरा ५००) प्रतिमास की दर से किराये दिया हुआ है।

(स) अन्य साधनों से आय १०,०००)

उ० : १६,१३७) (प्रथम मकान का उचित वार्षिक मूल्य १,६१४) है।

प्र० ५. निम्न विवरण से श्री कान्त की जायदाद से आय निकालिए :—

(i) वह तीन मकानों का मालिक है। उनका वार्षिक मूल्य क्रमशः २,०००), ३,०००) तथा ४,०००) है। स्थानीय कर ६००) है।

(ii) प्रथम मकान दिल्ली में है तथा २००) मासिक किराये पर दिया हुआ है। दूसरा मकान कलकत्ते में स्वय के रहने के काम आता है। पटने में नौकरी करने के कारण तीसरा मकान जो कि बम्बई में है साल भर खाली रहा।

(iii) उसकी अन्य साधनों से आय ५,००० है।

उ० : जायदाद की आय २,५४५)। [जिस मकान में वह रहता है उसका वार्षिक मूल्य हुआ ७५४)]

अध्याय ८

व्यापार अथवा पेशे के लाभ तथा मुनाफे—धाराएँ २८ से ४३।

[PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION—Ss. 28 to 43.]

१. आयकर का यह शीर्षक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर के अधिकांश रकम की प्राप्ति इसी शीर्षक के अन्तर्गत होनेवाली आय से होती है। इस शीर्षक के अन्तर्गत व्यापार अथवा पेशे [व्यवसाय भी पेशे में शामिल है] के शुद्ध कर योग्य लाभ पर ही कर लगाया जाता है। यह शुद्ध कर-योग्य लाभ [Net taxable profit] व्यापारादि के शुद्ध लाभ [Net profit] से सर्वथा भिन्न है ; क्योंकि बहुत से ऐसे खर्च होते हैं जो कि सकल लाभ में से बाद दे दिये गये हैं, लेकिन आयकर अधिनियम के अनुसार ऐसे खर्चे बाद नहीं दिये जा सकते। अतः कर-योग्य लाभ मालूम करने के लिए उन खर्चों के बारे में जानना अत्यन्त आवश्यक है जिन्हें कानून द्वारा बाद दिया अथवा नहीं दिया जाता।

२. "व्यापार अथवा पेशे के लाभ" के अन्तर्गत आनेवाली आय—धारा २८।

"व्यापार" के अन्तर्गत किसी प्रकार का धंधा, वाणिज्य, उत्पादन अथवा व्यापार इत्यादि जैसा कोई अन्य कार्य या व्यवसाय आता है। "पेशे" के अन्तर्गत व्यवसाय (vocation) भी सम्मिलित है। "व्यापार अथवा पेशे के लाभ" शीर्षक के अन्तर्गत निम्न प्रकार की आय आती है :—

(i) गत वर्ष में किसी भी समय किए गये व्यापार अथवा पेशे के लाभ तथा मुनाफे। मेनेजिंग एजेन्सी के लाभ भी इसी शीर्षक में आते हैं।

(ii) निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अथवा उन्हें देय कोई हर्जाने की रकम अथवा कोई अन्य भुगतान जो उन्हें गतवर्ष में प्राप्त हो या देय हो :—

(अ) भारतीय कंपनी के किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) जो कि उसे पूर्णतया प्रबंध करता हो, उसके समझौते की समाप्ति अथवा परिवर्तन के समय या बारे में ;

(ब) किसी भी व्यक्ति द्वारा (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) जो भारत में किसी भी दूसरी कंपनी का पूर्णतया प्रबन्ध कर रहा हो, उसके पद की समाप्ति अथवा उसकी शर्तों के परिवर्तन के समय या बारे में ;

(स) किसी भी व्यक्ति द्वारा (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय) जिसके पास किसी भी दूसरे व्यक्ति के व्यापारिक कार्यों के सम्बन्ध में भारत के लिए अभिकरण [Agency] है, उसके अभिकरण की समाप्ति अथवा उसकी शर्तों के परिवर्तन के समय या बारे में।

(iii) किसी व्यापारिक, पेशेवर अथवा इसी प्रकार की अन्य संस्था द्वारा अपने सदस्यों के लिए की गई विशेष सेवाओं के उपलक्ष में प्राप्त आय।

३. घटाए जानेवाले खर्चे [Expenses expressly allowed] :

व्यापार आदि की वास्तविक आय मालूम करने के लिए निम्न खर्चे सकल लाभ में से घटाए जाते हैं :—

(१) इमारत का किराया, कर, मरम्मत खर्च तथा बीमा खर्च—धारा ३० :

व्यापार आदि के लिए काम में आनेवाली इमारत का किराया, मरम्मत खर्च, चालू खर्च, जमीन कर, स्थानीय कर, बीमा प्रीमियम इत्यादि खर्चे करदेय लाभ निकालने के लिए घटाए जाते हैं।

(२) मशीनरी, तथा फर्नीचर का मरम्मत खर्च तथा बीमा—धारा ३१ :

व्यापार आदि के काम में आनेवाली मशीनरी, संयंत्र (Plant) तथा फर्नीचर का चालू मरम्मत खर्च तथा बीमा खर्च घटाया जाता है।

(३) घिसाई तथा विकास छूट—देखिए अनुच्छेद ८ :

(४) वैज्ञानिक खोज पर खर्च—धारा ३५ :

वैज्ञानिक खोज सम्बन्धी खर्चों के लिए निम्नलिखित कटौतियाँ दी जाती हैं।

(i) व्यापार सम्बन्धी वैज्ञानिक खोज के लिए किया गया पूंजीगत खर्च के अलावा किसी भी प्रकार का खर्च।

(ii) किसी ऐसी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था को दिया गया चन्दा जो कि वैज्ञानिक खोज कर रही है अथवा किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा कोई अन्य संस्था को वैज्ञानिक खोज के लिए दिया गया चन्दा ;

(iii) किसी स्वीकृत विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्था को दी हुई कोई रकम जो कि उस व्यापार से सम्बन्धित सामाजिक विज्ञान अथवा सांख्यिक (Statistical) खोज के लिए काम में लाई जाय ;

(iv) व्यापार सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किये गए पूंजीगत खर्च का ⅕ हिस्सा ; बाकी हिस्सा अगले ४ वर्षों में बराबर विभाजित होकर बाद दिया जायगा।

(५) अन्य कटौतियाँ—धारा ३६ :

(i) व्यापार आदि के काम में आनेवाले माल अथवा स्टोर्स की रक्षा के लिए दिया गया **बीमा प्रीमियम**।

(ii) किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं के उपलक्ष में दिया गया **बोनस या कमीशन** यदि कर्मचारी के वेतन, उसकी नौकरी की शर्तों, व्यापारादि के लाभ तथा उसी प्रकार के अन्य व्यापारी के रीति रिवाज को देखते हुए वह रकम उचित है।

(iii) व्यापार आदि के लिए ली गई उधार पूंजी का **ब्याज**।

(iv) स्वीकृत प्रोविडेन्ट फण्ड अथवा स्वीकृत सुपरएन्यूएशन फण्ड में मालिक द्वारा दिया गया **चन्दा**।

(v) कर्मचारियों के फायदे के लिए एक अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के अन्तर्गत स्थापित किसी स्वीकृत ग्रेच्यूटी फण्ड में मालिक द्वारा दिया गया **चंदा**।

(vi) व्यापार आदि के काम में आनेवाले **मृतक या बेकार जानवरों** की खरीद कीमत तथा बिक्री कीमत का अन्तर।

(vii) निम्न शर्तों को ध्यान में रखते हुए डूबत खाते (Bad debts) की कोई रकम :—

(अ) डूबत खाते के सम्बन्ध में कटौती उस दशा में दी जायगी जब कि वह रकम किसी भी गत वर्ष के लाभ निकालने के लिए

हिसाब में लाई गई हो अथवा किसी लेन-देन के व्यापार में साधारणतया दी गई ऋण की रकम हो तथा उस गत वर्ष में डूबत खाते के रूप में लिख दी गई हो।

(ब) यदि ऐसी रकम किसी गत वर्ष में लिख दी गई हो किन्तु आयकर अफसर ने उसे अप्रामाणिक गिनकर उस वर्ष के नफे से बाद नहीं दिया हो तो ऐसी रकम को आयकर अफसर अगले वर्षों में भी बाद दे सकता है यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि वह रकम वसूल नहीं की जा सकती।

(स) इसी प्रकार किसी डूबत रकम के बारे में आयकर अफसर यह निश्चित् करे कि वह जिस वर्ष में डूबत खाते लिखी गई है उस वर्ष में डूबत नहीं होकर पहले किसी गत वर्ष में डूब गई थी तो उसे ऐसे पिछले कर-निर्धारण वर्षों की (चार वर्ष तक की) कार्यवाही को पुनः खोलने का अधिकार है। ऐसी दशा में कर-दाता को आयकर अफसर का फैसला मानना होगा।

प्रश्न संख्या २३ :

निम्नलिखित दशाओं में बतलाइये कि करदाता को किस कर-निर्धारण वर्ष तथा कितनी रकम डूबत खाते की रकम के रूप में बाद मिलेगी यदि उसका गत वर्ष कैलेन्डर वर्ष है :—

(क) २५-११ ६१ को बही-खाते में १०,०००) की रकम डूबत खाते के नाम लिख दी गई। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए ऐसी रकम के सम्बन्ध में कटौती माँगी गई। आयकर अफसर ने अपने २८।६।६२ के दिन लिखे हुए फैसले के अनुसार केवल ४,०००) की रकम उस वर्ष के लिए मंजूर की। बाकी की रकम के बारे में उसने लिखा कि ३,२००) की रकम केवल मई ६२ में ही डूबत हुई तथा २,८००) की रकम अगस्त १९५८ में ही डूबत हो गई थी।

(ख) २५-६-६१ के दिन बही-खाते में ५,०००) की रकम डूबत खाते के नाम लिख दी गई। आयकर अफसर ने १,५००) डूबत खाते की रकम के शीर्षक के अन्तर्गत मंजूर किए। २८।४।६२ को करदाता ने उस हिसाब का फैसला २,५००) में पूरा चुकता कर लिया।

उत्तर :—(क) कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० का धारा १५५ के अन्तर्गत संशोधन होगा तथा करदाता को २,८००) की रकम उस वर्ष के लिए बाद दे दी जायेगी। कर-निर्धारण वर्ष १९६३-६४ के लिए कर दाता को बाकी रकम अर्थात् ३,२००) की कटौती मिलेगी।

(ख) कर-निर्धारण वर्ष १९६३-६४ के लिए करदाता को ८००) [३,५००-२,७००] की कटौती मिलेगी क्योंकि हिसाब २८-४-६२ को पूरा चुकता हुआ तथा वह तारीख गत वर्ष १९६२ के अन्तर्गत आती है।

(vii) भारतीय औद्योगिक विकास के लिए लम्बी अवधि के लिए ऋण देनेवाले स्वीकृत वित्तीय निगमों की आय में से कुल आयका १०% भाग तक [जब तक कि वह निगम की प्रदत्त पूँजी के बराबर न हो जाय] जो कि एक विशेष फण्ड में जमा किया गया है, खर्चे के रूपमें बाद दिया जाता है।

(६) साधारण कटौती—धारा ३७ :

उपरोक्त खर्चों के अलावा वे अन्य सभी प्रकार के खर्चे जो पूँजीगत खर्चे नहीं है अथवा जो करदाता के व्यक्तिगत खर्चे नहीं है तथा जो व्यापार आदि के ही लिए पूर्णतया खर्च हुए है, सकल मुनाफे में से बाद दे दिये जाते हैं जैसे, कर्मचारियों का वेतन, मुहूर्त्त, उत्सव दीपावली खर्च (४००) तक), विज्ञापन खर्च इत्यादि।

एक कम्पनी को निम्नलिखित रकम से ज्यादा रकम मनोरंजन खर्चे [Entertainment Expenditure] के रूप में बाद नहीं दी जायगी :—

(i) कुल आय [मनोरंजन खर्च तथा विकास छूट बाद किये बिना] के प्रथम १० लाख पर—१% या ५,०००) जो भी अधिक हो।

(ii) „ „ अगले ४० लाख पर—½%

(iii) „ „ „ १२० लाख पर—¼%

(iv) „ „ की शेष रकम पर— कुछ नहीं

(७) खनिज तेल के अन्वेषण सम्बन्धी व्यापार के लिए विशेष कटौतियां—धारा ४२ :

केन्द्रीय सरकार की सहकारिता के लिए अथवा उसके साथ किए गए समझौते के अन्तर्गत किसी करदाता को जो खनिज तेल निकालने अथवा खोज करने का व्यापार करता हो उन तमाम खर्चों की कटौती दी जायगी जिनका उल्लेख केन्द्रीय सरकार के साथ किए गए समझौते के अन्तर्गत वर्णित हैं।

४. न मिलनेवाले खर्चे [Inadmissible expenses] :

निम्न प्रकार के खर्चे व्यापार इत्यादि की आमदनी मालूम करने के लिए नहीं घटाए जाते :—

(१) पूंजीगत खर्चा—धारा ३७।

(२) कर-दाता का व्यक्तिगत खर्च—धारा ३७।

(३) व्यापार अथवा पेशे के लिए पूर्ण रूप से काम में नही आनेवाले खर्च—धारा ३७।

(४) कंपनी के लिए उल्लेखित रकम से अधिक मनोरंजन खर्च—धारा ३७।

(५) करदाता के रहने के लिए काम में आनेवाले मकानात का किराया यदि मकान केवल आंशिक रूप में ही व्यापारादि के काम में आता हो तो—धारा ३८।

(६) किसी भी करदाता के लिए :—

(i) ऐसे ब्याज की रकम जो भारत के बाहर दी गई है तथा जिस पर कोई कर नहीं काटा गया है तथा जिसके सम्बन्ध में भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे धारा १६३ के अन्तर्गत अभिकर्त्ता माना जा सके।

(ii) व्यापारिक लाभादि पर लगनेवाले कर।

(iii) 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आनेवाली किसी रकम का भुगतान यदि वह भारत के बाहर हुआ हो तथा जिस पर कोई कर नहीं काटा या दिया गया हो।

(iv) कर्मचारियों के लिए स्थापित प्रॉविडेन्ट या अन्य किसी फण्ड में करदाता द्वारा दिया गया चन्दा यदि करदाता ने ऐसे फण्ड से 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य भुगतानों पर भुगतान के समय समुचित कर काटने का प्रबन्ध नहीं किया है—धारा ४० (अ)।

(७) फर्म द्वारा साझीदार को दिया जाने वाला ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस, या अन्य पारितोषिक—धारा ४० (ब)।

(८) एक कंपनी के लिए—

एक सचालक या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका कंपनी में विशेष हित हो अथवा उनके रिश्तेदार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में दिया गया वेतन, फायदा अथवा सुविधा अथवा ऐसे व्यक्तियों के काम में आनेवाली असबाबों (Asset) के सबन्ध में कोई छूट या खर्चा यदि ऐसा खर्चा या छूट कंपनी की आवश्यकताओं को देखते हुए आयकर अफसर की राय में अनुचित या अत्यधिक है—धारा ४० (स)।

(९) बेंकिंग कम्पनियों के लिए वे तमाम रकम जो उनकी प्रतिभूतियों से ब्याज निकालने के लिए छूट के रूप में मिल चुकी है—धारा ४० (ड)।

५. भूतकाल में दी गई अतिरिक्त छूट जिसे वापस जोड़ा जाता है—धारा ४१।

इस धारा के अन्तर्गत किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए करयोग्य लाभ अथवा आय निकालते समय यदि कोई हानि, खर्च या अन्य व्यय की रकम व्यापारी को छूट में दे दी गई हो तथा भविष्य में अन्य किसी भी गत वर्ष में वह रकम पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में वापस मिल गई हो तो जिस वर्ष में वह रकम प्राप्त की गई है, उसी वर्ष की आय मानी जायगी चाहे उस वर्ष वह व्यापार चालू हो या बन्द तथा वह उस वर्ष में कर-योग्य होगी। उदाहरणार्थ, गत वर्ष १९५९-६० में एक व्यापारी को ६,०००) की छूट डूबत ऋण के बारे में मिली परन्तु गत वर्ष १९६१-६२ में उसमें से उसे ४,०००) प्राप्त हो गए तो कर निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए ४,०००) की आय कर-योग्य मानी जायगी।

६. हर्जाने की रकम पर कर—धारा ११२।

जब किसी कर-दाता (कंपनी को छोड़कर) की कुल आय में धारा २८ (ii) में वर्णित हर्जाने अथवा अन्य भुगतान की रकम सम्मिलित हो तो उसकी कुल आय पर निम्न तरीके से कर निकाला जायगा :—

(i) कुल आय में हर्जाने की रकम तथा पूँजी गत लाभ घटाकर शेष आय पर साधारण रीति से आयकर तथा अतिरिक्त कर लगाया जायगा ;

(ii) अध्याय ६ में वर्णित तरीके से पूँजीगत लाभ पर कर लगाया जायगा ; तथा

(iii) हर्जाने अथवा आय भुगतानों पर कुल आय में से पूँजीगत लाभ तथा ऐसे हर्जाने की रकम का ⅔ भाग घटाकर शेष बचनेवाली आय की आयकर तथा अतिरिक्त कर की औसत दरों से कर लगाया जायगा।

प्रश्न संख्या २४ :—

श्री राय की आय का विवरण निम्न प्रकार से है :—

(१) घर सम्पत्ति से आय—धारा २२—२१,०००) ;

(२) हर्जाने की रकम—धारा २८ (ii)—६,०००) ;

(३) लम्बे अवसर वाली स्थायी परि सम्पत्त से पूँजीगत लाभ धारा ४५—१२,०००)

श्री राय कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए किस प्रकार से कर देगा ?

उत्तर :—कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए श्री राय को निम्न प्रकार से आयकर तथा अतिरिक्त कर देना होगा :—

(१) २१,०००) पर आयकर तथा अतिरिक्त कर ; तथा

(२) १२,०००) पर अध्याय ६ में वर्णित ढंग से आयकर तथा अतिरिक्त कर ; तथा

(३) ६,०००) पर २५,०००) [२१,०००×⅔×६,०००] पर लगनेवाले आयकर तथा अतिरिक्त कर की औसत दरों से आयकर तथा अतिरिक्त दर।

प्रश्न संख्या २५ :

३१-१२-६१ को समाप्त हुए वर्ष के लिए एक व्यापारी का लाभ-हानि खाता निम्न प्रकार है :—

	रुपये		रुपये
भाड़ा	६,०००	सकल लाभ	५२,३००
वेतन	५,२००	ब्याज (ग्राहकों का)	२,८००
दिवाली तथा पूजन खर्च	४००	घर संपत्ति का किराया	२,४००
ऋण पर ब्याज	१२,५००	विविध आय	१,६००
विविध खर्च	५,५००	कमीशन	३,७००
डूबत ऋण	६००		
धर्मादा	१००		
डूबत ऋण संचिति	२००		
स्थानीय कर	६००		
खुराक खर्च	८५०		
चोरी से नुकसान	१,४००		
शुद्ध लाभ	२६,४५०		
	६२,८००		६२,८००

नोट—

(१) भाड़े में १,२००) की ऐसी रकम शामिल है जो कि एक ऐसी दुकान का भाड़ा है जिसका व्यापारी स्वयं मालिक है।

(२) वेतन के अन्तर्गत २,४००) की ऐसी रकम है जो कि व्यापारी के एक लड़के, जो कि B. Com. का छात्र है तथा जो कभी-कभी व्यापार में मदद करता है, को वेतन के रूप मे दी गई है।

(३) भूतकाल में उसके ही द्वारा दी गई रकम मे से उसकी पत्नी ने १५,०००) का ऋण १६% सालाना ब्याज की दर से उसे दिया।

(४) विविध खर्च में हरद्वार की तीर्थ यात्रा का ६००) का खर्च सम्मिलित है।

(५) लोकसभा के सदस्य के कुछ अतिथियों के भोजन के सम्बन्ध में किया गया १५०) का खर्च खुराक खर्च में शामिल है।

(६) ६००) की नेक्लेस तथा ८००) नगद की चोरी रात को उसके घर में से हो गई।

(७) उसने ४,०००) सोना अपानयन (Gold Smuggling) के कार्य से कमाए। यह रकम उसने अपने बही खाते में नहीं दिखाई है।

(८) स्थानीय कर में ४००) की ऐसी रकम है जो कि उसके किराये पर दिए गए मकानो के सबन्ध में है।

उसकी कुल आय निकालिए।

उत्तर :—

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उसकी कुल आय की संगणना—

(अ) व्यापार से आय :—

लाभ-हानि खाते से शुद्ध लाभ—		२६,४५०
बाद, किराये की आय		२,४००
		२७,०५०
जोड़ो : (१) धर्मादा	१००	
(२) डूबत ऋण सचित	२००	
(३) स्वयं को दिया गया किराया	१,२००	
(४) अपने लड़के को दिया गया वेतन—है व्यापार के लिए नही है ऐसा प्राकलित	१,२००	
(५) अपनी पत्नी से लिए गए ऋण पर ब्याज	२,४००	
(६) हरद्वार तीर्थ यात्रा का खर्च	९००	
(७) निजी मनोरंजन	१५०	
(८) चोरी से हानि	१,४००	
(९) किराये दिये गए मकान पर स्थानीय कर	४००	७,९५०
		३५,०००
सोना अपानयन की आय		४,०००
		३९,०००
(ब) घर-सम्पति से आय :—		
कुल किराया—	२,४००	
बाद, ½ स्थानीय कर	२००	
	२,२००	
बाद, ⅙ मरम्मत खर्च	३६६	१,८३४
कुल आय		४०,८३४

प्रश्न संख्या २६ :

एक व्यापारी को निम्न प्रकार के खर्चे सकल लाभ में बाद दिये जायेंगे या नहीं :—

(१) बैंक में पैसा जमा कराने के लिए जाते समय कर्मचारी के लुट जाने के कारण नुकसान।

(२) कर्मचारी द्वारा कोष भग (Embezzlement)।

(३) समय से पूर्व अवकाश प्राप्ति के लिए कर्मचारी को दिए गये हर्जाने की रकम।

(४) ट्रेड मार्क की नकल करने वाली एक अन्य संस्था के विरुद्ध सफल मुकदमें में खर्च।

(५) नई मशीनरी तथा संयंत्र को लगाने के लिये एक इंजीनियर की तीन महिने की तनख्वाह।

(६) सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स सम्बन्धी अपील के सिलसिले में एक वकील की फीस।

(७) बिना इजाजत माल आयात करने के लिए वहिः शुल्क (customs) विभाग द्वारा लगाए गए दंड की रकम।

(८) ऋण के लिए दी गई दलाली की रकम।

(९) संचालक के यूरोप यात्रा का व्यय। वह यूरोप में एक नई मशीनरी खरीदने के लिए गया था। मशीनरी अगले वर्ष में बैठायी गई।

(१०) फेक्टरी में संलग्न फेक्टरी कर्मचारियों के लिए डिस्पेन्सरी-कमरा बनाने का व्यय।

उत्तर :—

(१) यह खर्चा बाद नहीं दिया जायगा क्योंकि यह व्यापार करने के कार्य में नहीं हुआ है।

(२) यह खर्चा बाद दिया जायगा क्योंकि व्यापार को चलाने के लिए साधारणतया रकम की जिम्मेदारी कर्मचारियों के ऊपर छोड़नी ही पड़ती है।

(३) यदि कर्मचारी ने व्यापार के हित में समय से पहले अवकाश प्राप्त किया है तो ऐसी रकम बाद दे दी जायगी।

(४) यह खर्चा बाद दिया जायगा।

(५) यह पूंजीगत खर्च है तथा बाद नहीं दिया जायगा।

(६) यह निजी दायित्व के लिए खर्च है अतएव व्यापार में से बाद नहीं दिया जायगा।

(७) गैर कानूनी कार्यों के लिए दंड की रकम बाद नहीं दी जाती।

(८) यह पूँजीगत खर्च है अतएव यह बाद नहीं दिया जा सकता।

(९) यह पूँजीगत खर्च है इसलिए बाद नहीं दिया जा सकता।

(१०) यह भी पूँजीगत खर्च है। डिसपेन्सरी की लागत-कीमत पर नियमानुसार घिसाई छूट मिल सकेगी।

७. घिसाई : (Depreciation)—धाराऐं ३२, ३३, ३४, ३८, ४१ तथा ४३ :

व्यापार व्यवसाय या वृत्तिके निरन्तर काम आने से स्थायी सम्पत्ति जैसे **भवन फर्नीचर**, संयन्त्र, (plant) मशीनरी इत्यादि के मूल्यकी कमी को घिसाई कहते हैं। घिसाई की छूट केवल मालिक को ही निश्चित दरों के अनुसार दी जाती है। विभिन्न प्रकार की घिसाई की छूटों तथा दरों का वर्णन नीचे दिया जाता है।

(१) साधारण घिसाई छूट (Normal Depreciation) धारा : ३२ साधारण घिसाई छूट स्थायी सम्पत्ति के लिखित मूल्य पर आयकर नियम, १९६२ में वर्णित निश्चित दरों के अनुसार दी जाती है। १८० दिन या अधिक काम आने पर घिसाई छूट की दर पूरी होती है। १ मास से अधिक तथा १८० दिन से कम आने पर निश्चित दर की आधी दर से ही घिसाई छूट मिलती है। उसी गत वर्ष के भीतर खरीदने और बेचने पर ऐसी परिसम्पत पर कोई घिसाई छूट नहीं मिलती।

(२) अतिरिक्त घिसाई (Additional Depreciation) : ३१-३-१९४८ के बाद जो नई इमारत या नई मशीनरी या नया संयन्त्र व्यापार आदि के काम में लिया जावे तो उसके लिखित मूल्य पर लगाये जाने वाले वर्ष के बाद ५ कर-निर्धारण वर्षों तक साधारण घिसाई के बराबर अतिरिक्त घिसाई भत्ता दिया जाता है। यह कटौती कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ तक ही मिल सकती है।

(३) अतिरिक्त चलने का भत्ता (ExtraShift Allowance):

जितने दिन दुगुनी अथवा उससे अधिक पर्याय (shift) तक संयंत्र **या मशीन** को काम में लाया जाता है उतने दिनों के लिये साधारण घिसाई का ५० % अतिरिक्त पर्याय भत्ता मिलता है। इस भत्ते को मालूम करने के लिये साल में ३०० दिन माने जाते हैं।

(४) प्रारम्भिक घिसाई (Initial Depreciation)—धारा ३२ (१) (vi) :

नई इमारत मशीनरी तथा सयंत्र (जिन्हे विकासत छूट नहीं मिली है) पर प्रथम वर्ष के लिये प्रारम्भिक घिसाई दी जाती है जो कि पूरी साल के लिए तथा पूरी दरों के अनुसार होती है। इसे लिखित मूल्य मालूम करने के लिए नहीं घटाया जाता परन्तु यदि सम्पत्ति बेची जाय या रद्द हो जाय या नष्ट हो जाय तो वास्तविक नुकसान या लाभ को मालूम करने के लिए यह प्रारम्भिक घिसाई अवश्य ध्यान में रक्खी जाती है तथा उसको घटाकर ही सतुलन छूट (Balancing Allowance) मालूम की जाती है। १-४-१९५६ **से यह घिसाई बिलकुल बन्द कर दी गई है।** इसके पहले १-४-१९४६ से यह साधारणतः नये मकान पर १५ % तथा नई मशीनरी या सयन्त्र पर २० % दी जाती थी। वित्त अधिनियम १९६१ ने इस प्रकार की घिसाई को फिर से चालू कर दिया। ३१-३-६१ के पश्चात् २००) मासिक वेतन से कम पाने वाले कर्मचारियों के रहने के लिए बने हुए मकानों पर २० % प्रारम्भिक घिसाई की छूट दी जायगी।

(५) विकास छूट (Development Rebate)—धाराएँ ३३ तथा ३४ :

यदि ३१-३-१९५४ के पश्चात् कोई कर-दाता **पूर्ण रूप से केवल अपने व्यापारिक कार्यों के लिए ही** कोई मशीनरी या सयन्त्र लगावे अथवा किसी नए जहाजका जलावतारण करे (launch) तो ऐसी मशीनरी, सयंत्र अथवा जहाज पर प्रथमवर्ष में उसकी लागत मूल्य के २५% के बराबर विकास छूट दी जाती है। यदि नए जहाज का जलावतरण ३१-१२-१९५७ के बाद किया गया हो तो उस पर ४० % विकास छूट दी जायगी। यह प्रबन्ध भारत में औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिये है। यदि मशीनरी अथवा सयंत्र ३१-३-६१ के पश्चात् लगाया जावे तो विकास छूट २०% के बराबर दी जायगी।

इस सम्बन्ध में निम्न बातें याद रखना आवश्यक है :—

(i) जिन मशीनरी या संयत्र अथवा जहाज पर विकास छूट मिलती है उस पर प्रारम्भिक घिसाई नहीं मिलती।

(ii) विकास छूट घिसाई नही है, इसलिए न तो यह लिखित मूल्य मालूम करने के लिये घटाई जाती है और न ही यह छूट मशीनरी इत्यादि को बेचने या रद्द करने से हुए लाभ या हानि का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। अशोधित विकास छूट अगले आठ वर्षों तक ले जाई सकती है।

(iii) यह केवल व्यापार के लिये ही दी जाती है, व्यवसाय अथवा वृत्ति के लिए नहीं।

(iv) १-१-५८ के पश्चात् लगने वाले नए संयत्र मशीनरी आदि पर विकास छूट तभी मिलेगी जब कि विकास छूट की रकम का ७५ % भाग नफे नुकसान खाते में उधार लिख दिया गया हो तथा वह विशेष रिजर्व खाते में जमा कर दिया गया हो जो कि अगलेआठ वर्षों तक व्यापार के विकास आदि के काम में आये।

(६) लिखित मूल्य (Written down Value)—धारा ४३ (६) :

घिसाई सम्पत्ति के लिखित मूल्य पर निकाली जाती है। किसी सम्पत्ति के लिखित मूल्य का अर्थ है :—

(अ) यदि सम्पत्ति को गतवर्ष मे खरीदा गया हो तो उसकी दी गई वास्तविक कीमत से ; तथा

(ब) यदि सम्पत्ति गतवर्ष से पहले खरीदी गई हो तो उसकी वास्तविक लागत में से कर-दाता को मिली हुई घिसाई की रकम को घटाने के बाद में जो रकम बचती हो, उससे।

(७) संतुलनीयछूट (Balancing Allowance)—धारा ३२ (१) (iii) :

यदि व्यापार के काम में आने वाली मशीनरी संयंत्र या इमारत आदि को बेच दिया जाय या रद्द कर दिया जाय या गिरा दिया जाय या वह नष्ट हो जाए तो इसके लिखित मूल्य में से बिक्री मूल्य या शेष मूल्य (Scrap Value) को कम करने के उपरान्त जो नुकसान होता है वह सतुलनीय छूट के रूप में बाद दे दिया जाता है।

(८) संतुलनीय भार (Balancing Charge)—धारा ४१ (२):

यदि बिक्री मूल्य लिखित मूल्य से अधिक हो तो ऐसी संतुलनीय वृद्धि (Balancing Charge) सम्पत्ति के वास्तविक लागत की सीमा तक तो कर-योग्य लाभ समझा जाता है। परन्तु लागत के ऊपर का लाभ पूंजीगत लाभ (Capital Gains) समझा जावेगा।

(९) अशोधित घिसाई (Unabsorbed Depreciation):

यदि किसी व्यापार में लाभ न होने के कारण घिसाई की छूट न मिल सके या थोड़ा लाभ होने के कारण घिसाई का कुछ भाग बाकी रह जाए तो ऐसी घिसाई की शेष रकम को अशोधित घिसाई कहते हैं। अशोधित घिसाई आगामी वर्षों के लाभ में से बिना किसी प्रतिबन्ध के शोधित की जा सकती है। अशोधित घिसाई को संपत्ति का लिखित मूल्य मालूम करने के लिये बाद दिया जाता है क्योंकि यह घिसाई वास्तव में स्वीकृति की हुई घिसाई ही है।

(१०) घिसाई के सम्बन्ध में ज्ञातव्य बातें:

(अ) साधारण घिसाई छूट केवल इमारत, मशीनरी संयंत्र तथा फर्नीचर पर ही दी जाती है। आयकर नियम १९६२ के नियम ५ के अनुसार कुछ साधारण घिसाई की दरें नीचे दी जाती है:—

(१) इमारत :	प्रथम श्रेणी की इमारत	२.५ %
	द्वितीय श्रेणी की इमारत	५ %
	तृतीय श्रेणी की इमारत	७.५ %

यदि इमारत फेक्टरी के काम में आती है तो ऊपर लिखी दरों की दुगुनी दरें काम में ली जाती हैं।

(२) फर्नीचर तथा फिटींग : साधारण दर	१०%
होटलों के लिए	१५%
(३) मशीनरी तथा सयंत्र—	
साधारण दर	७%
कॉफी, जूट, जूते, शक्कर, चावल की फेक्ट्रीयों तथा आटे की चक्कियों के लिए	९%
सीमेंट, पेपर, लोहा व स्पात फेक्ट्रियों के लिए	१०%
कार व साइकल	२०%
मोटर लॉरी, टैक्सी तथा ट्रक्स	२५%

(ब) अतिरिक्त घिसाई केवल नई मशीनों, संयंत्र तथा इमारतों (फर्नीचर नहीं) पर ही दी जाती है।

(स) अतिरिक्त पर्याय छूट केवल मशीनरी तथा संयंत्र पर ही दी जाती है।

(द) प्रारम्भिक घिसाई केवल नए संयंत्र, मशीनरी, तथा इमारतों पर ३१-३-५६ तक ही दी जाती है। नई प्रारम्भिक घिसाई केवल नई इमारतों पर ही दी जाती है।

(ई) विकास छूट पूर्णतया केवल व्यापार के ही लिए काम में आनेवाले नये संयंत्र, मशीनरी तथा जहाज पर दी जाती है।

प्रश्न संख्या २७ :—गतवर्ष १९५७-५८ के लिए एक व्यापारी का घिसाई सम्बन्धी विवरण निम्नलिखित है :—

फेक्ट्रीकी इमारत—प्रथम श्रेणी (घिसाई दर—५%)

	रु०	रु०
१-४-५७ को लिखित मूल्य	२५०००	
१-४-५७ को नई खरीद	१०,०००	
		३५,०००
मशीनरी : (घिसाई दर १०%)		
१-४ ५७ को लिखित मूल्य	५०,०००	
१-१०-५७ को नई खरीद	१२,०००	
		६२,०००

पुरानी मशीनरी सालमें १५० दिन दो पर्याय (Shifts) चली।

फर्नीचर : घिसाई दर ३%		
१-४-५७ को लिखित मूल्य	३,०००	
१-१-५८ को नई खरीद	१,०००	
		४,०००

उसको कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ के लिए घिसाई तथा विकास छूट की क्या रकम मिलेगी तथा १ ४-५८ को विभिन्न सम्पत्तियों का लिखित मूल्य क्या होगा ?

उत्तर

कर-निर्धारण वर्ष १९५८ ५९ के लिए घिसाई तथा विकास छूट :—
फेक्ट्री की इमारत :—

३५,०००) पर ५% से साधारण घिसाई	१,७५०	
१०,०००) पर ५% से अतिरिक्त घिसाई	५००	२,२५०

मशीनरी :—

विकास छूट १२०००) पर २५% की दर से		३,०००
५०,०००) पर १०% से सालभरकी साधारण घिसाई	५,०००	
१२,००० पर १०% से ६ महिने की साधारण घिसाई	६००	
१२,०००) पर अतिरिक्त घिसाई	६००	
अतिरिक्त पर्याय छूत ½ + ३००/१२०० × ५०००=	१,२५०	
		७,४५०

फर्नीचर :—

३,०००) पर ६% की दर से सालभरकी साधारण घिसाई	१८०	
१,०००) पर ६% की दर से ३ महिने की घिसाई	१५	
		१९५

कुल घिसाई तथा विकास छूट	रु०	१२,८९५

१-४-१९५८ को लिखित मूल्य :

	१-४-१९५७ की लिखित मूल्य अथवा लागत	घिसाई	१-४-१९५८ को लिखित मूल्य
फेक्ट्री की इमारत	३५,०००)	२,२५०)	३२,७५०)
मशीनरी	६२,०००)	७,४५०)	५४,५५०)
फर्नीचर	४,०००)	१९५)	३,८०५)

नोट :—इस प्रश्न में अतिरिक्त घिसाई छूट की संगणना समझाई गई है। यह कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ तक के लिए काम में आयेगी।

प्रश्न संख्या २८ :—

गत वर्ष १९६१-६२ के लिए एक व्यक्ति के घिसाई सम्बन्धित आंकड़े निम्न प्रकार है :—

	फेक्ट्री के मकानात (घिसाई दर—५%)	मशीनरी (घिसाई दर—१०%)
१-४-६१ के दिन लिखित मूल्य	१०,०००)	२०,०००)
नई खरीद—१-४-६१ के दिन	५,०००)	१०,०००)
	१५,०००)	३०,०००)

कर निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उसे घिसाई तथा विकास छूट की क्या रकम मिलेगी तथा १-४-६२ के दिन लिखित मूल्य (Written-down value) क्या रहेगी ?

उत्तर :

फेक्टरीके मकानात :—

१५०००) पर ५% दर से साधारण घिसाई	७५०
१-४-६२ को लिखित मूल्यः—(१५,०००—७५०) = १४.२५०	

मशीनरी :—

३०,०००) पर १०% दरसे घिसाई		[illegible],०००
१०,०००) पर १२% दर से विकास छूट		२,५००
१-४-६२ को लिखित मूल्य : (३०,०००—३,०००)=२७,०००		
सन् १९६२-६३ के लिए कुल घिसाई एव विकास छूट	रु०	६,२५०

प्रश्न संख्या २९ :—

एक व्यापारी का गत वर्ष कैलेण्डर वर्ष १९६१ है। निम्न विवरण से कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए घिसाई छूट तथा सतुलनीय छूट निकालिए :—

मशीनरी—पुरानी लिखित मूल्य—२०,०००) (घिसाई दर १०%)

नई—(मार्च ६१ में खरीदी गई तथा अगस्त ६१ में उतने में ही बेच दी गई) १०,०००)

फर्नीचर (घिसाई दर १०%) :—

लिखित मूल्य ६,०००) (मूल कीमत १२,०००) वह १२-२-६१ को ३,५००) में बेच दी गई।

उत्तर :— ह०

मशीनरी—पुरानी : २०,०००) लिखित मूल्य पर १०% घिसाई— २,०००

नई : चूंकि नई मशीनरी उसी गत वर्ष में खरीदी व बेची गई इसलिए कोई घिसाई नहीं दी जायगी। —

फर्नीचर—लिखित मूल्य	६,०००)	
बाद विक्री मूल्य	३,५००	
संतुलनीय छूट		२,५००
		४,५००

प्रश्न संख्या ३० :—

श्री कर्मवीर अपने हिसाब वित्तीय वर्ष के अनुसार रखता है। उसने मार्च १९६२ में अपना व्यापार बंद कर दिया तथा तमाम माल-असबाब बेच डाला। कर-निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अफसर ने उसका शुद्ध नुकसान २१,०००) गिना। जून १९६२ में उसकी कुछ मशीनरी की अंतिम किश्त निर्धारित हुई। उस समय उसे लिखित मूल्य से ५०,०००) ज्यादा प्राप्त हुआ। कर-निर्धारण वर्ष १९६३-६४ के लिए उसके आयकर दायित्व के संबंध में विवेचन कीजिए।

उत्तर : नई धारा ४१ के अन्तर्गत उसे २१,०००) का नुकसान बाद मिलेगा तथा ५०,०००)–२१,०००) अर्थात् २९,०००) पर ही कर देना होगा।

प्रश्न

प्र० १. "घिसाई" से आप क्या समझते हैं? यह किसे, कब तथा किस प्रकार दी जाती है?

उ० देखो अनुच्छेद ७।

प्र० २ संक्षिप्त टिप्पणियां लिखो :—

(अ) विकास छूट, (ब) संतुलनीय छूट, (स) अतिरिक्त पर्याय भत्ता, (द) लिखित मूल्य, (ई) अशोधित घिसाई।

उ० देखो अनुच्छेद (अ) ७ (५), (ब) ७ (७), (स) ७ (३), (द) ७ (६), (ई) ७ (९)।

प्र० ३. एक व्यापारी को उसके कर देय लाभ निकालने के लिए कौन से खर्चे मंजूर किये जाते हैं तथा कौनसे नामंजूर।

उ० देखो कंडिका २ से ३.

प्र० ४. श्री शरदचन्द्र के निम्न लाभ हानि खाते से कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उनकी व्यापार से कर-योग्य आय निकालिए :—

	रु०		रु०
दफ्तर खर्च	५,७२०	सकल लाभ	२७,६३५
मिश्रित खर्च	३,७०	सरकारी प्रतिभूतिंका	
पूंजी पर ब्याज	१,५८०	ब्याज	१,६६०
अप्राप्य ऋण रक्षित निधि	८३५	कमीशन	३६५
ऑडिट-फीस	३००	डूबे खाते की वसूली	४४०
किराया	२,५१०	प्रतिभूतियोंके बेचने पर लाभ	७५०
इनकम टैक्स	१,७६०	मिश्र आय	३५०
धर्मादा	४८५		
कानूनी खर्च	३७०		
कर्मचारी को दिया हुआ हर्जाना	१,५००		
इमारत खर्च	१,५००		
लाभ	१२,०००		
	३१,२००		३१,२००

कर-योग्य आय के सम्बन्ध में कुछ और विवरण निम्न प्रकार का है :—

(अ) किराये की रकम में ६००) की ऐसी रकम है जो उस मकान के बारेमें है जिसमें वह स्वय रहता है।

(ब) वेतन खर्च में स्वीकृत प्रोविडेंट फंड में मालिक द्वारा चंदे की ३२०) की रकम भी शामिल है।

(स) मिश्रित खर्च में १५०) की रकम फर्नीचर के बारे में है।

(द) कानून द्वारा प्राप्य घिसाई की रकम १,२७५) है।

उ० रु० १५,४२५

अध्याय ६

पूँजीगत लाभ : धाराएँ ४५ से ५५
[CAPITAL GAINS—Ss. 45 to 55]

१. वित्त अधिनियम (नवम्बर) १६५६ द्वारा कुछ परिवर्तनों के साथ पूंजीगत लाभ पर कर लगाने की योजना को पुनः प्रारम्भ किया गया। पहले यह कर १ ४-४६ से ३१-३-१६४८ की अवधि में होनेवाले पूंजीगत लाभ पर लगता था। अब इस धारा के अन्तर्गत ३१ ३-१६५६ के पश्चात् किसी स्थायी परिसम्पत (Capital Asset) के हस्तान्तरण अर्थात् विक्रय (sale), विनिमय (exchange), अवत्याग (relinquishment) से होनेवाले लाभों पर कर लगाया जाता है। ऐसे लाभ उसी गत वर्ष की आय गिने जाएँगे जिस वर्ष में विक्रय इत्यादि हुए हैं।

२. (i) "स्थायी परिसम्पत" का अर्थ (Meaning of "Capital Asset")—धारा २ (१४) :

'स्थायी परिसम्पत' के अन्तर्गत हर प्रकार की सम्पत्ति आती है, चाहे वह कर-दाता के व्यापार के कार्य के लिए काम में लाई जाती हो, या नहीं। परन्तु इसमें निम्न प्रकार की सम्पत्ति शामिल नहीं है :—

(अ) व्यापार के काम के लिए किया हुआ स्कन्ध (stock) इत्यादि।

(ब) निजी वस्तुएँ (जैसे, गहने, फर्नीचर इत्यादि) ; तथा

(स) भारत में स्थित कृषि जमीन।

(ii) लघुकालीन स्थायी परिसम्पत (Short-term capital asset)—धारा २ (४२ ए) :

वह स्थायी परिसम्पत जो हस्तान्तरण से पूर्व करदाता के पास १२ महिने से कम समय के लिए हो तो लघुकालीन स्थायी परिसम्पत कहलाती है।

३. छूट (Exemptions)—धाराएँ ४६, ४७, ५३ तथा ५४ :—निम्न प्रकार के पूंजीगत लाभ पूर्णतया कर मुक्त हैं :—

(१) इच्छापत्र (will) दान अथवा अपरिवर्तनीय ट्रस्ट द्वारा स्थायी परिसम्पत के हस्तान्तरण करने से उत्पन्न होनेवाले लाभ।

(२) पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किसी अविभक्त हिन्दू परिवार के बटवारे के समय स्थायी परिसम्पत के वितरण (distribution of capital assets) से होनेवाले लाभ।

(३) एक कम्पनी द्वारा अपनी पूर्णतया अधीन (wholly owned) सहाय कंपनी (subsidiary company) को स्थायी परिसम्पत के हस्तान्तरण करने से होनेवाले लाभ।

(४) एक साझेदारी संस्था अथवा किसी अन्य जनमण्डल के भग होने पर उसके स्थायी परिसम्पत के वितरण पर होनेवाले लाभ।

(५) किसी कंपनी के अवसायन (Liquidation) के समय उसके स्थायी परिसम्पत के वितरण से होनेवाले लाभ।

(६) अपने उस रहने के मकान, जिसमें कि कर दाता या उसके माता-पिता दो वर्ष रहे हों के विक्रय से होनेवाले लाभ यदि ऐसे पूंजीगत लाभों की रकम को एक वर्ष के पहले या बाद में किसी दूसरे रहने के मकान को खरीदने अथवा दो वर्ष के भीतर नार मकान को बनवाने मे लगा दिया गया हो। परन्तु यदि पूँजीगत लाभ की रकम नए मकान की कीमत से अधिक हुई तो वह अधिक रकम कर-योग्य है।

(७) यदि कर-दाता अपनी किसी इमारत को २५,००० रु० से कम रकम में बेचे तथा उसकी तमाम इमारतों का उचित विपणि मूल्य (fair market value) ५०,०००) से अधिक नहीं है तो ऐसे विक्रय से होनेवाले पूँजीगत लाभ कर-योग्य नहीं है।

प्रश्न संख्या ३१ :

श्री घोष ने अपने रहने का मकान तारीख १५-९-१९६१ को १,२३,०००) में बेच दिया। धारा ४५ के अन्तर्गत उसे ६३,०००) का कुल पूंजीगत लाभ हुआ। उसने अगस्त १९६३ तक एक नया मकान ७१,०००) की लागत से तैयार करवा लिया। श्री घोष का पूंजीगत लाभ के बारे में क्या कर दायित्व है?

उत्तर :—

चूँकि श्री घोष ने पुराने मकान के विक्रय की तिथि से दो वर्ष की अवधि के अन्दर ही नया मकान बना लिया तथा नए मकान की लागत पूँजीगत लाभ से भी कम है इसलिए उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा। यदि अगस्त १९६२ के पूर्व ही कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ का कर-निर्धारण समाप्त हो गया होगा तथा उसकी कुल आय की सगणना में ६३,०००) की रकम पूँजीगत लाभ के रूप में शामिल कर ली गई होगी तो वह उस कर-निर्धारण वर्ष के परिवर्तन के

लिए धारा १५५ के अन्तर्गत प्रार्थना कर सकता है। ऐसा करने पर २३,०००) की रकम आयकर अफसर द्वारा १९६२-६३ वर्ष की कुल आय में से बाद कर दी जायगी।

४ कटौतियाँ (Deductions) :—

कर-योग्य पूँजीगत लाभ निकालने के लिए निम्नलिखित कटौतियाँ विक्रय आदि के प्रतिफल की रकम में से बाद की जाती हैं :—

(१) विक्रय इत्यादि करने के सम्बन्ध में हुआ खर्चा ; तथा

(२) कर-दाता को लगी हुई उस स्थायी परिसम्पत की वास्तविक कीमत (actual cost)। इस सम्बन्धमें निम्न बातें ध्यान रखने योग्य हैं :—

(अ) यदि कर-दाता तथा स्थायी परिसम्पत के लेनेवाले व्यक्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा इनकमटैक्स अफसर को यह विश्वास है कि विक्रय इत्यादि कर परिहार (tax-avoidance) के उद्देश्य से किया गया है तो उस स्थायी परिसम्पत की कीमत विक्रय के समय की उचित विपणि कीमत के बराबर मान ली जायगी। ऐसा करने के पूर्व आयकर अफसर को अपने इसपेक्टिंग असिसटेंट कमिश्नर से आज्ञा लेनी पड़ेगी।

(ब) जहाँ किसी स्थायी परिसम्पत पर कर दाता को घिसाई मिल चुकी है वहाँ उस सम्पत्ति की वास्तविक कीमत उसकी लिखित कीमत में धारा ३२ (१) (iii) अथवा ४१ (२) के अन्तर्गत समायोजन (Adjustment) होने से वृद्धि या कमी की रकम को घटाने या बढाने से मालूम की जायगी।

(स) स्थायी परिसम्पत की वास्तविक कीमत के स्थान पर करदाता चाहे तो १-१-१९५४ को होनेवाली उचित विपणी कीमत (fair market value) को पूँजीगत लाभ में से घटाने के लिए माँग कर सकता है।

(द) जहाँ कर-दाता को फर्म या कम्पनी की समाप्ति पर, अथवा अविभक्त हिन्दू परिवार के विभाजन पर अथवा दान-इत्यादि द्वारा कोई स्थायी परिसम्पत प्राप्त हुई हो तो १-१-१-५४ को होनेवाले उचित विपणी मूल्य के अनुसरण करने के अलावा भी अन्य कई रियायत मिलती हैं।

(ई) यदि उस परिसम्पत के बेचने के बारे में पहले कभी भी किसी भी प्रकार की रकम प्राप्त हुई हो तो वह रकम उसकी असली कीमत में से घटाई जाती है।

५. पूँजीगत लाभ पर कर की संगणना : (Computation of Tax on Capital Gains) धारा ११४ तथा ११५ :

(अ) कम्पनियाँ :—पूंजीगत लाभ पर एक कम्पनी को अपनी दरसे (जैसे १९६२-६३ के लिए २५%) आय कर देना पड़ता है। सन् १९५९-६० तक पूँजीगत लाभ पर अतिरिक्त कर (Super-tax) नहीं लगता था। १-४-'६० से कंपनियों पर भी १०% अतिरिक्त कर लागू हो गया। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए यह कर लम्बी अवधिवाले स्थायी परिसम्पत के लिए घटाकर ५% कर दिया गया है। इस प्रकार सब मिला कर कम्पनी को ३०% कर देना पड़ता है। लघुकालीन स्थायी परिसम्पत से होनेवाले पूंजीगत लाभ पर सामान्य रूप से आयकर तथा अतिरिक्त कर लगता है।

(ब) अन्य कर-दाता :—

अन्य कर-दाताओं के पूँजीगत लाभ पर कर की संगणना के लिए १-४-६२ से पूँजीगत लाभों को दो भागों में विभक्त किया गया है :—

(१) लघुकालीन स्थायी परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ ; तथा
(२) दीर्घकालीन स्थायी परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ।

लघुकालीन स्थायी परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ पर अन्य प्रकार की आय की भाँति आयकर तथा अतिरिक्त लगाया जायगा। दीर्घकालीन स्थायी परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ पर निम्न विधि से कर लगाया जायगा :—

(१) कुल आय में से लघुकालीन स्थायी परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ तथा हर्जाने की रकम (धारा २८ (ii) के अनुसार) को घटाकर बचनेवाली आय पर आयकर तथा अतिरिक्त कर की औसत दर से दोनों प्रकार का कर,

अथवा

(२) दीर्घकालीन स्थायी परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ पर २५% आयकर ;

जो भी कम हो, लगाया जायगा।

एक विशेष बात यह है कि दीर्घकालीन लम्बी अवधिवाले स्थायी परिसम्पत पर यदि पूँजीगत लाभ ५,०००) से ज्यादा नहीं है अथवा कुल आय (पूँजीगत लाभ मिलाकर) १०,०००) से अधिक नहीं है, तो ऐसे पूँजीगत लाभ पर कुछ भी कर नहीं लगता।

६· पूँजीगत हानियों का प्रतिसादन तथा अग्रेनयन अथवा आगे ले जाना (Set-off and carry forward of Capital losses) —धारा ७४ :

लघुकालीन परिसम्पत से होनेवाली वे पूँजीगत हानियाँ जो किसी वर्ष में किसी ऐसे पूँजीगत लाभ में से पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकती है वे आगे ले जाकर भविष्य मे अगले ८ वर्षों तक होनेवाले ऐसे पूँजीगत लाभ से प्रति सादन (Set off) की जा सकती हैं। दीर्घकालीन परिसम्पत से होनेवाले नुकसान ऐसे परिसम्पत से होनेवाले लाभों से अगले ४ वर्षों तक प्रतिसादित किए जा सकते हैं।

प्रश्न संख्या ३२ :

श्री सतीशचन्द्र, जो एक व्यापारी हैं, ने १-११-१९६१ को ६१,०००) में एक मशीन बेची जिसे उसने ४०,०००) में खरीदी थी तथा जिसके बारे में १५,०००) घिसाई उसे मिल गई थी। इसके अलावा उसकी कुल आय ५०,०००) है। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए बताइए उसका कर-दायित्व क्या होगा ?

उत्तर :—

	रु०
श्री सतीशचन्द्र का मशीन बेचने पर कुल लाभ	६१,०००-२५,००० (लिखित मूल्य)
	=३६,०००

इसमें से १५,००० रु० धारा ४१ (२) में कर योग्य सन्तुलित लाभ है तथा २१,०००) धारा ४५ में पूँजीगत लाभ है। उसकी कुल आय निम्न हुई :—

अन्य कुल आय	५०,०००
धारा ४१ (२) के अन्तर्गत लाभ	१५,०००
	६५,०००
धारा ४५ के अन्तर्गत दीर्घकालीन परिसम्पत से पूँजीगत लाभ	२१,०००
कुल आय	८६,०००

वह ६५,०००) पर आयकर तथा अतिरिक्त कर ६६,०००) की ही दर से देगा। तथा २१,०००) पर ८६०००) (६५,०००+२१,००० (पूंजीगत लाभ) पर लगनेवाली आयकर तथा अतिरिक्त कर की दर से अथवा २५% आयकर की दर से जो भी कम हो कर देगा।

प्रश्न

प्र० १. "पूंजीगत लाभ" पर एक छोटा सा लेख लिखो।

उ० देखो अनुच्छेद १ से ६ तक।

प्र० २. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो :—

(i) स्थायी परिसम्पत ;
(ii) कर-मुक्त पूंजीगत लाभ
(iii) लघुकालीन स्थायी परिसम्पत ;

उ० (i) देखो अनुच्छेद २ ;
(ii) देखो अनुच्छेद ३ ; तथा
(iii) देखो अनुच्छेद २।

अध्याय १०

अन्य साधनों से आय–धाराएँ ५६ से ५९

[INCOME FROM OTHER SOURCES–SECTIONS 56 to 59]

१. इस शीर्षक के अन्तर्गत कर दाता को उन सब प्रकार की आय व लाभ पर कर देना पड़ता है जो उसे आय के अन्य शीर्षकों के अलावा प्राप्त होती है। जैसे—

(i) लाभांश ;

(ii) मशीनरी सयन्त्र तथा फरनीचर को किराए पर देने से उत्पन्न होने वाली आय ,

(iii) विशेषाधिकार शुल्क (Royalty) के रूप में प्राप्त आय ;

(iv) भूमि से प्राप्त किराया (Ground rent) इत्यादि।

२. कटौतियाँ—धारा ५७ :

इस शीर्षक के अन्तर्गत कर देय आय निकालने के लिए निम्न कटौतियाँ दी जाती हैं :—

(i) सकल लाभाश की रकम मे से लाभाश को वसूल करने के लिए किसी दलाल या अन्य व्यक्ति को दिया हुआ कमीशन अथवा अन्य कोई रकम जो लाभाश वसूल करने मे खर्च हो, बाद दी जाती है।

(ii) मशीनरी, सयन्त्र, मकानात अथवा फर्नीचर आदि किराये देने के धधे से प्राप्त आमदनी में से घिसाई की रकम धाराएँ ३०-३४ तथा ३६ के अनुसार बाद दी जाती है।

(iii) उपरोक्त कटौतियों के अलावा अन्य कोई भी रकम जो इस शीर्षक के अन्तर्गत करदेय आय के उत्पन्न करने या कमाने के लिए पूर्णतया खर्च हो, बाद दी जाती है।

३. करदाता के व्यक्तिगत खर्चे आय में से बाद नहीं दिये जाते—धारा ५८। जब कोई मकानात, मशीनरी अथवा सयन्त्र नष्ट हो जायँ या बेच दिये जायँ तो धारा ४१ (२) के अनुसार करदेय लाभ निकाला जाता है।

पिछले किसी कर-निर्धारण वर्ष में यदि कटौती की रकम अधिक दी गई हो तो उस पर धारा ४१ (१) के अनुसार कर भी लगाया जा सकता है— धारा ५९।

लाभांश (Dividends):

४. परिभाषा :—धारा ५६ (२) (१) के अनुसार लाभांश "अन्य साधनों से आय" शीर्षक के अन्तर्गत कर देय होते हैं। धारा ८ के अनुसार लाभांश उस गत वर्ष की आय समझे जाते हैं जिस वर्ष वे घोषित किए गए हों अथवा वितरित किए गए हों अथवा भुगतान किए गए हों। नकद रूप में मिलने वाले लाभांशों के अलावा निम्न प्रकार की अन्य रकमें भी लाभांश ही गिनी जाती है [धारा २ (२२)] :—

(क) अपने संचित लाभ का किसी कंपनी द्वारा वितरण यदि ऐसे वितरण से कंपनी की संपत्ति कम होती हो तो ;

(ख) ऋण-पत्रादि के रूप में अथवा बोनस के रूप में प्रीफरेन्स शेयर आदि का वितरण ;

(ग) परिसमापन (Liquidation) के अवसर पर संचित लाभ में से किसी कंपनी द्वारा कोई वितरण ;

(घ) कंपनी के पूँजी के घटाए जाने पर किसी प्रकार का वितरण ;

(ड) किसी ऐसी कंपनी जिसमें जनता सारत बद्ध हित न हो (Public are not substantially interested) द्वारा अंशधारी को दी गई ऋण की रकम (यदि वह रकम संचित लाभ की रकम के बराबर तक है तो)। इस प्रबन्ध के कुछ अपवाद भी हैं।

साधारणतया कंपनी की साधारण सभा की तारीख जिसमें कि लाभांश घोषित किए गए हों, ही इस बात को निर्णय करती है कि अमुक लाभांश किस गतवर्ष की आय गिना जाय। जैसे, एक कंपनी ने अपनी साधारण सभा में तारीख १७-११-१९६१ को कुछ लाभांश घोषित किए जिससे श्री अशोक को ५,०००) लाभांश प्राप्त हुए। ५,०००) गतवर्ष १९६१-६२ की आय मानी जायगी तथा श्री अशोक को उस रकम पर कर-निर्धारण-वर्ष १९६२-६३ के लिए कर देना पड़ेगा।

५. 'कर-मुक्त' तथा 'कर-बाद' लाभांश ('Tax free' and 'Less tax' Dividends):

कर-मुक्त लाभांश का अर्थ यह नही है कि अंशधारी को ऐसे लाभांश पर किसी प्रकार का कर नहीं देना पडेगा। इसका तात्पर्य केवल यही है कि ऐसे लाभाशो की रकम कंपनी द्वारा अंशधारियों को पूरी की पूरी दे दी जायगी तथा कपनी पर लगने वाले कर की कटौती नही की जायगी। "कर बाद" लाभाश से तात्पर्य उन लाभांशो से हैं जो कि कंपनी द्वारा कपनी पर लगने वाले आयकर को बाद करके वितरित किए जाते हैं। जैसे एक कंपनी को किसी अशधारी को १००) लाभांश के देने हैं। यदि लाभांश 'कर मुक्त' है तो कपनी उसे १००) की पूरी की पूरी रकम अशधारी को धारा १९४ में वर्णित कर काट कर दे देगी। यदि लाभांश 'कर-बाद' है तो १००) में से कपनी २५% कर जो कि उस पर लगता है काट लेगी। इस प्रकार ७५) का लाभाश अशधारी को धारा १९४ में वर्णित नियम के अनुसार कर काटने के पश्चात् मिलेगा। इस सबन्ध में जो मुख्य वस्तु याद रखने योग्य है वह यह है कि कपनी द्वारा अपनी आय पर लगने वाले कर की कटौती धारा १९४ में वर्णित कर की कटौती (विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय २०) से बिलकुल भिन्न है। धारा १९४ में वर्णित निर्गम स्थान पर कर की कटौती अनिवाय है जबकि उपरोक्त कटौती नही।

६ लाभाशों का सकल करना—(भारतीय आयकर अधिनियम १९२२ के अन्तर्गत) [Grossing up of Dividends—(Under the Indian Income tax Act 1922)] :

वित्त अधिनियम १९५९ तथा १९६० ने लाभाशो के कर-पद्धति मे बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये हैं। पुरानी पद्धति के अनुसार अशधारी के लाभाश की वास्तविक आय मालूम करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त किए हुए लाभाश में आयकर की वह रकम और जोड़ी जाती है जो कि कम्पनी ने आयकर विभाग को दी है क्योंकि ऐसी रकम अशधारी के लिए दी गई समझी जाती है। एक विदेशी कम्पनी से प्राप्त हुए लाभांशो को सकल (Gross up) नही किया जाता है। यदि कम्पनी की आय कर-मुक्त साधनों से प्राप्त है तथा कम्पनी को किन्ही कारणों से इस आय पर कुछ भी कर नही देना पड़ा है तो लाभाशो को सकल नही किया जायगा और अशधारी के हाथों मे ऐसी आय से प्राप्त लाभाश की पूर्ण रकम कर योग्य रहेगी। **कंपनी के कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० या इससे पूर्व के किसी कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्षों के लिए ३० जून १९६० तक वितरित लाभांश ही सकल किये जायेंगे, अन्य नहीं।**

लाभांशों को सक्ल करने के का सूत्र (Formula) निम्न है :—

$$\text{सकल लाभांश} = \frac{\text{नेट लाभांश} \times १}{(१ - \text{दर} \times \%)}$$

जबकि दर से अर्थ है कम्पनी पर लागू उस वर्ष की दर से अर्थात् १६५६-६० कर निर्धारण वर्ष के लिए ३०%+१.५% सरचार्ज अर्थात् ३१.५% से ; % से अर्थ कम्पनी के लाभ के उस प्रतिशत से है जिस पर कर लगा है।

यदि कम्पनी की १००% आय पर कर लगा है, वहाँ १००) के लाभांश के लिये सूत्र हुआ—

$$\text{सकल लाभांश} = १०० \times \frac{१००}{६८.५} = १४६)$$

यदि अंशधारी के और कोई आय नहीं है तो इस प्रकार पुरानी पद्धति से १००) के लाभांश पर ४६) की रकम उसे वापस (Refund) मिलेगी।

७. नवीन पद्धति के अन्तर्गत लाभांश (Dividends under the new scheme) :

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वित्त अधिनियम १६५६ तथा १६६० के द्वारा लाभांशों को सकल करने की पद्धति बन्द कर दी गई। नवीन पद्धति के अनुसार निर्धारित दरों के हिसाब से लाभांशों में से कुछ रकम कम्पनी द्वारा काट ली जाती है। ऐसी काटी गई रकम ही अंशधारी को वापस दी जाती है अथवा उसके द्वारा दी जाने वाली कर की रकम में समायोजन (Adjust) की जाती है। नवीन पद्धति निम्न प्रकार के लाभांशों को लागू होती है :—

(i) १६६०-६१ कर निर्धारण वर्ष या इसके पश्चात् के किसी अन्य वर्ष से सम्बन्धित किसी गत वर्ष के लिए दिए गए लाभांश ; तथा

(ii) १६५६-६० कर-निर्धारण-वर्ष या इससे पूर्व के किसी अन्य वर्ष से सम्बन्धित किसी गत वर्ष के लिए दिए गये लाभांश यदि उनका वितरण होना या भुगतान होना ३० जून १६६० के पश्चात् हुआ है।

उदाहरण :—

निम्न उदाहरणों से उपरोक्त स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है :—

क्रम संख्या	कम्पनी के गत वर्ष की समाप्ति तारीख	गत वर्ष से सम्बन्धित कपनी का कर-निर्धारण वर्ष	लाभांश के वितरण की तारीख	अंशधारी का कर-निर्धारण वर्ष यदि उसका गत वर्ष वित्तीय वर्ष है	लाभांश सकल होगा या नहीं
१	२	३	४	५	६
(i)	३०-६ ५८	१९५९ ६०	२८-२-५९	१९५९-६०	सकल होगा (will be grossed up)
(ii)	३०-९-५८	१९५९-६०	१६-५-५९	१९६०-६१	,, ,,
(iii)	३१-१२ ५८	१९५९-६०	११ ८-५९	१९६०-६१	,, ,,
(iv)	३१-३ ५९	१९५९-६०	१४-५-६०	१९६१-६२	,, ,,
(v)	३१-३ ५९	१९५९ ६०	१-६-६०	१९६१-६२	सकल नहीं होगा (will not be grossed)
(vi)	३० ६ ५९	१९६०-६१	१-३ ५९ (अन्तरिम लाभाश)	१९५९-६०	,, ,,
(vii)	३०-६-५९	१९६०-६१	११-११ ५९	१९६०-६१	,, ,,
(viii)	३१-१२ ६०	१९६१ ६२	१२-५ ५१	१९६२-६३	,, ,,

प्रश्न

१. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :—

(अ) लाभाशों का सकल करना ;

(ब) लाभाश की परिभाषा ।

उ० (अ) देखिए अनुच्छेद ६ ।

(ब) ,, ,, ४ ।

२. कर-निर्धारण वर्ष १९६०-६१ के लिए निम्न लाभांशों को सकल कीजिए :—

(अ) ७½% १०० प्रिफरेंस शेयर—प्रति शेयर की रकम २००) ;

(ब) १०% लाभांश एक सूती-वस्त्र मील के १,०००) के शेयरों पर ; तथा

(स) एक इंजीनियरिंग कम्पनी (जिसके ८०% लाभ कर योग्य हैं) के १,००० शेयरों पर यदि प्रत्येक शेयर ५) का है।

उ : (अ) ७५०) ; (ब) १४६) ; (स) ६,६८३)।

अध्याय ११

आय का समूहन तथा हानियों का प्रतिसादन एवं अग्रेनयन अथवा आगे ले जाया जाना

[AGGREGATION OF INCOME AND SET-OFF AND CARRY-FORWARD OF LOSSES]

१. पिछले अध्यायों में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कर-योग्य आय को मालूम करने की रीति को हम समझ चुके हैं। किन्तु कुल आय निकालने के लिए कई ऐसी बातें भी जानना जरूरी है जिनका उल्लेख पिछले अध्यायों में नहीं हुआ है। इन विविध बातों का वर्णन इस अध्याय में निम्न तीन खंडों में किया जाता है :—

(क) अन्य व्यक्तियों की आय को कर दाता की आय में जोड़ा जाना ;

(ख) नकद उधार तथा अस्पष्ट निवेश [Cash Credits and Unexplained Invesments] ; तथा

(ग) हानियों का प्रतिसादन अथवा आगे ले जाया जाना तथा प्रतिसादन करना।

(क) अन्य व्यक्तियों की आय को कर दाता की आय में जोड़ा जाना—धाराएँ ६० से ६५ :

२. हस्तान्तरण एवं अवस्थापन [Transfers & Settlements]—धाराएँ ६० से ६३ :

कुल आय की सगणना करने के लिए हस्तांतरण तथा अवस्थापन के निम्न प्रभावों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है :—

(i) यदि परिसपत्ति (Asset) का हस्तान्तरण नहीं हुआ है तथा केवल उसकी आय का ही हस्तांतरण हुआ है तो ऐसी परिसंपत्ति की आय हस्तान्तरकर्ता की ही आय मानी जायगी।

(ii) परिसम्पत्ति के संहरणीय हस्तान्तरण (Revocable transfer of assets) से उत्पन्न होनेवाली आय हस्तान्तरकर्त्ता की ही आय समझी जायगी तथा ऐसी आय उसकी कुल आय में जोड़ी

जायगी। एक हस्तान्तरण तब सहरणीय समझा जाता है जब कि (अ) उसमें किसी ऐसी बात का उल्लेख हो जिससे हस्तान्तरकर्त्ता को परिसम्पत्ति या उसकी आय के वापस मिलने का अधिकार प्राप्त रहता हो ; अथवा (ब) हस्तान्तरकर्त्ता को परिसम्पत्ति या उसकी आय पर दुबारा स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार हो। यह नियम निम्न दो हालतों में लागू नहीं होगा :—

(क) यदि हस्तान्तरण किसी ट्रस्ट-प्रलेख के अन्तर्गत हुआ है और वह हिताधिकारी के जीवन तक असंहरणीय हो ; अथवा

(ख) यदि हस्तान्तरण १-४-६१ के पूर्व हुआ हो तथा वह ६ वर्ष से अधिक की अवधि तक असहरणीय हो।

प्रश्न संख्या ३३ :

श्री नरेश ने श्री सुरेश के साथ ऐसा प्रबन्ध किया है जिसके द्वारा श्री नरेश के कुछ ऋण पत्रों का ब्याज श्री सुरेश को बीस वर्ष तक मिलता रहेगा। ऋण-पत्र श्री सुरेश के नाम हस्तान्तरित नहीं हुए हैं। गत वर्ष १९६१ ६२ के लिए ऐसे ऋण-पत्रों से श्री सुरेश को ५,०००) की आय हुई। इसके अलावा उस वर्ष श्री नरेश तथा श्री सुरेश की आय क्रमशः १०,०००) तथा १२,०००) थी। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए इन दोनों की कुल आय निकालिए।

उत्तर :—

चूँकि ऋण-पत्र श्री नरेश से श्री सुरेश को हस्तान्तरित नहीं हुए हैं इसलिए उनकी आय अर्थात् ५,०००) श्री नरेश की कुल आय में जोड़ी जायगी। इस प्रकार दोनों की कुल आय क्रमशः १५,०००) (१०,०००+५,०००) तथा १२,०००) हुई।

प्रश्न संख्या ३४ :

श्री 'क' ने १-४ ६१ को एक व्यवस्थापन-पत्र लिखा जिसके द्वारा उसने 'ख' को कुछ सम्पत्ति आठ वर्षों के लिए हस्तान्तरित कर दी। उसके अनुसार आठ वर्ष की अवधि के पश्चात् श्री 'क' पुनः इस सम्पत्ति का मालिक बन जायगा। इस सम्पत्ति से ३,०००) वार्षिक आय होती है। ३,०००) के बारे में श्री 'क' तथा श्री 'ख' का कर-दायित्व क्या होगा? यदि व्यवस्थापन-पत्र २४-३-६१ को लिखा गया होता तो उनके कर-दायित्व में क्या अन्तर हो जाता?

उत्तर :—

क्योंकि अवस्थापन खंडनीय है श्री 'क' को ३,०००) पर कर-देना होगा। यदि अवस्थापन-पत्र २४-३-६१ को लिखा गया होता तो उनके कर-दायित्व में अन्तर हो जाता। ऐसी दशा में श्री 'क' को = वर्षो तक तो उस सम्पत्ति की आय पर कोई कर नही देना पड़ता तथा श्री 'ख' की कुल आय में ऐसी सम्पत्ति की आय भी सम्मिलित कर ली जाती।

३. भार्या अथवा भर्त्ता तथा नाबालिग बच्चों की आय-धारा ६४ : [Income of Spouse & Minor child—Sec. 64] :

एक व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने के लिए उसके भर्त्ता या उसकी भार्या तथा उसके नाबालिग बच्चों की आय भी उसकी आय में किन्हीं-किन्हीं परिस्थितियों में सम्मिलित की जाती है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :—

(१) एक व्यक्ति की कुल आय मालूम करने के लिए निम्न प्रकार की आय उसकी कुल आय में जोड़ी जाती है :—

(i) ऐसे व्यक्ति की भार्या अथवा उसके भर्त्ता की उस फर्म की साझेदारी से होने वाली आय जिसमें कि ऐसा व्यक्ति साझेदार है ;

(ii) ऐसे व्यक्ति के नाबालिग बच्चे की उस फर्म की साझेदारी से होनेवाली आय जिसमे कि ऐसा व्यक्ति साझेदार है ;

(iii) ऐसे व्यक्ति की भार्या अथवा उसके भर्त्ता की उस संपत्ति से आय जो कि उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे इसके हक में बिना पर्याप्त प्रतिफल के या बिना पृथक रहने के विचार से हस्तान्तरित की है ;

(vi) ऐसे व्यक्ति के किसी नाबालिग बच्चे की उस सम्पत्ति से आय जिसे उसने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे उसके पक्ष में बिना उचित प्रतिफल के हस्तान्तरित कर दी है (किन्तु विवाहिता लड़की को दी गई सम्पत्ति की आमदनी उसके माता या पिता की कुल आय में नहीं जोड़ी जाती) ; तथा

(v) किसी व्यक्ति अथवा जन समुदाय को उस सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय जिसे उस व्यक्ति ने बिना उचित प्रतिफल के अपनी

भार्या अथवा अपने भर्ता अथवा नाबालिग बच्चे (विवाहिता लड़की नहीं) के हितार्थ हस्तान्तरित कर दी है।

(२) उपरोक्त वर्णन से यह ज्ञात हो जाता है कि किन्ही परिस्थितियों में पति की आय पत्नी की कुल आय में तथा पत्नी की आय पति की कुल आय में तथा नाबालिग बच्चों की आय उनके माता अथवा पिता की आय में जोड़ी जा सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि कब कौन-सी आय किसकी कुल आय मे जोड़ी जाती है। इस सम्बन्ध में धारा ६४ की व्याख्या में निम्न नियमों का उल्लेख है :—

(i) उप-अनुच्छेद (*i*) के लिए उपरोक्त वर्णित आय उस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ी जायगी जिसकी कुल आय (ऐसी आय के अलावा) दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होगी ; तथा

(ii) उप-अनुच्छेद (ii) के लिए, जहाँ दोनो माता-पिता उस फर्म में साझेदार हैं जिसमें कि उनका नाबालिग बच्चा या बच्चे भी साझेदार हैं तो ऐसे नाबालिग बच्चे की आय उस माता या पिता की कुल आय में सम्मिलित की जायगी जिसकी की आय दूसरे (माता या पिता) से अधिक है। उपरोक्त नियमानुसार जब कोई आय किसी भर्त्ता या भार्या या माता या पिता की कुल आय में जोड़ी जाती है तो भविष्य में वह अन्य किसी दूसरे व्यक्ति की कुल आय में नहीं जोड़ी जा सकती जब तक कि उसे सुनवाई का एक मौका न दिया जाय।

४. उस आय सम्बन्धी कर-दायित्व जो किसी दूसरे की कुल आय में जोड़ी जाती है—धारा ६५ :—

जब किसी व्यक्ति की आय दूसरे किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में जोड़ी जाती है तो कर-दाता के अलावा वह व्यक्ति भी जो कि उस आय का वास्तविक मालिक है या हकदार है, आय कर अफसर द्वारा कर की माँग आने पर ऐसी आय पर कर भुगतान के लिए जिम्मेदार है।

प्रश्न संख्या ३५ :

श्री कमल तथा श्रीमती कमल की आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

	श्री कमल	श्रीमती कमल
(i) रजिस्टर्ड फर्म से हिस्सा (दोनो का हिस्सा बराबर है)	१०,०००)	१०,०००)
(ii) प्रति भूतियो का ब्याज	२,०००)	—
(iii) लाभांश (सकल)	५,०००)	६,०००)
(iv) गृह सम्पत्ति से आय	१,०००)	६,०००)
	१८,०००)	२२,०००)

कर निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए श्री कमल तथा श्रीमती कमल की कुल आय की संगणना कीजिए।

उत्तर :—

श्री कमल तथा श्रीमती कमल की कुल आय की संगणना
कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३

	(रुपयो में) श्री कमल	श्रीमती कमल
(i) प्रतिभूतियो का ब्याज	२,०००	—
(ii) लाभांश (सकल)	५,०००	६,०००
(iii) गृह-सम्पत्ति से आय	१,०००	६,०००
(iv) रजिस्टर्ड फर्म से लाभ का हिस्सा—श्री कमल तथा श्रीमती कमल दोनो का हिस्सा श्रीमती कमल की आय में जोड़ा जायगा क्योंकि उसकी बाकी आय (इस आय के अलावा) अधिक है		२०,०००
कुल आय	८,०००	३२,०००

(ख) नकद उधार तथा अस्पष्ट निवेश (Cash Credits & Unexplained Investments):

५. नकद उधार अथवा जमा रकमें—धारा ६८ :—यदि किसी करदाता की वहियों में कोई रकम किसी के भी हिसाब मे जमा हो तथा

कर-दाता उस रकम के बारे में ठीक तरीके से स्पष्टीकरण नहीं कर सके अथवा जो स्पष्टीकरण कर-दाता दे वह आय कर अफसर द्वारा मान्य नहीं हो तो तो वह रकम कर दाता की उस गत वर्ष की आय मानी जायगी।

६. अस्पष्ट निवेश—धारा ६९ :— कर निर्धारण वर्ष के ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में यदि किसी कर-दाता ने कोई निवेश (Investments) किए हैं जिनका स्पष्टीकरण वह ठीक रूप से नही दे सका हो तो वह रकम जिसके बारे में कर-दाता ने ठीक-ठीक स्पष्टीकरण नही किया है—उस कर दाता की उस वित्तीय वर्ष की आय मान ली जायगी।

प्रश्न संख्या ३६ :

श्री महावीर प्रसाद अपनी आय का हिसाब-किताब अंग्रेजी सन् वर्ष (Calendar year) के हिसाब से रखता है। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उसने १४,०००) की कुल आय दर्शाते हुए आय का ब्यौरा-पत्र (Return of Income) भरा। कर-निर्धारण की कार्यवाही के समय आयकर अफसर ने उसकी बही में निम्न रकम की इन्दराज (entry) देखी :—

"जुलाई २५, १९६१—१०,०००) श्री कानमल के जमा-रोकड़ी"

श्री महावीर प्रसाद इस इन्दराज का ठीक से उत्तर न दे सका। इसके अलावा आयकर अफसर ने पूँछ-ताँछ से मालूम किया कि उसने २५,०००) के नेशनल सेविंग्ज सार्टिफिकेट्स ता० १३ ९-६१ को खरीदे। '२५,०००) की रकम कहाँ से आई ?' प्रश्न के उत्तर में श्री महावीर प्रसाद ने निम्न उत्तर दिया :—

"अगस्त १९६१ में मेरे दादा की मृत्यु पर मुझे २५,०००) की रकम प्राप्त हुई। मेरे पास कोई भी लिखित या किसी अन्य प्रकार का सबूत नहीं है।" आयकर अफसर ने इस कथन का विश्वास नहीं किया। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए श्री महावीर प्रसाद की कुल आय की सगणना कीजिए।

उत्तर :—

श्री महावीर प्रसाद की कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए कुल आय की संगणना :—

		रु०
आय के प्रपत्र (Return) के अनुसार आय		१४,०००
जोड़ो :—श्री कानमल के खाते में जमा रकम —धारा ६८ के अन्तर्गत		१०,०००
अस्पष्ट विनियोग—धारा ६९ के अन्तर्गत		२५,०००
	कुल आय	४९,०००

(ग) हानियों का प्रतिसादन तथा अग्रेनयन (Set-off and Carry-forward of Losses)—धाराएँ ७० से ७६ :

७. हानियों का प्रतिसादन (Set-off of Losses)—धाराएँ ७०, ७१, ७३, तथा ७७.

हानियों के प्रतिसादन के सम्बन्ध में मुख्य नियम नीचे दिए जाते हैं :—

(i) आय के एक शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों के नुकसान उसी शीर्षक के अन्य स्त्रोतों के लाभ से उसी वर्ष में प्रतिसादित किए जा सकते हैं।

(ii) "पूँजीगत लाभ" शीर्षक के अलावा अन्य किसी आय के शीर्षक के अन्तर्गत होने वाले नुकसान किसी भी अन्य आय के शीर्षक से होने वाली आय से उसी वर्ष में प्रतिसादित किए जा सकते हैं। यदि कर-दाता चाहे तो ऐसे नुकसानों का प्रतिसादन 'पूँजीगत लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत होने वाली आय से न होकर अन्य शीर्षकों की आय से ही हो सकता है।

(iii) सट्टे के व्यापार की हानियों का प्रतिसादन केवल सट्टे के व्यापार के लाभ से ही उसी वर्ष में किया जा सकता है।

(iv) जहाँ करदाता अनरजिस्टर्ड फर्म के रूप में हैं, वहाँ उसके घाटे या नुकसान की पूर्ति या प्रतिसादन करने का अधिकार केवल उसीको है ; उसके किसी भी साझेदार को व्यक्तिगत रूप से फर्म में अपने हिस्से के घाटे की पूर्ति उसी वर्ष की आय में से करने का अधिकार नहीं है।

८. व्यापारिक हानियों का अग्रेनयन (Carry-forward of Business Losses)—धाराएँ ७२ तथा ७३ :

यदि व्यापार में किसी वर्ष नुकसान हो जाए और वह रकम उस वर्ष की किसी अन्य आय से पूरी न हो सके तो नुकसान की ऐसी रकम आगे ले जाई जा सकती है और उसी या अन्य किसी व्यापार के लाभों से आगामी ८ वर्षों तक प्रतिसादित की जा सकती है यदि वह व्यापार जिसमें कि नुकसान हुआ है, उस गत वर्ष में चालू है। सट्टों की पिछले वर्षों से लाइ गई हानियों की रकम की पूर्ति केवल सट्टों के लाभ से ही अगले ८ वर्षों तक हो सकती है। जहाँ अशोधित घिसाई भी अस्तित्व में हो, व्यापारिक हानि की पूर्ति उसकी

पूर्ति के पहले कर लेनी चाहिए। यही नियम अशोधित वैज्ञानिक खर्चों के बारे में भी लागू होता है।

९. "पूँजीगत लाभ" शीर्षक के अन्तर्गत होने वाली हानियों का अग्रेनयन धारा—७४ :

इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के लिए देखिए पृष्ठ सख्या १०२।

१०. साझीदारी संस्थाओं के नुकसान का अग्रेनयन—धाराएँ ७५ से ७८ :

विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय १४।

११. कुछ कम्पनियों के नुकसानों का अग्रेनयन धारा ७९ :

विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय १५।

प्रश्न

प्र० १. नकद उधार तथा अस्पष्ट निवेश सम्बन्धी प्रबन्धों का विवरण कीजिए।

उ० देखिये अनुच्छेद ५ तथा ६.

प्र० २. 'हानियों के प्रतिपादन तथा अग्रेनयन एवं प्रतिसादन' पर एक छोटा सा निबन्ध लिखिए।

उ० देखिये अनुच्छेद ७ से ११.

प्र० ३. पत्नि तथा नाबालिग बच्चों की आय कर दाता की आय में किन-किन अवस्थाओं में जोड़ी जाती है उसका वर्णन करो।

उ० देखो अनुच्छेद ३.

प्र० ४. 'हस्तान्तरण एवं अवस्थापन' पर एक छोटी-सी टिप्पणी लिखो।

उ० देखो अनुच्छेद २.

तीसरा भाग

विभिन्न कर-दाताओं का कर निर्धारण

[ASSESSMENT OF DIFFERENT ASSESSEES]

अध्याय १२.

व्यक्तियों का कर-निर्धारण

[ASSESSMENT OF INDIVIDUALS]

व्यक्तियों के कर निर्धारण सम्बन्धी मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :—

(१) सर्व प्रथम यह देखना चाहिए कि व्यक्ति किस प्रकार का निवासी है, क्योंकि निवास-स्थान के विचार से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तिओं के कर निर्धारण भिन्न भिन्न होते हैं।

(२) तत्पश्चात् यह मालूम करना चाहिए कि व्यक्ति अविभक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है या एक रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड फर्म का साझेदार है या किसी अन्य जन मंडल या कम्पनी का सदस्य है अथवा इनमें से सभी का या कुछ का मिश्रण है।

(३) गत अध्याय में बताए गए नियमों के अनुसार यदि उसके पति या उसकी पत्नि की या उसके किसी नाबालिग बच्चे की कोई आय है जो उसकी आयमें शामिल होनी चाहिए तो यह देखना जरूरी है कि वह आय उसकी कुल आय में जोड़ ली गई है।

(४) अन्त में अध्याय ५ से ११ में बताए गए तरीकों के अनुसार उसकी कुल आय तथा कुल विश्व आय (यदि व्यक्ति अनिवासी हो तो) मालम करनी चाहिए।

प्रश्न संख्या ३७ :

निम्न लिखित विवरण से सन् १९६२-६३ कर-निर्धारण वर्ष के लिए श्री सुरेश, श्रीमती सुरेश तथा उनके नाबालिग बच्चों के ट्रस्टियों का कर-दायित्व निर्धारित कीजिए :—

(१) श्री सुरेश की अपने निजी व्यापार से गतवर्ष में ४,५०,००० रु० की आय है।

(२) एक साझेदारी में श्री सुरेश तथा श्रीमती सुरेश दोनों बराबर के

हिस्सेदार हैं। सारी पूंजी श्री सुरेश द्वारा ही लगाई गई है। गतवर्ष में उस साझेदारी द्वारा कुल आय १,००,००० रु० है।

(३) श्री सुरेश ने एक प्रतिसंहार्य व्यवस्था-विलेख (revocable deed of settlement) लिखा है जिससे ४०,००० रु० लाभांशों द्वारा आय हुई है। इस व्यवस्था द्वारा सारी आमदनी श्रीमती सुरेश को जीवन भर मिलने के लिए है।

(४) श्री सुरेश ने एक और प्रतिसंहार्य व्यवस्था-विलेख लिखा है जिससे ३०,००० रु० लाभांशों द्वारा आय हुई है। इस व्यवस्था द्वारा सारी आमदनी श्री सुरेश के तीनों नाबालिग बच्चों के जीवन भर के लिए है।

उत्तर :—

श्री सुरेश का सन् १९६२-६३ के लिए कर-निर्धारण :—

(१) व्यापार के लाभ : स्वयं का व्यापार	४,५०,०००
रजिस्टर्ड फर्म से ½ हिस्सा	५०,०००
	५,००,००
(२) अन्य साधनों से आय :	
स्त्री के हिस्से की रजिस्टर्ड फर्म से आय	५०,०००
दोनों व्यवस्थाओं (settlements) से आय	७०,०००
कुल आय...........रु० ६,२०,०००	

श्रीमती सुरेश तथा तीनों नाबालिग बच्चों को कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

प्रश्न संख्या ३८ :

३१ मार्च १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री शरतचन्द्र की आय का विवरण निम्नलिखित है :—

(१) उसका वेतन १,००० रु० प्रति मास था। उसके यात्राभत्ते के बिल की कुल रकम २,००० रु० थी परन्तु उसका वास्तविक खर्चा केवल १,५०० रु० था।

(२) उसने एक वैधानिक प्रोविडेंट फंड में १०% चन्दा दिया तथा उसके मालिक ने १२% चन्दा दिया। फंड की संचित राशि पर साल भर में १,००० रु० ब्याज प्राप्त हुआ।

(३) वह जयपुर में स्थित दो मकानों का मालिक है। एक मकान २,००० रु० प्रति मास की दर से किराए पर दिया हुआ है; दूसरा रहनेका मकान (जिसका वार्षिक मूल्य १,००० रु० है) साल भर खाली रहा क्योंकि उसकी नागपुर में बदली हो गई। इस मकान से उसे अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दोनों मकानों पर ३०० रु० तथा १२० रु० क्रमशः स्थानीय कर लगता है।

(४) उसे कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से ५०० रु० का ब्याज तथा लाभांशों से ६०० रु० (सकल) की आय की हुई।

(५) वह अपने ६०,००० रु० के जीवन बीमा पर ४,००० प्रति वर्ष बीमा प्रीमियम देता है।

कर-निर्धारिण वर्ष १९६३-६३ के लिए उसकी कुल आय तथा कर-मुक्त आय निकालिये।

उत्तर :—

श्री शरत चन्द्र का सन् १९६२-६३ के लिए कर-निर्धारण :

		रु०
(१) वेतन—१,००० रु० प्रति मास की दर से		१२,०००
(२) कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज		५००
(३) जायदादकी आय—		
किराये पर दिये हुए मकान का वार्षिक किराया	२,४००	
बाद—स्थानीय कर	१५०	
वार्षिक मूल्य	२,२५०	
बाद—मरम्मत खर्च है	३७५	१,८७५
[दूसरा मकान धारा २३ (३) के अन्तर्गत मुक्त है।]		
(४) अन्य साधनों से आय		
लाभांश	६००	
अधिक यात्रा भत्ता	५००	१,१००
कुल आय ... रु०		१५,४७५

कर-मुक्त आय :

(१) स्वयं का प्रोविडेन्ट फंड में दिया हुआ चंदा	१,२००
(२) जीवन-बीमा का प्रीमियम (प्रोविडेन्ट फंड का चंदा तथा बीमा प्रीमियम कुल मिलाकर आय के ⅙ हिस्से से अधिक नही होना चाहिए)	२,६६६
(३) कर-मुक्त ब्याज	५००
कुल रु०	४,३६६

प्रश्न संख्या ३६ :

एक कर-दाता ने अपने गतवर्ष १-४-६१ से ३१-३-६२ के लिए निम्न-लिखित विवरण दिया है :—

(१) एक भारतीय औद्योगिक कम्पनी से ८ महिने की तनख्वाह २४,००० रु० ।

(२) उसी कम्पनी से चीन में की गई सेवाओं के उपलक्ष में ४ मास का वेतन—१६,००० रु०—(जिसे उसने चीन में ही प्राप्त किया) जिसमें से २,००० रु० प्रति मास उसने अपनी स्त्री को भेजे ।

(३) विदेशी कम्पनी से विदेश में ही प्राप्त लाभांश ४,००० रु० ।

(४) रजिस्टर्ड फर्म से अपने हिस्से की आय—१०,००० रु० ।

(५) अजमेर में किए गये तेल के धंधे से ६,००० रु० की गतवर्ष की हानि इस वर्ष लाई गई है तथा इस वर्ष उस व्यापार से २,००० रु० का लाभ हुआ है ।

उसकी कुल आय तथा कुल विश्व आय निकालिए यदि वह (i) पक्का निवासी है तथा (ii) अनिवासी है ।

उत्तर :—

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३		(i)	(ii)
		रु०	रु०
(१) वेतन :		२४,०००	२४,०००
(२) व्यापार के लाभ (१०,०००+२,०००) बाद, अजमेर के तेल व्यापार से हानि ६,०००		६,०००	६,०००
(३) विदेशी आय जिसे भारत में भेजा गया है :		८,०००	—
(३) विदेशी आय जिसे भारत में नहीं भेजा गया है : चीन में नौकरी करने का वेतन ८,०००			
विदेशी कम्पनी के लाभांश	४,०००		
	१२,०००	१२,०००	
कुल आय ''रु०		५०,०००	३०,०००
विदेशी आय			२०,०००
कुल विश्व आय रु०			५०,०००

प्रश्न संख्या ४० :

मिस्टर सुनील 'न्यू-इण्डिया पब्लिकेशन्स' नाम की एक रजिस्टर्ड फर्म में १-४-६१ से भागीदार हुआ। ५०,०००) की रकम उसने फर्म में जमा कराई। इतनी पूँजी को लगाने के लिए उसे २०,०००) का ऋण ६% वार्षिक ब्याज की दर से लेना पड़ा। गत वर्ष १९६१-६२ के लिये फर्म से उसको उसका आय का हिस्सा १८,०००) था। मिस्टर सुनील की कर-योग्य आय निकालिए।

उत्तर :—

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए मि० सुनील की कर-योग्य आय की संगणना :

	रु०
रजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त हिस्सा	१८,०००
घटाओ :—	
ऋण पूँजी पर ब्याज : २०,०००) पर ६% वार्षिक दर से	१,२००
कर-योग्य आय	१६,८००

प्रश्न संख्या ४१ :

एक यूनिवर्सिटी के प्रो० जोशी की आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

(i) उसकी नियुक्ति १ जुलाई १९६० को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई। वेतन की ग्रेड ५००-३०-८०० है। मँहगाई वेतन के १०% के बराबर है।

(ii) प्रोविडेन्ट फंड में उसका चन्दा ८% है तथा यूनिवर्सिटी का चन्दा १२% है।

(iii) यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर के रूप में उसे निम्न सुविधायें प्राप्त हुईं :— (१) १००) प्रति मास भत्ता ; (२) एक किराया-मुक्त मकान जिसकी म्यूनिसिपल वार्षिक संगणना ५४०) है ; (३) एक चपरासी जिसे यूनिवर्सिटी की तरफ से ६०) माहवार के मिलते हैं ; तथा (४) ४५) मासिक मोटरकार भत्ता।

(iv) परीक्षक के रूप में उसकी आय ११५०) हुई ; तथा पुस्तकों की रायल्टी से उसे ७५०) प्राप्त हुए।

(v) वर्ष भर में उसे ३००) का सकल लाभांश प्राप्त हुआ।

(vi) एक सुगम-वर्ग पहेली में उसे ६००) का पुरस्कार मिला।

(vii) अपनी पुरानी जायदाद को बेचने में उसे १०,०००) का लाभ हुआ।

(viii) अपने जीवन बीमा पॉलिसी पर उसने १,५००) का वार्षिक प्रीमियम दिया।

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिये इसकी कुल आय तथा कर-मुक्त आय की संगणना कीजिये।

उत्तर :—

प्रो० जोशी का सन् १९६२-६३ के लिए कर-निर्धारण :—

१. वेतन :—	रु०	
प्रथम चार मास का वेतन ५००) प्रतिमास से	२,०००	
अगले आठ „ „ ५३०) „	४,२४०	
मर्हँगाई भत्ता—वेतन का १०%	६२४	
प्रोक्टरशिप भत्ता—१००) मासिक की दर से	१,२००	
किराया-मुक्त मकान की कीमत	५४०	
मोटर-कार भत्ता	५४०	९,१४४

२. पूँजीगत लाभ :—जायदाद के बेचने से लाभ			१०,०००
३. अन्यसाधनों से आय :—परीक्षक के रूप में आय		१,१५०	
	रॉयल्टी से आय	७५०	
	लाभांश (सकल)	३००	२,२००
		कुल आय	२१,३४४

कर-मुक्त आय :—

१. स्वयं का प्रोविडेन्ट फंड में दिया गया चन्दा वेतन का ८%	४९९
२. जीवन बीमा प्रीमियम	१,५००
	१,९९९

नोट :—१. यद्यपि यूनिवर्सिटी का चन्दा उसके चन्दे से अधिक है तथापि वह आयकर इत्यादि से पूर्णतया मुक्त है क्योंकि प्रोविडेन्ट फंड वैधानिक प्रोविडेन्ट फण्ड है।

२. चपरासी का वेतन शासकीय आदेश के अनुसार कर-मुक्त है।

३. सुगम वर्ग पहेली की आय आकस्मिक आय है अतएव वह पूर्णतया कर-मुक्त है।

प्रश्न

प्र० १. राजस्थान के एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ० सतीश की आय का विवरण निम्नप्रकार है :

(१) वेतन ७५०) प्रतिमास तथा मकान किराया भत्ता १५०) प्रतिमास।

(२) एक अनरजिस्टर्ड फर्म से २५% हिस्सा (=६०००)।

(३) एक बगले की आय का ⅓ हिस्सा ; बगले की कुल कर योग्य आय ६,०००) वार्षिक है।

(४) लाभांश : (i) दिल्ली क्लोथ मिल्स लि० से ६,०००) ; तथा (ii) कृषि उत्पादन कं० लि० से ७,०००) [५०% आयकर योग्य है तथा ५०% आय कर-मुक्त है] ; लाभांश की रकम सकल है।

(५) उसकी तथा पत्नि के जीवन बीमा पॉलिसी की रकम २०,०००) है। वार्षिक प्रीमियम की रकम ३,०००) है।

(६) गत वर्ष में उसके निम्न विनियोग थे :—

(i) ५,०००) ५% कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ ; तथा

(ii) २,०००) पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जमा (५० रु० का ब्याज साल भर में जमा हुआ)।

उसकी पत्नि को अपने पिता से ५०,०००) विवाह के समय मिले। उस रकम को उसने उसी अनरजिस्टर्ड फर्म में जमा कराया जहाँ कि उसका पति भी भागीदार है। इस रकम के बदले में उसे फर्म के लाभ का ¼ हिस्सा मिला।

डॉ० सतीप की कुल आय तथा कर-मुक्त आय की सगणना कीजिये।
उ० : कुल आय—२७,५५०) ; कर-मुक्त आय—१४,२५०)।



जन हो चुका है तो वह इस परिवार के सभी सदस्यों से पृथक रूप से या संयुक्त रूप से परिवार पर लगनेवाले कर को वसूल कर सकता है। एक सदस्य का कर-दायित्व उसके परिवार से मिलने वाली सम्पत्ति के अनुपात में होगा।

प्रश्न संख्या ४२ :

निम्नलिखित उदाहरणों में बतलाइये कि अविभक्त हिन्दू परिवार को ६,०००) की अधिकतम कर-मुक्त सीमा का लाभ प्राप्त होगा या नहीं :—

(अ) मिताक्षरा न्याय-शास्त्र के अन्तर्गत एक हिन्दू परिवार है जिसमें एक पिता तथा दो बालिग पुत्र हैं।

(ब) मिताक्षरा न्याय-शास्त्र के अन्तर्गत एक हिन्दू परिवार में निम्न सदस्य हैं :—एक विधवा तथा उसके दो नाबालिग पुत्र।

(स) एक मिताक्षरा हिन्दू परिवार में केवल दो नाबालिग भाई हैं।

(द) एक दयाभाग परिवार में (बंगाली परिवार) में दो बालिग भाई हैं।

(य) एक दयाभाग परिवार में पिता तथा उसके दो बालिग पुत्र है।

(र) एक दयाभाग परिवार में एक विधवा तथा उसके चार छोटे नाबालिग पुत्र हैं।

उत्तर :—

(अ) हाँ, क्योंकि वह अनुच्छेद २ (क) की शर्तें पूरी करता है।

(ब) नहीं, क्योंकि वह अनुच्छेद २ की कोई भी शर्त पूरी नहीं करता।

(स) हाँ, क्योंकि वह अनुच्छेद २ (ख) की शर्त पूरी करता है।

(द) हाँ क्योंकि वह अनुच्छेद २ (क) की शर्तें पूरी करता है।

(य) नहीं, क्योंकि वह अनुच्छेद २ की कोई भी शर्त पूरी नहीं करता (दयाभाग न्याय-शास्त्र, जो कि बंगाल में लागू है, के अनुसार पिता के जीवन में पुत्र को उसकी तथा परिवार की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता)।

(र) नहीं, क्योंकि यह अनुच्छेद २ की कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है।

प्रश्न संख्या ४३ :

मेसर्स रामकुमार लख्खीप्रसाद एक अविभक्त हिन्दू परिवार है जिसके तीन वयस्क या बालिग सदस्य बँटवारे के हकदार हैं। गत वर्ष १९६१-६२ में उसकी

आय ६०,०००) है। कर-निर्धारण वर्ष १६६२-६३ के समय सदस्यों ने माँग यह की कि चूँकि उस परिवार का विभाजन (समान हिस्सों में) १-१२ १६६१ से हो गया है, कर-निर्धारण की कार्यवाही व्यक्तिगत सदस्यो पर ही होनी चाहिए। विभाजन की तिथि तक परिवार की कुल आय ६०,०००) थी। विभाजन के पश्चात् तीनों सदस्यों ने एक साझेदारी संस्था बनाई तथा उसके पंजीयन के लिए आयकर अफसर के पास ठीक समय में आवेदन कर दिया। आयकर अफसर ने ठीक जाँच-पड़ताल के पश्चात् परिवार का विभाजन स्वीकार कर लिया तथा साझेदारी फर्म को पंजीकृत कर दिया। उक्त हिन्दू परिवार की तथा उसके सदस्यों की कुल आय की सगणना कीजिए।

उत्तर :—

३०-११-६१ तक की आय की सगणना हिन्दू परिवार के कर-निर्धारण में होगी। उक्त हिन्दू परिवार के तीनों सदस्य सयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से परिवार पर लगनेवाले कर के लिए जिम्मेदार हैं। १-१२-१६६१ से ३१-३-६२ तक की आय अर्थात् ३०,०००) पर रजिस्टर्ड फर्म को आयकर देना पड़ेगा। प्रत्येक सदस्य को १०,०००) पर अपने व्यक्तिगत कर-निर्धारण में कर देना पडेगा। फर्म द्वारा दिये गए कर पर सदस्यों को आयकर की औसत दर से छूट मिलेगी।

प्रश्न

प्र० १. अविभक्त हिन्दू परिवार के विभाजन के पश्चात् कर-निर्धारण पद्धति पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखिए।

उ० देखिए अनुच्छेद ३।

प्र० २. संयुक्त हिन्दू परिवार के लिये ६,०००) की कर-मुक्त सीमा कब लागू होती है।

उ० देखिए अनुच्छेद २।

साझेदारी फर्म तथा अन्य जन-मंडल का कर-निर्धारण
[ASSESSMENT OF FIRMS & OTHER ASSOCIATION OF PERSONS]

१. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत साझेदारी फर्म दो प्रकार के होते हैं :—(अ) रजिस्टर्ड या पंजीकृत फर्म, तथा (ब) अनरजिस्टर्ड या अपंजीकृत फर्म। दोनों का आयकर दायित्व एक दूसरे से बिलकुल भिन्न है। रजिस्टर्ड फर्म उस फर्म को कहते हैं जो कि आयकर अफसर द्वारा धारा १८५ के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया हो। अनरजिस्टर्ड फर्म वह है जो कि आयकर अफसर द्वारा पंजीकृत नहीं है। भारतीय साझेदारी अधिनियम १९३२ [Indian Partnership Act 1932] के अन्तर्गत पंजीकृत करवाई गई फर्म तथा *आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करवाई गई फर्म एक ही नहीं है।* आयकर अनियम के अन्तर्गत फर्म को पंजीकृत कराने की विधि भिन्न है, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है।

२ फर्म का पंजीयन (Registration of Firms) :

आसानी के लिए फर्म के पंजीकरण विषय का विवेचन निम्न तीन शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :—

(i) पंजीयन कराने की विधि ;

(ii) निवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात् की कार्यवाही ;

(iii) पंजीयन का रद्द करना।

(i) पंजीयन कराने की विधि (Application For Registration)—धारा १८४ :

(१) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत फर्म को पंजीकृत कराने के लिए किसी भी फर्म के द्वारा आवेदन किया जा सकता है यदि—

(अ) साझेदारी एक लिखित सलेख (*Instrument*) के अन्तर्गत है ; तथा

(ब) साझेदारी सलेख में प्रत्येक साझेदार का हिस्सा स्पष्ट रूप से दिया गया है।

(२) इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र उस आयकर अफसर के सम्मुख होना चाहिए जिसके क्षेत्र में वह फर्म कर देती हो या उसे देना पड़ता हो। फर्म के जीवन में या उसकी समाप्ति के पश्चात् आवेदन पत्र भरा जा सकता है। आवेदन पत्र में नाबालिग साझेदार को छोड़ कर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि किसी भागीदार की मृत्यु हो गई हो तो उसका वैधानिक प्रतिनिधि हस्ताक्षर कर सकता है। यदि कोई भागीदार भारत के बाहर है अथवा पागल है तो उसके लिए उसका प्रतिनिधि भी हस्ताक्षर कर सकता है।

(३) जिस कर-निर्धारण वर्ष के लिए पंजीयन कराना हो उसके गत वर्ष के अन्त तक आवेदन पत्र आयकर अफसर के पास पहुँच जाना चाहिए। किन्हीं विशेष परिस्थियों में यदि देरी हो जाय तो आयकर अफसर उसे क्षमा कर सकता है।

(४) ऐसे आवेदन-पत्र के साथ भागिता सलेख की असली प्रति तथा एक नक्ल नत्थी करना चाहिए।

(५) आवेदन-पत्र आयकर नियम १९६२ के नियम २२ में वर्णित ढंग से निर्दिष्ट फार्म पर भर कर भेजना चाहिए तथा उसमें सभी निर्दिष्ट विवरण होने चाहिए।

(६) जहाँ एक बार फर्म को पंजीकृत कर लिया जाता है तो उसे पुनः पंजीयन के लिए आवेदन नहीं करना पड़ता है यदि वह फर्म निम्न शर्तें पूरी करता हो :—

(अ) फर्म के सगठन मे तथा विभाजन विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ; तथा

(ब) आयकर नियम १९६२ के नियम २४ में वर्णित तरीके के अनुसार फर्म अपने आय के प्रपत्र (Return of Income) के साथ एक घोषणा (फॉर्म न० १२ के अनुसार) निर्दिष्ट तरीके के अनुसार भरकर देवे।

यदि किसी गतवर्ष में फर्म के संगठन में कोई परिवर्तन हो गया हो तो फर्म को पुनः पंजीयन के लिए आवेदन पत्र भरना पड़ेगा। १९६२-६३ कर-निर्धारण वर्ष से पंजीयन को पुनः (Renewal) कराने की विधि समाप्त कर दी गई है।

(ii) आवेदन-पत्र प्राप्ति के पश्चात् की कार्यवाही (Procedure on receipt of Application)—धारा १८५ :

(१) फर्म को पंजीयन कराने के लिए आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर आय-कर अफसर उस फर्म की सचाई (Genuineness) तथा उसके संगठन के बारे में जाँच-पड़ताल करेगा तथा—

(अ) यदि वह संतुष्ट हो गया कि गतवर्ष में साझेदारी सलेख में वर्णित संगठन के अनुसार एक सच्ची फर्म थी, तो वह एक लिखित आदेश के अनुसार उस फर्म को पंजीकृत कर देगा; तथा

(ब) यदि वह इस बात से संतुष्ट नहीं है तो एक लिखित आदेश के अनुसार उस फर्म को पंजीकृत करने से इन्कार कर देगा।

(२) यदि आवेदन-पत्र के भरने में कोई त्रुटि हो तो आयकर अफसर उसे रद्द नहीं करेगा बल्कि फर्म को उसे सुधारने की एक सूचना देगा। ऐसी सूचना मिलने के १ मास के अन्तर्गत आवेदन-पत्र की भूलों को सुधार लेना चाहिए।

(३) यदि उपरोक्त समय में फर्म उन भूलों का सुधार नहीं करेगी तो आयकर अफसर ऐसे आवेदन-पत्र को नामजूर कर सकता है।

(४) भागेदारी संलेख में फर्म के पंजीकृत होनेका एक सार्टिफिकेट आय-कर अफसर प्रति कर-निर्धारण वर्ष में लिख देगा।

(५) यदि कर-निर्धारण धारा १४४ के अन्तर्गत हुआ है तो आयकर अफसर उस फर्म को उस वर्ष के लिए पंजीकृत करने से इन्कार कर सकता है।

(iii) पंजीयन का रद्द करना (Cancellation of Registration)—धारा १८६ :

(१) एक रजिस्टर्ड फर्म के बारे में यदि कोई आयकर अफसर यह धारणा करे कि वह फर्म सच्ची फर्म नहीं है तो वह इंस्पेक्टिंग असिसटेंट कमिश्नर की अग्रिम अनुमति लेकर उस फर्म के पंजीयन को रद्द कर सकता है। किसी कर-निर्धारण वर्ष के ८ वर्ष बाद किसी भी दशा में कोई पंजीयन रद्द नहीं हो सकता।

(२) धारा १४४ में वर्णित किसी भी भूल के होने पर आयकर अफसर उस फर्म को १४ दिन का नोटिस देकर उसका पंजीयत रद्द कर सकता है।

(३) यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए किसी फर्म का पंजीयन रद्द हो जाय तो आयकर अफसर उस फर्म के तथा उसके भागीदारों के कर-निर्धारण को इस तरह से सुधार देगा जैसे कि वह फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म हो। धारा १५४ के अन्तर्गत ऐसे सुधार के लिए ४ वर्ष की अवधि पंजीयन के रद्द करने की तारीख से की जायगी।

३. फर्म की आय से भागीदार के हिस्से की संगणना की विधि (Method of Computing a partner's share in the income of firm)—धारा ६७ :

(१) भागीदार की कुल आय मालूम करने के लिए एक साझेदारी फर्म में उसके हिस्से की रकम को निम्न ढंग से निकाला जायगा :—

(अ) यदि गत वर्ष में किसी भागीदार को ब्याज, वेतन, कमीशन या मेहनताना मिला हो तो वह फर्म की कुल आय में से बाद किया जायगा तथा बाकी रकम भागीदारों में बाट दी जायगी ;

(ब) उपरोक्त रीति से आवन्टन (Allocation) के फलस्वरूप यदि वह रकम लाभ हुई तो उसमें भागीदार को मिलनेवाले ब्याज, वेतन आदि की रकम जोड़ी जायगी तथा जो रकम आयगी वह भागीदार का उस फर्म की आय का हिस्सा गिना जायगा ;

(स) यदि उपरोक्त रीति (उप अनुच्छेद (अ) के अन्तर्गत) से वह रकम नुकसान हुई तो भागीदार को मिलनेवाले ब्याज, वेतन आदि से उसका समायोजन हो जायगा तथा जो रकम आयेगी वह भागीदार का उस फर्म की आय का हिस्सा गिना जायगा।

(२) आय के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत होनेवाली फर्म की आय को भागीदारों के हिस्सों के लिए विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत ही बाँटी जायगी।

(३) यदि किसी भागीदार ने फर्म में पैसा लगाने के हेतु कोई ऋण लिया है तो वह उसके हिस्से में से बाद दे दिया जायगा [देखिए प्रश्न संख्या ४०]।

४. रजिस्टर्ड फर्म—धारा १८२ :

(अ) आयकर :—१-४-१९५६ के पहले एक रजिस्टर्ड फर्म को अपनी कुल आय पर किसी भी प्रकार का आयकर नहीं देना पड़ता था। प्रत्येक भागीदार की कुल आय में ऐसी फर्म के लाभ का हिस्सा सम्मिलित होकर उस पर कर लगाया जाता था। परन्तु १-४-१९५६ से रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय पर (४०,००० रु० से अधिक होने पर) कर लगाया गया। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए रजिस्टर्ड फर्म पर आयकर लगाने की अधिकतम कर-मुक्त सीमा को ४०,०००) से घटाकर २५,०००) कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे फर्मों पर आयकर लगाने के लिए भागीदारों की सख्या के हिसाब से अन्तर किया गया है। यदि किसी रजिस्टर्ड फर्म में ५ या उससे अधिक भागीदार हैं तो उसे अन्य फर्म की अपेक्षा (जिसमें की चार या उससे कम भागीदार है) ज्यादा आयकर देना पड़ेगा। वित्त अधिनियम (न० २) १९६२ के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म पर लगनेवाली आयकर की दरों का उल्लेख नीचे किया जाता है :—

कुल आय का विवरण	जहाँ फर्म में चार या उससे कम भागीदार हैं।	जहाँ फर्म में पाँच या उससे अधिक भागीदार हैं।
(१) प्रथम २५,००० रु० पर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(२) अगले १५,००० रु० पर	५%	७%
(३) ,, २०,००० रु० पर	६%	८%
(४) ,, ४०,००० रु० पर	७%	९%
(५) ,, ५०,००० रु० पर	८%	१०%
(६) शेष रकम पर	१०%	१२%

इसके अलावा भागीदारों को अपने हिस्सों पर पहले की जैसे आयकर देना पड़ेगा। फर्म द्वारा दिये गये आयकर पर उन्हें आयकर की औसत दर से छूट मिलेगी।

(ब) अतिरिक्त कर :—एक रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय पर अतिरिक्त कर नहीं लगता है। फर्म के प्रत्येक भागीदार की आय में फर्म के लाभ का हिस्सा जोड़ा जाता है तथा इस प्रकार भागीदार को अपनी कुल आय पर अतिरिक्त कर देना पड़ता है।

(स) हानियों का प्रतिसादन एवं अग्रेनयन—धाराएँ ७० से ७५ ॥ -फर्म के नुकसान का उसकी अन्य आय से प्रतिसादन होता है। शेष नुकसान की रकम का आवन्टन या विभाजन भागीदारों में उनके हिस्से के अनुपात में हो जाता है। प्रत्येक भागीदार फर्म से अपने हिस्से के नुकसान की पूर्ति अपनी अन्य आय से उसी वर्ष में कर सकता है। यदि नुकसान की बाकी रकम रह जाय तो वह आगामी आठ वर्षों तक उसे आगे ले जाकर अपने किसी अन्य व्यापार के लाभ से प्रतिसादित कर सकता है। रजिस्टर्ड फर्म को अपने नुकसानों को आगे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है।

(द) फर्म के अनिवासी भागीदार पर कर का निर्धारण उस पर लागू होनेवाली दरों के हिसाब से फर्म पर ही किया जायगा तथा ऐसे कर का भुगतान फर्म द्वारा होगा।

(ई) एक रजिस्टर्ड फर्म अपने भागीदार के ऊपर लगनेवाले कर के भुगतान के लिए उसके हिस्से का ३०% भाग उस समय तक रोक सकती है जब तक कि भागीदार द्वारा कर का भुगतान नहीं हो जाय। यदि किसी भागीदार द्वारा कर का भुगतान न हो सके वह फर्म से वसूल किया जा सकता है।

५. अनरजिस्टर्ड फर्म—धारा १८३ :

(अ) आयकर :—ऐसी फर्म पर एक अविवाहित व्यक्ति की भाँति ही उसकी कुल आय की रकम पर कर लगाया जाता है। यदि इसकी कुल आय कर-योग्य न्यूनतम सीमा से कम है तो इस पर कोई आयकर नहीं लगता। यदि फर्म पर कर लग गया हो तो भागीदारों की अन्य आय में फर्म से उनका हिस्सा केवल कर की दर निश्चित करने के लिए ही जोड़ा जाता है। यदि फर्म की कुल आय कर-योग्य सीमा से कम है तो भागीदारों को अपनी अन्य आय के साथ साथ अथवा फर्म के लाभ के अपने हिस्से पर भी कर देना पड़ेगा।

(ब) अतिरिक्त कर : ऐसे सार्थ पर व्यक्ति की ही भाँति अतिरिक्त-कर लगता है और यदि फर्म पर अतिरिक्त कर लग गया हो तो फर्म के लाभ से अपने हिस्सों पर भागीदारों को अतिरिक्त-कर

नहीं देना पड़ता। ऐसी आय उनकी अन्य आय में केवल अतिरिक्त कर की दर निश्चित करने के लिए जोड़ी जाती है।

(स) घाटेका प्रतिसादन तथा उसका आगे ले जाना : अपंजीयित सार्थ प्रथम तो अपने व्यापारिक घाटे का प्रतिसादन उसी वर्ष में अपनी अन्य आय में से कर सकता है और शेष रहे घाटे को आगामी ८ वर्षों तक व्यापारिक हानि के रूप में आगे ले जा सकता है। किन्तु कोई भी भागी सार्थ में अपने हिस्से की हानि का प्रतिसादन अपनी अन्य आय से नहीं कर सकता।

(द) अपंजीयित सार्थ को पंजीयित सार्थ माना जाना (Unregistered firm assessed as registered firm) : धारा १८३ (बी)—इनकम-टैक्स अफसर को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह यह समझे कि एक अपञ्जीयित सार्थ को पंजीयित मानने से अधिक आयकर और अतिरिक्त कर मिलेगा तो वह इसके वस्तुतः पंजीयित न होने पर भी इसे पंजीयित सार्थ मान लेगा। ऐसी परिस्थिति में कर-निर्धारण के समय 'पंजीयित अथवा रजिस्टर्ड फर्म' के लिए लागू होनेवाले सभी नियम तथा सिद्धान्त ऐसी पंजीयित मानी गए फ़ार्म के कर-निर्धारण में भी लागू होंगे।

६. संगठन में परिवर्तन, उत्तराधिकार एवं विघटन [Changes in Constitution, Succession & Dissolution) —धाराएँ १८७ से १८६ :

(१) फर्म के संगठन में परिवर्तन—धारा १८७ :

धारा १४३ या १४४ के अन्तर्गत कर-निर्धारण करते समय यदि इस बात का ज्ञान हो जाय कि फर्म के संगठन में परिवर्तन हुआ है तो उस फर्म पर कर-निर्धारण किया जायगा जो कि उस समय संगठित है। कर लगाने के लिये फर्म की आय का विभाजन केवल उन्हीं भागीदारों में किया जायगा जो कि गत वर्ष में उस आय को प्राप्त करने के लिये हकदार थे। यदि किसी कारण से किसी भागीदार से कर वसूल नहीं किया जा सके तो वह फर्म से वसूल किया जा सकता है।

(२) एक फर्म का दूसरे से उत्तराधिकार —धारा १८८ :

धारा १७० (देखिये अध्याय १७) में वर्णित ढग से पहले वाली तथा नई फर्म पर अलग-अलग कर-निर्धारण होंगे यदि एक व्यापारी फर्म का उत्तराधिकार दूसरे फर्म द्वारा हो गया है।

(३) फर्म का विघटन अथवा बंद हो जाना —धारा १८९ :

यदि कोई फर्म बंद हो जाय तो आयकर अफसर उस पर कर-निर्धारण की कार्यवाही इस प्रकार करेगा जैसे वह बन्द नहीं हुई हो तथा वह उस फर्म पर कर तथा दड उसी प्रकार से लगा सकेगा जैसे कि वह चालू हो। ऐसी फर्म के बंद होने के समय वे सब व्यक्ति जो फर्म के भागीदार थे, सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से फर्म पर लगनेवाले कर के लिए उत्तरदायी हैं। यदि फर्म पर कर-निर्धारण हो चुका हो तथा केवल कर-वसूली बाकी हो तो भी कर-भुगतान का उत्तरदायित्व उन्हीं का है।

प्रश्नसंख्या ४४ :

अ, ब तथा स एक फर्म में क्रमशः २ : २ : १ हिस्सों में भागी हैं। ३१-१२-६१ को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि का विवरण पत्र निम्नलिखित है :—

	रु०		रु०
मिश्रित व्यापारिक खर्च	५०,०००	सकल लाभ	१,४५,०००
पूँजी पर ब्याज :		लाभांश (सकल)	५,०००
श्री अ ३,०००			
श्री ब २,०००			
श्री स १,०००			
	६,०००		
ब का वेतन	६,०००		
स को कमीशन	३,०००		
पक्का लाभ	८५,०००		
	१,५०,०००		१,५०,०००

फर्म की कुल आय की गणना कीजिए तथा उसके भागीदारों में उसका आवन्टन (Allocation) कीजिए।

उत्तर :—

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३

फर्म के कुल आय की संगणना :

१. व्यापारिक लाभ :		रु०
लाभ-हानि खाते के अनुसार पक्का लाभ		८५,०००
जोड़ो पूँजी पर ब्याज	६,०००	
भागी का वेतन	६,०००	
भागी का कमीशन	३,०००	
		१५,०००
		१,००,०००
बाद लाभांश, जो व्यापारिक लाभ नहीं है		५,०००
व्यापारिक लाभ		९५,०००
२. लाभांश (सकल)		५,०००
फर्म की कुल आय रु०		१,००,०००

भागीदारों में फर्म की आय का आवन्टन

भागी	हिस्सा	पूँजी पर ब्याज	वेतन	कमीशन	शेष आय में हिस्सा	कुल आय
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
अ	३/५	३,०००			३४,०००	३७,०००
ब	२/५	२,०००	६,०००		३४,०००	४२,०००
स	१/५	१,०००		३,०००	१७,०००	२१,०००
कुल	—	६,०००	६,०००	३,०००	८५,०००	१,००,०००

धारा ८६ (iv) के अन्तर्गत निम्न आय आय-कर से मुक्त है :—

सार्थ की कुल आय १,००,००० रु० पर कर =४,७५० रु०

∴ आयकर घटा कर सार्थ की कुल आय =१,००,००० रु०–४,७५० रु०
=९५,२५० रु०

प्रत्येक भागी के हाथ में निम्न भाग कर-मुक्त है :—

नाम	लाभ में हिस्सा	सार्थ की कुल आय में हिस्सा रु०	सार्थ की कुल आय में से आयकर निकालने के बादकी बची हुई रकम रु०	सार्थ के लाभ का वह भाग जो भागीदारीके हाथ में कर-मुक्त है रु०
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
अ	२	३७,०००	३५,१००	१,६००
ब	२	४२,०००	४०,१००	१,६००
स	१	२१,०००	२०,०५०	९५०
कुल :		१,००,०००	९५,२५०	४,७५०

प्रश्न संख्या ४९ :

एक फर्म के तीन भागीदार क, ख तथा ग हैं, जिनका हिस्सा क्रमशः ४ : ३ : १ है। १९६१ कैलेंडर वर्ष के लिए उसको निम्नलिखित रकमें घटाने के पश्चात १६,००० रु० का पक्का नुकसान हुआ है :—

		रु०
पूँजी पर ब्याज	क	३,०००
	ख	२,०००
	ग	१,०००
वेतन	ग	२,०००

क की अन्य साधनों से आय ५,००० रु० है जबकि ख तथा ग की और कोई आय नहीं है।

कर-निर्धारण कीजिए (i) जब फर्म पंजीयित है तथा (ii) जब वह अपंजीयित है।

उत्तर :—

भागीदारों की पूँजी पर दिए गए ब्याज तथा भागी के वेतन को १६,००० रु० में से घटाने के पश्चात् सार्थ का वास्तविक नुकसान ८,००० रु० है तथा तीनों भागीदारों का क्रमशः हिस्सा निम्न प्रकार होगा :—

भागी	हिस्सा	पूँजी पर ब्याज रु०	वेतन रु०	सार्थ के घाटे में हिस्सा रु०		कुल रु०
क	३/६	३,०००	—	८,०००	हानि	५,०००
ख	२/६	२,०००	—	६,०००	हानि	४,०००
ग	१/६	१,०००	२,०००	२,०००	लाभ	१,०००
कुल		६,०००	२,०००	१६,०००		८,०००

(i) जब फर्म पंजीयित है :

'क' सार्थ से अपने हिस्से के नुकसान (५,००० रु०) का प्रतिसादन अपनी अन्य आय ५,००० रु० से कर सकता है। इस प्रकार उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

'ख' सार्थ से अपने हिस्से के नुकसान (४,००० रु०) को आगे ८ वर्षों तक व्यापारिक लाभों से प्रतिसादन करने के लिए ले जा सकता है।

'ग' की आय केवल १,००० रु० है, इसलिए उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

(ii) जब फर्म अपंजीयित है :

सार्थ अपने नुकसान (८,००० रु०) को अपनी भविष्य की आमदनी से प्रतिसादन करने के लिए अगले ८ वर्षों तक आगे ले जा सकता है।

'क' सार्थ के अपने हिस्से के नुकसान का प्रतिसादन अपनी अन्य आय से नहीं कर सकता। उसे अपनी आय ५,००० रु० पर कर देना पड़ेगा।

'ख' सार्थ के नुकसान को आगे नहीं ले जा सकता।

'ग' को कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

प्रश्न संख्या ४६ :

अ तथा ब एक पजीयित फर्म में बराबर हिस्से वाले भागी हैं। गत वर्ष १९६१-६२ में फर्म का नफा-नुकसान खाता निम्न प्रकार है :—

		रु०		रु०
वेतन तथा बोनस		७,०००	सकल लाभ	६५,०००
अन्य व्यापारिक खर्च		१०,०००	अन्य आय	५,०००
बिक्री कर		५,०००		
किराया		३,०००		
घिसाई निधि		२,०००		
डूबत ऋण की रकम		१,०००		
डूबत ऋण-निधि		२,०००		
विज्ञापन खर्च		३,०००		
चंदा तथा धर्मादा		१,०००		
मोटरकार की बिक्री पर हानि		३,०००		
पूंजी पर ब्याज	अ	३,०००		
	ब	३,०००		
भागीदारों का वेतन	अ	२,०००		
	ब	२,०००		
कमीशन		१,०००		
पक्का लाभ		२२,०००		
		७०,०००		७०,०००

(१) मिश्रित व्यापारिक खर्च में सरकारी जुर्माने के दंड की २००) की रकम शामिल है।

(२) विज्ञापन खर्च में १,००० रु० पूंजीगत खर्च की रकम है।

(३) चंदे तथा धर्मादे में निम्न रकम शामिल है :—
 (अ) २०० रु० एक व्यापारिक संघ का चन्दा ;
 (ब) ६०० रु० शर्णार्थियोंके लिए टीन का छप्पर ; तथा
 (स) २०० रु० एक स्कूल को दान।

(४) मोटर कार पूर्णतया उसके निजी कार्य में आती है।

(५) घिसाई की मिलने वाली रकम १,००० रु० है।

अ—प्रतिभूतियों का ब्याज (सकल)—५,००० रु० ; जायदाद की आय—१,००० रु० ; लाभांश (सकल)—३,००० रु० ; विदेशी आय जो भारत में नहीं लाई गई है—३,००० रु०

ब—प्रतिभूतियों का ब्याज (सकल)—७,००० रु० ; लाभांश (सकल)—१,००० रु० ; जायदाद की आय—३,००० रु० ; भारत में लाई गई विदेशी आय—१,००० रु०

यह मान कर कि अ तथा ब भारत के पक्के निवासी हैं, उनकी कुल आय की संगणना कीजिए।

उत्तर :—

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३

	रु०	रु०
लाभ-हानि खाते के अनुसार पक्का लाभ		२२,०००
जोड़ो-१. घिसाई निधि	२,०००	
२. डूबत ऋण निधि	२,०००	
३. पूँजी पर ब्याज	६,०००	
४. भागी का वेतन	४,०००	
५. भागी को कमीशन	१,०००	
६. कानूनी दंड	२००	
७. पूंजीगत विज्ञापन खर्चा	१,०००	
८. चन्दा तथा धर्मादा	८००	
९. मोटरकार के बेचने का नुकसान	३,०००	
		२०,०००
		४२,०००
बाद-घिसाई		१,०००
फर्म की कुल आय		४१,०००

फर्म का आयकर दायित्व :

पहले २५,००० रु० पर कुछ नहीं
आगे १५,००० रु० पर ५ प्रतिशत से ७५० रु०
आगे १,००० रु० पर ६ प्रतिशत से ६० रु० = ८१० रु०
प्रत्येक भागीदार को ४०५ रु० पर आयकर से छूट मिलेगी।

फर्म की कुल आय का भागीदारों में आवन्टन :

	अ	ब
	रु०	रु०
पूंजी पर ब्याज	३,०००	३,०००
वेतन	२,०००	२,०००
कमीशन	—	१,०००
शेष आय	१५,०००	१५,०००
	२०,०००	२१,०००

अ तथा ब का सन् १९६२-६३ के लिए कर-निर्धारण :

	अ	ब
	रु०	रु०
१. प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)	५,०००	७,०००
२. जायदाद की आय	१,०००	३,०००
३. व्यापारिक लाभ	२०,०००	२१,०००
४. लाभांश (सकल)	३,०००	१,०००
भारत में लाई गई विदेशी आय	—	१,०००
भारत में नहीं लाई गई विदेशी आय	३,०००	—
कुल आय	३२,०००	३३,०००

प्रश्न संख्या ४७ :

एक व्यापारिक फर्म में अ, ब तथा स तीन भागीदार थे जिनके हिस्से क्रमशः २ : २ : १ थे। आठ महिने के पश्चात् स ने फर्म को छोड़ दिया तथा उसकी जगह प को फर्म में ले लिया गया तथा फिर से उनके हिस्सों को क्रमशः ६ : ५ : ५ रखा गया।

गत वर्ष १९६० से १९६१ के लिए उनका लाभ ४८,००० रु० था। लाभ निकालने में निम्न खर्चे भी बाद किए गए हैं :—

(१) ४,००० रु० श्री अ को ब्याज

(२) ६,००० रु० श्री ब को वेतन

(३) ३,००० रु० श्री स को दुकान किराया

(४) १,५०० रु० श्री प को कमीशन

(५) २,००० रु० धर्मादा (धारा ८८ के अन्तर्गत)

फर्म २०,००० रु० घिसाई भत्ता लेने की हकदार है।

फर्म की कुल आय निकालिए तथा उसका भागीदारोंमें आवन्टन कीजिए।

उत्तर :—

		रु०
लाभ-हानि खाते के अनुसार लाभ		४८,०००
जोड़ो—१. अ को दिया हुआ ब्याज	४,०००	
२. ब को दिया हुआ वेतन	६,०००	
३. प को दिया हुआ कमीशन	१,५००	
४. धर्मादा	२,०००	
		१३,५००
		६१,५००
बाद—घिसाई		३०,०००
	कुल आय रु०	३१,५००

धारा ६७ के अन्तर्गत फर्म की आय का भागीदारों में आवन्टन

	अ	ब	स	प
	रु०	रु०	रु०	रु०
ब्याज	४,०००	—	—	—
वेतन	—	६,०००	—	—
कमीशन	—	—	—	१,५००
शेष आय (८ महिने तक)	६,६६७	३,३३४	३,३३३	—
शेष आय (४ महिने तक)	२,५००	२,०८३	—	२,०८३
कुल	१३,१६७	११,४१७	३,३३३	३,५८३

धारा ८८ के अन्तर्गत धार्मिक सस्थाओंको दिया हुआ कर-मुक्त चन्दा

	अ	ब	स	प
	रु०	रु०	रु०	रु०
८ महिने तक (१,३३३)	६६७	३३३	३३३	—
४ महिने तक (६६७)	२५०	२०८	—	२०९
कुल	९१७	५४१	३३३	२०९

७. अन्य जनमंडल (Other Association of Persons) :

अन्य जन मंडल पर आयकर तथा अतिरिक्त कर ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे कि एक अविवाहित व्यक्ति पर। अन्य जन-मडल की कुल आय में प्रत्येक सदस्य के हिस्से को इसी प्रकार माना जाता है जैसे कि वह अपजीकृत सार्थ अर्थात् अनरजिस्टर्ड फर्म से हिस्सा हो। इसके विघटन पर वही नियम लागू होते हैं जो कि एक फर्म के विघटन या बद होने पर।

प्रश्न

प्र० १. फर्म को पंजीकृत कराने की विधि का विवेचन कीजिये। किन-किन दशाओं में पजीयन रद्द हो सकता है?

उ० देखिये अनुच्छेद २.

प्र० २. आयकर अधिनियम १९६१ के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म तथा अन-रजिस्टर्ड फर्म के कर-निर्धारण पद्धति के अन्तर पर प्रकाश डालिए।

उ० देखिये अनुच्छेद ४ तथा ५.

प्र० ३. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :—
(i) फर्म के सगठन में परिवर्तन ;
(ii) फर्म का विघटन या बद होना ;
(iii) अन्य जन-मडल का कर-निर्धारण।

उ० देखिए-(i) अनुच्छेद ६ (१) ;
(ii) ,, ६ (३) ;
(iii) ,, ७।



अध्याय १५.

कंपनियों का कर-निर्धारण

[ASSESSMENT OF COMPANIES]

१. कंपनी का कर-निर्धारण अन्य कर दाताओं से बहुत भिन्न होता है। कंपनी की कुल आय पर (वह चाहे जितनी कम रकम क्यों न हो) एक सामान्य दर (Flat rate) से आयकर तथा अतिरिक्त कर लगता है जो कि प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित होती है। कंपनी पर लगनेवाले आयकर तथा अतिरिक्त कर पर कोई सर चार्ज नहीं लगता। साधारणतया अधिकांश कम्पनियों को २५% आयकर तथा २५% अतिरिक्त कर देना पड़ता है। कम्पनी द्वारा दिये गए अतिरिक्त कर को 'निगम कर' [Corporation tax] भी कहते हैं। कंपनी पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों के बारे में विस्तृत विवरण पुस्तक के परिशिष्ट 'क' में किया गया है। कम्पनी के कर-निर्धारण सम्बन्धी अन्य विशेषताओं का वर्णन नीचे किया जाता है।

२. परिभाषाएँ :— (अ) कंपनी —धारा २ (१७) :

"कम्पनी" का अर्थ है—

(i) कोई भारतीय कंपनी या प्रमंडल, अथवा

(ii) कोई ऐसी संस्था (चाहे वह निगमित हो या नहीं तथा चाहे वह भारतीय हो या नहीं) जो कि भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ के अन्तर्गत १९४७-४८ के लिए कंपनी के रूप में निर्धारित की गई थी या करने योग्य थी या जो बोर्ड द्वारा कंपनी घोषित की गई है।

(ब) वह कंपनी जिसमें जनता का प्रचुर हित (Substantially interested) है—धारा २ (१८) :

'एक कंपनी जिसमें जनता का प्रचुर हित है' तब कही जाती है जबकि—

(अ) वह सरकारी कम्पनी है अथवा इसके ४०% शेयर सरकार के पास है, अथवा

(ब) कम्पनी अधिनियम १९५६ के अनुसार एक निजी कम्पनी नहीं है तथा (i) उसके साधारण अंश अथवा शेयर, जिसमें कम से कम ५०% मतदान की शक्ति है, सालभर तक सरकार अथवा सरकारी कानून के अन्तर्गत स्थापित किसी निगम अथवा जनता के पास रहे हों ; (ii) उपरोक्त शेयरों में सालभर में किसी भी समय किसी भी स्वीकृत स्टॉक एक्सचेंज में कोई लेन-देन हुआ हो अथवा जनता द्वारा वे बिना किसी रुकावट के हस्तांतरित किये जा सकते हों ; तथा (iii) कम्पनी के कार्य का अथवा ५०% से अधिक मतदान शक्ति वाले शेयरों का अधिकार सालभर में किसी भी समय ५ या कम व्यक्तियों के हाथ में नहीं रहा हो।

(स) भारतीय कम्पनी—धारा २ (२६) :

भारतीय कम्पनी वह है जो कि कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत बनी हो तथा पंजीकृत हो। इसमें निम्न प्रकार की कम्पनियाँ भी शामिल होती हैं :—

(i) भारत के किसी भी हिस्से में (जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर) लागू होने वाले कानून के अन्तर्गत बनी हुई तथा पंजीकृत कोई भी कम्पनी ;

(ii) जम्मू तथा काश्मीर में लागू किसी कानून के अन्तर्गत बनी हुई कोई कम्पनी। सभी दशाओं में कम्पनी का पंजीकृत दफ्तर भारत में स्थित होना चाहिए।

३. अतिरिक्त मनोरंजन भत्ते का बाद न दिया जाना—धारा ३७ (२) :

जैसा कि अध्याय ८ के अनुच्छेद ३ (६) में वर्णित किया जा चुका है, एक कम्पनी को अन्य कर दाताओं के समान सारा मनोरंजन खर्चा बाद नहीं मिलता है। एक कम्पनी के लिए मनोरंजन खर्चे की अधिकतम सीमा, वित्त *अधिनियम (न॰ २) १९६२ के संशोधन के अनुसार ६०,०००) कर दी गई है।*

४. अनुचित या अधिक खर्चे का बाद न दिया जाना—धारा ४० (स) :

अध्याय ८ के अनुच्छेद ४ (८) में वर्णित कथन के अनुसार एक कम्पनी के किसी संचालक या किसी अन्य मुख्य व्यक्ति पर किया गया खर्चा बाद

नहीं दिया जाता यदि वह आयकर अफसर की राय में अनुचित है या अधिक है।

५. किन्हीं विशेष कम्पनियों के नुकसान का प्रतिसादन तथा अग्रेनयन—धारा ७६ :

साधारणतया, जैसा कि अध्याय ६ में बताया गया है, एक कम्पनी को अपने अप्रतिसादित नुकसानों को भविष्य में ८ वर्ष तक आगे ले जाकर अपने लाभों से प्रतिसादित करने का अधिकार है। किन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कुछ कम्पनियों को अपने नुकसान को आगे ले जानेका कोई अधिकार नहीं है, यदि वे कुछ निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं करतीं हो। इस प्रकार, जब किसी कम्पनी के अंशधारियों में कोई परिवर्तन हो (उस कम्पनी को जिसमें जनता का प्रचुर हित हो, छोड़ कर) तो उसका नुकसान प्रतिसादन के लिए नहीं ले जाया जा सकता, जब तक कि वह निम्न शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं करती हो :—

(अ) गत वर्ष के अन्तिम दिन कम से कम ५१% मतदान की शक्ति वाले शेयर उन व्यक्तियों के पास थे जिनके कि पास कम से कम ५१% मतदान की शक्ति वाले शेयर उस वर्ष में भी थे जिसमें कि नुकसान हुआ था ; अथवा

(ब) आयकर अफसर को यह विश्वास हो जाय कि अंशधारियों में परिवर्तन कर-दायित्व को कम करने अथवा उसे हटाने के ध्येय से नहीं किया गया था।

६. पुण्यार्थ दान—धारा ८८ तथा १०० :

अन्य कर-दाताओं की भाँति कम्पनी को पुण्यार्थ दान की रकम पर आयकर तथा अतिरिक्त कर अर्थात् दोनों कर से छूट न मिलकर केवल आयकर से ही छूट मिलती है। [विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय ४ अनुच्छेद १०]

७. अवयाप्त लाभों पर अतिरिक्त अतिकर (Additional super-tax on undistributed profits)—धाराएँ १०४ से १०६ :

एक व्यक्ति को एक कम्पनी की अपेक्षा अधिक आयकर तथा अतिरिक्त कर देना पड़ता है यदि उसकी आमदनी एक विशेष सीमा से अधिक हो। जैसे एक व्यक्ति की उच्चतम कर की दरें १ लाख रुपये के ऊपर व्यापार की आय के लिए ७६% से अधिक तथा अनर्जित आय (Unearned Income) के लिए ८७% है

जबकि कंम्पनी को साधारणतया आयकर (२५%) तथा अतिरिक्त कर (२५%) दोनों मिलाकर कुल ५०% कर देना पड़ता है। इसलिए यदि एक कम्पनी में कुछ ही हिस्सेदारों का नियंत्रण हो तो वे कम्पनी के लाभांशों का वितरण नही करके अपने कर के दायित्व को बहुत कम देते हैं। इसलिए ये उपबन्ध बनाए गए हैं जिसके अन्तर्गत आय के एक विशेष अलिखित प्रतिशत तक लाभांशों को घोषित न करने पर एक दांडिक अथवा अतिरिक्त-अधिकर (Additional super-tax) देना पड़ता है। ये नियम पुराने आयकर अधि नियम की धारा २३ ए से काफी मिलते-जुलते हैं। इनका विवरण नीचे किया जाता है :—

(i) यह अनुबन्ध उन कम्पनियों को जिसमें १००% जनता का प्रचुर हित है अथवा ऐसी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों को नहीं लागू होता है ;

(ii) जहाँ आयकर अफसर को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी कंपनी जिसपर यह उपबन्ध लागू होता है, के गतवर्ष के अन्त से १२ महिने तक के वितरित लाभांशों की राशि उसकी वितरण योग्य आय [Distributable Income] के वैधानिक प्रतिशत (Statutory Percentage) से कम है तो वह एक लिखित आदेश जारी करेगा कि ऐसी कंपनी अपनी कुल आय पर लगनेवाले आय-कर तथा अतिरिक्त कर के अलावा एक और अतिरिक्त अधिकर देगी जिसकी गणना निम्न प्रकार से होगी :—

'वितरण-योग्य आय' में से निम्न रकम घटा कर :—

(i) वास्तविक वितरण किए हुए लाभांश ; तथा

(ii) कोई भी व्यापारिक खर्चा जो वास्तव में हुआ है किन्तु आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उसकी कटौती नहीं मिल सकी है, जैसे, (अ) कर्मचारी का बोनस या ग्रेच्यूटी ; (ब) कानूनी खर्च, (स) धारा ४० (सी) में वर्णित कोई खर्च, अथवा (द) कोई अन्य व्यापारिक खर्च जिससे किसी परिसम्पत के मूल्य में वृद्धि नहीं होती हो ;

जो रकम शेष बचती है उस पर नियोजन (Investment) कंपनियों को ५०% तथा अन्य कंपनियों को ३७% अतिरिक्त अधिकर देना पड़ता है—[धारा १०४ (१)]।

(iii) आयकर अफसर अपने इन्सपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर की पूर्व अनुमति बिना ऐसा आदेश जारी नही कर सकता तथा इन्सपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर भी ऐसी कंपनी को सुनाई एक उचित मौका दिए बिना अनुमति नही दे सकता—धारा १०७।

(iv) आयकर अफसर ऐसा आदेश नहीं जारी करेगा यदि उसे विश्वास है कि—

(अ) पिछले वर्षों में नुकसान के कारण अथवा गत वर्ष में कम नफे के कारण वितरित लाभांश से अधिक वितरण अनुचित होता ; अथवा

(ब) अधिक लाभांश के वितरण से सरकारी आय में कोई लाभ नही होता ; अथवा

(स) पूरे गत वर्ष में उसकी पूँजी का ७५% भाग भारत में स्थित ऐसी पुण्यार्थ संस्था के पास था जिसकी आय धारा ११ के अन्तर्गत कर-मुक्त है।—[धारा १०४ (२)]।

(v) निम्न दशाओं मे ऐसा आदेश जारी नही किया जायगा :—

(अ) जहाँ कि एक विनियोग कंपनी ने अपनी वितरण—योग्य आय का कम से कम ८०% भाग वितरित किया है, अथवा

(ब) जहाँ किसी अन्य कंपनी के लिए उसका वितरण उसके वैधिनिक प्रतिशत से 'वितरण-योग्य आय' के १०% से अधिक कम नहीं है, अथवा

(स) जहाँ कंपनी ने अपने आय के प्रपत्र के अनुसार अपनी वितरण-योग्य आय का वैधानिक प्रतिशत वितरण किया है तथा धारा १४३ या १४४ के अन्तर्गत कर-निर्धारण से इसकी कुल आय की संगणना अधिक की गई है, यदि ऐसी निर्धारित अधिक आय कंपनी पर धारा १४५ (१) या (२) या धारा १४४ के लागू करने से अथवा कंपनी द्वारा अपनी आय के छुपाने के कारण नहीं है ; अथवा

(द) जहाँ कंपनी का धारा १४७ (बी) के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण हुआ है तथा वितरित लाभांश की रकम पुनः कर-निर्धारण के अनुसार वैधानिक प्रतिशत से कम निकलती है। जहाँ कंपनी को

आयकर अफसर से ऐसी सूचना मिले की वह धारा १०४ में आदेश देने वाला है तो कंपनी को तीन महिने में वैधिनिक प्रतिशत तक और लाभांश वितरण करने चाहिये। ऐसा करने पर उपरोक्त उपबन्ध उस कंपनी पर नही लागू होगा—धारा १०५।

(vi) धारा १०४ में वर्णित आदेश उपरोक्त गतवर्ष से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के चार वर्ष के पश्चात् अथवा उस वित्तीय वर्ष के १ वर्ष के पश्चात् जिसमें कि उस गत वर्ष का कर-निर्धारण हुआ है, जो भी विधिवाद में हो, नहीं जारी किया जा सकता—धारा १०६।

(vii) कुछ परिभाषाएँ—धारा १०६ : (१) वितरण योग्य आय :—

नीचे लिखी हुई रकमों को कुल आय में से घटाने के बाद बची हुई आय ही, 'वितरण-योग्य आय' मानी जाती है :—

(१) कंपनी की कुल आय पर लगने वाला आयकर तथा अतिरिक्त कर (इस उपबन्ध के अन्तर्गत लगनेवाले अतिरिक्त कर के अलावा);

(२) किसी कानून के अन्तर्गत सरकार अथवा स्थानीय संस्था द्वारा लगाया हुआ कोई कर जो कि कंपनी की कुल आय निकालने में बाद नहीं दिया गया है ;

(३) कोई अन्य राशि जिसकी कटौती धारा ८८ के अन्तर्गत मिलती है ;

(४) "पूँजीगत लाभ" शीर्षक के अन्तर्गत होनेवाले नुकसान ;

(५) उस विदेश में होनेवाली आय वहाँ के नियमों के अनुसार भारत में पैसा नहीं लाया जा सकता (जिस वर्ष मे ऐसा प्रतिबन्ध हटाया जायगा उसी वर्ष में ऐसी घटाई हुई रकम को वितरण योग्य आय का अंश समझ लिया जायगा),

(६) किसी बैंकिंग कपनी के लिए बैंकिंग अधिनियम १९४९ की धारा १७ के अन्तर्गत रिजर्व फण्ड में वास्तविक जमा राशि।

(२) विनियोग कंपनी :—वह वह कंपनी है जिसका व्यापार मुख्यतया विनियोगों में धधा करना अथवा विनियोगों को रखना है।

(३) वैधानिक प्रतिशत :—इससे तात्पर्य है—

(i) विनियोग कपनी के लिए ९०%

(ii) खदान, उत्पादन तथा बिजली उत्पादन इत्यादि कार्यवाली कंपनी के लिए ४५%

(iii) किसी ऐसी भारतीय कपनी, जिसका व्यापार आंशिक रूप में उपरोक्त खंड में वर्णित कार्य जैसा है—

(अ) ऐसे आशिक कार्य के लिये ४५%

(ब) कंपनी के शेष व्यापार के लिए—

(१) यदि वह नीचे लिखे खड (iv) (अ) की शर्तें पूरी करती है ९०%

(२) अन्य अवस्थाओं में ६०%

(iv) किसी ऐसी कम्पनी के बारे में जिसका उल्लेख ऊपर नहीं हुआ है :

(अ) जहाँ कपनी के पहले के नफों में से सचित नफे या रिजर्व निम्न राशियो में से किसी एक से अधिक हैं—

(i) कपनी की प्रदत्त पूँजी तथा ऋणधारियों की ऋण पूँजी, अथवा

(ii) कपनी के स्थायी परिसम्पत का मूल्य, जो भी अधिक हो ; के लिए ९०%

(ब) जहाँ उपरोक्त उप खड (अ) लागू नहीं होता है ६०%

प्रश्न सख्या ४८ :

सुभाष ब्रदर्स प्रा० लि० एक ऐसी कम्पनी है जिस पर धारा १०४ का उपबन्ध लागू होता है। गत वर्ष १९६१ में उसने १,००,००० का नफा किया। कर-निर्धारण के समय आयकर अफसर ने धारा १४५ लगाकर उसकी कुल आय की सगणना १,२५,००० रु० पर की। गत वर्ष के लिए कम्पनी ने १३,७५० के लाभांश वितरित किए। उसने धारा ८८ के अन्तर्गत एक पुण्यार्थ संस्था को २,५०० रु० दान के दिये हैं। इसके अलावा उसने अपने जनरल मैनेजर को ३०,००० रु० का बोनस दिया जिसमें से १६,२५० रु० की रकम आयकर अफसर ने बाद नहो दी। धारा १०४ के अन्तर्गत लगनेवाले अतिरिक्त अधिकर की सगणना कीजिए यदि वह (i) विनियोग कपनी है ; (ii) भारतीय उत्पादन कपनी है ; तथा (iii) भारतीय व्यापारी कम्पनी है।

उत्तर :—

कम्पनी की वितरण-योग्य आय :—			रु०
घटाओ :	कर-निर्धारित	कुल आय	१,२५,०००
(१) आयकर	२५% दर से	३१,२५०	
(२) अतिरिक्त-कर	२५% दर से	३१,२५०	
(३) पुण्यार्थ दान		२,५००	६५,०००
			६०,०००

तीनों दशाओं में वैधानिक प्रतिशति की राशि हुई :—

(i) विनियोग कम्पनी के लिए ९०%×६०,००० =५४,०००

(ii) भारतीय उत्पादन कम्पनी के लिए ४५%×६०,००० =२७,०००

(iii) भारतीय व्यापारी कम्पनी के लिए ६०%×६०,००० =३६,०००

तीनों दशाओं में कम्पनी द्वारा वितरित लाभांश की रकम अर्थात् १३,७५०) वैधानिक प्रतिशत से कम है। इसलिए कंपनी को अपनी वितरण-योग्य आय में से निम्न राशियों के घटाने के बाद बची हुई आय पर अतिरिक्त अधिकर देना होगा, जिसकी सगणना इस प्रकार है :—

वितरण योग्य आय		६०,०००
घटाओ :		
(i) बोनस	१६,२५०	
(ii) वितरित लाभांश	१३,२५०	३०,०००
शेष आय जिस पर अतिरिक्त अधिकर लगेगा		३०,०००

अतिरिक्त अधिकर :

(i) विनियोग	कम्पनी	५०%×३०,०००	=१५,०००
(ii) भारतीय	उत्पादन कम्पनी	३७%×३०,०००	=११,०००
(iii) भारतीय	व्यापारी कम्पनी	३७%×३०,०००	=११,०००

८. पूँजीगत लाभ पर कर—धारा ११५ :

अन्य कर-दाताओं तथा कम्पनी में पूँजीगत लाभ पर कर लगाने की विधि में बहुत अन्तर है। एक कम्पनी को पूँजीगत लाभ पर निम्न प्रकार से कर देना पड़ेगा :—

(अ) कुल आय पर लगनेवाले आयकर की ही दर से आयकर अर्थात् २५% ; तथा

(ब) लम्बी अवधिवाले परिसम्पत से होनेवाले पूंजीगत लाभ पर ५% अतिरिक्त कर।

शेष आय पर कंपनी को अपनी साधारण दर से आयकर तथा अतिरिक्त कर देना पड़ेगा।

प्रश्न संख्या ४६ :

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए एक कम्पनी की कुल आय १,१०,०००) है जिसमें दीर्घकालीन परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ की १०,०००) की रकम भी सम्मिलित है। कम्पनी पर लगनेवाले आयकर तथा अतिरिक्त कर की संगणना कीजिए।

उत्तर :—

			रु०
पूँजीगत लाभ के अलावा कुल आय पर (१,००,००० रु०)			
	आयकर	२५%	२५,०००
	अतिरिक्त कर	२५%	२५,०००
			५०,०००
दीर्घकालीन परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ पर (१०,००० रु०) :			
	आयकर	२५%	२,५००
	अतिरिक्त कर	५%	५००
		कुल कर	५३,०००

६. परिसमापन में कंपनी (Company in liquidation)

—धारा १७८ :

परिसमापन में होनेवाली कंपनियों के लिए विशेष उपबन्धों का वर्णन नीचे किया जाता है :—

(१) ऐसी कम्पनी के प्रत्येक परिसमापक को अपनी नियुक्ति के ३० तीन के अन्तर्गत ऐसी नियुक्ति की सूचना आयकर अफसर को देना चाहिए।

(२) ऐसी सूचना मिलने के तीन मास के भीतर ही आयकर अफसर इस परिसमापक के पास कम्पनी द्वारा देयकर सम्बन्धी सूचना भेज देगा।

(३) आयकर अफसर की सूचना आने पर परिसमापक उतनी राशि एक तरफ रख देगा तथा उतनी रकम तथा कम्पनी के सुरक्षित लेनदारों को देनेवाली रकम तक की रकम का वितरण नहीं करेगा।

(४) यदि उपरोक्त अनुबन्ध की अवज्ञा कर परिसमापक कुछ भी कार्य करेगा तो वह निजी रूप से जिम्मेदार रहेगा। परिसमापकों का उत्तरदायित्व सामूहिक तथा पृथक रहेगा।

(५) इस धारा के अनुबन्धों का प्रभाव अन्य किसी अधिनियम में इसके विपरीत लेखा होने पर भी रहेगा।

१०. परिसमापन में निजी कंपनी के संचालकों का उत्तरदायित्व (Liability of directors of private company in liquidation)—धारा १७६ :

जब कोई निजी कम्पनी १-४ ६२ के पश्चात् परिसमापन में आती है तथा उसके द्वारा देय कर की वसूली आयकर अफसर द्वारा नहीं हो सकती है तो ऐसी कम्पनी के गत वर्ष में रहनेवाले तमाम सचालकों का ऐसे कर भुगतान के लिए पृथक तथा सामूहिक उत्तरदायित्व है। यदि कोई सचालक यह साबित कर सकेगा कि कर-वसूली नहीं होने का कारण वह नहीं है तो उसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

११. पहले से कर लगे हुए नफे में से दिए गये लाभांश पर कंपनी को सहायता—धारा २३६ :

विस्तृत विवरण के लिए देखिए पृष्ठ संख्या ५१।

१२. उन अंशधारियों के बारे में सूचना देना जिन्हें कि लाभांश दिए गए हैं—धारा २८६ :

प्रत्येक वर्ष की १५ जून या इसके पहले कम्पनी के मुख्य अफसर (Principal officer), द्वारा अपने आयकर अफसर को निम्न प्रकार के अंशधारियों के बारे में फार्म न० ५१ [आयकर नियम १९६२ के नियम ११७ के अनुसार] में वर्णित सूचना देनी पड़ती है :—

(१) यदि अंशधारी कम्पनी है तो एक रुपये से अधिक लाभांश प्राप्त करने वाली सभी कम्पनियों के बारे में; तथा

(२) यदि अंशधारी कोई अन्य व्यक्ति है तो ५,०००) से अधिक लाभांश प्राप्त करने वाले सभी अंशधारियों के बारे में।

प्रश्नसंख्या ५० :

मंडल शक्कर कम्पनी लिमिटेड के निम्न विवरण से उसकी कुल आय की संगणना कीजिए तथा बताइये की उसे कितना आयकर तथा निगम कर देना पड़ेगा :—

३० जून १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष का लाभ-हानि खाता

	रु०		रु०
शुरू का माल	५२,४००	शक्कर तथा सीरे की	
ईख की खरीद	४,६६,२००	बिक्री	१०,५८,४००
उत्पादन खर्च	२,५६,३००	शेष माल	७६,१००
तनख्वाह तथा वेतन	२५,२००		
स्टोर्स के माल की खपत	४६,६००		
साधारण खर्चें	८,५००		
कमीशन तथा दलाली	३६,४००		
ऋण पर ब्याज	६,०००		
संचालकों की फीस	५,५००		
ऑडिट फीस	७००		
कर	४,३००		
डूबत खाते तथा रिजर्व	२६,६००		
घिसाई	६४,८००		
शेष (नीचे ले लाया गया)	१,२६,०००		
	११,३४,५००		११,३४,५००

मैनेजिंग डायरेक्टरका मेहनताना			
नफे के १०% के बराबर	१२,६००	शेष (ऊपर से लाया गया)	१,२६,०००
रिजर्व	७५,०००	गत वर्ष की बाकी	८,२००
लाभाशों के लिए प्रबन्ध	३०,०००		
शेष (आगे ले जाया गया)	१६,६००		
	१,३४,२००		१,३४,२००

(i) लेनदार द्वारा १०,०००) की छोड़ी हुई एक रकम तथा ३०,०००) के सट्टे के नफे की रकम को एक रिजर्व खाते में जमा कर दिया गया है।

(ii) एक अस्वीकृत प्रोविडेन्ट फंड में (जिसमें उसके द्वारा कर योग्य भुगतानों पर निर्गम स्थान पर कर की कटौती की व्यवस्था नहीं है) कम्पनी ने २,०००) की रकम जमा की है।

(iii) साधारण खर्च में निम्न रकमें शामिल हैं :—(अ) एक अस्पताल को ५००) दान; (ब) शङ्कर व्यापारिक संघ का वार्षिक चन्दा १,०००); (स) कम्पनी को ऋण दिलाने वाले एक दलाल को दिया गया कमीशन १,६००)।

(iv) कमीशन तथा दलाली में १०,००० की रकम गुप्त कमीशन के बारे में है। कम्पनी कमीशन के प्राप्त कर्ताओं के नाम बताने में असमर्थ है।

(v) कर की रकम बिक्री कर के बारे में है।

(vi) डूबत खाते की रकम १४,८००) है।

(vii) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली घिसाई की रकम ५५,०००) है।

उत्तर :—

सन् १९६२-६३ के लिए कम्पनी का कर-निर्धारण

	रु०	रु०
नफे नुकसान खाते के अनुसार नफा		१,२६,०००
जोड़ो-(१) लेनदार द्वारा छोड़ी गई रकम—धारा ४१ (अ) के अन्तर्गत	१०,०००	
(२) सट्टे के लाभ	३०,०००	
(३) अस्वीकृत प्रोविडेन्ट फंड में चन्दा	२,०००	
(४) ऋण दिलाने के लिए दिया गया कमीशन	१,६००	
(५) अस्पताल को दिया गया दान	५००	
(६) गुप्त कमीशन	१०,०००	
(७) घिसाई	६४,८००	
(८) डूबत खाते का रिजर्व २९,६००-१४,८००)	१४,८००	१,३३,७००
		२,५९,७००

घटाओ :—

(९) कानून के अन्तर्गत मिलनेवाली घिसाई	५५,०००	
(१०) मेनेजिंग डायरेक्टर का मेहनताना	१२,६००	६७,६००
कुल आय ····		१,९२,१००

कर की संगणना :—	रु०
आयकर २५%	४८,०२५
अतिरिक्त कर २५%	४८,०२५
	९६,०५०
छूट :—पुण्यार्थदान पर केवल आयकर से छूट : ५००×२५%	१२५
नेट कर :	९५,९२५

प्रश्न :—

प्र० १. टिप्पणी लिखो : -(अ) वितरित लाभांशों के बारे में सूचना देना ;
(ब) कम्पनी ;
(स) वह कम्पनी जिसमें जनता का प्रचुर हित है।

उ० देखो (अ) अनुच्छेद १२ ; (ब) अनुच्छेद २ ; (स) अनुच्छेद २।

प्र० २. कम्पनी पर लगने वाले अतिरिक्त अधिकर पर एक छोटा-सा निबन्ध लिखो।

उ० देखो अनुच्छेद ७.

प्र० ३. परिसमापन में निजी कम्पनी के संचालकों के कर-दायित्व की विवेचना कीजिए।

उ० देखो अनुच्छेद १०.

प्र० ४. परिसमापन में कम्पनी पर छोटी सी टिप्पणी लिखो।

उ० देखो अनुच्छेद ८.

अध्याय १६

अनिवासियों का कर-निर्धारण

(ASSESSMENT OF NON-RESIDENTS)

१. परिभाषा-धारा २ (३०) :

एक 'अनिवासी' वह व्यक्ति है जो धारा ६ के अन्तर्गत निवासी नहीं है। धाराएँ ६२, ६३, ११३ तथा १६८ के लिए एक कच्चा निवासी भी अनिवासी माना जाता है जिसका विस्तृत विवेचन अनुच्छेद ४ में नीचे किया गया है।

२. कर का भार—धारा ५ (२) :

अनिवासी पर भारत में प्राप्त या अर्जित आय पर ही कर लगता है। उसकी कुल विश्व आय की सगणना तो केवल कर की औसत दर निकालने के लिए ही की जाती है।

३. अनिवासी पर लगने वाले कर की संगणना—धारा ११३ :

(१) एक अनिवासी (जोकि कम्पनी नहीं है) की कुल आय पर निम्न कर लगता है :—

(अ) अधिकतम दर से आयकर अर्थात् २५% आयकर तथा २०% सरचार्ज ; तथा

(ब) १६% अतिरिक्त कर अथवा वह अतिरिक्त कर जोकि एक निवासी की उतनी आय पर लगता हो, जो भी अधिक हो।

(२) एक अनिवासी भारतीय नागरिक (जो भारत के बाहर की गई सेवाओं के उपलक्ष में सरकार से वेतन पाता है) की कुल आय पर उसकी कुल विश्व आय की औसत दर के हिसाब से (कर-निर्धारण वर्ष १६६०-६१ से) कर देना पड़ता है।

(३) एक अनिवासी (जो कम्पनी नहीं है) को एक चुनाव (option) दिया जाता कि वह उप-खड (१) में लिखे तरीके से आयकर तथा अतिरिक्त कर देवे अथवा अपनी कुल विश्व आय पर लागू होनेवाली दरों से अपनी आय पर आयकर तथा अतिरिक्त कर देवे। उसके

प्रथम कर-निर्धारण के समय उसे ऐसा चुनाव करना पड़ता है जोकि अन्तिम (Final) होता है। ऐसा चुनाव होने पर उप खंड (४) में वर्णित ढंग से उसे कर देना पड़ता है।

(४) जहाँ उपरोक्त खड में वर्णित ढंग से किसी अनिवासी ने यह चुनाव किया है कि वह अपनी कुल विश्व आय पर लगने वाली दरों से कर देगा तो वह अपनी कुल आय पर इस प्रकार आयकर तथा अतिरिक्त कर देगा जैसे वह कुल आय किसी निवासी की कुल आय है अथवा कुल विश्व आय पर लगने वाले कर की औसत दर से अपनी कुल आय पर कर देगा। दोनों तरीकों में से जिस तरीके से भी अधिक कर आता हो, उसी तरीके से उसे कर देना पड़ेगा।

(५) यदि कोई अनिवासी प्रथम कर-निर्धारण के समय अपना चुनाव करने में असमर्थ हो और वह बाद में चुनाव करना चाहे तो यदि आयकर अफसर इस बात से सतुष्ट हो जाय कि वह पर्याप्त कारणों से पहले ऐसा नहीं कर सका था तथा उसके ऐसा नहीं करने से उसे अपने कर-दायित्व में कोई बचत नहीं हुई, तो वह अपने इन्सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर की पूर्वानुमति से उस व्यक्ति को ऐसे चुनाव की घोषणा करने की अनुमति दे सकता है। यह घोषणा उस वर्ष के लिए जिसमें कि वह की गई है तथा उस समय रहे बाकी कर-निर्धारण तथा भविष्य के कर निर्धारणो के लिए लागू रहेगी।

४. कच्चे निवासी का अनिवासी समझा जाना—धाराएँ ६२, ६३, ११३ तथा १६८ :

निम्न धाराओं के लिए एक कच्चे निवासी को अनिवासी समझा जाता है तथा उस पर कर इत्यादि की संगणना इसी प्रकार होती है जैसे कि वह अनिवासी हो :—

(अ) अनिवासियों के साथ लेन देन से लाभ—धारा ६२ :

आयकर अफसर को एक निवासी तथा अनिवासी के बीच व्यापारिक लेन-देन से प्रतीत हो कि निवासी को कुछ भी नफा नहीं होता हो अथवा उचित से कम नफा होता हो तो वह निवासी के उचित नफे का प्राक्कलन करेगा तथा उस निवासी की कुल आय में उसे जोड़ देगा।

(ब) अनिवासियों को आय के हस्तान्तरण करके से कर बचाना—धारा ६३ :

किन्ही दशाओं में यदि एक व्यक्ति द्वारा किसी अनिवासी को कुछ आय के हस्तान्तरण करने से आयकर की अनुचित बचत होती है तो आयकर अफसर प्रथम व्यक्ति को उस आय का हकदार मानेगा तथा उसी पर करारोपण करेगा।

(स) अनिवासियों के कर की संगणना—धारा ११३ :

इस सम्बन्ध में धारा ११३ के अनुबन्धों का उल्लेख अनुच्छेद ३ में विस्तृत रूप से किया जा चुका है।

(द) निष्पादक (Executor)—धारा १६८ :

इस धारा के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के निष्पादक की निवास-स्थान के हिसाब से वही हैसियत होगी जो कि गत वर्ष में मृत व्यक्ति की थी।

५. अनिवासी का अभिकर्त्ता (Agent)—धाराएँ १६० तथा १६३ :

अनिवासी की कुल आय पर उसके स्वयं पर या उसके अभिकर्त्ता पर कर-निर्धारण हो सकता है। इसलिए एक अनिवासी के अभिकर्त्ता सम्बन्धी निम्न अनुबन्धों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है।

(१) प्रतिनिधि अभिकर्त्ता—धारा ९ (१) (i) में वर्णित आय के लिए अनिवासी के प्रतिनिधि अभिकर्त्ता से तात्पर्य अनिवासी के अभिकर्त्ता से तथा धारा १६३ में मनोनीत अभिकर्त्ता से है—धारा १६० (१) (ii)।

(२) धारा ९ (१) (i) में निम्नलिखित आय भारत में उपार्जित या होनेवाली मानी गई है—

"भारत में व्यापारिक सम्बन्ध से अथवा भारत की किसी जायदाद से अथवा भारत में स्थित किसी परिसम्पत अथवा आय के साधन से अथवा भारत में लाये ऋण पर दी गई रकम का ब्याज अथवा भारत में स्थित किसी पूँजीगत परिसम्पत के हस्तान्तरण करने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में होनेवाली आय।"

किसी अनिवासी के लिए विदेश में निर्यात करने के लिए खरीदे हुए माल को खरीदने के सम्बन्ध में होनेवाली आय को भारतीय आय नहीं गिना जायगा यदि अनिवासी के पास उक्त कार्य के लिए कोई दफ्तर या अभिकरण (Agency) नहीं है तथा माल पर कोई उत्पादन प्रक्रिया नहीं हुई है।

(३) किस व्यक्ति को अभिकर्त्ता माना जा सकता है ?—धारा १६३ :

भारत के निम्न व्यक्तियो में से किसी को भी अनिवासी का अभिकर्ता माना जा सकता है :—

(अ) वह व्यक्ति जोकि अनिवासी द्वारा या उसके लिये नौकरी पर रखा गया है ; अथवा

(ब) वह व्यक्ति जिसका अनिवासी के साथ कोई व्यापारिक सम्बन्ध है ; अथवा

(स) वह व्यक्ति जिससे या जिसके द्वारा अनिवासी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई आय मिलती है ; अथवा

(द) वह व्यक्ति जो अनिवासी का ट्रस्टी है ; तथा वह अन्य कोई व्यक्ति (चाहे वह निवासी हो या अनिवासी हो) जिसने हस्तान्तरण द्वारा *भारत में कोई स्थायी परिसम्पत प्राप्त की है।*

किसी व्यक्ति को एक अनिवासी के अभिकर्त्ता गिनने के पहले उसे आय-कर अफसर द्वारा सुनवाई का मौका दिया जायगा।

६. आकस्मिक पोत परिवहन व्यापार से अनिवासियों के लाभ (Profits of non-residents from occasional shipping business)—धारा १७२ :

(१) भारत के किसी भी बन्दरगाह से रवाना होने वाले जहाज द्वारा व्यक्तियो, सामान अथवा जानवर आदि के ले जाये जाने से मिलने वाली रकम का ⅙ हिस्सा भारत में पैदा होने वाली आय समझा जाता है।

(२) ये अनुबन्ध तभी लागू होंगे जब कि ऐसे अनिवासी का कोई अभिकर्ता नहीं है।

(३) भारत से रवाना होने से पहले अथवा रवाना होने के तीस दिन के *अन्तर्गत* जहाज का मास्टर किराये—भाड़े की पूरी सूची या प्रपत्र तैयार करके आयकर अफसर को दे देगा।

(४) ऐसी सूची या प्रपत्र मिलने *पर आयकर अफसर उस पर उन दरों से* कर लगायेगा जोकि उस कम्पनी पर जिसने कि धारा १९४ में वर्णित व्यवस्थाएँ नहीं की है, लागू होती हैं ; ऐसा कर मास्टर द्वारा देय होगा।

(५) यदि जहाज का मालिक चाहे तो वह कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पहले यह प्रार्थना कर सकता है कि उसका कर-निर्धारण उसकी गत वर्ष की कुल आय पर ही हो। ऐसी दशा में पहले दिया गया कर नियमित कर-निर्धारण के लिए अग्रिम समझा जायगा।

(६) जबतक उपरोक्त कर का भुगतान नहीं हो जाता या भुगतान सम्बन्धी संतोषजनक इन्तजाम नहीं हो जाता, जहाज को बन्दरगाह छोड़ने का प्रमाण-पत्र नहीं मिल सकता।

७. अनिवासियों से कर वसूली—धारा १७३ :

आयकर अधिनियम १९६१ के अध्याय १७ में वर्णित अनुबन्धों द्वारा कर की कटौती से तथा भारत में आनेवाली अनिवासी की कोई परिसम्पत से कर वसूली हो सक्ती है।

८. रजिस्टर्ड फर्म से एक अनिवासी का हिस्सा—धारा १८२ (३) :

अनिवासी के हिस्से पर उस पर व्यक्तिगत रूप से लागू होनेवाली दरों के हिसाब से कर लगाया जायगा तथा वह कर फर्म द्वारा देय होगा।

प्रश्न संख्या ५१ :

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए श्री मक्खनलाल कच्चा निवासी है। उसने कुल विश्व आय पर लगने वाली दरों से करारोपण के लिए अपना मत घोषित नहीं किया है। उसकी कुल आय १६,०००) है। कर की संगणना कीजिए।

उत्तर :—

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए श्री मक्खनलाल को धारा ११३ के अन्तर्गत एक अनिवासी के जैसे कर देना पड़ेगा। उसे निम्न कर देना होगा :—

	रु०
आयकर—२५% की दर से	४,०००
दोनों प्रकार का सरचार्ज आयकर पर २०% की दरसे	८००
अतिरिक्त कर १९% की दर से	३,०४०
कुल कर :	७,८४०

प्रश्न संख्या ५२ :

श्री लक्ष्मीनारायण अनिवासी है। उसे गत वर्ष में ५०,०००) की आय भारत से तथा १०,०००) का नुकसान विदेश से हुआ। उसने कुल विश्व आय की दर के हिसाब से करारोपण के लिए अपना मत घोषित कर दिया है। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उसे किस प्रकार कर देना पड़ेगा?

उत्तर :—

धारा ११३ (४) के अन्तर्गत कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए श्री लक्ष्मीनारायण को ५०,००० (भारतीय आय) पर ४०,००० रु० की कुल विश्व आय (=५०,००० रु०—१०,०००) पर अथवा ५०,००० रु० (भारतीय आय) जो भी अधिक हो, अर्थात् ५०,००० रु० पर लगने वाली दरों से आय-कर तथा अतिरिक्त कर देना होगा।

प्रश्न

प्र० १. 'अनिवासी पर कर की संगणना' पर एक छोटी-सी टिप्पणी लिखो।

उ० देखो अनुच्छेद ३।

प्र० २. अनिवासी का अभिकर्ता कौन माना जाता है?

उ० देखो अनुच्छेद ५।

प्र० ३. किन-किन प्रबन्धों के लिए एक कच्चा निवासी अनिवासी समझा जाता है?

उ० देखो अनुच्छेद ४।

अध्याय १७.

अन्य विशेष दशाओं में कर-निर्धारण

[ASSESSMENT IN OTHER SPECIAL CASES]

१. वैधानिक प्रतिनिधि (Legal representatives)—धारा १५९ :

(i) एक व्यक्ति के मरने के बाद उसका वैधानिक प्रतिनिधि कर सम्बन्धी भुगतान के लिए उसी प्रकार जिम्मेदार रहेगा जैसे कि मृत व्यक्ति यदि वह नहीं मरा होता। इस अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक प्रतिनिधि को करदाता समझा जाता है।

(ii) इस अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही के लिए वैधानिक प्रतिनिधि पर वे सब अनुबन्ध लागू होते हैं जोकि मृत व्यक्ति पर लागू होते यदि वह नहीं मरा होता।

(iii) वैधानिक प्रतिनिधि का कर दायित्व मृत व्यक्ति की सम्पत्ति तक ही सीमित है।

२. प्रतिनिधि करदाता (Representative assessees)—धाराएँ १६० से १६७ :

(१) प्रतिनिधि कर दाता निम्न है :—

(i) धारा ९ (१) (i) में उल्लिखित अनिवासी की आय के लिए अनिवासी का अभिकर्ता तथा वह व्यक्ति जोकि धारा १६३ में उसका अभिकर्ता माना जाता है ;

(ii) नाबालिग, पागल अथवा बेवकूफ की आय के लिए उसका संरक्षक या मैनेजर जिसे उनके लिए उनकी आय को प्राप्त करने का हक है या जो ऐसी आय प्राप्त करते हैं।

(iii) किसी व्यक्ति की आय को प्राप्त करने के लिए नियुक्त प्रतिपालक अधिकरण (Court of Wards), महाप्रशासक (Administrator-General), सरकारी न्यासधारी (Official Trustee) अथवा कोई रिसीवर या मैनेजर ;

(iv) एक न्यास-विलेख (Trust deed) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के लाभ के लिए अथवा उसके लिए किसी आय को प्राप्त करने के हक रखने वाला या वाले न्यासी या ट्रस्टी।

(२) प्रत्येक प्रतिनिधि करदाता पर उसके ही नाम में कर निर्धारण होगा। उससे कर की वसूली उसी प्रकार होगी जैसे कि उस व्यक्ति से जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है, हो सकती है।

(३) प्रत्येक प्रतिनिधि करदाता को इस प्रकार किए गए कर के भुगतान को वसूल करने का पूर्ण अधिकार है।

(४) उपरोक्त उप-खंड (iii) तथा (iv) में वर्णित व्यक्तियों की आय के बारे में यदि निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं हो कि किस व्यक्ति के लाभ के लिए या बारे में वह आय प्राप्त होती है या की गई है या जिन व्यक्तियों के हितार्थ वह आय प्राप्त होती है उनके व्यक्तिगत हिस्से कितने हैं तो उन व्यक्तियों की सारी आय को एक जन-मण्डल के अन्तर्गत गिनकर उसपर कर-निर्धारण होगा। यदि आय किसी हिताधिकारी ने वास्तव में प्राप्त कर ली है तो उस पर उसकी कुल आय या कुल विशेष आय पर लगने वाली दरों से कर लगेगा। दोनों तरीकों में से वही एक तरीका अपनाया जायगा जिससे कि अधिक कर वसूल होता हो।

(५) प्रतिनिधि कर-दाता पर कर-निर्धारण नहीं करके हिताधिकारियों (Beneficiaries) पर भी सीधे कर-निर्धारण तथा कर वसूली की कार्यवाही की जा सकती है।

३. निष्पादक (Executors)—धाराएँ १६८ तथा १६६ :

(१) मृत व्यक्ति की सम्पत्ति की आय पर उसके निष्पादक पर निम्न प्रकार से कर लगेगा :—

(अ) यदि निष्पादक एक ही है तो इस प्रकार जैसे कि वह व्यक्ति है ; अथवा

(ब) यदि एक से अधिक निष्पादक हैं तो इस प्रकार जैसे कि निष्पादक एक जन-मंडल हों ; निष्पादक की निवास-स्थान के हिसाब से वही हैसियत होगी जो कि मृत व्यक्ति की उस गत वर्ष में थी जिसमें कि उसकी मृत्यु हुई थी।

(२) प्रत्येक पूर्ण गत वर्ष की या उसके किसी भाग की आय पर अलग-अलग कर-निर्धारण मृत व्यक्ति की मृत्यु-तिथि से लेकर हिताधिकारियों में उस सम्पत्ति के सम्पूर्ण विभाजन की तिथि तक होंगे।

(३) किसी निर्दिष्ट रिक्थमागी (Specified Legatee) के हितार्थ विभाजित या लगाई गई आय को ऐसे करनिर्धारण में बाद दिया जायगा किन्तु उसे ऐसे निर्दिष्ट रिक्थमागी की कुल आय में सम्मिलित किया जायगा।

४. मृत्यु के अलावा एक व्यापार का उत्तराधिकार (Succession to business otherwise than on death)—धारा १७० :

गत वर्ष में उत्तराधिकार की तारीख तक की आय के लिए पूर्वाधिकारी (Predecessor) जिम्मेदार है तथा इस तारीख से गत वर्ष के अन्त तक की आय के लिए उत्तराधिकारी (Successor) जिम्मेदार है। जहाँ पूर्वाधिकारी का कहीं पता नहीं चलता हो तो उसकी आय के लिए उसके उत्तराधिकारी पर कर-निर्धारण होगा तथा वह उस पर लगने वाले कर के लिए इसी प्रकार जिम्मेदार रहेगा जैसे कि पूर्वाधिकारी।

५. भारत छोड़कर जानेवाले व्यक्तियों का कर-निर्धारण (Assessment of persons leaving India)—धारा १७४ :

(१) जब आयकर अफसर को किसी कर-निर्धारण वर्ष में यह ज्ञात हो जाय कि कोई व्यक्ति उस वर्ष में या उस वर्ष की समाप्ति के तुरन्त ही बाद में हमेशा के लिए भारत छोड़कर जानेवाला है तो वह उस कर-निर्धारण वर्ष की गत वर्ष के अन्त से उसके रवाना होने की अन्दाजन तारीख तक की आय का कर-निर्धारण उस कर-निर्धारण वर्ष में करेगा।

(२) यदि कोई आय निश्चित रूप से नहीं मालूम हो सके तो आयकर अफसर ऐसे व्यक्ति के ऐसे समय या उसके किसी टुकड़े के लिए उसकी आय का प्राक्कलन (Estimate) करेगा।

(३) ऐसे प्रत्येक पूर्ण गत वर्ष अथवा गत वर्षके किसी भाग के लिए अलग-अलग कर-निर्धारण होंगे। ऐसे गत वर्ष या उसके किसी भाग की आय पर उस कर-निर्धारण वर्ष में चालू कर की दरों से कर की संगणना होगी।

(४) ऐसे व्यक्ति को कम-से-कम सात दिन की सूचना देकर आयकर अफसर उसके प्रत्येक पूर्ण गत वर्ष की आय अथवा उसके प्रत्येक भाग की प्राक्कलित आय के बारे में उसे आय का ब्यौरा पत्र (Return) भरने के लिए आदेश दे सकता है।

६. अपने परिसम्पत को संक्रमण करने का प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति (Persons trying to alienate their assets)—धारा १७५ :

किसी भी चालू कर-निर्धारण वर्ष में यदि आयकर अफसर को यह ज्ञात हो जाय कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने निर्धारित कर-दायित्व को कम करने के हेतु अपने परिसम्पत को बेचने, हस्तान्तरण करने या किसी अन्य रूप से संक्रमण करनेवाला है तो ऐसे व्यक्ति की उस कर-निर्धारण वर्ष के गत वर्ष की समाप्ति की तारीख से लेकर उस तारीख तक जब कि आयकर अफसर ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ करता है, आय उसी कर-निर्धारण में उसी प्रकार कर-देय होगी जैसे कि हमेशा के लिए भारत छोड़कर जानेवाले व्यक्ति के लिए होती है।

७. व्यापार का बन्द होना या विघटन (Discontinuance of business or dissolution)—धाराएँ १७६ से १७८ :

(१) जब किसी कर-निर्धारण वर्ष में कोई व्यापार बन्द हो जाय तो ऐसे कर-निर्धारण वर्ष के गत वर्ष की समाप्ति से व्यापार के बन्द होने की तिथि तक की आय पर, आयकर अफसर की मर्जी से, उसी कर-निर्धारण वर्ष में कर लगाया जा सकता है।

(२) व्यापार बन्द करने की सूचना प्रत्येक व्यक्ति को आयकर अफसर के पास १५ दिन के अन्दर ही दे देनी चाहिए।

(३) किसी पेशे के बन्द होने से या किसी व्यक्ति की मृत्यु से जब पेशा बन्द हो जाय और उसके पश्चात् पेशे की आय किसी व्यक्ति को प्राप्त हो तो ऐसी आय उसके प्राप्तकर्त्ता की उस गत वर्ष की आय समझी जायगी जिसमें कि उसने उसे प्राप्त की है।

(४) किसी जनमण्डल के विघटन या उसके व्यापार के बन्द हो जाने पर अध्याय १४ में वर्णित अनुबन्ध लागू होंगे।

८. साहित्यिक अथवा कलाकृति के लिए स्वत्व-शुल्क अथवा प्रतिलिप्यधिकार (Royalty or copyright fees for literary or artistic work)—धारा १८० :

(१) यदि किसी साहित्यिक अथवा कला-कृति के किसी लेखक को उसे सम्पूर्ण करने में १२ महिने से अधिक का समय लगा हो तो ऐसे लेखक के द्वारा माँग करने पर ऐसी कृति के अधिकारों के समनुदेशन

(Assignment) करने से किसी गत वर्ष में प्राप्त की गई या की जानेवाली एक राशि (Lump Sum) प्रतिफल का आवन्टन तथा कर-निर्धारण आयकर नियम १९६२ के नियम ९ के अनुसार होगा।

(२) जहाँ १९६२-६३ कर-निर्धारण या इसके पश्चात् के किसी कर-निर्धारण के समय ऐसे आवन्टन (Allocation) की माँग की जाय तो उस पर नियम ९ (२) में वर्णित ढङ्ग से निम्न प्रकार से कर-निर्धारण होगा :—

(i) जिस गत वर्ष में ऐसी सम्पूर्ण रकम प्राप्त की गई हो या की जानेवाली हो उससे सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में निम्न प्रकार से कर लगेगा :—

(अ) कुल आय में से धारा १८० में वर्णित ऐसे एक राशि प्रतिफल (इसे आगे ऐसी रकम से सम्बोधित किया गया है) के ⅔ हिस्से को घटाने से बची हुई आय पर इस प्रकार कर लगेगा जैसे कि वह बची हुई आय कुल आय हो ; तथा

(ब) ऐसी रकम के ⅓ भाग पर कुल आय (ऐसी रकम के ⅓ भाग के सम्मिलित करने से बनी हुई) की औसत कर की दर से कर लगेगा ; और

(ii) ऐसी रकम का बाकी भाग अगले दो गत वर्षों में ⅓ और ⅓ कर के कुल आय में सम्मिलित किया जायगा तथा ऐसे गत वर्षों से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्षों में दिये जानेवाले कर में से उप-खण्ड (१) (ब) में वर्णित कर की ⅓ रकम बाद दी जायगी। [देखिए प्रश्न संख्या ७१]

९. प्रतिभूतियों या अंशों का बनावटी या फर्जी विक्रय [Bond-washing]—धारा ९४ :

कभी कभी कुछ करदाता कर से बचने लिए ब्याज सहित प्रतिभूतियों या लाभांशों सहित हिस्सों को इस गुप्त समझौते पर ऐसे व्यक्ति को जिसकी आय कर-योग्य नहीं है अथवा जिसकी आय पर कर भार कम है, बेच देते हैं कि ब्याज अथवा लाभांश मिल जाने के बाद वे कुल ब्याज अथवा लाभांश रहित प्रतिभूतियों या हिस्सों को वापस खरीद लेंगे। इसका फल यह होता है कि ऐसे ब्याज अथवा लाभांशों पर उचित कर नहीं लग पाता है तथा वह पूर्ण रूप

से या आंशिक रूप से बच जाता है। ऐसे अनुचित उपायों को रोकने के लिए इन प्रतिभूतियों का ब्याज आदि ऐसे विक्रय आदि के बावजूद भी उनके वास्तविक मालिक अर्थात् हस्तातरकर्ता की कुल आय में जोड़ दिया जाता है।

१०. अन्य विशेष दशाओं में कर-निर्धारण :

पूँजीगत लाभ, हर्जाने के भुगतान इत्यादि पर कर की संगणना, अनिवासी पर कर की संगणना, विभाजन के पश्चात् अविभक्त हिन्दू परिवारों का कर-निर्धारण, कम्पनियों के परिसमापकों का उत्तरदायित्व, परिसमापन में निजी कंपनी के संचालकों का उत्तरदायित्व इत्यादि विशेष दशाओं में कर के दायित्व तथा कर-निर्धारण सम्बन्धी विवेचन पिछले अध्यायों में विस्तृत रूप में हो चुका है इसलिए यहाँ पुनः नहीं किया गया है।

प्रश्न :—

प्र० १. संक्षिप्त टिप्पणी लिखो।
(१) वैधानिक प्रतिनिधि का कर-दायित्व।
(२) प्रतिनिधि कर-दाता पर कर-निर्धारण।
(३) निष्पादक का कर-निर्धारण।
(४) प्रतिभूतियों का फर्जी विक्रय।

उ० देखो (१) अनुच्छेद १।
(२) ,, २।
(३) ,, ३।
(४) ,, ६।

प्र० २. हमेशा के लिए भारत को छोड़ कर जाने वाले व्यक्तियों का कर-निर्धारण कैसे होगा?

उ० देखो अनुच्छेद ५।

प्र० ३. किसी साहित्यिक अथवा कलाकृति के लिए एक राशि में प्राप्त स्वत्व-शुल्क या प्रतिलिप्यधिकार के कर-निर्धारण पर एक छोटी-सी टिप्पणी लिखिए।

उ० देखो अनुच्छेद ८।

चौथा भाग

कर-निर्धारण एवं अपील पद्धति

[ASSESSMENT & APPELLATE PROCEDURE]

अध्याय १८

कर-निर्धारण पद्धति

(PROCEDURE FOR ASSESSMENT)

धाराएँ १३६ से १५८

१. पिछले अध्यायों में बताए गए अनुबन्धों के अनुसार विभिन्न कर-दाताओं की कुल आय को मालूम करने पर ही आयकर सम्बन्धित कार्य समाप्त नहीं हो जाता। इसके अतिरिक्त मुख्य बात करदाता की कर-निर्धारण पद्धति का ज्ञान है। कर-निर्धारण में दो बातें सम्मिलित होती हैं :—(क) कर-दाता की कुल आय का मालूम करना ; तथा (ख) कर-दाता को कितना और किस प्रकार से कर देना है या आयकर विभाग से वापस लेना है, मालूम करना। इस पद्धति का विस्तृत विवरण नीचे किया जाता है।

२. आय का ब्यौरा-पत्र या प्रपत्र या नक्शा (Return of Income)—धाराएँ १३९ से १४० :

(१) करदाता द्वारा स्वयं या आयकर अफसरसे नोटिस मिलने पर अपने आय के नक्शे को भरकर आयकर अफसर के पास भेजनेसे कर-निर्धारण की पद्धति चालू होती है। १-४-१९६२ से प्रत्येक करदाता के लिए (जिसकी गत वर्ष की आय कर-योग्य हो) नीचे दी हुई तारीख तक आयका नक्शा भरना जरूरी हो गया है :—

(i) उस व्यक्ति को जिसकी आय व्यापार अथवा पेशे से है अपनी आय का नक्शा कर-निर्धारण वर्ष की ३० जून अथवा गत वर्ष की समाप्ति से ६ मास की अवधि तक, जो भी बाद में हो, भर देना चाहिए।

(ii) अन्य व्यक्तियों को कर-निर्धारण वर्ष की ३० जून तक अपना नक्शा भर देना चाहिए।

(२) उपरोक्त तिथियाँ आयकर अफसर द्वारा उसकी मर्जी पर, बढाई जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में निम्न अनुबन्धों को समझ लेना आवश्यक है :—

(i) जिन करदाताओं की आय व्यापारादि से है तथा जिनका गत वर्ष ३१ दिसम्बर से पहले समाप्त होता है तथा अन्य करदाताओं के लिए नक्शे भरने की तारीख को आयकर अफसर ३० सितम्बर तक बढ़ा सकता है।

(ii) जिन करदाताओं की आय व्यापारादि से है तथा जिनका गत वर्ष ३१ दिसम्बर के पश्चात् समाप्त होता है उनके लिए नक्शे भरने की तारीख को आयकर अफसर ३१ दिसम्बर तक बढ़ा सकता है।

(iii) उपरोक्त तिथियों के पश्चात् आय के नक्शे को भरने पर करदाता को कर-निर्धारण वर्ष की १ अक्टूबर या १ जनवरी (जो भी हो) से नक्शे के भरने की तारीख तक ६% ब्याज देना पड़ेगा।

(iv) एक रजिस्टर्ड फर्म पर ब्याज की गणना इस प्रकार होगी जैसे वह अनरजिस्टर्ड फर्म है। अन्य करदाताओं के लिए ब्याज की गणना कर निर्धारण के समय निर्धारित नेट कर की रकम पर (अग्रिम कर या निर्गम स्थान पर कर कटौती इत्यादि घटाकर) होगी।

(३) यदि किसी पर व्यक्तिगत नोटिस भेजा गया है तो उसे ऐसे नोटिस या सूचना मिलने के तीस दिन की अवधि में अपना नक्शा भरना पड़ेगा। नक्शे भरने की तिथि को आयकर अफसर अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकता है। यदि नक्शे भरने की तारीख, चाहे धारा १३९ (२) के अन्तर्गत जारी किए गये व्यक्तिगत नोटिस के द्वारा चाहे बाद में बढाए गए समय के हिसाब से, ३० सितम्बर या ३१ दिसम्बर (जो भी हो) के पश्चात् पड़ती है तो करदाता को उपरोक्त तरीके से ब्याज देना पड़ेगा।

(४) आय के नक्शे में हस्ताक्षर तथा सत्यापन (Verification) नीचे दिए हुए व्यक्तियों द्वारा होगा।

(अ) एक व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति द्वारा ; यदि व्यक्ति भारत के बाहर है तो उसके या उसके प्रतिनिधि द्वारा ; और यदि कोई व्यक्ति पागल है तो उसके संरक्षक या अन्य प्रतिनिधि द्वारा ;

(ब) एक अविभक्त हिन्दू परिवार के लिए उसके कर्त्ता के द्वारा ; यदि कर्त्ता भारत के बाहर है या पागल है तो परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा ;

(स) एक कम्पनी तथा स्थानीय सत्ता के लिए, उसके मुख्य अफसर द्वारा ;

(द) एक फर्म के लिए, उसके किसी वयस्क भागीदार द्वारा ;

(य) किसी अन्य जनमडल के लिए उसके किसी सदस्य अथवा उसके मुख्य अफसर द्वारा ; तथा

(र) किसी अन्य व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति द्वारा अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा ।

(५) जिन व्यक्तियों के "पूंजीगत लाभ" आय के शीर्षक के अन्तर्गत नुकसान हैं वे भी ऐसे नुकसान दिखलाते हुए आय का नक्शा भर सकते हैं । कर-निर्धारण होने से पूर्व किसी भी समय कोई भी करदाता अपनी आय का नक्शा या संशोधित नक्शा भर सकता है । एक नियमित कर-निर्धारण करने की चार वर्ष की अवधि तक ही ऐसा हो सकता है, उसके पश्चात् नहीं ।

(६) जन मडलों के लिए अपने सदस्यों के नाम तथा उनके हिस्से का वर्णन आय के नक्शे में भरना अनिवार्य हो गया है ।

प्रश्नसंख्या ५३ :

एक व्यापारी को निम्न दशाओं में देरी से नक्शा भरने के लिए कितना ब्याज देना पड़ेगा :—

क्रम सख्या	गत वर्ष की समाप्ति की तारीख	नक्शे भरने की आयकर अफसर द्वारा बढ़ाई हुई तारीख	नेट कर की माग
(१)	३१-१०-१९६१	३१-१२-६२	१,०००)
(२)	३०-११-१९६१	३० ९-६२	[illegible]
(३)	२८-२-१९६२	३१-३-६३	"
(४)	३१-३-१९६२	३१-१२-६२	"

उत्तर :—

(१) इस दशा में आयकर अफसर नक्शे भरने की तारीख को ३०-९-६२ तक बिना ब्याज लगाए बढा सकता है। नक्शा उस तिथि से ३ महिने के पश्चात् भरा गया है इसलिए उसे १५) ब्याज ($१,०००\times\frac{३}{१२}\times६\%$) देना पडेगा।

(२) यहाँ करदाता ने आयकर अफसर द्वारा बढाई गई बिना ब्याज लगने वाली तारीख तक नक्शा भर दिया है इसलिए उसे कोई ब्याज नही देना पडेगा।

(३) इस दशा में आयकर अफसर बिना ब्याज लिए नक्शे भरने की तारीख को बढा सकता है किन्तु नक्शा उस समय के तीन मास के पश्चात् भरा गया है इसलिए उसे तीन महिने का ब्याज १५) देना पड़ेगा।

(४) यहाँ करदाता ने ठीक समय में नक्शा भर दिया है इसलिए उसे कोई ब्याज नहीं पडेगा।

३. अस्थायी कर-निर्धारण (Provisional Assessment)—धारा १४१ :

इनकम टैक्स अफसर को यह अधिकार है कि वह करदाता के बनाए आय के नक्शे इत्यादि के आधार पर नियमित कर-निर्धारण से पूर्व ही अस्थायी कर-निर्धारण कर ले। ऐसा कर-निर्धारण वस्तुतः एक सक्षिप्त कर-निर्धारण ही है। अशोधित घिसाई की रकम तथा पुराने नुकसान जो आगे ले जा सकते हैं उन्हें प्रतिसादित करने के पश्चात् बची हुई रकम पर ही ऐसा अस्थायी कर-निर्धारण होगा। ऐसे कर-निर्धारण के विरुद्ध कोइ अपील नहीं की जा सकती। ऐसे कर-निर्धारण में कर की जो रकम निश्चित की गई है उसे माँग की सूचना में लिखित अवधि के अन्दर ही भर देनी चाहिए नहीं तो करदाता पर कर की रकम के बराबर रकम तक दड लग सकता है।

४. नियमित कर-निर्धारण—धाराएँ १४२ तथा १४३ :

(१) कर निर्धारण के पूर्व आयकर अफसर को किसी व्यक्ति या करदाता की आय या हानि सम्बन्धी पूँछताँछ करने का पूरा अधिकार है। आयकर अफसर नोटिस भेजकर करदाता को अपने बही खाते व

हिसाब दिखाने के लिए बाध्य कर सकता है। किन्तु किसी भी गत वर्ष से उसके तीन वर्ष पहले के हिसाब तथा बही खाते नहीं मँगाये जा सकते। अपने असिस्टेंट कमिश्नर की अनुमति लेकर वह किसी भी करदाता को अपनी कुल संपत्ति का लेखा देने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसे पूँछताछ में प्राप्त किसी सामग्री का करदाता के कर-निर्धारण में प्रयोग करने से पहले आयकर अफसर को उसे सुनवाई का एक उचित मौका देना होगा—धारा १४२।

(२) यदि आयकर अफसर को यह विश्वास हो जाता है कि धारा १३६ के अन्तर्गत भरे हुए नक्शे में सम्पूर्ण सामग्री सही तथा पूर्ण है तो वह करदाता को बिना बुलाए अथवा बिना उसके हिसाब-किताब व बही खाते इत्यादि देखे ही उसका कर-निर्धारण कर सकता है—धारा १४३ (१)।

(३) यदि आयकर अफसर करदाता अर्थात् निर्धारिती (Assessee) के नक्शे को पूर्ण तथा सही नहीं समझता है तो वह करदाता को कुछ और गवाही देने के लिए अथवा दफ्तर में स्वयं आने के लिए एक धारा १४३ (२) के अन्तर्गत सूचना भेजता है। इस प्रकार आवश्यक जाँच पड़ताल के पश्चात् वह लिखित आदेश के अनुसार धारा १४३ (३) के अन्तर्गत करदाता की कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा तथा करदाता द्वारा देयकर या उसे मिलने वाले कर की सगणना करेगा।

५. उत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण (Best Judgment Assessment)——धारा १४४ :

(१) यदि कोई व्यक्ति—

(अ) व्यक्तिगत सूचना (धारा १३६ (२) के अन्तर्गत) मिलने पर भी आय के नक्शे को नहीं भरता तथा धारा १३६ (२) या (५) के अन्तर्गत नक्शा या सशोधित नक्शा नहीं भरता, अथवा

(ब) धारा १४२ (१) के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिस के अनुसार अपने हिसाब-किताब अथवा कुल सम्पति लेखा इत्यादि पेश नहीं करता, अथवा

(स) नक्शा भरने के बाद धारा १४३ (२) के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिस की अवहेलना करता है,

तो आयकर अफसर, उन तमाम सामग्रियों को जो उसने इकट्ठी की है,—ध्यान में रखते हुए कुल आय तथा हानि का अपने उत्तम निर्णय के अनुसार इकतरफा (Ex-parte) कर-निर्धारण करेगा तथा उस रकम की संगणना करेगा जो कि करदाता को ऐसे कर-निर्धारण के अनुसार देनी है या वापस पानी है।

(२) उत्तम निर्णय करते समय आयकर अफसर को इमानदारी से कार्य करना चाहिए। उसे केवल शक अथवा वहम पर अपना निर्णय नहीं निर्धारित करना चाहिए। न्याय, समानता तथा अच्छे अन्तः करण से इस प्रकार का कर-निर्धारण होना चाहिए।

(३) ऐसे कर-निर्धारण के विरुद्ध करदाता को निम्न दो अधिकार प्राप्त हैं :—

(i) कर-निर्धारण को पुन: खुलवाना—धारा १४६ :

उत्तम कर-निर्धारण के पश्चात् जारी किए गए माँग की सूचना मिलने से एक महिने की अवधि में करदाता ऐसे कर-निर्धारण को रद्द करने की माँग कर सकता है यदि पर्याप्त कारणों से वह उन नोटिसों का पालन नहीं कर सका है जिसके कारण ऐसा निर्धारण हुआ है। यदि आयकर अफसर इस बात से संतुष्ट हो जाय कि करदाता द्वारा कथित कारण वास्तविक हैं तो वह इस प्रकार के कर-निर्धारण को रद्द कर सकता है तथा धारा १४३ या १४४ के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।

(ii) अपील का अधिकार—धारा २४६ :

उत्तम कर-निर्धारण में निर्धारित कुल आय के विरुद्ध अथवा आयकर अफसर के धारा १४६ के अन्तर्गत उस कर-निर्धारण को पुनः खोलने से इन्कार करने पर करदाता को अपिलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास अपील करने का अधिकार है।

६. हिसाबपद्धति : (Method of Accounting)—धारा १४५ :

व्यापार अथवा पेशे के लाभ तथा अन्य स्रोतो की आय पर कर की गणना कर दाता की हिसाब पद्धति के अनुसार की जाती हैं। वही खातों की हिसाब पद्धति नियमित रूप से प्रयोग में लानी चाहिये। कर दाता द्वारा वही खाते नहीं रखने पर या हिसाब की एक ही पद्धति को लगातार या नियमित रूप से प्रयोग में नहीं लाने पर या हिसाबी पद्धति ऐसी हो जिसके द्वारा इनकम-टैक्स

अफसर की सम्मति में लाभ या आमदनी ठीक प्रकार से मालूम न हो सके तो वह धारा १४४ में निर्धारित रीति या आधार के अनुसार लाभ या आय की गणना करेगा।

बही खाते कौन सी पद्धति से रखने चाहिये, इसका स्पष्टी करण या उल्लेख आयकर कानून की किसी भी धारा में नहीं किया गया है। हमारे देश में साधारणतः तीन प्रकार की हिसाब पद्धतियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं :—

(१) रोकड़ पद्धति (Cash System) :—इसमें केवल नकदी खर्च व आमदनी का हिसाब रखा जाता है। डाक्टरों, मुनीमों, वकीलों, क्लबों तथा विद्यालयों के लिये यह पद्धति सुगमता से प्रयोग में लाई जा सकती है।

(२) महाजनीपद्धति (Mercantile System) :—इस पद्धति के अनुसार वर्ष भरके तमाम रोकड़ तथा उधार दोनों प्रकार लेनदेनोंका हिसाब रखा जाता है। इस पद्धति के अनुसार व्यापार का असली हानि लाभ मालूम किया जा सकता है।

(३) मिश्रितपद्धति (Mixed System) :— कुछ लेन देन रोकड़ रीति से और कुछ लेन देन महाजनी रीति के अनुसार खातों में लिखे जाते हैं उसे मिश्रित पद्धति कहते हैं।

७ कर-निर्धारण से बची हुई आय अथवा पुनः कर-निर्धारण अथवा अतिरिक्त कर-निर्धारण (Income escaping Assessment or Re-assessment or Additional Assessment)— धाराएँ १४७ से १५३ :

(१) यदि (अ) आयकर अफसर यह विश्वास करे कि करदाता द्वारा अपने आय के नक्शे में पूर्ण विवरण देने में त्रुटि या कसूर होने के कारण, अथवा

(ब) उसे कुछ सूचना प्राप्त होने के कारण यह ज्ञात हो जाय कि, कर-योग्य आय की रकम कम निर्धारित हुई है अथवा ऐसी आय पर कम दर से कर लगा है अथवा इस अधिनियम अथवा १६२२ के आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उस आय पर अधिक सहायता दी चुकी है अथवा जहाँ अधिक हानि, या घिसाई की छूट की गणना की जा चुकी है, तो वह उस कर-निर्धारण वर्ष की आय का पुनः निर्धारण

करेगा अथवा ऐसी हानि या घिसाई की पुनः संगणना करेगा—धारा १४७।

(२) धारा १४७ (अ) के अन्तर्गत अर्थात् जब कि करदाता कसूरवार है एक नोटिस के जारी करने के बारे में निम्न उपबन्ध हैं :—

(i) उस कर-निर्धारण वर्ष, जिसके लिए पुनः कार्यवाही की जाने वाली है, के अन्त से लेकर अगले ८ वर्ष तक किसी भी समय में कमिश्नर ऑफ इनकम-टैक्स की आज्ञा लेकर ऐसा नोटिस जारी किया जा सकता है ; अथवा

(ii) जहाँ उस कर निर्धारण वर्ष के पश्चात् ८ वर्ष का समय समाप्त हो गया है किन्तु १६ वर्ष का समय समाप्त नहीं हुआ है तथा एक वर्ष में कर से बचाई हुई आय की रकम ५०,०००) या इससे अधिक है तो सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवन्यू की आज्ञा लेकर ऐसा नोटिस जारी किया जा सकता है। इससे यह तात्पर्य हुआ कि सन् १९४६-४७ से पहले के किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के *लिए किसी भी रूप में कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती तथा* ऐसा नोटिस किसी भी अवस्था में जारी नहीं हो सकता।

(३) धारा १४७ (ब) के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण के लिए आयकर अफसर स्वयं ही *(बिना किसी की आज्ञा लिए)* उस कर निर्धारण वर्ष के अन्त से अगले चार वर्षों में कभी भी ऐसा नोटिस जारी कर सकता है।

(४) धारा १४७ *में होनेवाले कर-निर्धारणों* को पूरा करने के लिए निम्न समय निश्चित कर दिए गए हैं :—

(i) धारा १४७ (अ) के अन्तर्गत आनेवाले पुनः कर-निर्धारणों के लिए उस कर-निर्धारण वर्ष, जिसमें ऐसा नोटिस (धारा १४८ के अन्तर्गत) तामिल किया गया है (Served) के अन्त से ४ वर्ष के अन्दर ही ऐसे कर-निर्धारण की कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए।

(ii) धारा १४७ (ब) के अन्तर्गत होनेवाले पुनः कर-निर्धारणों के लिए उस कर निर्धारण, जिसमें कि वह आय प्रथम बार करदेय हुई थी, के अन्त से ४ वर्ष या धारा १४८ के अन्तर्गत जारी

किए गए नोटिस की तामिल से एक वर्ष की अवधि तक (जो भी बाद में हो) ऐसे कर-निर्धारण की कार्यवाही समाप्त हो जानी चाहिए।

(५) धारा १४३ या १४४ के अन्तर्गत कर-निर्धारण को पूरा करने के लिए समय की सीमाएँ निम्न प्रकार हैं :—

(अ) उस कर-निर्धारण वर्ष जिसमें वह आय प्रथम बार कर-देय हुई थी, के अन्त से ४ वर्ष ; अथवा

(ब) जहाँ करदाता ने आय की चोरी की है तथा जिसका मामला धारा २७१ (१) (सी) के अन्तर्गत आता है वहाँ उस कर-निर्धारण वर्ष जिसमें ऐसी आय प्रथम बार कर-देय हुई थी, के अन्त से ८ वर्ष ; अथवा

(स) धारा १३६ (४) या (५) के अन्तर्गत आय के नक्शे या संशोधित नक्शे भरने की तारीख से १ वर्ष, यदि यह अवधि बाद में आती हो।

(६) उपरोक्त समय की सीमाएँ निम्न दशाओं में नहीं लागू होती :—

(i) जहाँ धारा १४६ के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण होता हो ;

(ii) जहाँ उच्च न्यायिक सत्ता के आदेशानुसार कोई कर-निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या पुनः संगणना की कार्यवाही होती हो ;

(iii) जहाँ धारा १४७ के अन्तर्गत फर्म पर पुनः कर-निर्धारण के कारण उसके भागीदार पर कर-निर्धारण की कार्यवाही करनी हो।

(७) उपरोक्त समय-सीमाओं की गणना करते समय निम्न अवधियों को नहीं गिना जायगा :—

(अ) धारा १२६ के अन्तर्गत किसी मामले की सुनवाई के लिए लिया गया समय ; अथवा

(ब) किसी कचहरी के आदेश या व्यादेश (Injunction) के कारण कर-निर्धारण की रुकी हुई कार्यवाही का समय।

प्रश्न संख्या ५४ :

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ मे एक आयकर अफसर को यह ज्ञात हुआ कि एक करदाता की ७०,०००) की आय १९४९-५० मे कर लगने से बच गई है। उस आय पर किस प्रकार कर लगाया जायगा तथा उसके कर-निर्धारण की कार्यवाही कब शुरू होनी चाहिए तथा समाप्त हो जानी चाहिये ?

उत्तर :—

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवन्यू की पूर्वानुमति से १९४९-५० कर-निर्धारण वर्ष के लिए ७०,०००) पर कर-निर्धारण करने के लिए उसके अन्त से १६ वर्ष तक अर्थात् १९६५ ६६ कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति तक धारा १४८ में नोटिस जारी किया जा सकता है। मान लीजिए कि ऐसा नोटिस १६-४ ६२ को तामिल हुआ तो ऐसे कर-निर्धारण की समाप्ति कर-निर्धारण वर्ष १९६६-६७ तक अवश्य हो जानी चाहिये।

प्रश्न संख्या ५५ :

१९५४-५५ कर निर्धारण वर्ष के लिये श्री तलवारकी कुल आय २०,००० निर्धारित हो चुकी है। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ में आयकर अफसर को मालूम हुआ कि उस वर्ष के लिये उसने १५,०००) की आय कम बताई थी। बतलाइए, वह उस बची हुई आय को निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही कर सकता है ?

उत्तर :—

यह मामला धारा १४७ (अ) के अन्तर्गत आता है इसलिए कमिश्नर ऑव इनकम-टैक्स की पूर्वानुमति से आयकर अफसर को १९५४-५५ से ८ वर्ष की अवधि में अर्थात् १९६२ ६३ कर-निर्धारण वर्ष में ही नोटिस जारी करना पड़ेगा। ऐसी आय का १९५४-५५ के लिए पुनः कर-निर्धारण १९६६-६७ कर-निर्धारण वर्ष तक समाप्त हो जाना चाहिए।

प्रश्न संख्या ५६ :

वर्तमान कर-निर्धारण वर्ष अर्थात् १९६२-६३ में एक आयकर अफसर को यह सूचना मिली कि एक करदाता की ५,०००) की आय पर कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ में कोई कर नहीं लग सका है। बतलाइये, उस पर कर लगाने के लिये आयकर अफसर क्या कार्यवाही करेगा ?

उत्तर :—

यह मामला धारा १४७ (ब) के अन्तर्गत आता है। सन् १९५८-५९ में ५,०००) की आय को निर्धारित करने के लिए उसे कर-निर्धारण वर्ष १९६२ ६३ में ही एक नोटिस जारी करना पड़ेगा। मान लीजिए वह नोटिस १७-८-६२ को तामिल हुआ। कर-निर्धारण की कार्यवाही १७-८-६३ के पूर्व ही समाप्त हो जानी चाहिए।

८. भूल सुधार (Rectification of Mistakes)—धाराएँ १५४ तथा १५५ :

आयकर अफ़सर, अपिलेट असिस्टेंट कमिश्नर तथा कमिश्नर ऐसी भूलों को जोकि किसी अभिलेख से प्रत्यक्ष हो (Apparent from the record) अपनी मर्ज़ी से अथवा करदाता के आवेदन करने पर, उस आदेश, जो की सुधारा जाने वाला है, की तारीख से ४ वर्ष में, सुधार कर सकते हैं। यदि किसी भूल सुधारने के कारण किसी करदाता के कर-दायित्व में वृद्धि होती हो तो उसका सुधार करदाता को सुनवाई का उचित मौका दिये बिना नहीं हो सकता।

९. मांग की सूचना—धारा १५६ :

इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए किसी भी आदेश के अनुसार यदि कोई कर, ब्याज, दंड इत्यादि की रकम देय हो तो निर्धारित फार्म में (आयकर नियम १९६२ के नियम १५ तथा १६ के अनुसार निर्धारित) उस रकम का उल्लेख करके, आयकर अफसर उसकी तामील करदाता पर करेगा।

१०. नुकसान की सूचना—धारा १५७ :

आयकर अफसर द्वारा उस नुकसान कि जिसे कोई करदाता प्रतिपादन के लिए आगे ले जा सकता है, सूचना करदाता को लिखित आदेश द्वारा देनी पड़ती है।

११. फर्म के कर-निर्धारण की सूचना—धारा १५८ :

जहाँ एक रजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण हुआ हो अथवा किसी अन-रजिस्टर्ड फर्म का रजिस्टर्ड फर्म के जैसे कर-निर्धारण हुआ हो तो आयकर अफसर एक लिखित आदेश के द्वारा फर्म को उसकी कुल आय तथा भागीदारों में उसके विभाजन की सूचना देगा।

प्रश्न

प्र० २. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो :—

(१) आयका नक्शा।
(२) नुकसान की सूचना।
(३) फर्म के भागीदारों के हिस्सों की सूचना।
(४) भूल सुधार।
(५) पुनः कर-निर्धारण।
(६) हिसाब पद्धति।

उ० देखो—(१) अनुच्छेद २
(२) " १०
(३) " ११
(४) " ८
(५) " ७
(६) " ६

प्र० ३. "उत्तम निर्णय के अनुसार कर-निर्धारण" से आप क्या समझते हैं? यह किन दशाओं में किया जाता है? ऐसे कर निर्धारण के विरुद्ध करदाता को क्या अधिकार प्राप्त हैं?

उ० देखो अनुच्छेद ५.

अध्याय १६.

दण्ड, अपराध तथा अभियोजन

(PENALTIES, OFFENCES & PROSECUTIONS)

अ. दण्ड (Penalties)

१. सम्मन अर्थात् आह्वान-पत्र का पालन न करना—धारा १३१ :

जब कोई व्यक्ति जिस पर किसी अमुक स्थान तथा समय पर गवाही देने के लिए अथवा हिसाब-किताब दिखाने के लिए सम्मन जारी किया गया हो, जानबूझ ऐसे सम्मन का पालन नहीं करे है तो आयकर अधिकारी ५००) तक का जुर्माना उस पर लगा सकता है।

२. प्रतिभूतियों सम्बन्धी सूचनाएँ नहीं देना—धारा २७० :

यदि कोई व्यक्ति धारा ९४ (६) के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिस का बिना उचित कारण के पालन नहीं करे तो आयकर अफसर उस पर ५००) तक का दड लगा सकता है तथा प्रत्येक दिन के असफल होने के लिए उतनी ही रकम और दड के रूप में लगा सकता है।

३. नक्शे भरने में, नोटिस पालन करने में असफलता तथा आय छिपाना—धारा २७१ :

(१) इस धारा के अन्तर्गत निम्न तीन प्रकार के मामले आते हैं :—

(अ) आय के नक्शे को देने में असफलता अथवा धारा १३९ या धारा १४८ के द्वारा दिए गए समय के अन्दर आय के नक्शे को भरने में असफलता ; अथवा

(ब) धारा १४२ (१) के अन्तर्गत हिसाब इत्यादि को दिखाने के लिए जारी किए नोटिस के पालन करने में विफलता या धारा १४३ (२) के अन्तर्गत गवाही इत्यादि प्रस्तुत करने के लिए जारी किए नोटिस के पालन करने में विफलता ; अथवा

(स) आय का छिपाना या जान बूझकर आय सम्बन्धी विवरणों को गलत देना।

दंड लगने की कार्यवाही आयकर अफसर अथवा अपिलेट असिस्टेंट कमिश्नर शुरू कर सकता है।

(२) किसी भी प्रकार के कसूर के बारे में दंड लगाने की कार्यवाही कर-दाता को सुनने या सुनवाने का एक उचित मौका देने के पश्चात् ही की जायगी। दण्ड लगाने के लिए एक रजिस्टर्ड फर्म को अन-रजिस्टर्ड फर्म माना जाता है। उपरोक्त हालतों में दंड लगने के लिए निम्न उपबन्ध हैं :—

(i) खंड (अ) में वर्णित मामलों के लिए :—

प्रत्येक महिने (जबतक ऐसी चूक (Default) जारी है) के लिए दण्ड की रकम कर का २% भाग के बराबर तथा कुल मिलाकर उच्चतम दण्ड की रकम कर का ५०% भाग के बराबर है। यदि किसी करदाता की कुल आय अधिकतम कर-मुक्त सीमा के ६,५००) से अधिक नहीं है तो उसपर कोई दण्ड नहीं लगेगा। यदि किसी करदाता पर आय के नक्शे को भरने का व्यक्तिगत नोटिस तामील हुआ है और वह यह सबूत कर देता है कि उसकी आय कर योग्य नहीं है तो ऐसी चूक के लिए दण्ड की रकम २५) से अधिक नहीं हो सकती। अनिवासी के अभिकर्त्ता पर स्वय ही आयके नक्शे को नहीं भरने के कारण कोई दंड नहीं लगाया जा सकता।

(ii) खंड (ब) में वर्णित मामलों के लिए :—

ऐसे व्यक्ति द्वारा भरे गए आय के नक्शे को सही मानने से जितना कर बचता है उस रकम का १०% भाग न्यूनतम दंड है तथा ५०% भाग अधिक-तम दण्ड है।

(iii) खंड (स) में वर्णित मामलों के लिए :—

ऐसे व्यक्ति द्वारा आय के नक्शे में भरी हुई आय को सही मान लेने से जितना कर बचता है उस रकम का २०% भाग न्यूनतम दंड है तथा १५०% भाग अधिकतम दंड है। यदि न्यूनतम दंड की रकम १,०००) से अधिक है तो दंड लगाने की कार्यवाही आयकर अफसर द्वारा न होकर इंस्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा होगी।

प्रश्न संख्या ६७ :

नीचे लिखे मामलों में धारा २७१ (१) के अन्तर्गत लगने वाली दण्ड की न्यूनतम तथा अधिकतम रकमों का वर्णन कीजिए :—

(१) श्री 'क' जिसका गतवर्ष वित्तीय वर्ष १९६१-६२ है, अपनी आय के नक्शे भरने की अवधि को ३१-१२-६२ तक बढवा लेता है किन्तु

नक्शे को ३१-३-६३ के दिन भरता है। नियमित कर-निर्धारण पर, मान लीजिए उस पर १,०००) कर लगता है।

(२) श्री 'ख' ने हिसाब-किताब दिखाने के लिए जारी किए गए नोटिस की परवाह नहीं की। आयकर अफसर ने उत्तम कर-निर्धारण कर दिया। श्री 'ख' द्वारा भरी आय तथा आयकर अफसर द्वारा निर्धारित आय पर कर में २,०००) का अन्तर है।

(३) श्री 'ग' ने १८-६-६२ को १०,०००) की आय दिखाते हुए एक आय का नक्शा भरा। आयकर अफसर ने २०,०००) की छुपाई हुई आय को पकड़ा तथा उसपर ३०,०००) की कुल आय पर कर की सगणना कर दी। मान लीजिए १०,०००) तथा ३०,०००) की आय पर लगने वाले नेट कर की रकम क्रमशः १,०००) तथा ५,०००) है।

उत्तर :—

(१) यहाँ नक्शा भरने में तीन महिने की देरी हुई है। इसलिए दंड की रकम १,०००) पर २% प्रतिमास के हिसाब से ६०) हुई तथा अधिकतम दंड की रकम १,०००) का ५०% अर्थात् ५००) हुई।

(२) यहाँ दंड की न्यूनतम रकम २,०००) के १०% भाग के बराबर अर्थात् २००) है तथा उच्चतम दंड की रकम २,००० के ५०% अर्थात् १,०००) के बराबर है।

(३) यहाँ छिपाई हुई आय के कारण बचे हुए कर की रकम ४,०००) [५,०००—१,०००] है। इसलिए न्यूनतम दंड की रकम ४,००० के २०% अर्थात् ८००) के बराबर हुई तथा उच्चतम दंड की रकम ४,००० के १५०% अर्थात् ६,०००) के बराबर हुई।

४. व्यापारादि बन्द करने की सूचना देने में विफलता—धारा २७२ :

धारा १७६ (३) के अन्तर्गत वर्णित उपबन्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार अथवा पेशे को बन्द करने की सूचना ठीक समय में नहीं देवे तो उस पर आयकर अफसर द्वारा दण्ड लगाया जायगा। ऐसे दण्ड की न्यूनतम रकम बाद में लगाए गए कर के १०% भाग के बराबर है तथा उच्चतम दण्ड की रकम ऐसे कर के बराबर है।

५. गलत अनुमान भरना अथवा अग्रिम कर के अनुमान देने में विफल होना—धारा २७३ :

नियमित कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही के समय यदि आयकर अफ़सर को यह विश्वास हो जाय कि किसी करदाता ने—

(अ) धारा २१२ के अन्तर्गत अग्रिम कर का अनुमान जान कर गलत भरा है ; अथवा

(ब) धारा २१२ (३) के अन्तर्गत उसने बिना किसी उचित कारण के अग्रिम कर का अनुमान नहीं भरा है, तो वह यह आदेश करेगा कि ऐसा व्यक्ति नियमित कर देने के अलावा निम्न दण्ड की रकम भी देगा—

(i) जो कि खण्ड (अ) के लिए निम्न रकम तथा अग्रिम कर के वास्तविक भुगतान की रकम के अन्तर के १०% से कम नहीं होगी तथा उसके १½ गुनी से अधिक नहीं होगी :—

(१) नियमित कर-निर्धारण पर धारा २१५ के अन्तर्गत निर्धारित कर की रकम का ७५%, या

(२) धारा २१० के अन्तर्गत जारी किए नोटिस के अन्तर्गत देय रकम, जो भी कम हो ; तथा

(ii) जोकि खंड (ब) के लिए उस रकम जिस पर कि धारा २१७ के अन्तर्गत ब्याज लगता है के १०% से कम नहीं होगी तथा उसके १½ गुनी से अधिक नहीं होगी।

नोट :—धारा २७० से २७४ के अन्तर्गत दण्डारोपण का कोई आदेश, उस कार्यवाही जिसमें ऐसे दण्डारोपण की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है, की समाप्ति के दो वर्ष के बाद नहीं जारी किया जा सकता।

प्रश्न संख्या ५८ :

श्री 'क' ने वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में १,००० रु० के अग्रिम कर का अनुमान भर कर उतने कर का भुगतान कर दिया है। मान लीजिए, नियमित कर-निर्धारण में कर की माँग २,४००) हुई। धारा २७३ के अन्तर्गत न्यूनतम दंड तथा अधिकतम दंड की रकम की संगणना कीजिये।

उत्तर :—

यदि श्री 'क' ने २,४०० रु० का ७५% अर्थात् १,८०० कर दे दिया होता तो उस पर कोई दंड नहीं लगता। किन्तु उसने ८०० रु० कम का अग्रिम भुगतान किया है। इसलिए धारा २७३ के अन्तर्गत न्यूनतम कर की रकम ८००×१०% अर्थात् ८०) तथा अधिकतम कर की रकम ८००×१½ अर्थात् १,२००) हुई।

ब. अपराध तथा अभियोजन (Offences & Prosecutions)

६. भुगतान करने, नक्शे या प्रपत्र भरने अथवा निरीक्षण की सुविधा देने में विफलता—धारा २७६ :

यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण के धाराएँ १३३, १३४, १३६ (२), १४२ (१), २०३, २०६, २५६, २८५, २८६ के उपबन्धों का पालन न करे तो वह जुर्माना देने के लिए दण्डनीय होगा। प्रत्येक दिन के अपराध के लिए जुर्माना की रकम १० रु० है।

७. घोषणा में गलत कथन—धारा २७७ :

आयकर अधिनियम अथवा आयकर नियम के अन्तर्गत किसी भी सत्यापन (Verification) में गलत कथन के लिए करदाता को ६ महिने की सजा अथवा १,००० तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

८. गलत नक्शा भरने में सहायता करना—धारा २७८ :

गलत नक्शा, कथन या घोषणा इत्यादि के कार्य में मदद करने की सजा वही है जो अनुच्छेद ७ में वर्णित है।

नोट—धारा २७६, २७७ अथवा २७८ के अन्तर्गत किसी व्यक्ति पर कमिश्नर के द्वारा ही कार्यवाही प्रारम्भ होगी तथा उसे ही समझौता करने का पूरा हक रहेगा।

९. लोक-सेवकों द्वारा विवरणों का प्रकटीकरण—धारा २८० :

यदि कोई लोक सेवक धारा १३७ के अन्तर्गत वर्जित विवरणों का प्रकटीकरण करता है तो उसे ६ महिने की सजा हो सकती है तथा उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। इस धारा के अन्तर्गत कोई भी अभियोगन केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति बिना नहीं हो सकता।

प्रश्न :—

प्र० १. निर्धारित समय पर आय के नक्शे को नहीं भरने तथा आय को छुपाने पर कितना दण्ड (न्यूनतम तथा अधिकतम) लगाया जा सकता है ?

उ० देखो अनुच्छेद ३.

प्र० २. अग्रिम कर के अनुमान को ठीक समय में नहीं भरने अथवा गलत भरने पर कितना दण्ड लग सकता है ?

उ०. देखो अनुच्छेद २.

प्र० ३. सम्मन का पालन नहीं करने पर आयकर अफसर क्या जुर्माना कर सकता है ?

उ० देखो अनुच्छेद १ ।

अध्याय २०

कर संग्रह तथा वसूली

(COLLECTION AND RECOVERY OF TAX)

१. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत साधारणतया करदाता द्वारा निम्न प्रकार से कर दिया जाता है :—

(अ) उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of tax at Source);

(ब) कर का अग्रिम भुगतान (Advance payment of tax); तथा

(स) कर-निर्धारण के पश्चात् माँग की सूचना मिलने पर भुगतान (Payment On Receipt of Notice of demand after assessment)।

(अ) उद्गम स्थान पर कर की कटौती—धाराएँ १९२-२०६ :

२. इस प्रणाली के अनुसार किसी व्यक्ति के आय के निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत आनेवाले भुगतानों से उद्गम अर्थात् भुगतान मिलने के स्थान पर ही कर काट लिया जाता है :—

(१) वेतन ;

(२) प्रतिभूतियों का ब्याज ;

(३) लाभांश , तथा

(४) किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत आनेवाले अनिवासी को किए गए भुगतान।

३. इस सम्बन्ध में निम्न उपबन्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—

(अ) वेतन—यदि कर्मचारी की वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आनेवाली आय-कर योग्य है तो मालिक के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने कर्मचारी के वेतन की रकम में से कुल वेतन पर लागू होनेवाली वित्तीय वर्ष की आयकर तथा अतिरिक्त कर की दरों से कर काट ले तथा काटी हुई रकम को सरकारी खजाने में जमा कर देवे।

(ब) प्रतिभूतियों का ब्याज तथा लाभांश—इन पर आयकर तथा अतिरिक्त कर की रकम उस वित्तीय वर्ष में लागू कर की दरों से काटी जाती है।

(स) **अनिवासी को भुगतान**—एक अनिवासी (जो कम्पनी नही है) तथा अनिवासी कम्पनी जोकि भारतीय कम्पनी नही है अथवा जिसने लाभांशों को भारत में वितरण तथा भुगतान के लिए निर्धारित इन्तजाम नहीं किए है, को दिए गए किसी अन्य भुगतान पर उस वित्तीय वर्ष में लागू होनेवाली कर की दरों से आयकर तथा अतिरिक्त कर की रकम उद्गम स्थान पर ही काट ली जायगी।

नोट :—वित्तीय वर्ष १६६२ ६३ में उपरोक्त वर्णित लागू होनेवाली कर की दरों के लिए परिशिष्ट 'क' में देखिए।

(द) यदि किसी व्यक्ति की आय कर योग्य नहीं है अथवा वह कम दर से कर योग्य है तो वह निर्दिष्ट फार्म भर कर यह निवेदन कर सकता है कि उसकी आय से कोई कटौती न की जाय अथवा वह कम दर से की जाय।

(य) इस प्रकार काटे हुए कर का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा सरकारी खजाने में एक सप्ताह में या आयकर अफसर द्वारा बताए गए अन्य समय में हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने से उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जा सकती है।

(र) अस्थायी कर-निर्धारण अथवा नियमित कर-निर्धारण के समय ऐसे काटे गए कर का श्रेय (Credit) करदाता को दे दिया जाता है। ज्यादा कटौती होने पर अधिक कर की रकम करदाता को वापस कर दी जाती है।

प्रश्न संख्या ५६ :

श्री 'क' (अविवाहित व्यक्ति) की आय के निम्न विवरण से वित्तीय वर्ष १६६२-६३ में उसकी मासिक कर कटौती की रकम निकालिए :—

(१) वेतन—५००) मासिक।
(२) महिने के वेतन के बराबर बोनस।
(३) स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फंड में उसका चन्दा—वेतन के ५% के बराबर।
(४) ,, ,, ,, मालिक का चन्दा—वेतन के ८% के ,,।
(५) ,, ,, ,, सचित रकम पर ब्याज ६००)।
(६) १५,०००) की जीवन बीमा पॉलिसी पर दिया गया वार्षिक बीमा प्रीमियम २,०००)।

उत्तर :—

श्री "क" की "वेतन" शीर्षक के अन्तर्गत आय निम्न है :—

१२ महिने का वेतन	६०००)
२ ,, का बोनस	१,०००)
कर-योग्य "वेतन"	७,०००)

रु०

कर-मुक्त आय (जिस पर छूट मिलेगी) :—

(१) स्वीकृत प्रोविडेन्ट फण्ड में स्वयं का चन्दा—६,०००×५% ३००)

(२) जीवन बीमा प्रीमियम १५,००० के १०% तक सीमित ; तथा प्रॉविडेन्ट फन्ड के चन्दे तथा प्रीमियम की रकम मिलाकर कुल आय के $\frac{१}{५}$ भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए।

	१,४५०
	१,७५०
७,०००) पर आय कर	२६०)
औसत आय कर की दर $\frac{२६०}{७०००}$×१००=३.७१%	
१,७५०) पर ३.७१% से छूट	६५)
कुल नैट कर	१९५
मासिक आयकर कटौती की रकम $\frac{१९५}{१२}$	१६·२५ रु०

प्रश्न संख्या ६० :

आयकर अधिनियम १९६१ के अन्तर्गत निम्न मामलों में वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में कितना कर कटेगा :—

	रु०
(१) प्रतिभूतियों का ब्याज	५,०००
(२) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज	१०,०००
(३) अनिवासी (जो कम्पनी नहीं है) को भुगतान	१,०००

उत्तर :—

निम्नलिखित मामलों के लिए वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में निम्न प्रकार से कर कटेगा :—

(१) ५,००० पर २५% आयकर तथा ५% सर चार्ज अर्थात् १,५००)

(२) कुछ नहीं।

(३) आयकर—२५% की दर से १,०००) पर	२५०)
सरचार्ज ५%+१५%=२०% की दर से २५०) पर	५०)
अतिरिक्त कर—१६% [धारा ११३ के अनुसार]	१६०)
कुल कटौती	४६०)

(घ) कर का अग्रिम भुगतान—धारा २०७ से २१९ :

(४) आयकर अधिनियम के विशेष उपबन्धो के अन्तर्गत जिस गत वर्ष में आय उत्पन्न होती है उससे सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के पिछले वित्तीय वर्ष में ही उसी वर्ष की आयकर तथा अतिरिक्त कर की दरों से कर वसूल कर लिया जाता है। अर्थात् नियमित कर-निर्धारण से पूर्व ही कर की रकम अग्रिम वसूल होती है। इसलिए इसका नाम कर 'कर का अग्रिम भुगतान' है। इस उपबन्ध का नाम 'कमाते जाओ और कर देते जाओ' (Pay as-you earn or 'paye') योजना भी है क्योंकि आय कमाने के समय ही कर की वसूली हो जाती है।

(५) कर के अग्रिम भुगतान सम्बन्धी निम्न उपबन्ध मुख्य हैं :—

(i) यह योजना 'पूँजीगत लाभ' को छोड़कर सभी प्रकार की आय पर लागू होती है।

(ii) यह योजना केवल उन्ही करदाताओं पर लागू होती है जिनकी (पूँजीगत लाभ के अलावा) उस *अन्तिम गत वर्ष की आय* जिसका नियमित कर निर्धारण हो चुका है उनकी उचतम कर मुक्त सीमा से २,५००) से अधिक है। जहाँ करदाता *पर पहले कभी भी कर-निर्धारण नहीं हुआ है वहाँ उसकी गत* वर्ष की आय देखी जायगी। अर्थात् यह योजना एक व्यक्ति, अनरजिस्टर्ड फर्म या अन्य जनमण्डल पर तब लागू होती है जब कि उनके गत वर्ष के अन्तिम पूरित कर-निर्धारण के अनु-

सार उसकी आय या उसकी गत वर्ष की आय, जैसी भी हो, ५,५००) [३,००० रु० + २,५०० रु०] से अधिक रही हो या अनुमानित हो। यह योजना अविभक्त हिन्दू परिवार (जिसकी कर-मुक्त सीमा ६,०००) है) पर तब लागू होती है जब कि उसकी उपरोक्त वर्णित वर्ष के लिए आय ८,५००) [६,०००+२,५००] से अधिक हो।

(iii) ऐसी आय पर आयकर तथा अतिरिक्त कर की गणना करके उस कर को घटाया जाता है जिसकी कटौती धाराएं १६२ से १६५ के अन्तर्गत उद्गम स्थान से होती है। शेष रकम ही अग्रिम भुगतान की रकम है।

(iv) अग्रिम अथवा पेशगी कर की किश्तों (Instalments) का भुगतान १ जून, १ सितम्बर, १ दिसम्बर तथा १ मार्च को किया जाता है। आयकर अफसर धारा २१० के अन्तर्गत ऐसा नोटिस जारी करेगा।

(v) यदि अन्तिम पूरित कर-निर्धारण (Latest Completed assessment) में करदाता की आय उपरोक्त रकमों से ज्यादा रही हो तो आयकर अफसर उसी रकम को इस वर्ष की आय मानकर अग्रिम कर की रकम निश्चित करेगा। वह वित्तीय वर्ष की १५ फरवरी के पहले किसी भी समय पहले जारी किए नोटिस को संशोधित कर उस समय उपलब्ध अन्तिम कर-निर्धारण के अनुसार अग्रिम कर का निर्धारण कर सकता है।

(vi) यदि करदाता यह मनोनीत करे कि गत वर्ष में उसकी आय आयकर अफसर द्वारा ली गई आय की रकम से कम होगी तो वह धारा २१२ के अन्तर्गत अपना अनुमान (Estimate) भेजकर कर का भुगतान कर सकता है। ऐसे अनुमान के लिए २५% तक भूल माफ है।

(vii) यदि करदाता आयकर अफसर द्वारा निर्धारित रकम भुगतान करता है तो उसके उस वित्तीय वर्ष के गत वर्ष की आय चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, वह किसी दण्ड का भागी नहीं हो सकता। परन्तु जब करदाता अपने अनुमान के आधार पर कर की किश्तें देता है तब यदि उसके द्वारा अनुमानित कर

की रकम नियमित कर-निर्धारण के कर की रकम के ७५% से कम निकले तो उसे १ अप्रेल से नियमित कर-निर्धारण की तारीख तक ऐसे अन्तर पर धारा २१२ के अन्तर्गत ४% ब्याज देना पड़ता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि करदाता ने जान-बूझ कर गलत अनुमान भरा है तो वह पिछले अध्याय में वर्णित ढङ्ग से इसके अलावा और भी दण्डनीय होगा।

(viii) यदि करदाता का पहले कभी भी कर-निर्धारण नहीं हुआ है और उसकी चालू वर्ष की आय के उपरोक्त सीमाओं से अधिक होने की सम्भावना है तो उसे १ मार्च से पहले चालू वर्ष में बिना आयकर अफसर द्वारा नोटिस मिले ही अपनी आय का अनुमान भेज देना चाहिए तथा उसके अनुसार करका भुगतान कर देना चाहिए।

(ix) यदि नियमित कर-निर्धारण पर अग्रिम भुगतान से कम कर लगा हो तो ऐसे अधिक दिए अग्रिम कर पर ऐसे वित्तीय वर्ष के बादवाली १ अप्रेल से नियमित कर-निर्धारण की तारीख तक धारा २१४ के अन्तर्गत ४% ब्याज सरकार द्वारा दिया जायगा।

प्रश्न संख्या ६१ :

श्री रघुनाथ ने वित्तीय वर्ष १९६२ ६३ मे अपने अनुमान के हिसाब से १७,०००) का अग्रिम कर भुगतान किया। उसका गत वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है। मान लीजिए उसका नियमित कर निर्धारण ३० जून १९६३ को होता है तथा उस पर २०,०००) कर लगता है। धारा २१५ के अन्तर्गत ब्याज की सगणना कीजिए।

उत्तर :—

२०,०००) के ७५% अर्थात् १५,००० मे से ११,००० घटाकर ४,०००) पर १-४-६३ से ३०-६-६३ अर्थात् ३ महिने के लिए ४% ब्याज की दर से अर्थात् ४०) ब्याज लगाया जायगा।

(स) कर-निर्धारण के पश्चात् माँग की सूचना पर भुगतान— धारा १६१ :

जहाँ उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं हुई है अथवा जहाँ कर का अग्रिम भुगतान नहीं हुआ है वहाँ करदाता द्वारा कर-निर्धारण के पश्चात्

कर दिया जायगा। कर-निर्धारण (अस्थायी या नियमित) के पश्चात् आयकर अफसर धारा १५६ के अन्तर्गत एक माँग की सूचना करदाता के पास भेज देगा तथा उसमें उस तिथि का उल्लेख कर देगा जब तक कि ऐसा भुगतान हो जाना चाहिए। कर-निर्धारण के समय उद्गम स्थान पर कटे हुए कर तथा अग्रिम कर का श्रेय करदाता को मिलेगा तथा सकल कर की माँग में से ऐसी रकमों का समायोजन कर दिया जायगा।

७. बकाया कर तथा उसकी वसूली (Arrears of tax & Recovery thereof)—धाराएँ २२० से २३२ :

(१) धारा १५६ के अन्तर्गत जारी किए नोटिस की तामील के ३५ दिनके अन्दर करदाता को उसमें लिखी हुई रकम (अग्रिम कर के अलावा) का भुगतान करना पड़ता है। यदि आयकर अफसर यह विश्वास करे कि ३५ दिन के समय देने से कर वसूली में कठिनाई होगी तो वह इसपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर की पूर्वानुमति से कर भुगतान के लिए ३५ दिन से कम का भी समय दे सकता है। यदि उपरोक्त समय में कर का भुगतान नहीं हो तो करदाता को उस दिन से ४% वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ेगा। यदि दाता कर का भुगतान ठीक समय में नहीं करे तो उस पर धारा २२१ के अन्तर्गत कर के बर बर तक दण्ड लगाया जा सकता है।

(२) यदि कोई करदाता कर भुगतान के सम्बन्ध में कसूरवार या अपराधी हो या ठहराया जाय तो आयकर अफसर धारा २२२ के अन्तर्गत कर वसूली अफसर (Tax Recovery Officer) के पास बकाया कर की रकम का उल्लेख करते हुए एक प्रमाण पत्र (Certificate) हस्ताक्षर करके भेज देगा। ऐसे प्रमाण पत्र की प्राप्ति के पश्चात् कर वसूली अफसर अधिनियम १६६१ के द्वितीय परिशिष्ट में दिए गये नियमों के अनुसार निम्न किसी भी प्रकार से कर वसूल करेगा :—

(अ) करदाता की चल तथा अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय करना ;

(ब) करदाता को पकड़ कर उसे जेल में रखना ;

(स) करदाता की चल तथा अचल सम्पत्ति की व्यवस्था के लिए रिसीवर की नियुक्ति करना।

उस गत वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसी माँग पैदा हुई है या जिसमें करदाता कसूरवार समझा गया, की समाप्ति के एक वर्ष के पश्चात् ऐसी कार्यवाही नहीं प्रारम्भ की जा सकती।

(३) प्रमाण-पत्र जारी करने के अलावा आयकर अफसर निम्न प्रकार से बकाया कर की वसूली कर सकता है—

(अ) कर्मचारी के वेतन से बकाया कर के काटने के लिए उनके मालिक को आज्ञा देकर;

(ब) करदाता के देनदारों को बकाया कर की रकम के भुगतान की आज्ञा देकर;

(स) जिस अदालत में करदाता का पैसा जमा है उससे बकाया कर की रकम के बराबर भुगतान करने की प्रार्थना करके; अथवा

(द) यदि वह कमिश्नर द्वारा अधिकृत है तो उसकी चल संपत्ति का आसेध (Distraint) तथा बिक्री करके।

८. कर-शोधन प्रमाण पत्र (Tax-Clearance Certificate)— धारा २३० :

यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़ कर बाहर जाता है तो उसको जाने के पहले कर भुगतान शोधन पत्र या कर-मुक्त प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था सरकार ने आय को सुरक्षित करने के हेतु की है। इस सम्बन्ध में भारत से बाहर जाने से पहले उस व्यक्ति द्वारा अपने क्षेत्रों के आयकर अफसर को प्रार्थना की जाती है। आयकर अफसर के पूर्णतया सतुष्ट हो जाने पर इस आशय का एक अधिकृत फॉर्म (Authorisation form) कर दाता को मिल जायगा। यह फॉर्म विदेशी विभाग (Foreign Section) के आयकर अफसर से कर-शोधन प्रमाण पत्र या कर मुक्त प्रमाण पत्र के बदले में बदल दिया जायगा। जो व्यक्ति भारतीय नहीं है तथा जिन पर कर नहीं लगता है वे सीधे विदेशी विभाग के आयकर अफसर के पास आवेदन करते हैं। भारत से जानेवाले व्यक्तियों के पास ऐसा प्रमाण पत्र है या नहीं इस बात को पूर्णतया जाँच करने की जिम्मेदारी उन जहाजी कम्पनियों पर है जो कि यात्रियों को भारत से बाहर ले जाती हैं। यदि अपने आपको पूर्णतया संतुष्ट किए बिना ही किसी व्यक्ति को अपने पूर्ण कर भुगतान किए बिना जाने दिया हो तो जिम्मेदारी जहाजी कम्पनी की होगी। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें इस प्रकार के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने से मुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न

प्र० १. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो :—(१) अग्रिम कर का भुगतान ; (२) उद्गम स्थान पर कर की कटौती ; (३) कर शोधन प्रमाण-पत्र।

उ० देखो—(१) अनुच्छेद ४ तथा ५ ; (२) अनुच्छेद २ तथा ३ ; (३) अनुच्छेद ८।

प्र० २. बकाया कर वसूली के विभिन्न तरीकों का सूचित उल्लेख कीजिए।

उ० देखिए अनुच्छेद ७।

अध्याय २१

कर-वापसी (REFUNDS)—धाराएँ २३७ से २४५.

१. कर-वापसी की उत्पत्ति—धारा २३७ :

यदि किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए कोई व्यक्ति आयकर अफसर को इस बात से सन्तुष्ट करा दे कि उसके द्वारा या उसके लिए दी गई अथवा उसके लिए दी गई मानी हुई कर की रकम उस पर उस वर्ष में लगने वाली कर की रकम से अधिक है तो वह उस अधिक रकम की वापसी के लिए हकदार है।

२. किन्हीं विशेष दशाओं में कर-वापसी के हकदार—धारा २३८ :

(१) जहाँ किसी व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय में (धारा ६०, ६१, ६४ इत्यादि के अन्तर्गत सम्मिलित कर ली जाती है वहाँ वह ऐसा दूसरा व्यक्ति ही उस कर-वापसी लेने का हकदार है।

(२) जहाँ मृत्यु, पागलपन, अयोग्यता, दिवालियापन, इत्यादि के कारण कोई व्यक्ति वापसी लेने मे असमर्थ हो तो उसका वैधानिक प्रतिनिधि या ट्रस्टी या संरक्षक या रिसीवर, इत्यादि ऐसी वापसी लेने का हकदार रहेगा।

३. वापसी का दावा-पत्र तथा अवधि—धारा २३९ :

प्रत्येक करदाता द्वारा अपना वापसी दावा (Claim for Refund) आयकर अफसर से मिलने वाले फार्म न० ३० में आयकर नियम ४१ के अन्तर्गत निर्धारित रूप से भरकर किया जाना चाहिए। जिस कर-निर्धारण वर्ष में वह आय, जिसके बारे में ऐसा दावा किया गया है, कर-योग्य है, वे अगले ४ वर्षों के अन्दर ही ऐसा दावा हो जाना चाहिए। जैसे गत वर्ष १९५७-५८ की आय के बारे में ३१ मार्च १९६३ तक ही ऐसा दावा पेश हो सकता है बाद में नहीं।

४. अपील इत्यादि पर वापसी—धारा २४० :

जहाँ अपील अथवा कोई अन्य कार्यवाही से किसी करदाता को कोई वापसी की रकम मिलने वाली हो तो करदाता के बिना फार्म न० ३० में दावा करे ही आयकर अफसर द्वारा स्वयं ही ऐसी रकम वापस कर दी जायगी।

५. किन्हीं अवस्थाओं में वापसी को रोकने का अधिकार—धारा २४१ :

जहाँ कोई आदेश, जिसके अन्तर्गत वापसी मिलने वाली है, अपील या अन्य कार्यवाही के अधीन विचारार्थ है तथा आयकर अफसर इस मत का है कि वापसी देने से राजस्व को नुकसान पहुँच सकता है तो वह कमिश्नर की पूर्वानुमति से, उस समय तक जो कमिश्नर निर्धारित करे, वापसी रोक सकता है।

६. कर-निर्धारण की सचाई पर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता—धारा २४२ :

आयकर अधिनियम १६६१ के अध्याय १६ के अन्तर्गत कर वापसी के दावे के समय करदाता उस कर निर्धारण या अन्य मामले के लिए जो अन्तिम हो चुका है, कोई प्रश्न या आपत्ति नहीं कर सकता तथा उसके पुनः निरीक्षण के लिए कोई माँग नहीं कर सकता। वह केवल सही रकम जो देय है वापस लेने का हकदार है।

७ देरी से वापसी पर ब्याज—धारा २४३ :

यदि कोई आयकर अफसर

(अ) जहाँ कुल आय में केवल प्रतिभूतियों के ब्याज अथवा लाभांश से आय ही सम्मिलित नहीं है (अर्थात् जहाँ कुल आय में ऐसी आय के अलावा अन्य प्रकार की आय भी सम्मिलित है), कुल आय की अगणना की तिथि से तीन महिने तक कर वापसी नही करे, तथा

(ब) किसी अन्य दशा में (अर्थात् जहाँ करदाता की कुल आय केवल प्रतिभूतियों से ब्याज अथवा लाभांश से ही हो) वापसी दावे की तिथि से ६ महिने तक कर वापसी नहीं करे,

तो केन्द्रीय सरकार ऐसे करदाता को उपरोक्त तिथियों के पश्चात् कर वापसी के आदेश की तिथि तक ४% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देगी।

व्याख्या :—यदि उपरोक्त ६ महिने के अन्तर्गत करदाता की वजह से कोई देरी हुई है तो ऐसा समय ब्याज गिनने के लिए अलग कर दिया जायगा। यदि कभी यह प्रश्न उठे कि कितना समय अलग किया जाय तो ऐसे प्रश्न पर कमिश्नर का फैसला अन्तिम होगा।

८. ऐसी वापसी का ब्याज जिसके लिए दावेकी आवश्यकता नहीं—धारा २४४ :

(१) उपरोक्त अनुच्छेद ४ में वर्णित किसी आदेश के अन्तर्गत जहाँ कोई वापसी देय हो तथा आयकर अफसर उक्त ६ मास के अन्दर वापसी नहीं करे तो केन्द्रीय सरकार को ६ महिने की समाप्ति से वापसी के आदेश की तिथि तक ४% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देना पड़ेगा।

(२) जहाँ धारा २४१ के अन्तर्गत कोई वापसी रोकी गई है वहाँ अन्त में निर्धारित वापसी की रकम पर उक्त ६ महिने के अन्त से वापसी के आदेश की तारीख तक उपरोक्त दरों से केन्द्रीय सरकार को ब्याज देना पड़ेगा।

९. देयकर से वापसी का प्रतिसादन—धारा २४५।

जहाँ एक करदाता को कोई वापसी की रकम मिलने वाली हो तथा उससे कोई कर इत्यादि की रकम बकाया है तो ऐसी बकाया कर की रकम से करदाता को लिखित सूचना भेजकर ऐसी वापसी रकम का प्रतिसादन किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या ६१ :

निम्न दशाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ब्याजकी गणना कीजिए :—

(i) 'क' की कुल आय केवल प्रतिभूतियों के ब्याज तथा लाभांश से है। उसने वापसी का दावा २२-४-६२ को कर दिया। आयकर अफसर ने उसे मिलने वाली वापसी रकम की गणना १,२००) करके उसे २१-१०-६२ को ऐसा वापसी आदेश (Refund order) भेज दिया।

(ii) 'ख' की आय केवल लाभांशों से है। उसने १६-४-६२ को वापसी दावा भर दिया। उसने अपने विनियोग के स्रोतों के बारे में सबूत देने में दो महिने की देरी कर दी। वापसी की रकम २,०००) है। मान लीजिए उसे वापसी कर की रकम १६-२-६३ को मिली।

(iii) 'ग' की कुल आय केवल सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज तथा *गृह सम्पत्ति से आय शीर्षकों से है।* उसने २०-४-६२ को वापसी का दावा भरा। आयकर अफसर ने ता० १-१२-६३ को एक आदेश द्वारा वापसी की रकम ८०० निर्धारित की। मान लीजिए वापसी की रकम का आदेश वास्तव में उसे १८-१ ६३ को मिला।

(iv) 'घ' की कुल आय वेतन, लाभांश तथा पूँजीगत लाभ से है। उसने १-५-६२ को कर वापसी का दावा भरा। आयकर अफसर ने १२-५-६२ को उसकी कुल आय की संगणना कर ६००) की वापसी की रकम निर्धारित की। वापसी आदेश १२-१०-६२ को भेजा गया।

(v) 'च' को अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के तारीख ८-४-६२ के आदेशानुसार ५,०००) की वापसी मिलेगी। कर वापसी का आदेश करदाता को ६-१०-६२ को भेजा गया।

उत्तर :—

(i) चूँकि वापसी ६ महिने के अन्दर ही हो गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायगा।

(ii) ब्याज लागू होने की तिथि १६ ४-६२ से ८ महिने बाद (६ महिने+२ महिने करदाता के कारण) अर्थात् १६-१२ ६२ से प्रारम्भ होगी। चूँकि अन्त में १६-२-६३ को ही वापसी दी गई है, केन्द्रीय सरकार को २,००० पर ४% प्रति वर्ष की दर से २ महिने का ब्याज देना होगा जो कि १३) ३३ न० पै० होगा।

(iii) चूँकि आयकर अफसर के आदेश की तिथि से तीन महिने के अन्दर ही वापसी कर दी गई है इसलिए केन्द्रीय सरकार को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा।

(iv) यहाँ वापसी देने में दो महिनेकी देरी हुई है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को ६००) पर दो महिने का ४% प्रतिवर्ष की दर से अर्थात् ४) ब्याज देना पड़ेगा।

(v) चूँकि आयकर अफसर ने ६ महिने के अन्दर ही कर की वापसी कर दी है, केन्द्रीय सरकार को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा।

प्रश्न

प्र० १. 'कर वापसी' पर एक छोटा-सा लेख लिखो।

उ० देखो अनुच्छेद १ से ६।

प्र० २. देरी से वापसी करने पर केन्द्रीय सरकार को किन अवस्थाओं में तथा किस प्रकार ब्याज देना पड़ता है?

उ० देखो अनुच्छेद ७ तथा ८।

अध्याय २२.

अपील तथा पुनरीक्षण--धाराएँ २४६ से २६९

(APPEALS & REVISION)

१. अपील का अधिकार—धारा २४६ :—

आयकर अफसर द्वारा आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं जैसे १०४ १३१, १४३, १४४, १४६, १४७, १५०, १५४, १५५, १६३, १७०, १७१, १८५, १८६, २०१, २१६, २२१, २३७, २७०, २७१, २७२, २७३ इत्यादि के अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार केवल करदाता को ही है। आयकर विभाग को ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील का कोई अधिकार नहीं है। विभिन्न प्रकार की अपीलों का वर्णन नीचे किया जाता है :—

२. अपिलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास अपील—धाराएँ २४६ से २५१ :

आयकर अफसर के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अपिलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास नियम ४५ के अनुसार फार्म नं० ३५ में हो सकती है। जिस आदेश के विरुद्ध अपील करने की है उसकी तामिल के ३० दिन के अन्दर ही अपील की जा सकती है। अपील की सुनवाई के समय आयकर अफसर को स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई की माँग करने का पूरा अधिकार है। अपिलेट असिस्टेंट कमिश्नर उस आदेश की पुष्टि कर सकता है अथवा उसको रद्द या कम अथवा हटा सकता है किन्तु करदाता को सुनवाई का उचित मौका दिए बिना कर-निर्धारण या दण्ड को नहीं बढ़ा सकता।

३. कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण—धाराएँ २६३ से २६४ :

कमिश्नर स्वयं इनकम-टैक्स अफसर के किसी निर्णय का निरीक्षण कर सकता है तथा जैसी जाँच वह चाहे करवा कर कर-दाता के पक्ष में जैसी वह ठीक समझे आज्ञा दे सकता है। यदि कोई कर-दाता २५ रु० की फीस के साथ उस आदेश के १ वर्ष के अन्दर ही अर्जी भेजे तो कमिश्नर उस कर-दाता के कागज जाँच करके वह कर-दाता के पक्ष में जो उचित आज्ञा हो दे सकता है या उस प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार भी कर सकता है। जब तक अपील करने का समय समाप्त नहीं हो जाता या जहाँ कोई अपील का निर्णय आना बाकी हो तो, *कमिश्नर पुनःनिरीक्षण नहीं कर सकता।* **कमिश्नर का फैसला अंतिम है जिस पर कोई अपील नहीं हो सकती**—*धारा २६४।*

इसके अलावा कमिश्नर को सरकारी आय के हित में रकम बढ़ाने, परिवर्तन करने या कर की आज्ञा को रद्द करके नई आज्ञा देने का भी अधिकार दे

दिया गया है। किसी आदेश के दो वर्ष के पश्चात् ऐसा पुनरीक्षण नहीं हो सकता। यदि कोई कर-दाता कमिश्नर की ऐसी आज्ञा से सन्तुष्ट नहीं हो तो उस आज्ञा के मिलने के ६० दिन के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल में १००) की फीस देकर अपील कर सकता है—धारा २६३।

४. अपिलेट ट्रिब्यूनल में अपील—धाराएँ २५२ से २५५ :

(अ) अपिलेट असिस्टेंट कमिश्नर के धारा २३१, २५० या २७१ के अन्तर्गत जारी किए गए आदेश, अथवा (ब) धारा २७४ (२) के अन्तर्गत इंस-पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा जारी किए गए आदेश, अथवा (स) धारा २६३ के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुद्ध कोई भी करदाता ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। अपिलेट असिस्टेंट कमिश्नर के धारा २५० के अन्तर्गत पास किए आदेश के विरुद्ध कमिश्नर आयकर असफसर को अपील करने का आदेश दे सकता है यदि वह उक्त आदेश से सन्तुष्ट नहीं है। अपील करने के लिए केवल करदाता को ही १००) की फीस जमा करानी पड़ती है। ऐसी अपील उक्त आदेश के ६० दिन के अन्दर ही दाखिल हो जानी चाहिए। ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल होने की सूचनावाले नोटिस की प्राप्ति के ३० दिन के भीतर ही करदाता अथवा आयकर अफसर फार्म ३६ ए को भरकर दुतरफा—आपत्ति ज्ञापिका (Memorandum of cross-objections) दे सकता है। ट्रिब्यूनल में अपील नियम ४७ के अनुसार फार्म न० ३६ में होती है। तथ्य सम्बन्धी प्रश्नों पर (On questions of fact) ट्रिब्यूनल का आदेश अन्तिम होता है।

५. हाईकोर्ट के पास निर्देश— धारा २५६ से २६० :

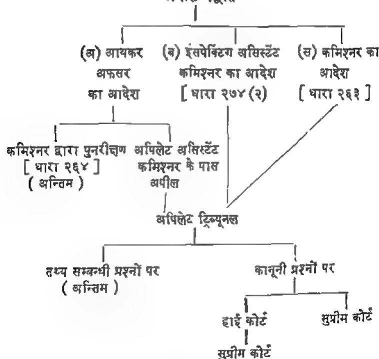
केवल कानून सम्बन्धी प्रश्नों पर (On questions of law only) ट्रिब्यूनल के आदेश से असन्तुष्ट होने पर करदाता अथवा कमिश्नर उस राज्य की हाईकोर्ट में निर्देश (Reference) कर सकता है। ऐसे निर्देश के लिए ट्रिब्यूनल में नियम ४८ के अनुसार फार्म न० ३७ में निवेदन-पत्र भेजने की अवधि ६० दिन है। करदाता के लिए १००) की फीस निर्धारित है। ऐसे आवेदन-पत्र की प्राप्ति के १२० दिन के अन्दर ट्रिब्यूनल को उस मामले का विवरण (Statement of case) तैयार करके उस कानूनी प्रश्न को हाईकोर्ट के निर्णय के लिए भेजना पड़ता है। यदि ट्रिब्यूनल ऐसे मामले को हाईकोर्ट में भेजने के लिए तैयार नहीं हो तो करदाता या कमिश्नर हाईकोर्ट में ट्रिब्यूनल को ऐसा आदेश देने के लिए प्रार्थना कर सकता है। जहाँ किसी प्रश्न पर विभिन्न हाईकोर्टों के निर्णयों में मतभेद हो तो ऐसे मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में

भी भेजे जा सकते हैं। ऐसे मामले की प्राप्ति के पश्चात् हाईकोर्ट अथवा सुप्रीमकोर्ट को उस मामले को सुनकर अपना फैसला देना पड़ता है। हाईकोर्ट के समक्ष ऐसे मामले की सुनवाई कम से-कम दो जजों द्वारा होगी।

६. सुप्रीम कोर्ट में अपील—धाराएँ २६१-२६२ :

यदि हाई कोर्ट उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के योग्य प्रमाणित कर दे तो उस फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बदल सकती है या रद्द कर सकती है या स्वीकार कर सकती है। *इसका निर्णय अन्तिम है।*

निम्न चार्ट द्वारा अपील की पद्धति का पूर्ण ज्ञान स्पष्ट हो जाता है :—



प्रश्न

प्र० १. 'अपील पद्धति' पर एक छोटा-सा निबन्ध लिखिए।
उ० देखो अनुच्छेद १ से ६।
प्र० २. 'कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण' पर एक टिप्पणी लिखिए।
उ० देखो अनुच्छेद ३।

परिशिष्ट 'क'

कर की संगणना

[COMPUTATION OF TAX]

१. भूमिका : आयकर अधिनियम में आयकर तथा अधिकर दोनों का उल्लेख है। इस अधिनियम में करनिर्धारण के आधार, तरीकों तथा प्रणाली का विवरण है। किस दर से आय पर कर लगना चाहिए इसका उल्लेख इसमें नहीं है। आयकर तथा अधिकर की दरें प्रत्येक वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पास होने वाले वार्षिक वित्त अधिनियम (Finance Act) के द्वारा निश्चित की जाती है।

२. आयकर की दरें (Rates of Income tax) :

१६६२-६३ कर-निर्धारण वर्ष के लिए वित्त (नं० २) अधिनियम १६६२ द्वारा *आयकर की निम्न दरें निश्चित की गई हैं :—*

(अ) (१) प्रत्येक विवाहित व्यक्ति तथा अविभक्त हिन्दू परिवार जिसकी आय २०,००० रु० से ज्यादा नहीं है, के लिये :—

आय के विभाग रु०			दर प्रतिशत
(१) कुल आय के प्रथम	३,०००	पर	कुछ नहीं
(२) कुल आय के अगले	२,०००	"	३
(३) " " " "	२,५००	"	७
(४) " " " "	२,५००	"	१०
(५) " " " "	२,५००	"	१२
(६) " " " "	२,५००	"	१५
(७) " " " "	२,५००	"	२०
(८) " " " "	२,५००	"	२३

(२) प्रत्येक अविवाहित व्यक्ति, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, अपजीयित सार्थ अथवा अन्यजन-मडल अथवा प्रत्येक विवाहित व्यक्ति तथा अविभक्त हिन्दू परिवार जिसकी आय २०,००० रु० से अधिक हो, के लिए :—

				(प्रतिशत)
(१) कुल आय के प्रथम			१,००० रु० पर	कुछ नहीं
(२) "	"	अगले	४,००० रु० "	३
(३) "	"	"	२,५०० रु० "	७
(४) "	"	"	२,५०० रु० "	१०
(५) "	"	"	२,५०० रु० "	१२
(६) "	"	"	२,५०० रु० "	१५
(७) "	"	"	२,५०० रु० "	२०
(८) "	"	"	२,५०० रु० "	२३
(९) "	" शेष भाग पर			२५

उपरोक्त दरों से कर की गणना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है :—

(१) कर-मुक्त सीमा (Exemption Limit) :

वह आय जो निम्नलिखित सीमाओं से अधिक नहीं है कर देने से मुक्त है। किसी भी दशा में कर की रकम कुल आय तथा निम्न सीमाओं के अन्तर के आधे से अधिक नही हो सकती। सीमाएँ निम्नलिखित हैं :—

(१) ६००० रु० प्रत्येक **अविभक्त हिन्दू परिवार** के लिए जो गतवर्ष के अन्त में निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक पूरी करता हो :—

(अ) कि उसके कम से कम दो सदस्य ऐसे हैं जो बँटवारे के हकदार हैं तथा जिनमें से कोई भी १८ वर्ष की उम्र से कम नहीं है।
अथवा

(ब) कि उसके कम से कम दो ऐसे सदस्य हैं जो बँटवारे के हकदार हैं तथा जिनमें से कोई एक दूसरे के वंशज नहीं है तथा वे परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य के वंशज नहीं हैं।

(२) ३,००० रु० अन्य प्रत्येक दशामें।

(२) बच्चों का भत्ता :

एक विवाहित व्यक्ति तथा हिन्दू अविभक्त परिवार जिसकी कुल आय २०,००० रु० से अधिक नहीं है, को प्रत्येक बच्चे पर जो उस पर पूर्णतया या मुख्य रूप में निर्भर हैं, ३०० रु० (केवल दो बच्चों तक) छूट मिलती है। इस प्रकार एक विवाहित पुरुष को जिसके दो बच्चे उसपर पूर्ण तया निर्भर हैं कोई कर नहीं देना पड़ता यदि उसकी कुल आय ३,६०० रु० से अधिक नहीं है।

(३) अर्जित आय, अर्जित आय पर छूट तथा अधिभार (Earned Income, Earned Income Relief and Surchages) :

३१ मार्च सन् १९५७ तक अर्जित आय पर एक विशेष प्रकार की छूट मिलती थी। वित्त अधिनियम १९५७ के अनुसार यह छूट बिलकुल बन्द कर दी गई है। अब वित्त (नं० २) अधिनियम १९६२ के अन्तर्गत आयकर तथा अधिकर दोनों की दरें अर्जित आय तथा अनर्जित आय के लिए समान हैं किन्तु अनर्जित आय पर अर्जित आय की अपेक्षा एक अतिरिक्त अधिभार लगाया जाता है। इससे यह तात्पर्य निकला कि अनर्जित आय पर आयकर तथा अधिकर दोनों से एक विशेष रियायत मिलती है परन्तु पहले की अपेक्षा बिलकुल दूसरी शक्ल में।

अर्जित आय की परिभाषा (Definition of Earned Income) :

वित्त (नं० २) अधिनियम १९६२ की धारा ७ (iii) के अनुसार निम्न तीन प्रकार के आय के शीर्षकों के अन्तर्गत होनेवाली आय ही अर्जित आय मानी जाती है :—

(अ) वेतन ;

(ब) व्यापार अथवा पेशे के लाभ ; तथा

(स) अन्य साधनों से आय यदि वह कर दाता के व्यक्तिगत परिश्रम करने से हुई है अथवा वह पेंशन है या मृत व्यक्ति के भूतकाल में की गई सेवाओं के उपलक्ष में कोई पारिश्रमिक है।

केवल व्यक्ति, अविभक्त हिन्दू परिवार, अनरजिस्टर्ड फार्म तथा अन्यजन मंडल की आय ही अर्जित आय हो सकती है। यदि अध्याय ११ में वर्णित उपबन्धों के अन्तर्गत किसी दूसरे व्यक्ति की आय करदाता की आय में सम्मिलित की गई है तो वह भी करदाता के लिए अर्जित आय (यदि वह उपरोक्त शर्तों को पूरी करती है) कही जायगी।

उपरोक्त दरों से लगाये गये आयकर पर निम्न **अधिभार** लगता है :—

(अ) संघ के कार्यों के लिए निम्न अधिभार :—

(i) वेतन के आयकर पर $2\frac{1}{2}\%$;

(ii) शेष आय के आय कर पर ५% ; तथा

(iii) १ लाख से ऊपर अर्जित आय के आयकर पर १०% ; तथा

(ब) अनर्जित आय पर एक विशेष प्रकार का अधिभार : अनर्जित आय के आयकर का १५%।

नोट :—अनर्जित आय अर्जित आय के पश्चात् वाले विभाग में गिनी जाती है।

सीमान्त आमदनी वाली दशाओं में सहायता देने के लिए अधिभार लगाने के लिए निम्न सीमाएँ हैं :—

(i) १५,००० रु० उस अविभक्त हिन्दू परिवार के लिए जो कि ६,००० रु० की कर-मुक्त सीमा के लिए अधिकारी है।

(ii) ७,५०० रु० किसी अन्य दशामें। यदि कुल आय में साधारण हिस्सों (ordinary shares) का लाभांश शामिल है तो इस सीमा को लाभांशों की रकम अथवा १,५०० रु० (जो भी कम हो) से बढ़ा दिया जायगा।

(४) कर लगाने की विधि :

सन् १९६२-६३ के कर-निर्धारण में यदि किसी कर दाता की (कम्पनी को छोड़कर) कुल आय में वेतन की आय शामिल हो तो कुल आय के इतने हिस्से की आय पर गतवर्ष (सन् १९६१-६२) की औसत दरों से कर लगेगा।

(ब) प्रत्येक स्थानीय अधिकारी की कुल आय पर ३०% आयकर तथा उसपर ५% अधिभार लगता है।

(स) उस प्रत्येक दशा में जबकि उच्चतम दरों से कर लगाया जाता है आयकर की दर २५% तथा उस पर २०% अधिभार (५% यूनियन के कार्यों के लिए तथा १५% विशेष अधिभार) लगता है।

(द) प्रत्येक कंपनी के लिए आयकर की दर २५% है।

(य) प्रत्येक रजिस्टर्ड फर्म पर निम्न दरों से आय कर लगता है :—

	दर	
	चार या कम साझेदार होनेपर	पाँच या अधिक साझेदार होनेपर
(१) कुल आय के प्रथम २५,००० रु० पर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(२) ,, ,, अगले २५,००० रु० ,,	५%	७%
(३) ,, ,, ,, २०,००० रु० ,,	६%	८%
(४) ,, ,, ,, ४०,००० रु० ,,	७%	९%
(५) ,, ,, ,, ५०,००० रु० ,,	८%	१०%
(६) ,, ,, ,, शेष भाग पर	१०%	१२%

(२) उस प्रत्येक दशा में जब कि कर की कटौती उच्चतम दरों से होती है तो कर की दरें निम्न हैं :—

	आयकर	अधिभार संघ के कार्यों के लिए	विशेष अधिभार
प्रत्येक कंपनी के लिए	२५%	—	—
अन्य दूसरी दशा में	२५%	१.२५%	३.७५%

(कंपनी पर अतिरिक्त कर की कटौती की दरें ५% से ३३% है। अनिवासी के लिए धारा ११३ के अनुसार कटौती की जाती है।)

३. अधिकर या अतिरिक्त कर (Super-tax) :

धारा ९५ के अनुसार अधिकर एक प्रकारका अतिरिक्त आयकर आरोपण (additional levy of Income-tax) है। आयकर तथा अधिकर के लिए कुछ दशाओं में कुल आय भिन्न भिन्न होती है, जिसका विस्तृत उल्लेख अध्याय ४ में किया जा चुका है।

४. अधिकर की दरें :

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए अधिकर की निम्न दरें वित्त (न० २) अधिनियम १९६२ द्वारा निर्धारित की गई हैं :—

(अ) प्रत्येक व्यक्ति, अविभक्त हिन्दू परिवार, अनरजिस्टर्ड फर्म तथा अन्य जन मंडल या किसी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति के लिए :—

(१)	कुल आय के प्रथम	२०,००० रु० पर	कुछ नहीं
(२)	,, ,, ,, अगले	५,००० रु० पर	८%
(३)	,, ,, ,, ,,	५,००० रु० पर	१८ ,,
(४)	,, ,, ,, ,,	१०,००० रु० पर	२२ ,,
(५)	,, ,, ,, ,,	१०,००० रु० पर	३२ ,,
(६)	,, ,, ,, ,,	१०,००० रु० पर	४० ,,
(७)	,, ,, ,, ,,	१०,००० रु० पर	४५ ,,
(८)	,, ,, ,, शेष भाग	पर	४७ ५ ,,

अधिकर या अतिरिक्त कर पर अधिभार : (Surcharge on Super-tax) :

उपरोक्त दरों से निश्चित अधिकर की रकम पर निम्न अधिभार लगाया जाता है :—

(१) संघ के कार्यों के लिए निम्न रकमों के बराबर अधिभार :—

(i) वेतन के अधिकर पर २½% ;

(ii) शेष आय पर अधिकर की रकम का ५% ; तथा

(iii) १,००,००० रु० से अधिक अर्जित आय की रकम पर लगे अधिकर का १०% ; तथा

(२) अनर्जित आय पर एक विशेष अधिभार—जो कि अनर्जित आय पर लगे हुए अधिकर की रकम के १५% के बराबर है।

(ब) प्रत्येक **स्थानीय अधिकारी** पर उसकी कुल आय के १६% के बराबर *अधिकर लगता है तथा उस अधिकर पर १२॥% अधिभार लगता है।*

(स) प्रत्येक **सहकारिता समिति** के लिए अधिकर की दरें निम्न हैं :—

(i) कुल आय के प्रथम २५,००० पर कुछ नहीं

(ii) कुल आय के शेष भाग पर १६%। ऐसे अधिकर पर १२॥% अधिभार लगता है।

(द) प्रत्येक **कम्पनी** के लिए अधिकर की दर ५५% है जिसमें से भिन्न-भिन्न छूटें दी जाती हैं। **कंपनी के आयकर अथवा अधिकर पर कोई अधिभार नहीं लगता।**

कम्पनी को अतिरिक्त कर से मिलनेवाली छूटें १७% से ५०% तक है। एक कम्पनी (जो बोनस शेयर जारी नहीं करती है) उस पर नैट निगम कर (Corporation tax) अर्थात् कम्पनी पर लगनेवाले अतिरिक्त कर या अधिकर की निम्न दरें हैं :—

कम्पनी का विवरण	निगम कर की दरें
१. उन कम्पनियों के लिए जिन्होंने भारत में लाभांशों की घोषणा तथा भुगतान के लिए धारा १९४ के अनुसार निर्धारित प्रबन्ध किए हैं :—	
(अ) यदि कम्पनियों में जनता का प्रचुर हित है तथा उनकी कुल आय २५,०००) से अधिक नहीं है—	
(i) भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांशों पर	५%
(ii) शेष आय पर	२०%

(ब) अन्य कम्पनियों के लिए—

(i) १-४-६१ से पूर्व बनी सभी पंजीकृत सहायक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांशों पर — ५%

(ii) अन्य भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांशों पर — १०%

(iii) शेष कुल आय पर — २५%

२. उन कम्पनियों के लिए जिन्होंने उपरोक्त वर्णित निर्धारित प्रबन्ध नहीं किए हैं :—

(i) १-४-६१ से पूर्व बनी तथा पंजीकृत सहायक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांशों पर — ५%

(ii) १-४-५६ से पूर्व बनी तथा पंजीकृत भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांशों तथा १-४-६१ के पश्चात् किए गये किसी स्वीकृत समझौते के अन्तर्गत प्राप्त रॉयल्टी पर — २५%

(iii) १-४-५६ के पश्चात् बनी गई तथा पंजीकृत कोई अन्य भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांशों पर — १०%

(iv) शेष कुल आय पर — ३८%

नोट :—उन विदेशी कम्पनियों जिन्होंने भारत में लाभांशों की घोषणा तथा भुगतान के लिए निर्धारित प्रबन्ध नहीं किए हैं के अलावा सभी करदाताओं के लिए भारत से बाहर निर्यात करने से हुई आय पर लगनेवाले आयकर तथा अतिरिक्त कर की रकम में से उसका १०% भाग छूट के रूप में १-४-६२ के पश्चात् दिया जाता है।

जहाँ किसी कर-दाता (कम्पनियों को छोड़कर) की कुल आय में "वेतन" शीर्षक की ऐसी आय शामिल है जिस पर अधिकर काटा गया है अथवा जिसपर अधिकर काटा जाना चाहिए था, तब सन् १९६२-६३ वर्ष के लिए कर-निर्धारण करते समय वेतन की ऐसी आय पर सन् १९६१-६२ की दरों से अधिकर लगाया जायगा।

५. कर-निर्धारण की संगणना : (Computation of Assessment)
एक कर-दाता के कर-निर्धारण में मुख्य क्रम निम्नलिखित हैं :—

(१) अध्याय ५ से ११ में बताए गए तरीकों के अनुसार उसकी कुल आय तथा कुल विश्व आय मालूम करनी चाहिए। उद्गम स्थान पर काटे हुए करको तथा अन्य प्रकार से दिए गए कर की रकमों को जोड़ देना चाहिए।

(२) कुल आय पर आयकर तथा अधिकर एवं उनपर अधिभार निकालना चाहिए।

(३) इसके पश्चात् आयकर तथा अधिकरकी औसत दरें मालूम करनी चाहिए। यह कार्य कुल आय को आयकर से तथा अधिकर से विभाजित करके किया जाता है।

(४) इसके पश्चात् आंशिक कर-मुक्त आय की रकम मालूम करके उस पर आयकर तथा/अथवा अधिकर की औसत दरों से छूट की रकम निकालनी चाहिए।

(५) आय कर तथा अधिकर की कुल रकमों में से निम्न रकमें घटानी चाहिए :—
   (अ) आंशिक कर-मुक्त आयपर छूट की रकम।
   (ब) उद्‌गम स्थान पर कटौती की रकम या अन्य रूप में दी गई रकम।
   (स) दुबारा-करारोपण छूट—यदि हो तो।
   (द) अग्रिम कर तथा उस पर ब्याज।

(६) शेष आय वह होगी जो कि कर दाता द्वारा देनी होगी या लेनी होगी। यदि कोई दण्ड या ब्याज लगाया गया हो तो उसकी रकम भी इस कुल रकम में जोड़ देना चाहिए।

प्रश्न संख्या ६३ :

श्री 'अ' (अविवाहित व्यक्ति) की गत वर्ष में ६,०००) की आय 'वेतन' से थी। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उस पर लगने वाले आयकर की संगणना कीजिए।

उत्तर :—

कुल आय के प्रथम १,०००)	पर		कुछ नहीं
,, ,, अगले ४,०००)	,,	३%	१२०)
,, ,, ,, १,०००)	,,	६%	६०)
	६,०००) पर आयकर		१८०)

नोट—'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आनेवाली आय पर गतवर्ष की दरों से कर लगता है। गत वर्ष १९६१-६२ के लिए अविवाहित व्यक्ति के लिए आयकर की निम्न दरें हैं—

						%
			रु०			
कुल आय के	प्रथम		१,०००	पर		कुछ नहीं
,,	,,	अगले	४,०००	,,		३
,,	,,	,,	२,५००	,,		६
,,	,,	,,	२,५००	,,		६
,,	,,	,,	२,५००	,,		११
,,	,,	,,	२,५००	,,		१४
,,	,,	,,	५,०००	,,		१८
,,	,,	शेष		,,		२५

एक विवाहित व्यक्ति (जिसकी कुल आय २०,०००) से अधिक नहीं हैं) के लिए उपरोक्त दरों में प्रथम दो विभाग क्रमशः १,००० तथा २,०००) है ; बाकी सब विभाग व दरें समान हैं। १६६२-६३ में वेतन पर घटा हुआ सरचार्ज अर्थात् २½% पहले नहीं था। अन्य सरचार्ज की दरों में कोई अन्तर नहीं है। इसी प्रकार अधिकर या अतिरिक्त कर (Super-tax) के लिए १६६१-६२ में आय के विभाग वही थे जो १६६२ ६३ के लिए हैं, केवल अधिकर की दरें क्रमशः इस प्रकार थी—कुछ नहीं, ५%, १५%, २०%, ३०%, ३५%, ४०%, तथा ४५%। आयकर पर लगानेवाले सरचार्ज में जो अन्तर इन दो वर्षों में है, वही अन्तर अधिकर पर लगनेवाले सरचार्ज में भी है।

प्रश्न संख्या ६४ :

एक वकील (विवाहित, ४ नाबालिग पुत्र) की आय १०,०००) पेशे से तथा ५,०००) मकान किराये से है। कर-निर्धारण वर्ष १६६२-६३ के लिए उस पर कर की सगणना कीजिए।

उत्तर :—

	रु०
१०,०००) की अर्जित आय पर विभिन्न दरों से आयकर	४६७
आयकर पर अधिभार—५% दर से	२३
५,०००) की अनर्जित आय विभिन्न दरों से आयकर	६७५
आयकर पर अधिभार—२०% [५%+१५] की दर से	१३५
कुल आयकर तथा अधिकर :	१,३००

नोट :—आयकर की विस्तृत संगणना :—

			रु०	रु०
अर्जित आय [१०,००० रु०] पर—				
कुल आय के प्रथम ३,६००	पर			कुछ नहीं
,, ,, अगले १,४००	,,	३%	= ४२	
,, ,, ,, २,५००	,,	७%	=१७५	
,, ,, ,, २,५००	,,	१०%	=२५०	
				४६७
अनर्जित आय [५,००० रु०] पर—				
,, ,, ,, २,५००	,,	१२%	=३००	
,, ,, ,, २,५००	,,	१५%	=३७५	६७५
				१,१४२

प्रश्न संख्या ६५ :

श्री 'ब' (अविवाहित व्यक्ति) की निम्न आय पर १९६२-६३ कर-निर्धारण वर्ष के लिए आयकर की संगणना कीजिए :—

(१) व्यापार के लाभ	३,०००)
(२) गृहसम्पत्ति से आय	४,५००)
कुल आय	७,५००)

उत्तर :—

कुल आय के	प्रथम	३,००० रु०	पर	कुछ नहीं
,, ,,	अगले	४,००० रु०	,,	३% =१२० रु०
,, ,,	,,	२,५०० रु०	,,	७% =१७५ रु०
			आयकर ··	२९५ रु०

चूंकि कुल आय ७,५००) से अधिक नहीं है, उस पर कोई अधिभार नहीं लगेगा।

प्रश्न संख्या ६६ :

श्री 'स' (अविवाहित) की निम्न आय से कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए कर की सगणना कीजिए :—

व्यापार के कर-योग्य लाभ	७,५१० रु०
लाभांश [इसमें से ३ रु० उद्गम	१० रु०
स्थान पर काट लिया गया है]	७,५२० रु०

उत्तर :—

अर्जित आय [७,५१०] पर कर :

	रु०	रु०
कुल आय के प्रथम १,००० पर		—
,, ,, अगले ४,००० पर	३% =	१२०
,, ,, ,, २,५०० पर	७% =	१७५
१० पर	१०% =	१
		२९६
अनर्जित आय [१० रु०] पर कर—		
,, ,, ,, १० पर	१०% =	१
	आयकर	२९७

२९७) पर ५% की दर से अधिभार = १४) ८५ न० पै०
१) पर १५% की दर से विशेष ,, = ०) १५ न० पै०

[redacted] प्रकार कुल अधिभार हुआ १५)

किन्तु वित्त अधिनियम १९६२ के अनुसार दोनों प्रकार के अधिभारों की राशि कुल आय तथा ७,५००) के अन्तर के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए अधिभार हुआ ½ × २० [७,५२०—७,५००] १०

आयकर तथा अधिभार	३०७
बाद, उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती	३
नेट कर	३०४

प्रश्न संख्या ६७ :

श्री शाह (विवाहित व्यक्ति) की निम्न आय पर कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए कर की सगणना कीजिए—

(१) जायदाद से आय	७,०००)
(२) व्यापार के लाभ	५३०
(३) लाभांश सकल [उद्‌गम स्थान पर कटौती—६ रु०]	२०
	७,५५०

उत्तर :—

	रु०			रु०
कुल आय के प्रथम	३,००० पर			
कुल आय के अगले	२,००० पर	३%	=	६०
कुल आय के अगले	२,५०० पर	७%	=	१७५
कुल आय के अगले	५० पर	१०%	=	५
		आयकर		२४०

२४०) पर साधारण अधिभार ५% की दर से हुआ — १२)
२४०) पर विशेष ,, १५% की दर से हुआ— ३६)

किन्तु विशेष अधिभार कुल आय तथा ७,५२० (७,५०० अधिभार की *सीमा + २० रु० लाभांश की रकम) के अन्तर के आधे से अर्थात् १५ रु० से* अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार साधारण तथा विशेष अधिभार हुआ १२+१५=२७) किन्तु अधिभार की सीमान्त सीमाओं के अनुसार कुल अधिभार कुल आय तथा ७,५०० के अन्तर के ½ से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों प्रकार से अधिभार की रकम हुई (७,५५०—७,५००=५०×½)= २५)

आयकर तथा अधिभार	२६५
बाद, उद्गम स्थान पर कर की कटौती	६
नैट आयकर की रकम	२५६

प्रश्न संख्या ६८ :

श्री पटेल (विवाहित) के व्यापार की २०,०२०) की आय पर कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए कर की संगणना कीजिए।

उत्तर :—

वित्त (न० २) अधिनियम १९६२ के प्रथम परिशिष्ट के भाग १ के अनुच्छेद 'अ' के उपबन्ध (iii) के अन्तर्गत आयकर हुआ—

	रु०
कुल आय के प्रथम २०,००० रु० पर विभिन्न दरों से कर	२,२३५
कुल आय के अगले २० रु० पर उसका आधा	१०
	२,२४५

२,२४५) पर साधारण अधिभार ५% की दर से	११२.२५
२०) पर अतिरिक्त कर ८% की दर से	१.६०
१)६० पर ५ की दर से अधिभार	०.०८
कुल आयकर तथा अतिरिक्त कर	२,३५८.६३

प्रश्न संख्या ६६ :

श्री मानकरण की १,२०,००० रु० की 'व्यापार के लाभ' की आय पर कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए कर की सगणना कीजिए।

उत्तर :—

	रु०
आयकर :—	
कुल आय के प्रथम २०,००० पर विभिन्न दरों से आयकर	२,२६५
,, ,, अगले ८०,००० ,, २५% ,, ,,	२०,०००
[१ लाख की अर्जित आयपर आयकर]	२२,२६५
,, ,, ,, २०,००० अर्जित आय पर २५% से आयकर	५,०००
	२७,२६५.००
५% की दर से साधारण अधिभार	१,३६४.७५
१०% ,, ,, १ लाख से अधिक अर्जित आय के आयकर पर अधिभार	५००.००
कुल आयकर तथा अधिभार	२९,१५६.७५

अतिरिक्तकर :—

कुल आय के प्रथम	२०,००० पर		—
,, ,, अगले	५,००० ,,	८%	४००
,, ,, ,,	५,००० ,,	१८%	९००
,, ,, ,,	१०,००० ,,	२२%	२,२००
,, ,, ,,	१०,००० ,,	३२%	३,२००
,, ,, ,,	१०,००० ,,	४०%	४,०००
,, ,, ,,	१०,००० ,,	४५%	४,५००
,, ,, ,,	३०,००० ,,	४७.५%	१४,२५०

कुल आय के प्रथम १,००,००० अर्जित आय पर	२६,४५०
,, = अगले २०,००० ,, ,, ,, ४७.५%	६,५००
अतिरिक्त कर···	३८,६५०.००
५% की दर से साधारण अधिभार	१,६४७.५०
१०% ,, ,, १ लाख से अधिक अर्जित आय के आयकर पर अधिभार	६५०.००
कुल आयकर तथा अधिभार	४१,८४७.५०

कुलकर :—

	रु०
आयकर तथा अधिभार —	२६,१५६.७५
अतिरिक्त कर ,, —	४१,८४७.५०
कुल कर···	७१,००७.२५

प्रश्न संख्या ७० :

श्री विजय को निम्न आय पर कर निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए किस प्रकार कर देना पड़ेगा :—

व्यापार से आय	२१,०००
लघुकालीन परिसम्पत से पूँजीगत लाभ ···	२,५००
दीर्घकालीन ,, ,, ,,	६,०००
कुल आय ··	२९,५००

उत्तर :—

श्री विजय को कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ में निम्नप्रकार से आयकर तथा अतिरिक्त कर देना पड़ेगा :—

(i) २१,०००) पर २१,०००) पर लगनेवाली आयकर तथा अतिरिक्त कर की औसत दरों से कर ;

(ii) २,५००) पर २३,५००) [२१,०००+२,५००] पर लगनेवाली औसत दरों से आयकर तथा अतिरिक्त कर ; तथा

(iii) ६,०००) पर २७,०००) [२१,०००+६,०००] पर लगनेवाली औसत दरों से आयकर तथा अतिरिक्त कर अथवा ६,००० पर २५% से केवल आयकर, जो भी कम हो।

प्रश्न संख्या ७१ :

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिये कुमारी गीता को १०,००० रु० एक कॉलेज से वेतन के मिले। इसके अलावा उसने एक पुस्तक (जो उसने चार वर्ष में पूरी की) के प्रतिलिप्यधिकार एक प्रकाशक को हमेशा के लिए दे दिये। इसके बदले में उसे ६,०००) एकराशि प्रतिफल मिला। बतलाइये उसे ६,००० पर किस प्रकार कर देना पड़ेगा।

उत्तर :—

• धारा १८० तथा आयकर नियम ६ के अनुसार कुमारी गीता को निम्न-प्रकार से कर देना पड़ेगा :—

(i) कर-निर्धारण वर्ष १९६२ ६३ में उसे १३,००० [१६०००—¾× ६,०००] पर १३,००० पर लगनेवाली आयकर की औसत दर से कर देना पड़ेगा तथा बाकी ६,००० की रकम पर १३,००० [१०,०००+½×६,०००] पर लागू होने वाली आयकर की औसत दर से कर देना पड़ेगा।

(ii) कर-निर्धारण वर्ष १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में ३,०००) की रकम प्रत्येक वर्ष की कुल आय निकालने के लिये जोड़ी जायगी तथा उस पर कर की संगणना की जायगी। उपरोक्त रीति (i) से ६,०००) पर लगे हुए कर की ½ रकम प्रत्येक वर्ष के कर में से बाद दे दी जायगी।

प्रश्न संख्या ७२ :

मेसर्स श्री किशन मोहनलाल एक रजिस्टर्ड फर्म है जिसमें ४ साझेदार है। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उसकी कुल आय १,००,००० रु० है। फर्म द्वारा देय आयकर की संगणना कीजिये।

उत्तर :—

मेसर्स श्री किशन मोहनलाल की कुल आय पर कर की संगणना :

		रु०
कुल आय के प्रथम २५,००० रु० पर		—
,, ,, अगले १५,००० रु० ,,	५%	७५०
,, ,, ,, २०,००० रु० ,,	६%	१,२००
,, ,, ,, ४०,००० रु० ,,	७%	२,८००
	कुल आयकर	४,७५०

प्रश्न संख्या ७३ :

मेसर्स घीसालाल देवकरण एक रजिस्टर्ड फर्म है जिसमें ५ भागीदार हैं। फर्म की कुल आय १ लाख रु० है। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिये *आयकर की सगणना कीजिए।*

उत्तर :—

		रु०
कुल आय के प्रथम २५,००० रु० पर		—
,, ,, अगले १५,००० ,, ,,	७%	१,०५०
,, ,, ,, २०,००० ,, ,,	८%	१,६००
,, ,, ,, ४०,००० ,, ,,	९%	३,६००
	कुल आयकर ···	६,२५०

प्रश्न संख्या ७४ :

एक कंपनी (जिसमें जनता का प्रचुर हित है तथा जिसने लाभांशों के वितरण इत्यादि के लिए निर्धारित प्रबन्ध किये हैं) की निम्न आय पर आयकर तथा निगम कर की संगणना कीजिये :—

व्यापार के लाभ ····	१०,००० रु०
भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश ···	६,००० रु०

उत्तर :—

	रु०	रु०
१६,०००) पर २५% दर से **आयकर** ··· ··		४,०००
१६,०००) ,, ५५% ,, ,, निगमकर	८,८००	

वाद छूट :

(i) ६,०००) भारतीय कंपनी से प्राप्त *लाभांश पर ५०%*	३,०००		
(ii) १०,०००) की शेष आयपर ,, ३५%	३,५००	६,५००	२,३००
		कुल आयकर तथा निगम कर ···	६,३००

प्रश्न संख्या ७५ :

मेसर्स इण्डियन ट्राजीस्टर्स लि० एक भारतीय कंपनी है जिसने भारत में लाभाश वितरण किये हैं। उसकी आय के निम्न विवरण से आयकर तथा निगम कर की संगणना कीजिये :—

व्यापार की आय ··	६०,०००)
२९-३-६१ को पंजीकृत भारतीय सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश ···	१५,०००)
भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश	५,०००)
कुल आय ··	८०,०००)

कंपनी ने १,०००) एक पुण्यार्थ संस्था को दान में दिए हैं। यह रकम धारा ८८ के अन्तर्गत कर-मुक्त है।

उत्तर :—

			रु०
८०,०००) पर २५% की दर से आयकर			२०,०००
१,०००) पर २५% ,, ,, ,, की छूट			२५०
		नैट आयकर	१९,७५०
८०,०००) पर ५५% की दर से निगम कर	४४,०००		
बाद, छूट			
(i) १५,०००) पर ५०% की दर से ७,५००			
(ii) ५,०००) ,, ४५% ,, ,, २,२५०			
(iii) ६०,०००) ,, ३०% ,, ,, १८,०००	२७,७५०		१६,२५०
		कुल आयकर तथा निगमकर	३६,०००

परिशिष्ट 'ख'

विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रश्न-पत्र तथा उनके उत्तर

नोट :—प्रश्नों के उत्तर आयकर अधिनियम, १९६१, आयकर नियम १९६२ तथा वित्त (न० २) अधिनियम, १९६२ के अनुसार दिये गए हैं इसलिए प्रश्नों की तिथियों को भी उसी हिसाब से रुपान्तरित कर दिया गया है।

विक्रम यूनिवर्सिटी (VIKRAM UNIVERSITY)

B. Com. (3-Year Degree Couse) Examination, 1962
Subject IV-Accounts & Mercantile Law First Paper —

Income tax & Cost Accounts-Section A.

प्रश्न १. धर्मार्थ कार्य के लिये दिये हुए दानों को कर मुक्त होने के लिए धारा ८८ में दिये गये नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिये। किसी संस्था को उक्त रूप में कर मुक्त होने के लिये क्या शर्तें पूरी करना चाहिए?

उ० : देखो अध्याय ४, अनुच्छेद १०।

प्रश्न २. एक करदाता को जीवन बीमा प्रीमियम, प्रॉवीडेन्ट फंड के चन्दे व उसके ब्याज पर आयकर से क्या छूट मिलती है, तथा इस छूट का आगणन किस प्रकार होता है?

उ० : देखो अध्याय ५, अनुच्छेद ६ से १०।

प्रश्न ३. आय की निम्न मदें विक्रम विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की हैं :—

(१) वेतन १,२०० रु० प्रतिमास, जिसमें से ८ प्रतिशत उस प्रॉवीडेन्ट फण्ड के चन्दे के लिए काट लिया जाता है जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा १२ प्रतिशत का अशदान किया जाता है।

(२) वार्डन होने का भत्ता, १,२०० रु० प्रतिवर्ष।

(३) किराया मुक्त बंगला, जिसके वार्षिक किराये का मूल्य ७२० रु० है।

(४) एक लिमिटेड कम्पनी के १०० रु० प्रति अंशवाले ५० अंशों पर ५ प्रतिशत (करमुक्त) लाभांश।

(५) ५,००० रु० के सरकारी ऋणों पर ४ प्रतिशत ब्याज।

(६) भाड़े पर दी गई जायदाद से आय, १,२०० रु०।

(७) पोस्ट ऑफिस सेविंग्ज् बैंक में जमा रकम पर ब्याज, ५०० रु०।

(८) पुरानी मोटर गाड़ी बेचने पर लाभ, २,५०० और जायदाद की बिक्री पर लाभ ८,००० रु०।

(९) पुस्तकों की बिक्री से आय, २,००० रु०।

(१०) परीक्षक होने का पारितोषण, ३,७०० रु०।

वर्ष के अन्दर उन्होंने १,६०० रु० जीवन बीमा प्रीमियम के दिये जिसमें से ५०० रु० संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के थे। उन्होंने उसी वर्ष में ६५० रु० की पुस्तकें खरीदीं।

उनकी १९६२-६३ के वर्ष की कुल आय, कर योग्य आय और कर मुक्त आय निकालिये।

उ० कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिये कुल आय, कर योग्य आय तथा करमुक्त आय की संगणना :—

	रु०	रु०
१. वेतन—१२ महिने का १,२०० रु० प्रतिमास से वेतन	१४,०००	
वार्डन होना का भत्ता १,२०० रु० प्रतिवर्ष	१,२००	
किराया मुक्त बंगला	७२०	
	१६,३२०	
बाद—पुस्तकों के लिए उच्चतम कटौती	५००	१५,८२०

२. प्रतिभूतियों से ब्याज :—५,०००) सरकारी ऋणों पर ४% की दर से — २००

३. भाड़े पर दी गई जायदाद से आय — १,२००

४. पूंजीगत लाभ :—पुरानी मोटरगाड़ी वेचने पर लाभ २,५००
जायदाद की बिक्री पर लाभ ८,००० — १०,५००

५. अन्य साधनों से आय :—

(i) कर-मुक्त लाभांश—१००) के ५० शेयरपर ५% — २५०

(ii) पोस्ट ऑफिस सेविंग्ज् बैंक में जमा रकम पर ५००) ब्याज की रकम पूर्णतया करमुक्त है — —

(iii) पुस्तकों की बिक्री से लाभ (यह मानकर की पुस्तक को लिखने में १ साल से कम समय लगा है) — २,०००

(iv) परीक्षक होने का पारितोषण — ३,७०० — ५,६५०

कुल आय ३३,६७०

कर-मुक्त आय :

(१) केवल कर्मचारीका प्रॉविडेन्ट फण्ड में दिया हुआ चन्दा १४,४०० का ८% — ११५२

(२) जीवन बीमा प्रीमियम — १,६००

३,०५२

कर-योग्य आय :—

	रु०	
कुल आय	३३,६७०	
बाद, कर-मुक्त आय	३,०५२	३०,६१८ रु०

आयकर के लिए ३०,६१८) पर ३३,६७०) पर लगनेवाली आयकर की औसत दर से कर लगेगा। अतिरिक्त कर के लिए ३३,६७०) ही कर-योग्य समझी जायगी।

प्रश्न ४. अ और ब एक रजिस्टर्ड फर्म में साझीदार हैं। ३१ मार्च १९६२ को समाप्त हुए वर्ष के लिये उनका लाभ हानि खाता निम्न प्रकार है :—

	रुपये		रुपये
वेतन	२०,०००	सकल लाभ	५०,०००
भाड़ा	२,४००	लाभांश (सकल)	६००
विज्ञापन	२,६००	अशोध्य ऋण प्राप्त	१,०००
धर्मादा	१,०००		
डूबत ऋण संचिति	२,५००		
आय कर	५,०००		
विविध व्यय	६,०००		
पूंजी पर ब्याज : रु. अ १,००० ब १,०००	२,०००		
साझेदारों का कमीशन :— रु. अ २,५०० ब २,०००	४,५००		
शुद्ध लाभ	५,६००		
	रु. ५१,६००		रु० ५१,६००

वेतन की मद में साझेदारों के वेतन सम्मिलित हैं : अ ३,००० रु., ब ३,००० रु.। २,००० रु. का फर्नीचर क्रय किया जिसे विविध व्यय में विकलित कर दिया गया है। साझेदारों की कुल आय निकालिये।

उ० फर्म की कुल आय की संगणना :

	रु.	रु.
लाभ हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ		५,६००
जोड़ो :—धर्मादा	१,०००	
डूबत ऋण संचिति	२,५००	
आयकर	५,०००	
साझेदार का वेतन	६,०००	
साझेदारों की पूंजी पर ब्याज	२,०००	
साझेदारों का कमीशन	४,५००	
फर्नीचर (पूंजीगत खर्चा)	२,०००	२३,०००
		२८,६००

साझेदारों की कुल आय की संगणना (रुपयों में)

	रु.	रु.
वेतन	३,०००	३,०००
पूँजी पर ब्याज	१,०००	१,०००
कमीशन	२,५००	२,०००
शेष आय (बराबर हिस्सों में)	८,२००	८,२००
	१४,७००	१४,२००

प्र. ५. देखिए प्रश्न संख्या २१

उ. देखिए प्रश्न संख्या २१ का उत्तर।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

[ALLAHABAD UNIVERSITY]

B. Com. (Part II) Examination, 1962

Group E. Advanced Accountancy (Paper VII) : Advanced Accountancy Section A :

प्र. १। भारतीय आयकर विधान के अनुसार कुछ आय पूर्णतया कर-मुक्त हैं तथा कुछ केवल आयकर की दर निकालने के लिये जोड़ी जाती हैं। इनकी संक्षिप्त व्याख्या कीजिये।

उ. देखो अध्याय ४, अनुच्छेद १ से १०।

प्र. २। निम्नलिखित में से किन्हीं चार की व्याख्या कीजिये :—

(क) कर-दाता।
(ख) पंजीयित फर्म।
(ग) आकस्मिक आय।
(घ) वार्षिक मूल्य।
(ङ) विकास-सम्बन्धी छूट
(च) स्वीकृत व्यय।
(छ) अतिरिक्त कर।

उ. देखो (क) अध्याय १, अनुच्छेद ६ ; (ख) अध्याय १४, अनुच्छेद ४ ; (ग) अध्याय १, अनुच्छेद १२ ; (घ) अध्याय ■ अनुच्छेद २ ; (ङ) अध्याय ८, चक ७ (५) ; (च) अध्याय ८ अनुच्छेद ३ ; (छ) अध्याय १ अनुच्छेद ३।

प्र. ३। श्री जगत प्रकाश, जो एक वैतनिक कर्मचारी विवाहित व्यक्ति हैं तथा जिनके दो बच्चे हैं, उनकी ३१ मार्च, १९६२ के अन्त होनेवाले वर्ष की आय का निम्नलिखित विवरण है :—

	रु०
(क) वेतन	१२,०००
(ख) मंहगाई की भत्ता	१,२००
(ग) स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते पर जमा ब्याज १२ प्रतिशत की दर से	२,१००
(घ) स्वामी का प्रॉविडेन्ट फण्ड का चन्दा	७५०
(ङ) कर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज	१,०००

इनका अपना एक मकान है जिसका वार्षिक मूल्य २,४०० रु० है और जिसमें वह स्वयं रहते हैं। इन्होंने ३,००० रु० जीवन-बीमा प्रीमियम अपने जीवन-बीमा पर दिया तथा ७५० रु० स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड में दिया।

इनकी कर योग्य आय तथा कर-मुक्त आय मालूम करें।

उ. श्री जगत प्रकाश की कर-योग्य आय तथा कर-मुक्त आय की कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए संगणना :

	रु.	रु.
(१) वेतन :—वर्ष भर का वेतन	१२,००	
मंहगाई का भत्ता	१,२००	
स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते पर जमा ब्याज ६% से अधिक की दर से	१,०५०	
[स्वामी का प्रॉविडेन्ट फण्ड का चंदा कर-मुक्त है क्योंकि वह वेतन के १०% से अधिक नहीं है]—		१४,२५०
(२) कर मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज		१,८००
(३) गृह-सम्पत्ति की आय :—वार्षिक मूल्य	२,४००	
बाद, वैधानिक कटौती	१,२००	
घटा हुआ वार्षिक मूल्य	१,२००	
बाद, ⅙ मरम्मत खर्च	२००	१,०००
कुल आय		१६,२५०

कर-मुक्त आय :

(i) कर-मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज	१,०००
(ii) स्वय का प्रॉविडेन्ट फण्ड में चन्दा	७५०
	३,०००
(iii) जीवन-बीमा प्रीमियम	
	४,७५०

श्री जगत प्रकाश ११,५००) [१६,२५०—४,७५०] कर-योग्य आय पर १६,२५०) पर लागू औसत आयकर की दर से कर देंगे।

राजस्थान विश्वविद्यालय [University of Rajasthan]

B. Com. (FINAL) Examination, 1962,

Advanced Accountancy.

I Paper—Income-tax & Cost Accounting

Section A.

प्र० १. (अ) समझाइये कि आयकर के लिए किसी करदाता के निवास-स्थान के प्रश्न को कैसे हल किया जायगा।

(ब) एक पत्नि जो भारत में निवासी है, कि निम्न आय है :—

(i) कानपुर में उसे २,०००) वेतन मिलता है।

(ii) अपने पति की बिना कर लगी हुई विदेशी आय से उसे ३,०००) की रकम प्राप्त हुई। उसका पति अनिवासी है।

(iii) उसकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (U S A.) की कृषि-आय १०,०००) रु० है। कृषि व्यापार का नियन्त्रण भारत से होता है किन्तु वह रकम भारत में नहीं लाई गई है।

पत्नि की कर-योग्य आय निकालिए।

उ० (अ) देखो अध्याय ३, अनुच्छेद १ से ३।

(ब) पत्नि की कर-योग्य आय की संगणना :—

	रु०
(i) कानपुर में प्राप्त वेतन	२,०००
(ii) पति द्वारा भेजी गई विदेशी रकम कर-मुक्त है	—
(iii) विदेशी कृषि आय	१०,०००
	१२,०००

प्र० २ (अ) 'वेतन' शब्द में जो आय की मदें सम्मिलित होती हैं उनका वर्णन कीजिए।

(ब) धारा २२-२६ [पुरानी धारा ६] के अन्तर्गत कौन जायदाद की आय कब कर-मुक्त होती है।

उ० (अ) देखो, अध्याय ५, अनुच्छेद १ से ४।

(ब) देखो, अध्याय ७, अनुच्छेद १ तथा २।

प्र० ३ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :—

(अ) गत वर्ष।

(ब) कर का अग्रिम भुगतान।

उ० देखो (अ) अध्याय १, अनुच्छेद ८।

(ब) अध्याय २०, अनुच्छेद ४ तथा ५।

प्र० ४ श्री ऐच० के० मेहता एक कॉलेज के प्रिन्सिपल हैं। उनका वेतन ८००) प्रति मास है तथा महगाई का भत्ता १५% है। उसने स्वीकृत प्रॉविडेंट फंड में ८% चन्दा दिया तथा उसके मालिक ने १२%। प्रॉविडेंट फंड खाते में ६% की दर से जमा किया ब्याज ६००) हुआ। उसे एक किराया-मुक्त मकान मिला हुआ है जिसका वार्षिक मूल्य ६००) है। उसे बर्मा से जहाँ वह पहले नौकरी करता था, २००) प्रति मास पेंशन मिलती है। उसे ४,०००) पुस्तकों की रायल्टी तथा ३,०००) विभिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षक होने का पारितोषक मिला। उसने १५,०००) की पॉलिसी पर १,०००) जीवन बीमा प्रीमियम का दिया है। पुस्तकें तथा मैगेजिन को खरीदने के लिए उसने ६००) खर्च किए।

कर-निर्धारण १९६२-६३ के लिए उसकी कुल आय की संगणना कीजिए।

उ० (१) वेतन :—

	रु०	रु०
वार्षिक वेतन ८००) प्रति मास की दर से	९,६००	
मंहगाई भत्ता—वेतन का १५%	१,४४०	
मालिक का चंदा—१०% से अधिक	१९२	
प्रॉविडेंट फण्ड में ६% से अधिक ब्याज	२००	
किराया-मुक्त मकान का मूल्य	६००	
बर्मा से प्राप्त पेंशन	२,२००	
	१४,७३२	
बाद—उच्चतम कटौती (पुस्तकों आदि के लिए)	५००	१४,२३२

(२) अन्य साधनोंसे आय :—

पुस्तकों की रॉयल्टी	४,०००	
परीक्षक होने से आय	३,०००	७,०००
कुल आय		२१,२३२

प्र० ५. श्री रामचन्द्र जैन का ३१ दिसम्बर १९६१ को समाप्त हुए वर्ष का लाभ हानि खाता इस प्रकार है :—

	रु०		रु०
वेतन	७,२६०	सकल लाभ	४६,६१२
घर-खर्च	८,४१२	मशीनरी विक्रय से लाभ	१,२२४
अपने जीवनपर बीमा प्रीमियम	६३६	जायदाद वेचने से लाभ	७,९००
घिसाई	४,३३२	जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त	२,०००
धर्मादा	५६०	पोस्ट ऑफिस सेविंग्ज बैंक	
साधारण खर्च	२,६२०	खाते का ब्याज	४६
छपाई तथा कागज खर्च	६१८		
किराया तथा कर	१,४६६		
डूबत ऋण संचिति	२,८७६		
शुद्ध लाभ	२८,६७२		
	५८,०८२		५८,०८२

निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए आप श्री जैन की कुल आय की संगणना कीजिए :—

(अ) आयकर अफसर ३,५६१) घिसाई के बारे में मंजूर करता है।

(ब) साधारण खर्चों में ४१२ निजी खर्चे के सम्मिलित हैं।

(स) बेची गई मशीनरी की शेष कीमत (Scrap value) वही खाते में दिखलाई गई रकम से ६१४) अधिक थी।

उ० श्री जैन की कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए कुल आय की संगणना

		रु०
लाभ हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ		२८,६७२
बाद : (अ) जायदाद का लाभ (नीचे देखो)	७,९००	
(ब) बीमा पॉलिसी की रकम—(यह कर-मुक्त है)	२,०००	
(स) पोस्ट ऑफिस सेविंग्ज बैंक खाते का ब्याज	४६	९,९४६
		१९,०२६

जोड़ो (१) साधारण खर्चे में सम्मिलित निजी खर्चे	४१२	
(२) शेष कीमत की अतिरिक्त रकम	६१४	
(३) घर खर्च	८,४१२	
(४) बीमा प्रीमियम	६३६	
(५) अतिरिक्त घिसाई (३,३३२–३,५६१)	७७१	
(६) धर्मादा	५६०	
(७) डूबत ऋण सचिति	२,८७६	१४,५८१
व्यापारिक आय		३३,६०७
पूंजीगत लाभ : जायदाद के बेचने से लाभ		७,६००
कुल लाभ		४१,५०७

आगरा विश्वविद्यालय (Agra University)

B. Com. (Part II) Examination 1962

Group IV (a) Advanced Accountancy & Auditing First Paper.—Accountancy (Section A)

प्र० १. निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए :—
(अ) प्रारम्भिक घिसाई ; (ब) लाभांश ; (स) अतिरिक्त भत्ता ; (द) कर-मुक्त आय।

उ० देखिए (अ) अध्याय ८, अनुच्छेद ७ (४) ; (ब) अध्याय १०, अनुच्छेद ४ ; (स) अध्याय ८, अनुच्छेद ७ (३); (द) अध्याय १, अनुच्छेद १४।

प्र० २ करदाताओं के निवास-स्थान के हिसाब से उन्हे कितनी श्रेणियों में विभक्त कर सकते है ? प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उ० देखिए अध्याय ३, अनुच्छेद १ से ३।

प्र० ३ अन्तर बतलाइये—
(अ) स्वीकृत प्रोविडेन्ट फण्ड तथा अस्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड ;
(ब) रजिस्टर्ड फर्म तथा अनरजिस्टर्ड फर्म।

उ० (अ) देखिए अध्याय ५, अनुच्छेद ८ तथा ९।
(ब) देखिए अध्याय १४, अनुच्छेद ४ तथा ५।

प्र० ४ गोपाल एक सरकारी दफ्तर में ५००) मासिक वेतन पर नौकरी करता है। उसके पास ८०,०००) ३$\frac{1}{2}$% सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं तथा वह एक बड़े मकान का मालिक है जिसका स्थानीय मूल्यांकन १,६००) है। उसने उस मकान के $\frac{1}{3}$ हिस्से को ६०) महिने से किराये पर दिया है। बाकी मकान में वह स्वय रहता है। अपनी बहन के शादी के लिए उसने मकान को रहन रख दिया है। रहन का व्याज ६००) साल आता है। स्थानीय कर ३००) है। गत वर्ष ३१ मार्च १९६२ को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए उसकी जायदाद से आय तथा कुल आय निकालिए।

उ० **जायदाद से आय :—**

		रु०	रु०
किराया दिया हुआ मकान ($\frac{1}{3}$ हिस्सा)			
६०) महिने की दर से कुल किराया		७२०	
बाद, $\frac{1}{2}$ स्थानीय कर=($\frac{1}{3}$×३००×$\frac{1}{2}$)=		५०	
वार्षिक मूल्य		६७०	
स्वयं का रहने का मकान ($\frac{2}{3}$ हिस्सा)			
उपरोक्त रीति से स्थानीय मूल्य	१,३४०		
बाद, $\frac{1}{2}$ वैधानिक भत्ता	६७०	६७०	
पूरे मकान का वार्षिक मूल्य		१३४०	
बाद, $\frac{1}{6}$ मरम्मत खर्च	२२३		
रहन का व्याज	६००	८२३	
जायदाद से आय ..		५१७	
वर्ष भर का वेतन ५००) प्रतिमास की दर से			६,०००
सरकारी प्रतिभूतियों का व्याज—३$\frac{1}{2}$% दर से ८०,०००)पर			२,८००
कुल आय ..			९,३१७

परिशिष्ट 'ग'

पुराने अधिनियम १९२२ तथा नये अधिनियम १९६१ की मुख्य-मुख्य धाराओं की तुलना

(COMPARISION OF THE IMPORTANT SECTIONS OF THE OLD ACT OF 1922 & THE NEW ACT OF 1961)

पुराने अधिनियम की धाराएँ	विषय	नए अधिनियम की धाराएँ
१	प्रारम्भिक	१
२	परिभाषाएँ	२ तथा ३
३	आयकर का भार	४
४	अधिनियम का लागू होना	५,७ तथा ९
४ (३)	पूर्णतया कर-मुक्त आय	१० से १३
४ ए तथा ४ बी	करदाताओं का निवास स्थान	६
५	आयकर अधिकारी	११६ से १३८
५ ए	आयकर अपीलेट ट्रिब्युनल्स	२५२
६	आय के शीर्षक	१४
७	वेतन	१५ से १७
८	प्रतिभूतियों का ब्याज	१८ से २१
९	गृहसम्पत्ति (जायदाद) से आय	२२ से २७
१०	व्यापार, पेशे आदि के लाभ	२८ से ४४
१२	अन्य साधनों से आय	५६ से ५९
१२ एए	विशेषाधिकार शुल्क अथवा प्रतिलिप्यधिकार	१८०
१२ बी	पूंजीगत लाभ	४५ से ५५
१३	हिसाब-पद्धति	१४५
१४	साधारण कर-मुक्तियाँ	८१ से ८३
१५	जीवन-बीमा प्रीमियम पर छूट	८७
१५ बी	पुण्यार्थ कामों के लिए दान	८८ तथा १०१
१५ सी	नए औद्योगिक उद्यम अथवा होटल इत्यादि	८४, ८५ तथा १०१



परिशिष्ट 'घ'

अनुक्रमणिका

(INDEX)

|| समाप्त ||